

2018-19

वार्षिक रिपोर्ट



इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

सेल ने पुल के
निर्माण के लिए 90%
इस्पात की आपूर्ति की



डोला-सदिया पुल

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19



इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
I मुख्य उपलब्धियां	2
II इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप	9
III इस्पात नीति और इसका प्रभाव	12
IV द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को सहयोग करने वाले महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन	14
V इस्पात का उत्पादन और खपत	16
VI सार्वजनिक क्षेत्र	24
VII निजी क्षेत्र	34
VIII इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान	38
IX एसआरटीएमआई एवं अनुसंधान	42
X इस्पात एवं इसका उपयोग—क्षेत्र और नए उत्पाद	52
XI इस्पात उपयोग को प्रोत्साहन	66
XII ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन	72
XIII पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	84
XIV अंतरराष्ट्रीय सहयोग	86
XV सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	87
XVI सुरक्षा	94
XVII समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण	101
XVIII सतर्कता	104
XIX शिकायत निवारण तंत्र	112
XX दिव्यांग और इस्पात	116
XXI हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	118
XXII महिलाओं का सशक्तिकरण	125
XXIII निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	129
XXIV सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	139
XXV कौशल विकास	139
अनुलग्नक	144



अध्याय—।

मुख्य उपलब्धियां

1.1 इस्पात क्षेत्र में प्रवृत्तियां एवं विकास

- भारत साल 2018 में कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। साल 2017 में 4.94 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 106.464 मिलियन टन (एमटी) (अनंतिम) कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ।
- भारत दुनिया में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है, साल 2017 में 3 प्रतिशत विकास दर के साथ 2018 में 30.368 मिलियन टन (अनंतिम) स्पंज आयरन का उत्पादन किया गया।
- चीन (835 एमटी) और अमेरिका (100 एमटी) के बाद भारत 2018 में [96 एमटी] (अनंतिम)] विश्वभर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। [स्रोत: विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए)]
- कच्चे इस्पात की घरेलू उत्पादन क्षमता 2013–14 के 102.26 एमटी से बढ़कर 2017–18 में 137.97 एमटी हो गई, इन पांच सालों में सीएजीआर विकास दर 6.17 प्रतिशत रही है। (2018–19 के लिए क्षमता उपयोग के अंतिम आंकड़े अभी नहीं आए हैं।)
- कच्चे इस्पात का उत्पादन 3.67 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) की दर से 2014–15 के 88.979 मिलियन टन से बढ़कर 2018–19 में 106.565 मिलियन टन (अनंतिम) हो गया है।
- देश के जीडीपी में इस्पात क्षेत्र का योगदान 2 प्रतिशत है और इस्पात/संबंधित क्षेत्र करीब 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- 2018–19 (स्रोत: जेपीसी, *अनंतिम) के दौरान, उद्योग का परिदृश्य पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निम्नलिखित रहा:
 - क) कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.33 प्रतिशत बढ़कर 106.565 मिलियन टन रहा। सेल, आरआईएनएल, टीएसएल, ईएसएसएआर, जेएसडब्ल्यूएल एवं जेएसपीएल ने 2018–19 के दौरान 63.602 मिलियन टन का उत्पादन किया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक रहा है, जो कुल कच्चे इस्पात के उत्पादन का 62 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान उत्पादन में अन्य उत्पादकों का योगदान 38 प्रतिशत यानी 42.962 मिलियन टन रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.8 प्रतिशत कम है।
 - ख) पिंग आयरन का उत्पादन 6.055 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 5.7 प्रतिशत अधिक रहा। निजी क्षेत्र का योगदान 91 फीसदी रहा जबकि शेष 9 फीसदी का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का रहा।
 - (ग) कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र + मिश्र/जंगरोधी) के मामले में:
 - ❖ उत्पादन 131.572 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 3.72 फीसदी अधिक रहा।
 - ❖ निर्यात 6.361 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 33.87 प्रतिशत कम है।
 - ❖ आयात 7.834 मिलियन टन रहा, इसमें पिछले साल के मुकाबले 4.7 प्रतिशत की वृद्धि रही।
 - ❖ भारत कुल तैयार इस्पात का एकमात्र आयातक था।
 - ❖ खपत 97.536 मिलियन टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 7.53 फीसदी अधिक है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

साल 2013–14 से 2018–19 (अंतरिम) के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र) की बिक्री के लिए उत्पादन, खपत, आयात व निर्यात और कच्चे इस्पात के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1: तैयार इस्पात (मिश्र/जंगरोधी + गैर-मिश्र) और कच्चे इस्पात का उत्पादन

(मिलियन टन में)

मद	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19*
तैयार इस्पात						
उत्पादन (कुल)	99.380	104.578	106.602	120.140	126.855	131.572 (3.72)
आयात	5.450	9.320	11.712	7.226	7.482	7. 834 (4.7)
निर्यात	5.985	5.596	4.079	8.242	9.620	6.361 (-33.87)
प्रत्यक्ष इस्पात उपयोग	74.096	76.994	81.525	84.042	90.708	97.536 (7.53)
कच्चा इस्पात						
उत्पादन	81.694	88.979	89.790	97.936	103.131	106.565 (3.33)

स्रोत: जेपीसी; *अनन्तिम; ब्रैकेट () में दिए गए आंकड़े पिछले साल की समान अवधि में हुए % परिवर्तन का संकेत हैं

1.2 वर्ष 2018–19 के दौरान इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई बड़ी पहलें/उपलब्धियां

1.2.1 मेक इन इंडिया पहल के तहत कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर्स के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

राष्ट्रीय इस्पात नीति – 2017 में देश में 2030–31 तक 1380 लाख टन की मौजूदा क्षमता के मुकाबले 3000 लाख टन इस्पात क्षमता के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 3000 लाख टन क्षमता तक पहुंचने के लिए संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित आयात 1,72,550 करोड़ रु. के आसपास होगा। इसके अलावा, यह अनुमान है कि 3000 लाख टन क्षमता के स्तर पर, भारत को पूंजीगत और अन्य पुर्जों के आयात के लिए सालाना लगभग 3,450 करोड़ रु. खर्च करने होंगे।



ओडिशा के भुवनेश्वर में 23.10.2018 को आयोजित "कैपिटल गुड्स इन स्टील सेक्टर: मैन्युफैक्चर इन इंडिया" पर संगोष्ठी के दौरान इस्पात मंत्रालय के काँफी टेबल बुक को रिलिज किया गया



इस्पात मंत्रालय ने 23.10.2018 को ओडिशा के भुवनेश्वर में "कैपिटल गुड्स इन स्टील सेक्टर: मैन्युफैक्चर इन इंडिया" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी घरेलू क्षमता और क्षमता निर्माण एवं इस्पात क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देने की एक पहल है।

इस संगोष्ठी में इस्पात मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यूरोप और एशिया के 12 देशों के लगभग 30 शीर्ष अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस्पात निर्माताओं, भारतीय पूंजीगत सामान निर्माताओं, सलाहकारों, इस्पात उपयोगकर्ताओं, माध्यमिक इस्पात क्षेत्रों, संघों, शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में हिस्सा लिया।



ओडिशा के भुवनेश्वर में 23.10.2018 को आयोजित "कैपिटल गुड्स इन स्टील सेक्टर: मैन्युफैक्चर इन इंडिया" पर संगोष्ठी के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान

संगोष्ठी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों, भारतीय पूंजीगत सामान निर्माताओं, कंसल्टेंट्स और भारतीय इस्पात उत्पादकों के साथ 38 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके एक मज़बूत शुरुआत की गई है। यह मोटे तौर पर स्टील प्लांट संचालन के सभी पहलुओं को कवर करता है। विश्व प्रसिद्ध इस्पात प्रौद्योगिकी कंपनियां जैसे पॉल वुर्थ, डेनिएल कोरस, एसएमएस, मेट्सो, सर्ऱेल एकर, सीएसएम आदि एमओयू पर हस्ताक्षर करने में शामिल थीं। शुरुआत में, अगले 12 वर्षों में इस्पात क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया पहल के हिस्से के रूप में देश में लगभग 39,400 करोड़ रुपए मूल्य के आयातित पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा और आगे के वर्षों में धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाएगा।

1.2.2 द्वितीयक इस्पात उत्पादकों के लिए पुरस्कार योजना

इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक इस्पात उत्पादकों के योगदान एवं इन उत्पादकों को कार्यकुशलता, गुणवत्ता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और नवाचार, अपशिष्ट उपयोग, ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में कमी आदि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में द्वितीयक इस्पात उत्पादकों के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। वर्ष 2016-17 के प्रदर्शन के लिए 13 सितंबर, 2018 को आयोजित माध्यमिक स्टील सेक्टर कंकलेव में ये पुरस्कार दिए गए।

1.2.3 सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआई और एसपी) को वरीयता प्रदान करने की नीति

आयरन और स्टील के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआई और एसपी) को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति मई 2017 में अधिसूचित की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार (मेक इन इंडिया) के विजन को पूरा करना।
- कई व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करना।
- बुनियादी ढांचे का विकास।
- सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को वरीयता।
- देसी उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन में न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अनिवार्य किया गया है।
- अधिकांश वस्तुओं के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण को आवश्यक बनाया गया (कुल इस्पात उत्पादों का करीब 85 प्रतिशत इसके दायरे में आता है)।

मई 2017 में शुरू की गई आयरन और स्टील उत्पादों के घरेलू निर्माताओं (डीएमआई एंड एसपी) को वरीयता देने की नीति ने तेल, गैस और रेलवे क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले इस्पात के लिए लगभग 8500 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत की है।

1.2.4 भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं तकनीकी मिशन (एसआरटीएमआई)

सरकार ने भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संयुक्त सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव संस्थागत तंत्र की स्थापना करने की सुविधा प्रदान की है। यह एक उद्योग संचालित प्लेटफॉर्म है और इसके लिए प्रारंभिक पूँजी की व्यवस्था प्रमुख इस्पात कंपनियां कर रही हैं। एसआरटीएमआई को 14 अक्टूबर 2015 को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान करने के लिए एसआरटीएमआई सक्रिय रूप से स्टील कंपनियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शिक्षाविदों के साथ बातचीत कर रहा है।

1.2.5 सरकारी बजट से अनुसंधान एवं विकास

इस्पात मंत्रालय इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन के नाम से एक अनुसंधान एवं विकास योजना का संचालन कर रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान 45.05 करोड़ रुपए की लागत से 10 आरएंडडी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। जिसमें 18.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सरकारी बजट से दी गई। 21 आरएंडडी परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

1.2.6 इस्पात तकनीक के लिए उत्कृष्टता केंद्र

इस्पात मंत्रालय धातुकर्म इंजीनियरिंग में विश्व स्तरीय सुविधा के निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस तरह की सुविधाएं लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही हैं और इस क्षेत्र के लिए कुशल मानव-शक्ति पैदा करती हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बाम्बे, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी मद्रास में इस तरह के चार केंद्र स्थापित/स्वीकृत किए गए हैं।

1.2.7 इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश

सरकार अवसंरचना, निर्माण, आवास और इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों के लिए गुणवत्ता वाले इस्पात की आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर रही है। इस्पात मंत्रालय बीआईएस प्रमाणपत्र मार्कर्स योजना के तहत सबसे अधिक उत्पादों को शामिल करने वाला प्रमुख मंत्रालय है। देश में 85 प्रतिशत से अधिक इस्पात उत्पाद अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आते हैं। ये आदेश घटिया इस्पात उत्पादों के आयात, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करते हैं। यह अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है। इस्पात मंत्रालय ने अब तक 47 कार्बन स्टील और 6 स्टेनलेस स्टील उत्पादों को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन योजना के तहत लाया है।

1.2.8 एनईडीओ मॉडल प्रोजेक्ट

एनईडीओ मॉडल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जापान सरकार की वित्तीय सहायता से इस्पात मंत्रालय ऊर्जा बचत और स्वच्छ एवं हरित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों में मॉडल प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत अप्रैल 2014 से मार्च 2018 के बीच ऊर्जा प्रबंधन व्यवस्था पर एक मॉडल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और इसे आईएसपी बन्धुपुर के सेल में चलाया जा रहा है।



1.2.9 यूएनडीपी प्रोजेक्ट

यूएनडीपी एवं एयूएस ऐड के सहयोग से इस्पात मंत्रालय भारत के छोटे इस्पात उद्योगों में ऊर्जा बचत उत्पादन को बढ़ावा देने की परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के माध्यम से 283 रि-रोलिंग मिलों और 4 इंडक्शन फर्नेस यूनिटों में उत्पादकता को बढ़ावा देने और ऊर्जा खपत एवं जीएचजी उत्पर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा बचत तकनीकों का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत दिए गए प्रशिक्षण के कारण इन संयंत्रों के ऊर्जा खपत में औसतन 24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

1.2.10 अतिरिक्त इस्पात क्षमता पर वैश्विक सम्मेलन (जीएफएसईसी) और भारत



जीएफएसईसी की बैठक में केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

इस्पात क्षेत्र वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में अपनी केंद्रीय स्थिति के माध्यम से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अतिरिक्त इस्पात निर्माण क्षमता एक वैश्विक चुनौती है, जो इस क्षेत्र को लगातार परेशान करती है और उन्नत, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस्पात उत्पादकों के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा करती है। साल 2015 से स्थिति पहले से अधिक कठिन हो गई है। इसके कारण कीमतों पर दबाव बनाता है, लाभ कम होता है, व्यापार की मांग को प्रभावित करता है, दुनिया भर में कंपनियों और शाखाओं के अस्तित्व को खतरे में डालता है और क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा करता है।

अधिक स्थिर, लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय और रोजगार के लिए अतिरिक्त क्षमता को धीमा करना आवश्यक स्थिति बन जाती है। इससे उद्योग को कई दीर्घकालिक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद मिलेगी।

इन चुनौतियों को देखते हुए जी-20 के नेताओं ने ने चीन के हांगज्जोउ में 4 और 5 सितंबर, 2016 को अपने शिखर सम्मेलन में अतिरिक्त इस्पात क्षमता के ऊपर एक ग्लोबल फोरम (जीएफएसईसी) के गठन का आह्वान किया। ग्लोबल फोरम वैश्विक इस्पात उत्पादन और क्षमता के 90 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाली 33 अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।

भारत ने जीएफएसईसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने साल 2018 में हुए जीएफएसईसी की बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसका अध्यक्ष अर्जेंटीना था। भारत ने फोरम में विकासशील/उभरते देशों के हितों को रखते हुए उनका समर्थन किया है और कहा कि ये देश अपने बुनियादी ढांचे के विकास के निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति इस्पात की कम खपत आदि के कारण अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। उभरती/विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अधिक आत्मनिर्भर बनने और आधारभूत संरचना के विकास के संदर्भ में बाज़ार की मांग को देखते हुए इस्पात का उत्पादन करेंगी। हालांकि, ये अर्थव्यवस्थाएं इस क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

1.3 पीएसई के प्रमुख विस्तार/अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम

1.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और सेलम इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया है। आधुनिकीकरण और विस्तार का उद्देश्य कच्चे इस्पात क्षमता को 128 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 214 लाख टन प्रति वर्ष करना है। इसके लिए करीब 61,870 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इसके अलावा सेल माइंस के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए 10,264 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
- मार्च 2019 तक आधुनिकीकरण और विस्तार योजना पर संचयी व्यय 69,255 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 2,009 करोड़ रुपए का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हुआ। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के लिए संचयी व्यय 67,246 करोड़ रुपए रहा, जिसमें वर्ष 2017-18 के चौथी तिमाही के दौरान 340 करोड़ रुपए का व्यय भी शामिल है।
- राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो और सेलम में इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार का काम पूरा हो गया है और विभिन्न सुविधाएं दिए जाने और स्थिरीकरण और रैम्प अप किए जाने का काम किया जा रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र और आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के बाद इसे क्रमशः 01.04.2018 और 10.05.2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया।
- भिलाई इस्पात संयंत्र में, आधुनिकीकरण और विस्तार के तहत प्रमुख सुविधाएं एसएमएस-3 में एक कॉस्टर और एक एकीकृत कनवर्टर को छोड़कर पूरी हो चुकी हैं और एकीकृत रूप से इसकी पूरी प्रक्रिया संचालन में है और इसके स्थिरीकरण और रैम्प अप की जरूरत है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 14.6.2018 को आधुनिक और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया।

1.3.2 एनएमडीसी लिमिटेड

- एनएमडीसी लिमिटेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नगरनार में एक 30 लाख टन प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है। परियोजना के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और 93 प्रतिशत सिविल कार्य, 90 प्रतिशत संरचनात्मक निर्माण, 76 प्रतिशत उपकरण निर्माण 31.3.19 को पूरा हो गया है।
- एनएमडीसी निम्न परियोजनाओं के माध्यम से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहा है:
 - कर्नाटक के दोनीमलाई में 12 लाख टन प्रति वर्ष पैलेट प्लांट शुरू हो चुका है।
 - छत्तीसगढ़ में बचेली और नगरनार के बीच एक स्लरी पाइपलाइन प्रणाली द्वारा बचेली में 20 लाख टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र के साथ नगरनार में 20 लाख टन प्रतिवर्ष पैलेट प्लांट विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।

1.4 2018-19 के दौरान सीपीएसई की मुख्य उपलब्धियां

1.4.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- साल 2018-19 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 162.6 लाख टन और तैयार इस्पात का उत्पादन 119.0 लाख टन रहा।
- 31.03.2018 को कंपनी की निवल संपत्ति 35,714 करोड़ रुपए और 31.03.2019 तक 38,152 करोड़ रुपए थी।
- वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सेल ने किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया। साल 2018-19 के मामले में, प्रत्येक शेयर 10 रुपये के प्रति शेयर पर 0.50 रुपये डिविडेंड का प्रस्ताव है, जिसके बारे में निर्णय अगली वार्षिक आम बैठक के दौरान शेयरधारक करेंगे।
- जनवरी-मार्च 2018 की अवधि के दौरान बिक्री का टर्नओवर 16,810.88 करोड़ रुपए था जबकि 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह 66,267.30 करोड़ रुपए था।

1.4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- पिछले साल की समान अवधि में 9 प्रतिशत वृद्धि के साथ पंजीकृत कुल बिक्री योग्य इस्पात की बिक्री 49.1 लाख टन है।
- पिछले साल की समान अवधि में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्राप्त किया गया बिक्री का टर्नओवर 20,844 करोड़ रुपये है।

- पिछले साल की समान अवधि में बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन में 11 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।
- पिछले साल की समान अवधि में हॉट मेटल में 12 प्रतिशत वृद्धि, कच्चे इस्पात में 11 प्रतिशत, तैयार इस्पात में 9 प्रतिशत, वैल्यू एडेड स्टील में 2 प्रतिशत और कैपिटिव पावर जनरेशन में 13 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की गई।
- श्रमिक उत्पादकता (8 प्रतिशत), विशेषीकृत जल उपभोग (3 प्रतिशत) एवं विशेषीकृत ऊर्जा उपभोग (1 प्रतिशत) में सुधार दर्ज किया गया।

1.4.3 एनएमडीसी लिमिटेड

- वर्ष के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन 323.6 लाख टन था।
- लौह अयस्क की घरेलू बिक्री 312 लाख टन थी।
- वर्ष के दौरान एनएमडीसी की निर्यात बिक्री 11.8 लाख टन थी।
- वर्ष के दौरान कुल बिक्री 323.8 लाख टन थी।
- एनएमडीसी ने वर्ष के दौरान 7198 करोड़ रुपए (अनंतिम) का कर पूर्व लाभ कमाया है।

1.4.4 मॉयल (एमओआईएल) लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड ने 13.01 (अनंतिम) लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया।
- कंपनी की कुल आय 1623.02 करोड़ रुपये (अनंतिम) रही।
- कंपनी का कर पूर्व लाभ 719.75 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- कंपनी का कर पश्चात लाभ 473.89 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- मॉयल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 77.28 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश चुकता किया।

1.4.5 एमएसटीसी लिमिटेड

- 2018–19 के दौरान एमएसटीसी का कुल कारोबार 111236.61 करोड़ रुपये का था।
- 2018–19 के दौरान कुल टर्न ऑवर 2927 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई–कॉर्मर्स क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है।

1.4.6 मेकॉन (एमईसीओएन) लिमिटेड

- वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कर पूर्व लाभ 11.18 करोड़ रुपए (अनंतिम) और कर पश्चात लाभ 15.87 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- 31.03.2018 को निवल संपत्ति 227.86 करोड़ रुपये और 31.03.2019 को 243.73 करोड़ रुपये (अनंतिम) रही।
- वित्त वर्ष 2017–18 के लिए इकिवटी शेयर कैपिटल पर 10.27 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।

1.4.7 केआईओसीएल लिमिटेड

- 1878.22 करोड़ रुपए का रिकार्ड टर्नऑवर प्राप्त किया, जो शुरुआत से अब तक का सबसे अधिक है।
- 22.38 लाख टन पैलेट का कुल उत्पादन किया, जो उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 21.70 लाख टन से ज्यादा है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कर पूर्व लाभ 184.12 करोड़ रुपए और कर पश्चात लाभ 111.86 करोड़ रुपए दर्ज किया गया जो लक्ष्य क्रमशः 43.78 करोड़ रुपए और 28.63 करोड़ रुपए से काफी अधिक है।

अध्याय—॥

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप

2.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के प्रभार के अधीन है और इस्पात राज्य मंत्री इनका सहयोग करते हैं। यह मंत्रालय लोहा एवं इस्पात उद्योग की योजना और विकास, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो-अलॉय, स्पंज आयरन आदि आवश्यक सामग्री के विकास तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को आवर्तित विषयों का ब्यौरा संलग्नक-1 में देखा जा सकता है। प्रभारी मंत्री की सूची एवं उप-सचिव स्तर तक के अधिकारियों की सूची संलग्नक-2 में दी गई है।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- देश में इस्पात के उपयोग की मांग को बढ़ाने के लिए इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना और इसके बाद इस्पात निर्माण क्षमता को बढ़ाना।
- इस्पात के बढ़ते उपयोग/मांग को पूरा करने के लिए इस्पात उत्पादन की वृद्धि को बढ़ावा देना।
- इस्पात उद्योग एवं पीएसयू के लिए कच्चे माल खासकर कच्चा लोहा एवं कोयला की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं बढ़ावा देना।
- आरएंडडी एवं तकनीकी हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश तकनीकी आर्थिक मानदंडों में सुधार सहित लौह एवं इस्पात उद्योग के प्रदर्शन में सुधार के लिए उपाय करना।
- इस्पात क्षेत्र के लिए जरूरी नीतियों का निर्माण करना।
- एमओयू लक्ष्यों, सीएपीईएक्स और बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सीएपीईएक्स के प्रदर्शन की निगरानी करना।
- इस्पात उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- लौह अयस्क/मैग्नीज/क्रोमियम से संबंधित आयात/निर्यात एवं व्यापार मामले, इस्पात उत्पाद पर आयात एवं निर्यात शुल्क एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों (एंटी-डंपिंग छचूटी, सेफगार्ड्स, काउंटरवेलिंग आदि) के लिए नीतियों एवं कराधान से संबंधित मामलों के लिए वाणिज्य विभाग के साथ समन्वय करना।

2.1.2 जिम्मेदारियों का आबंटन

विभिन्न विषयों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय के पास 25 विभाग हैं। स्थापना, सामान्य प्रशासन, समन्वय, बजट एवं वित्त, परियोजना एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इस्पात विकास (संस्थान), तकनीकी विभाग, सेल, एमएफ, एनएमीडीसी, रॉ मटेरियल, ट्रेड एंड टैक्सेशन, औद्योगिक विकास, मेकॉन, आरआईएनएल, बोर्ड स्तर नियुक्ति, केआईओसीएल, एमओआईएल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग इसके कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं।

2.2 इस्पात मंत्रालय से संबंधित अन्य संगठन

2.2.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

आईएसओ 9001:2015 से मान्यता प्राप्त, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) देश में एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसे इस्पात मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में आंकड़े एकत्र करने का अधिकार दिया गया है, जिसके कारण इस उद्योग संबंधित डाटाबैंक तैयार करने और उसे संभालकर रखने में आसानी होती है। जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और भुवनेश्वर में विस्तार कार्यालय हैं, जो डाटा एकत्रीकरण का कार्य देखते हैं जबकि दिल्ली में स्थित आर्थिक शोध इकाई (ईआरयू) तकनीकी-आर्थिक अध्ययन एवं नीतिगत विश्लेषण के लिए जेपीसी की एक विंग की तरह कार्य करती है। वर्तमान में जेपीसी के अध्यक्ष इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव हैं और सरकार, स्टील से संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि इसके माननीय सदस्य होते हैं। विस्तार केंद्र के साथ इस प्रकार जेपीसी के चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता स्थित मुख्यालय के अभिन्न सहयोग से प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं :

- उत्पादकों से उत्पादन, भंडार और कच्चे माल संबंधी आंकड़ों का संग्रह।



- सीमा शुल्क कार्यालय से आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- घरेलू बाजार में कीमतों संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- उद्योग के साथ नियमित फॉलोअप/निगरानी और अन्य संपर्क संबंधी गतिविधियां।
- दोषी इस्पात उत्पादक यूनिटों का दौरा कर मौके पर आंकड़े एकत्रित करना।
- खंड आधारित सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर सूचना एकत्र करने में सक्रिय भूमिका।
- इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकों, वाइब्रेंट गुजरात और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में इस्पात पेवेलियन सहित संगोष्ठी/प्रदर्शनियों को संगठनात्मक सहयोग।

कई मासिक और वार्षिक प्रकाशन और डेटा रिपोर्ट, उद्योग के सभी हितधारकों के लिए सूचना और डेटा के प्रसार को सुनिश्चित करते हैं। सेगमेंट सर्वेक्षण जनसंख्या संरचना को अपडेट करने में मदद करते हैं और उभरते बाजारों/खंडों में अध्ययन इसलिए किए जाते हैं ताकि उसमें रुझान और इस्पात उद्योग के विकास की सम्भावनाओं को समझा जा सके।


2.2.2 आर्थिक अनुसंधान इकाई

नई दिल्ली स्थित जेपीसी की आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) द्वारा शोध में सहयोग, पूर्वानुमान लगाना, नीतिगत मसलों की जांच/तकनीकी—आर्थिक अध्ययन किया जाता है। ईआरयू प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ट्रॉफी और इस्पात मंत्री ट्रॉफी के लिए सचिवालय के तौर पर भी कार्य करती है। ईआरयू इस्पात निर्यात फोरम का भी सचिवालय है, जो मंत्रालय एवं विभिन्न सरकारी विभागों के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना देश से इस्पात का निर्यात करने को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

2.3 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	सहायक कंपनियां
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 http://www.sail.co.in	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 565, सेलम-636005 (तमில்நாடு)
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापत्तनम-530031, (आंध्र प्रदेश) http://www.vizagsteel.com	बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज एजी 104, सौरव अबासन द्वितीय तल, सैक्टर 2, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091 http://birdgroup.gov.in
3	एन एम डी सी लिमिटेड	खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद -500028, (आंध्र प्रदेश) http://www.nmdc.co.in	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड, 143-ए, गांधी नगर, जम्मू -180004 (जम्मू एवं कश्मीर) http://www.jkminerals.com
4	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड, नागपुर-440013, (महाराष्ट्र) http://moil.nic.in	
5	एम एस टी सी लिमिटेड	225-सी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (पश्चिम बंगाल) http://www.mstcindia.co.in	फेरो स्कैप निगम लिमिटेड, एफएसएनएल भवन, इकिवपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू भिलाई -490001 (छत्तीसगढ़) http://fsnl.nic.in/
6	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची - 834002 (झारखण्ड) http://www.meconlimited.co.in	
7	केआईओसीएल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरामंगला, बैंगलुरु - 560034 (कर्नाटक) http://www.kiocltd.com	

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19





अध्याय—III

इस्पात नीति और इसका प्रभाव

सरकार ने हाल ही में दो राष्ट्रीय ऐतिहासिक नीतियां शुरू की हैं।

- (i) राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और
- (ii) घरेलू स्तर पर उत्पादित लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए प्राथमिकता नीति

(i) राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

एनएसपी 2017 का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र का विस्तार, कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता एवं उत्पादन लागत को कम करने पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का विकास हो, जो कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के साथ निवेश को बढ़ावा देकर विश्व स्तरीय स्तरे इस्पात उत्पादन का विकास करे और उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे।

स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) की स्थापना के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास पर फोकस करते हुए अगले दशक में तकनीक पर अधिकतम ध्यान होगा और एमएसएमई स्टील प्लांट भारत की उपभोग आधारित वृद्धि के लिए अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने और उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एनएसपी 2017 के अनुमानित प्रभाव / परिणाम

- क) भारत ऊर्जा दक्षता और स्थिरता में विश्व का नेतृत्व करेगा

उपयुक्त एजेंसी के साथ इस्पात मंत्रालय देश और दुनिया के स्टील प्लांट के बेहतरीन कार्यों की तकनीकी—आर्थिक उपलब्धियों पर लगातार नजर रखेगा। वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सहायता लेकर ऑटोमोटिव स्टील एवं विशेष स्टील के उत्पादन के लिए तकनीक के हस्तानांतरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

- ख) किफायती और गुणवत्ता इस्पात का लक्ष्य

त्रैपन (53) इस्पात उत्पादों को पहले ही बीआईएस की अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण मार्क स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। इसके साथ-साथ मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त इस्पात उत्पादों, जो एंड-यूज अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, को अनिवार्य स्कीम के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा।

- ग) औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में वैश्विक मानक प्राप्त करना

मंत्रालय इस्पात कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहा है कि इस्पात कंपनियों में काम करने वाले लोगों को कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखने के संबंध में जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है।

- घ) उद्योग के कार्बन फुट-प्रिंट को काफी हद तक कम करना

पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संदर्भ में मंत्रालय बेहतर कार्य करने के लिए एक फोरम बनाने को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही उद्योगों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करने पर भी ध्यान दे रहा है।

- ङ) उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील, विशेष स्टील और मिश्र धातु की संपूर्ण मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करना

एनएसपी 2017 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

- क) इस नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2018 को ओडिशा के भुवनेश्वर में “कैपिटल गुड्स फॉर स्टील सेक्टर: मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया” पर संगोष्ठी का आयोजन किया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

ख) राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के संबंध में इस्पात मंत्रालय के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय ने इस साल एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की है। प्रबंधन कंसल्टेंट नीति के सफल कार्यान्वयन, प्राथमिकता वाले पहलों की पहचान करने के लिए उपयुक्त प्राथमिकता वाली रूपरेखा तैयार करने और एनएसपी 2017 के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा और अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य योजना का सुझाव/सिफारिश करेगा।

(ii) घरेलू स्तर पर उत्पादित लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए प्राथमिकता नीति (डीएमआई एंड एसपी)

सरकार ने सरकारी निविदाओं में डीएमआई एंड एसपी के लिए प्राथमिकता के आधार पर नीति शुरू की है। इस नीति के अनुसार इस्पात के क्षेत्र में बड़ी सार्वजनिक खरीदारी के लिए आयातित इस्पात पर 15 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन अनिवार्य है। यह नीति इस क्षेत्र की कंपनियों को बाहर से आयात किए जाने वाले इस्पात उत्पादों, जिसके कारण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, के उत्पादन के लिए अपनी-अपनी क्षमता बढ़ाने को बढ़ावा देती है।

इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों के हितों का ध्यान रखना है न कि अक्षम पद्धतियों को बढ़ावा देना।

- यह नीति सरकारी खरीद में डीएमआई एंड एसपी को प्राथमिकता देने को अनिवार्य बनाती है और इसका उद्देश्य व्यावसायिक पुनः विक्री करना नहीं है।
- यह नीति उन परियोजनाओं या खरीद पर लागू होती है, जिसकी लौह एवं इस्पात उत्पादों की कुल अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
- डीएमआई एंड एसपी को उन लौह एवं इस्पात उत्पादों के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसमें 15 प्रतिशत घरेलू स्तर पर न्यूनतम मूल्य संवर्धन हुआ है।

इस नीति का मूल उद्देश्य घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना है और सरकार के द्वारा पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्ता और कम कीमत वाले (गलत तरीके से व्यापार किया गया) आयातित इस्पात के प्रयोग को कम करना है।

डीएमआई एंड एसपी नीति का प्रभाव

उद्योगों के द्वारा इस नीति की सराहना की गई है और स्थायी समिति ने कई कठोर निर्णय लिए हैं एवं स्पष्टीकरण दिये हैं, जिहें समय-समय पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नीचे दिए गए हैं:

- गेल को डीएमआई एंड एसपी नीति के अनुपालन के लिए स्टील पाइप खरीदने की कई निविदाओं को रद्द करना पड़ा था।
- ओएनजीसी को विविध श्रेणी के स्टील पाइप खरीदने के लिए निविदाएं निकालने के लिए 1 से 2 साल के सीमित समय के लिए छूट दी गई, जिससे कि इस दौरान घरेलू उद्योग अपनी उत्पाद विकास योजना के माध्यम से अपनी क्षमता बना सकें।
- रेलवे को इस नीति का अनुपालन करना पड़ा था और रेल के लिए, उनकी वैश्विक खरीद निविदा, नीति के अनुरूप नहीं थी।

इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उचित बचत प्रदान की है एवं आगे भी उचित बचत प्रदान करने की आशा है और सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में घटिया सस्ते आयातित इस्पात के उपयोग को रोकने के साथ-साथ आयात के स्थान पर घरेलू क्षमता का विकास किया है।



अध्याय—IV

द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को सहयोग करने के लिए महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन

द्वितीयक इस्पात क्षेत्र, जिसमें मुख्य तौर पर डाउनस्ट्रीम रि-रोलिंग मिल्स, छोटे स्टील प्लांट्स, स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स आदि आते हैं, को एनएसपी—2017 और लौह एवं इस्पात उत्पादों का घरेलू निर्माण डीएमआई एंड एसपी को प्राथमिकता देने की नीति—संशोधित 2019 जैसी राष्ट्रीय नीतियों से अत्यधिक बढ़ावा मिला है। इसके अलावा निर्माण एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करते समय जीवन चक्र लागत विश्लेषण को जोड़ने के लिए हाल में जीएफआर 2017 में किए गए संशोधन और सरकार द्वारा लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ने भी इस क्षेत्र को पड़ोसी देशों से किए जाने वाले सर्ते आयात को मात देने के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। निकल पर आयात शुल्क में छूट ने भी मिश्रित धातु/जंगरोधी स्टील उत्पादकों को राहत दी है। प्राकृतिक गैस पर आयात शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती के विवेकपूर्ण निर्णय ने भी गैस आधारित डीआरआई यूनिट्स को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया है।

जीएफआर संशोधन और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का विस्तृत व्योरा नीचे दिया गया है:

(i) जीएफआर संशोधन में जीवन चक्र लागत की धारणा को जोड़ना

- “जीवन चक्र लागत के सिद्धांत को नए सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 136 (1) (iii) में शामिल किया गया है।”
- इस्पात का उपयोग परियोजना के जीवन के लिए महत्वपूर्ण आधार है, जो अंत में इसकी जीवन चक्र लागत को कम कर देता है।
- ऐसे कई परियोजनायें हैं, जिनमें शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा रही है लेकिन अंत में इस परियोजना की लागत कम हो गई है, जो सामग्री, गुणवत्ता, आवश्यक मरम्मत, परियोजना में लगने वाले समय आदि पर निर्भर करती है।

ये सारी परियोजनाएं राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर जुड़ गई हैं और इस प्रकार इस्पात का उपयोग करके भारत जीवन चक्र लागत की धारणा को ध्यान में रखकर लंबे समय के लिए कम कीमत वाली राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण कर रहा है।



2016–17 के लिए माध्यमिक इस्पात क्षेत्र पुरस्कार का आयोजन 13 सितंबर, 2018 को किया गया

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

(ii) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

ये गुणवत्ता आदेश उत्पादकों को गुणवत्ता मानक अपनाने और आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। हाल में इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 के तहत इस्पात उत्पादों की 53 श्रेणियों के लिए बीएसआई (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है। इसके माध्यम से इस नीति का उद्देश्य अंतिम उपयोग अनुप्रयोग में उपयोग किए जाने वाले अधिक से अधिक इस्पात उत्पादों को बीआईएस के प्रमाणीकरण मार्क स्कीम के तहत लाकर भारत को कम लागत वाले एवं गुणवत्तापूर्ण इस्पात का केंद्र बनाना है। त्रेपन (53) इस्पात उत्पाद पहले ही बीआईएस के अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण मार्क स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किये जा चुके हैं। इसके साथ-साथ मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सुरक्षा के बचाव को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त इस्पात उत्पादों, जो एंड-यूज अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, को अनिवार्य स्कीम के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा।



अध्याय—V

भारतीय इस्पात क्षेत्रः प्रगति और क्षमता

5.1 इस्पात का उत्पादन, खपत और वृद्धि

5.1.1 इस्पात के उत्पादन के साथ-साथ रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय इस्पात उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई उम्मीद जगाई है। आजादी के समय की 1 मिलियन टन उत्पादन क्षमता से बढ़ते हुए आज भारत कच्चे इस्पात के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और स्पंज स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस्पात उत्पादों की बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ा है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के इस्तेमाल का भी विस्तार हुआ है।

नीचे दी गई तालिका में देश में 2013–2014 से 2018–19 (अनंतिम) के दौरान परिष्कृत इस्पात (मिश्र धातु/जंगरोधी इस्पात एवं गैर-मिश्र धातु) की बिक्री, निर्यात एवं वास्तविक खपत की प्रवृत्ति को दिखाया गया है:

तालिका 5.1 कः 2013–14 से 2018–19 में तैयार इस्पात (मिश्र/जंगरोधी + गैर-मिश्र) की प्रवृत्ति (मिलियन टन में)

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19*
बिक्री के लिए उत्पादन	99.38	104.578	106.602	120.14	126.855	131.572
आयात	5.45	9.320	11.712	7.226	7.482	7.834
निर्यात	5.985	5.596	4.079	8.242	9.62	6.361
वास्तविक खपत	74.096	76.994	81.525	84.042	90.708	97.536

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम

- साल 2018–19 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/ जंगरोधी+गैर-मिश्रधातु) का उत्पादन 1315.72 लाख टन था, जबकि साल 2014–15 के दौरान यह 1045.78 लाख टन था और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) 5 प्रतिशत रही।
- साल 2018–19 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/ जंगरोधी+गैर-मिश्रधातु) का निर्यात 63.61 लाख टन रहा, जो साल 2014–15 के दौरान 55.96 लाख टन था।
- साल 2018–19 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/ जंगरोधी+गैर-मिश्रधातु) का आयात 78.34 लाख टन रहा जो वर्ष 2014–15 के दौरान 93.20 लाख टन था।
- साल 2018–19 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्रधातु/ जंगरोधी+गैर-मिश्रधातु) की वास्तविक घरेलू खपत 975.36 लाख टन रही जो वर्ष 2014–15 के दौरान 769.94 लाख टन थी। पिछले पांच सालों में इसकी औसत वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) 5 प्रतिशत रही।
- भारत 2017–18 में कुल तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक बन गया जबकि यह 2018–19 के दौरान शुद्ध आयातक है।

तालिका 5.1 खः 2013–14 से 2018–19 में मिश्रित और गैर-मिश्रित इस्पात की उपलब्धता का तुलन पत्र

(मिलियन टन में)


विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19*
(क) उत्पादन						
गैर-मिश्र इस्पात	87.888	92.112	94.618	107.414	117.914	120.579
मिश्र इस्पात	7.689	8.569	8.285	8.496	8.941	10.993
कुल	95.577	100.682	102.903	115.910	126.855	131.572
मिश्र इस्पात का हिस्सा	8.04%	8.51%	8.05%	7.33%	7.05%	8.36%
(ख) आयात						
गैर-मिश्र इस्पात	4.299	6.754	8.718	5.366	5.636	5.943
मिश्र इस्पात	1.151	2.567	2.994	1.860	1.846	1.891
कुल	5.450	9.320	11.712	7.226	7.482	7.834
मिश्र इस्पात का हिस्सा	21.12%	27.54%	25.56%	25.74%	24.67%	24.14%

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

(ग) निर्यात						
गैर-मिश्र इस्पात	5.508	4.906	3.475	7.584	8.727	5.773
मिश्र इस्पात	0.477	0.689	0.604	0.658	0.893	0.588
कुल	5.985	5.596	4.079	8.242	9.620	6.361
मिश्र इस्पात का हिस्सा	7.97%	12.32%	14.81%	7.98%	9.28%	9.24%
(घ) व्यापार का संतुलन						
गैर-मिश्र इस्पात	1.210	-1.847	-5.243	2.218	3.091	-0.170
मिश्र इस्पात	-0.674	-1.877	-2.390	-1.202	-0.953	-1.303
कुल	0.536	-3.725	-7.633	1.016	2.138	-1.473
(ङ) वास्तविक खपत (एएसयू)						
गैर-मिश्र इस्पात	67.994	70.236	73.469	76.969	82.409	87.159
मिश्र इस्पात	6.102	6.758	8.055	7.073	8.298	10.377
कुल	74.096	76.994	81.524	84.042	90.708	97.536
मिश्र इस्पात का हिस्सा	8.24%	8.78%	9.88%	8.42%	9.15%	10.64%
प्रति व्यक्ति एएसयू (किग्रा.)	59	61	64	65	69	73

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

तैयार इस्पात की प्रवृत्ति (मिलियन टन में)



- पिछले 5 सालों में मिश्र एवं गैर मिश्र इस्पात का उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है जबकि कुल तैयार इस्पात में मिश्र इस्पात का योगदान साल 2014-15 के 8.51 प्रतिशत से घटकर साल 2018-19 में 8.36 प्रतिशत हो गया।
- गैर-मिश्र इस्पात का आयात बढ़ने के कारण साल 2017-18 और 2016-17 के दौरान तैयार इस्पात उत्पादों का व्यापार संतुलन हमारी ओर रहा, जबकि 2018-19 में यह संतुलन हमारे पक्ष में नहीं था।
- कुल इस्पात खपत में मिश्र इस्पात की हिस्सेदारी 2014-15 के 8.78 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10.64 प्रतिशत हुई है।
- भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि 2014-15 के 59 किग्रा. से 2017-18 के 69 कि.ग्रा. तक इस्पात उत्पादों की प्रतिव्यक्ति बढ़ती खपत के साथ इस्पात उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि की दर धीमी रही।

5.1.2 पिछले पांच सालों में कच्चे इस्पात के उत्पादन में क्षमता के साथ स्थिर बढ़ोतारी देखी गई है। 2013-14 से 2018-19 के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता, उपयोग क्षमता के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:




तालिका 5.2: 2013–14 से 2018–19 में कच्चे इस्पात उत्पादन की प्रवृत्ति (मिलियन टन में)
(मिलियन टन में)

वर्ष	कार्यशील पूँजी	उत्पादन	% उपयोगिता
2013–14	102.261	81.694	80%
2014–15	109.851	88.979	81%
2015–16	121.971	89.791	74%
2016–17	128.277	97.936	76%
2017–18	137.975	103.131	75%
2018–19*	137.975^	106.565	77%

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; ^पूरे वर्ष के आंकड़े

- कच्चे इस्पात का उत्पादन 3.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष (सीएजीआर) बढ़ा है, जो साल 2014–15 के 889.79 लाख टन से बढ़कर साल 2018–19 में 1065.65 लाख टन हो गया।
- उत्पादन में यह वृद्धि क्षमता विस्तार के कारण हुई जो साल 2013–14 के 1022.61 लाख टन से बढ़कर साल 2017–18 में 1379.75 लाख टन हो गया। इस पांच साल की अवधि के दौरान सीएजीआर वृद्धि दर 6.17 प्रतिशत रही (2018–19 में कोई क्षमता विस्तार नहीं हुआ)।



5.1.3 ऊपर दिए गए कच्चे इस्पात का कार्य निष्पादन में बहुत बड़ा योगदान इस्पात निर्माण के विद्युत रूट के विकास में मजबूत प्रवृत्ति का रहा है। 2013–14 से 2018–19 के दौरान देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रक्रिया रूटों का हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3 : प्रक्रिया मार्ग के द्वारा कच्चा इस्पात उत्पादन की प्रवृत्ति


(मिलियन टन में)

वर्ष	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	इंडक्शन फर्नेस (ईएएफ)	कुल
2013–14	35.522 (43%)	18.593 (23%)	27.579 (34%)	81.694 (100%)
2014–15	37.571 (42%)	23.125 (26%)	28.283 (32%)	88.979 (100%)
2015–16	38.395 (43%)	24.599 (27%)	26.796 (30%)	89.79 (100%)
2016–17	42.002 (43%)	28.962 (30%)	26.972 (27%)	97.936 (100%)
2017–18	47.489 (46%)	26.421 (26%)	29.221 (28%)	103.131 (100%)
2018–19*	50.08 (47%)	27.71 (26%)	28.77 (27%)	106.56 (100%)

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; ब्रैकेट () में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन में % अंश का संकेत हैं

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

2018-19 में प्रक्रिया रूट के द्वारा कच्चा इस्पात उत्पादन



5.1.4 स्पंज आयरन का निर्माण लौह अयस्क को तुरंत ही ठोस स्थिति में लाने से होता है और इसका उपयोग द्वितीय रूट के माध्यम से इस्पात बनाने के लिए होता है। भारत अपने विभिन्न राज्यों में स्थित खनिज संपन्न इकाइयों के कारण कोयला आधारित संयंत्रों के साथ स्पंज आयरन का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। बीते वर्षों के दौरान कोयला आधारित रूट कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है और देश में कुल स्पंज लौह उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2017-18 और 2018-19 (अनंतिम) के दौरान 79 प्रतिशत रहा। स्पंज आयरन उद्योग में भी बीते सालों के दौरान वृद्धि हुई है और 2017-18 में यह 496.2 लाख टन रहा। नीचे दी गई तालिका में 2013-14 से 2018-19 (अनंतिम) के दौरान देश में स्पंज आयरन का मार्ग के अनुसार उत्पादन के आंकड़ों का व्यौरा दिया गया है:


तालिका 5.4 : पिछले पांच सालों में स्पंज आयरन के उत्पादन की प्रवृत्ति

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला आधारित	गैस आधारित	कुल
2013-14	20.189 (88%)	2.683 (12%)	22.872 (100%)
2014-15	21.889 (90%)	2.354 (10%)	24.243 (100%)
2015-16	19.987 (89%)	2.44 (11%)	22.427 (100%)
2016-17	23.908 (83%)	4.854 (17%)	28.762 (100%)
2017-18	24.053 (79%)	6.458 (21%)	30.511 (100%)
2018-19*	26.10 (79%)	6.94 (21%)	33.04 (100%)

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; ब्रैकेट () में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन में % अंश का संकेत हैं;

2018-19 में प्रक्रिया के द्वारा स्पंज आयरन का उत्पादन





5.1.5 पिंग आयरन एक मध्यवर्ती उत्पाद है और इसका उपयोग इस्पात उत्पादन में होता है। बाजार में लॉन्ग इस्पात की मांग बढ़ने के साथ-साथ पिंग आयरन की भी मांग बढ़ी और इसके कारण पिंग आयरन के कई निजी उत्पादकों ने संयंत्रों की स्थापना की। इसने देश में पिंग आयरन के आयात को कम किया और अब भारत इसका शुद्ध निर्यातक बन गया है। साल 2018–19 (अनंतिम) में कुल पिंग आयरन के उत्पादन में 91 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र का रहा। 2013–14 से 2018–19 (अनंतिम) के लिए पिंग आयरन की उपलब्धता की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:


तालिका 5.5 : 2013–14 से 2018–19 – पिंग आयरन उत्पादन की प्रवृत्ति

(मिलियन टन में)

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19*
बिक्री के लिए उत्पादन	7.950	9.694	9.228	9.388	5.728	6.055
आयात	0.034	0.023	0.022	0.034	0.016	0.067
निर्यात	0.943	0.540	0.297	0.387	0.518	0.319
वास्तविक खपत	7.110	9.057	9.021	9.040	5.189	5.062

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

- साल 2018–19 के दौरान पिंग आयरन का उत्पादन 60.55 लाख टन रहा, जो साल 2014–15 के दौरान 96.94 लाख टन था, औसत वार्षिक गिरावट (सीएजीआर) 9 प्रतिशत रही।
- साल 2018–19 के दौरान पिंग आयरन का निर्यात 3.19 लाख टन रहा, जो साल 2014–15 के दौरान 5.40 लाख टन था।
- साल 2018–19 के दौरान पिंग आयरन का आयात 0.67 लाख टन रहा, जो साल 2014–15 के दौरान 0.23 लाख टन था।
- साल 2018–19 के दौरान कुल पिंग आयरन की घरेलू खपत 50.62 लाख टन रही, जो साल 2014–15 के दौरान 90.57 लाख टन थी और पिछले पांच सालों में औसत वार्षिक गिरावट (सीएजीआर) 11 प्रतिशत रही।
- पिछले पांच सालों से भारत पिंग आयरन का शुद्ध निर्यातक बना हुआ है।



5.2 भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2018 की अवधि के दौरान विश्व में कच्चे इस्पात का उत्पादन 17896.12 लाख टन था, जो साल 2017 के दौरान हुए उत्पादन से 4.46 प्रतिशत अधिक रहा।

वर्ष 2018 के दौरान चीन में कच्चे इस्पात का उत्पादन 9280 लाख टन हुआ, जो वर्ष 2017 में हुए उत्पादन से 6.59 प्रतिशत अधिक रहा। चीन विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा, जिसने वर्ष 2018 के दौरान एशिया के 74 प्रतिशत और विश्व के 52 प्रतिशत कच्चे इस्पात का उत्पादन किया।

वर्ष 2018 के दौरान भारत 1064.63 लाख टन कच्चे इस्पात के उत्पादन के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसकी वर्ष 2017 में वृद्धि 4.94% दर प्रतिशत रही। भारत ने 2018 के दौरान एशिया के इस्पात उत्पादन का 8 प्रतिशत और विश्व का कुल 6 प्रतिशत उत्पादन किया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19


तालिका 5.6 : 2018 में विश्व में कच्चे इस्पात का उत्पादन*

(मिलियन टन में)

रैंक	देश	2017	2018	%वृद्धि	%अंश
1	चीन	870.855	928.264	6.59%	51.87%
2	भारत	101.455	106.463	4.94%	5.95%
3	जापान	104.662	104.324	-0.32%	5.83%
4	अमेरिका	81.612	86.607	6.12%	4.84%
5	उत्तर कोरिया	71.030	72.464	2.02%	4.05%
6	रूस	71.491	71.680	0.26%	4.01%
7	जर्मनी	43.297	42.435	-1.99%	2.37%
8	तुर्की	37.524	37.312	-0.57%	2.08%
9	ब्राजील	34.365	34.735	1.08%	1.94%
10	ईरान	21.236	25.000	17.72%	1.40%
शीर्ष 10 देश		1437.527	1509.284	4.99%	84.34%
कुल 64 देश		1729.000	1808.000	4.51%	100.00%

स्रोत: वर्ल्डस्टील; *अनंतिम

विश्व क्रूड इस्पात उत्पादन: सीवाई 2018



5.3 उत्पादन में प्रवृत्ति: निजी / सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन

नीचे दी गई तालिका 2013–14 से 2018–19 (अनंतिम) के दौरान देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन और तैयार इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करती है:

तालिका 5.7 क: कच्चे इस्पात उत्पादन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का प्रदर्शन

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19*
सार्वजनिक क्षेत्र	16.777	17.205	17.92	18.456	19.753	21.497
निजी क्षेत्र	64.917	71.775	71.871	79.48	83.378	85.068
कुल	81.694	88.98	89.791	97.936	103.131	106.565
सार्वजनिक क्षेत्र का %अंश	21%	19%	20%	19%	19%	20%

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

- इस्पात निर्माण उदयोग में निजी क्षेत्र का विस्तार धीरे-धीरे कच्चा इस्पात बनाने में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाता है।

- साल 2018–19 में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत रहा है।

तालिका 5.7 ख: तैयार इस्पात उत्पादन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का प्रदर्शन

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19*
सार्वजनिक क्षेत्र	13.439	12.832	12.977	14.866	17.944	18.571
निजी क्षेत्र	82.138	87.849	89.927	101.044	108.911	113.001
कुल	95.577	100.681	102.904	115.91	126.855	131.572
सार्वजनिक क्षेत्र का %अंश	14%	13%	13%	13%	14%	14%

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

- 2018–19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का तैयार इस्पात उत्पादन में योगदान 14 प्रतिशत रहा है।

तैयार इस्पात उत्पादन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अंश (मिलियन टन में)



5.4 इस्पात: “2018–19” में मुख्य बातें

निम्नलिखित तालिका 2018–19 के दौरान इस्पात की झलक दिखा रही है।

तालिका 5.8 : भारतीय इस्पात स्थिति—2018–19*

(मिलियन टन में)

मद	मद	2018–19*	2017–18	% वृद्धि
तैयार इस्पात	उत्पादन	131.572	126.856	3.72%
	आयात	7.834	7.482	4.70%
	निर्यात	6.361	9.619	-33.87%
	खपत	97.536	90.708	7.53%
कच्चा इस्पात	उत्पादन	106.565	103.131	3.33%
	क्षमता उपयोगिता (%)	77%	75%	3.33%

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

2018 में वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक की रैंक के अतिरिक्त भारत ने विश्व में स्पंज आयरन/डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) के उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की है। इसका कारण देश के प्रमुख खनिज-समृद्ध इलाकों में कोयला आधारित स्पंज आयरन इकाइयों के तेजी से विकास, स्पंज आयरन के घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ना है, जिससे देश को वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करने और उसे कायम रखने में मदद मिली। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में मौजूद कई विस्तार परियोजनाएं हैं, जो एक बार परिचालन में आने के बाद इस्पात उद्योग की संरचना और इसकी गतिशीलता की गाथा नए सिरे से लिखेगी। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को और बल मिलेगा। अतः भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य निश्चित रूप से आशावादी है। इस्पात क्षेत्र के उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से जुड़े आंकड़े संलग्नक III-XI में हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

5.5 वार्षिक योजना – 2018-19

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के पूरा होने के बाद, सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाना छोड़ दिया है। हालाँकि, संशोधित अनुमान के आधार पर मंत्रालय की 7907.71 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना (अर्थात् 7892.71 करोड़ रुपये के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) और 15 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) परिव्यय नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से दी गई है:

वार्षिक योजना 2018-19 के लिए योजना परिव्यय

क्र. सं.	पीएसयू/संगठन का नाम	आईईबीआर	जीबीएस	कुल
क्र.	पीएसयू/संगठन की योजनाएं			
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4300.00	0.00	4300.00
2.	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	6.93	0.00	6.93
3.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1400.00	0.00	1400.00
4.	एनएमडीसी लिमिटेड	1756.00	0.00	1756.00
5.	केआईओसीएल लिमिटेड	140.00	0.00	140.00
6.	मॉयल लिमिटेड	201.89	0.00	201.89
7.	एमईसीओएन लिमिटेड	5.00	0.00	5.00
8.	एमएसटीसी लिमिटेड	47.60	0.00	47.60
9.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	15.29	0.00	15.29
10.	ओएमडीसी	20.00	0.00	20.00
	कुल— क	7892.71	0.00	7892.71
ख	इस्पात मंत्रालय की योजना			
10.	लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आर एंड डी के प्रचार के लिए योजना	0.00	15.00	15.00
	कुल— ख	0.00	15.00	15.00
	कुल योग: क+ख	7892.71	15.00	7907.71

5.6 इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियमन से पूर्व के दौर में नियामक के तौर पर इस्पात मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो उस समय प्रचालन आर्थिक स्थितियों, घरेलू स्तर पर इस्पात के निर्माण के लिए कच्चे माल की कमी के साथ-साथ इस्पात उद्योगों की सीमित उपस्थिति के कारण आवश्यक थी। आवंटन के मुद्दे पर कुशल और न्यायसंगत निर्णयों, मूल्य निर्धारण संबंधी नीति निर्धारण के कारण इस दौर में इस्पात उद्योग को आगे ले जाने में इस्पात मंत्रालय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

विनियमन समाप्ति के बाद के दौर में इसकी भूमिका बदल गई और मंत्रालय इस्पात उद्योग के लिए एक सुविधा प्रदाता की भूमिका में आ गया, जो लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास करने और योजना बनाने एवं अनिवार्य वस्तुओं जैसे लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो, मिश्र धातुओं, स्पंज आयरन एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार रहा। वर्तमान समय में इस्पात मंत्रालय देश में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए हर संभव सहायता दे रहा है, जो निम्न प्रकार है:

- सक्रिय समन्वय और सही नीति निर्देशों के क्रियान्वयन के माध्यम से इस्पात क्षमता निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता करना।
- मंत्रालय इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक अवसंरचना और सम्बद्ध सुविधाओं की पहचान करता है और इस्पात क्षेत्र के लिए अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करना।
- कोलकाता रिश्त इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी) के माध्यम से विशेष तौर पर ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में होने वाले निर्माण में इस्पात के सही और प्रभावशाली उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसका विकास और प्रचार करना।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना।



अध्याय—VI

सार्वजनिक क्षेत्र

6.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 07 (सात) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईएस) हैं। इसके अलावा 04 (चार) सहायक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईएस) हैं। इन सीपीएसईएस एवं इनकी सहायक कंपनियों का विस्तृत व्योरा नीचे दिया गया है:

6.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसके पांच एकीकृत इस्पात कारखाने— भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखण्ड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित मिश्र इस्पात कारखाना, (तमिलनाडु), सेलम में सेलम स्टील कारखाना और भद्रावती (कर्नाटक) में स्थित विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र सेल के तीन विशेष और मिश्र इस्पात के कारखाने हैं। इसके अलावा रांची में स्थित लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस), इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) और सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) के साथ-साथ धनबाद स्थित केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ), कोलकाता स्थित कच्चा माल डिवीजन (आरएमडी), पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन (ईएमडी) तथा कोलकाता में ग्रोथ डिवीजन (जीडी) और मुख्यालय के साथ बोकारो स्थित सेल रिफैक्टरी यूनिट भी हैं। चन्द्रपुर फेरो एलॉय प्लाट महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी के देश भर में फैले विपणन और वितरण नेटवर्क का समन्वय केंद्रीय विपणन संगठन करता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। सेल परामर्शदात्री विभाग (सेल कंसलटेंसी डिविजन) नई दिल्ली से कार्य करता है।

6.2.1 पूँजी संरचना

सेल की अधिकृत पूँजी 5000 करोड़ रुपए है। 31.03.2018 एवं 31.03.2019 को कंपनी की चुकता पूँजी (पेड-अप कैपिटल) 4130.53 करोड़ रुपए थी, जिसकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है और शेष 25 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों, जीडीआर, धारकों, बैंकों, कर्मचारियों, व्यक्तियों इत्यादि के पास हैं।

6.2.2 वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान 66,267.30 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कंपनी को कर देने के बाद कुल 2,178.82 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। कंपनी ने वित्त वर्ष



माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र में

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

2017-18 के लिए कोई लाभांश चुकता नहीं किया है, वर्ष 2018-19 के मामले में वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 10 रुपये के प्रत्येक शेयर पर 0.50 रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया गया है।

6.2.3 उत्पादन उपलब्धि

वास्तविक उत्पादन के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

(मिलियन टन)

	2017-18	2018-19
हॉट मेटल	15.9	17.5
कच्चा इस्पात	15.02	16.3
बिक्री योग्य इस्पात	14.0	15.1

6.2.4 कच्चा माल


वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सेल ने निजी खानों से लगभग 283.5 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन करके अपने इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की आवश्यकता को पूरा किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान निजी खानों से फलक्स का उत्पादन 18.4 लाख टन था और सेल की निजी कोयला खदानों से कच्चे कोयले का उत्पादन 7.4 लाख टन था। 2018-19 के दौरान, चासनाला में सेल की वॉशरी ने सेल की निजी कोयला खदानों से उत्पादित कुल 7.3 लाख टन कच्चे कोयले को संसाधित किया और बीसीसीएल से खरीदकर 4 लाख टन स्वच्छ कोकिंग कोयले का उत्पादन किया।

6.2.5 मानव शक्ति

31.03.2019 को सेल के कर्मचारियों की संख्या 72339 थी (11851 कार्यकारी / 60488 गैर-कार्यकारी)। इस तरह से वर्ष 2018-19 के दौरान (मार्च 2019 तक) कंपनी ने श्रमिकों की संख्या में 4531 की कमी की।

6.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) एक 73 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का प्लांट है। यह 1992 में तरल स्टील की 30 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ कमीशन किया गया था। कंपनी ने बाद में अप्रैल, 2015 में 63 लाख टन और दिसंबर, 2017 में 73 लाख टन का अपना क्षमता विस्तार पूरा कर लिया। आरआईएनएल लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों के लिए देश के प्रमुख निर्माताओं में से एक है।



73 लाख टन वार्षिक समुद्र तट आधारित एकीकृत विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, आरआईएनएल का विहंगम दृश्य



51 प्रतिशत शेयर के साथ इस कंपनी की सहायक कंपनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) है, जिसके बाद इसके पास दो सहायक कंपनियां क्रमशः मैसर्स ओडिशा मिनरल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड और मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं। कंपनी की आरआईएनएमओआईएल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड में संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रमशः 50 प्रतिशत और 26.49 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ साझेदारी है।

आरआईएनएल 2018–19 में (स्रोत: जेपीसी) बाजार में 9.5 प्रतिशत शेयर के साथ अपने अनोखे उत्पाद लांग्स के मिश्रण के साथ बार्स एवं रॉड्स का देश में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और 2018–19 में उसने 20,844 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का वार्षिक कारोबार किया है। आरआईएनएल के उत्पादों में रेबार्स, वायर रॉड्स, राउंड्स, स्ट्रॉक्चरल, ब्लूम्स एंड बिल्लेट्स और पिंग ऑयरन शामिल हैं और इसके साथ–साथ कंपनी कोल केमिकल (आमोनियम सल्फेट, बैंजोल उत्पाद आदि) जैसे उप–उत्पादों और स्लैग का व्यापार भी करती है। आरआईएनएल के उत्पाद अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

6.3.1 वित्तीय उपलब्धि

कंपनी ने 2018–19 में 20844 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का कारोबार किया है। कंपनी ने वर्ष 2018–19 में 78 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है। कंपनी ने वर्ष 2017–18 में लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

6.3.2 उत्पादन उपलब्धि

कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात के उत्पादन के संदर्भ में कंपनी की भौतिक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

मद	2017–18	2018–19	सीपीएलवाई % वार्षिक वृद्धि
कच्चा इस्पात (000टी)	4731	5233	11
बिक्री योग्य इस्पात (000टी)	4500	5000	11

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक मूल्य संवर्धित इस्पात का उत्पादन 37 लाख टन रहा जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 2 प्रतिशत अधिक विकास दिखाता है।

6.3.3 मानव शक्ति

31.03.19 को आरआईएनएल में 17574 लोग कार्यरत थे।

6.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह उद्योग के लिए कच्चे माल के उत्पादन के लिए मुख्यतः खनिजों की खोज तथा खानों को विकसित करने का काम करती है। यह इस्पात निर्माण और अन्य मूल्य संवंधित उत्पादों तथा इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों की ओर भी अपना विस्तार कर रही है।

15 नवम्बर, 1958 को निर्गमित यह कंपनी पिछले छह दशकों से राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे रही है तथा राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा को सुदृढ़ता के साथ जारी रखे हुए है। कभी एक उत्पाद–एक–खरीदार वाली यह कंपनी अब स्वदेशी इस्पात उद्योग को लौह अयस्क आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख कंपनी बन गई है। यह कुछ कीमती खनिजों की खानों की खोज जैसे आंध्र प्रदेश में हीरे और तंजानिया में सोने जैसी बहुमूल्य धातुओं की खानों की खोज में लगी है।

एनएमडीसी देश में बैलाडिला (छत्तीसगढ़) और दोनिमलाई (कर्नाटक) में लौह अयस्क की बड़ी खदानों का संचालन करती है। एनएमडीसी की हीरा खान, पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एनएमडीसी की स्पंज लौह इकाई तेलंगाना के पालोन्चा में स्थित है। दोनोंमलाई, कर्नाटक में 12 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का पैलेट प्लांट है।

एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित नगरनार में 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एकीकृत (ग्रीनफील्ड) इस्पात कारखाना लगा रही है। इस परियोजना के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और 31.03.19 तक इसके सिविल कार्य का लगभग 93 प्रतिशत, अवसंरचना निर्माण का 90 प्रतिशत एवं उपकरण निर्माण का 76 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के नगरनार में 20 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के पैलेट संयंत्र के साथ–साथ छत्तीसगढ़ में बछेली और नगरनार के बीच स्लरी पाइपलाइन द्वारा जुड़े 20 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र लगा रही है।



नगरनार, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी लौह एवं इस्पात संयंत्र

एनएमडीसी निम्नलिखित अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं की स्थापना करके अपनी उत्पादन एवं खनन क्षमता शुरू करने की प्रक्रिया में है:

- किरानडुल कंपलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्क्रीनिंग प्लांट-2 में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और डाउनस्ट्रीम कंवेयर का उन्नयन।
- डिपोजिट-5, बछेली कंपलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्क्रीनिंग प्लांट में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और डाउनहिल कंवेयर सिस्टम का उन्नयन।
- किरानडुल कंपलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में 120 लाख टन प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग प्लांट-3 की स्थापना।
- दोनीमलाई कंपलेक्स, कर्नाटक में 70 लाख टन प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग एवं बेनिफिशियेशन प्लांट-2 की स्थापना।
- किरानडुल और जगदलपुर के बीच किरानडुल-कोथावालसा रेल लाइन का दोहरीकरण।

6.4.1 पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपए है। 31.03.2019 को इसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 306.19 करोड़ रुपए है, जिसकी 72.28 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास और शेष 27.72 प्रतिशत हिस्सेदारी वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारियों आदि के पास है।

6.4.2 वित्तीय उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कंपनी ने 12153 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस दौरान कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ 4642 करोड़ रुपए था।

6.4.3 उत्पादन उपलब्धि

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

मर्दें	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
लौह अयस्क (एमटी में)	34.01	35.58	32.36
डायमंड्स (कैरेट्स में)	35636	39394	38149

6.4.4 मानव शक्ति

31.03.19 तक एनएमडीसी में 5887 लोग कार्यरत थे।



6.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल अनुसूची 'क' की मिनीरत्न श्रेणी— 1 कंपनी है। इसे मूल रूप से वर्ष 1962 में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के नाम से निगमित किया गया था। बाद में, वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान इस कंपनी का नाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड से बदलकर मॉयल लिमिटेड (एमओआईएल) किया गया। घरेलू उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ मॉयल देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।

कंपनी को 15 दिसंबर, 2010 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध होने के बाद भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार का शेयर क्रमशः 71.57 प्रतिशत, 4.62 प्रतिशत एवं 3.81 प्रतिशत थी। शेष 20 प्रतिशत शेयर जनता के पास थे। लगातार दो बार शेयर की वापस खरीद और भारत सरकार के आगे विनिवेश और बोनस शेयर जारी करने के बाद इसके बाद भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार का शेयर क्रमशः 56.01 प्रतिशत, 4.71 प्रतिशत एवं 4.97 प्रतिशत है। शेष 34.31 प्रतिशत शेयर जनता के पास है।

मॉयल (एमओआईएल) विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन और बिक्री करती है, जो निम्न हैं:


- फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का अयस्क।
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी का अयस्क।
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए अपेक्षित ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी का अयस्क और
- शुष्क बैटरी सेल और रसायन उद्योग के लिए डायऑक्साइड।

मॉयल ने 1000 एमटीपीए (हाल ही में बढ़ाकर 1500 एमटीपीए किया गया) प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता वाले इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के निर्माण के लिए देशी तकनीक के आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का प्रयोग ड्राई बैटरी सैलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। मॉयल द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी गुणवत्ता का है और बाजार में अच्छी तरह स्वीकार किया जाता है। मॉयल ने मूल्य संवर्धन के लिए साल 1998 से 10,000 एमटीपीए की क्षमता वाले फेरो मैंगनीज संयंत्र की स्थापना की।

मॉयल ने गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म और मध्य प्रदेश के देवास जिले के रतेड़ी हिल्स में 15.2 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है।

6.5.1 पूँजी संरचना

31 मार्च 2019 को कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त पूँजी क्रमशः 300 करोड़ रुपए और 257.61 करोड़ रुपए है।



बालाघाट में मॉयल का फेरो मैंगनीज प्लाट

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

6.5.2 वित्तीय उपलब्धि

वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी का कुल कारोबार और कर पश्चात लाभ क्रमशः 1440.67 करोड़ रुपये और 473.89 करोड़ रुपये था। साल 2017-18 में कंपनी ने 144.31 करोड़ रुपये का लाभांश और 2018-19 में 77.28 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया।

6.5.3 उत्पादन उपलब्धि

मर्दें	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
उत्पादन		
क) मैग्नीज अयस्क (लाख मीट्रिक टन)	12.01	13.01
ख) ई.एम.डी. (मीट्रिक टन)	875	992
ग) फेरो मैग्नीज (मीट्रिक टन)	10573	11003

6.6 एमएसटीसी लिमिटेड

पूर्व में मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली एमएसटीसी लिमिटेड की स्थापना सितम्बर, 1964 में देश से फेरो स्क्रैप के निर्यात के नियमन के लिए की गई थी। फरवरी, 1974 में कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन किया गया और इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1982-83 में इसे इस्पात मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया। फरवरी, 1992 तक यह कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज लोहे, हॉट ब्रिकेटेड लोहे और पुनर्बेलन स्क्रैप के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी थी। यह पुराने आयातित पोतों के विघटन के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी भी थी, जिसे अगस्त 1991 में डीकेनालाइज्ड करके ओजीएल के अंतर्गत लाया गया।

वर्तमान में, कंपनी मुख्य रूप से ई-नीलामी/ई-खरीद सेवाएं प्रदान करने में विविधता लाई है। इस खंड के तहत, कंपनी निजी कंपनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों से उत्पन्न होने वाला लौह और अलौह कचरे, अधिशेष भंडार, कंडेंस्ड पौधों, खनिजों, कृषि और वन उपज आदि का निपटान करती है। व्यापार विभाग आयात के साथ-साथ वास्तविक उपयोगकर्ताओं के अलावा व्यापारियों के लिए भी थोक औद्योगिक कच्चे माल की घरेलू सोर्सिंग में भी जुड़ा है। यह प्रभाग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात, तेल और गैस, बिजली क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की ओर से कम राख धातुकर्म कोक, एचआर कॉइल, नेपथा, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला, लाइन पाइप आदि जैसे औद्योगिक कच्चे माल की सोर्सिंग, खरीद और बिक्री को देखता है।

6.6.1 कंपनी की गतिविधियां

ई-कॉर्मस

कारोबार के इस क्षेत्र के अंतर्गत एमएसटीसी खरीद एवं बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य व निजी कंपनियों को ई-नीलामी की निष्पक्ष सेवा प्रदान करता है। एमएसटीसी व्यावसाय के इस क्षेत्र की अग्रणी पीएसयू बनकर उभरी है। यह ई-नीलामी / ई-बिक्री, ई-खरीद सेवाओं और अनुकूलित सॉफ्टवेयर / समाधानों के विकास की पेशकश करने वाले विविध उद्योग खंडों में ई-कॉर्मस से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही है।

ई-कॉर्मस में फॉरवर्ड ई-नीलामी और माल की खरीद, खरीदारों द्वारा ई-खरीद के जरिए सेवा अनुबंध के माध्यम से स्क्रैप का निपटान, पुराने संयंत्र और मशीनरी, कोयला की बिक्री, फेरो मैग्नीज अयस्क, लौह अयस्क, बेराइट, क्रोम अयस्क, मानव केश कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। एमएसटीसी ने ई-बिडिंग प्लेटफॉर्म भी विकसित किए और कोयला और गैर-कोयला खदान ब्लॉकों, रेत खनन ब्लॉकों, भूमि पार्सल, चाय, गोरगों नट, तेंदू पत्ते, लकड़ी और अन्य वन उपज, आदि के लिए ई-नीलामी का आयोजन किया।

एमएसटीसी ने निष्पक्ष और पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रियाओं द्वारा मौजूदा क्षेत्रों और विविध क्षेत्रों जैसे खनन पट्टे, लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, रेत, लकड़ी, बिजली, थर्मल कोयला, एग्री-होर्टी और वन क्षेत्रों आदि में अपने व्यापार की मात्रा का विस्तार किया ताकि आबादी और सरकारी खजाने को फायदा हो सके।

नए एलपीजी वितरक के वितरण के लिए ऑनलाइन ड्रॉ सिस्टम के लिए तेल विपणन कंपनियों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। 19 मार्च तक एमएसटीसी ने पूरे देश में 7000 से अधिक एलपीजी डीलरशिप और 12000 रिटेल पेट्रोल पंपों के लिए ड्रॉ आयोजित किया।

बेहतर कीमत के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए एक अनूठा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया। बाजार-निर्धारित मूल्य खोज प्रणाली के लिए विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यह अनूठा पोर्टल देश में अपनी तरह का एक है।

खान मंत्रालय के परामर्श से विभिन्न राज्य सरकारों के लिए खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों की ई—नीलामी के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया। एमएसटीसी सफलतापूर्वक प्रमुख खनिज ब्लॉकों और लघु खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए ई—नीलामी का आयोजन कर रहा है।

देश में असर्वड और अनसर्वड हवाई अड्डों के लिए हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की योजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक जटिल ई—बिडिंग प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक तैयार किया गया। इस योजना को लोकप्रिय रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में जाना जाता है, यूडीएन (उड़े देश का आम नागरिक)। एमएसटीसी अब परियोजना के चरण III का संचालन कर रहा है।

बिजली उत्पादकों/आईपीपी को पारदर्शी ढंग से कोयले के आवंटन के लिए भारत (एसएचएकेटीआई) में हार्नेसिंग और आवंटन कोयला योजना के लिए बोली लगाने का मंच विकसित किया है, जो घरेलू कोयले पर आधारित पीपीए (पावर परचेज एग्रीमेंट) पहले ही समाप्त कर चुके हैं और वर्तमान में इस संबंध में किसी भी आवंटित कोयला ब्लॉक / एलओए / लिंकेज को नहीं रखते।

नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएएफईडी) और एचएएफईडी (हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी महासंघ) की ओर से अपने ई—रकम (पोर्टल) के माध्यम से विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे अनाज, तिलहन, दाल, आदि को बेचने के लिए नीलामी का आयोजन किया गया है। एमएसटीसी उत्तर पूर्व अर्थात् अदरक और अनानास से पैदा होने वाली आला एग्री/होर्टी उत्पादों को बेचने में भी सक्षम है। इसी तरह अन्य उत्पाद जैसे बिहार से लीची और फॉक्स नट, नासिक से प्याज ई—रकम पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक बेचे गए।

व्यापार

व्यापार विभाग विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है जिसमें औद्योगिक कच्चे माल की खरीद की सुविधा है। यह डिवीजन द्वितीय इस्पात क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में खरीदारों की ओर से औद्योगिक कच्चे माल जैसे हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, कम राख वाला धातु—कर्मीय कोक, एच आर कॉयल, नेपथा, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला आदि की खरीद और बिक्री, सोसिंग का कार्य देखता है। यह अपने ग्राहकों को आयातित कोयला और लाइन पाइप की आपूर्ति भी कर रहा है।

री—साइकिलंग

परिचालन के स्पेक्ट्रम का विस्तार करने और भारत में इस्पात उद्योग को सपोर्ट देने के लिए, एमएसटीसी ने अपने संयुक्त उद्यम एमएमआरपीएल के माध्यम से पुनर्वर्क्षण में प्रवेश किया। एमएमआरपीएल को ईएलवीज और अन्य श्वेत वस्तुओं को पुनः चक्रित स्क्रैप में परिवर्तित करने के लिए भारत में संगठित अत्याधुनिक ऑटो श्रेडिंग प्लांट स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है, जो द्वितीयक इस्पात संयंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रेटर नोएडा में ऑटो श्रेडिंग प्लांट के लिए आपूर्ति फीडस्टॉक के रूप में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एक संग्रह और निराकरण केंद्र स्थापित किया गया है।

6.6.2 पूंजी संरचना तथा शेयरधारण पद्धति

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की अधिकृत पूंजी 150 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 70.40 करोड़ रुपए है (31.03.2019 तक)। हाल ही में भारत सरकार ने आईपीओ के माध्यम से एमएसटीसी की कुल चुकता इक्विटी का 25.10 प्रतिशत हिस्सा लिया। कंपनी का शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार है:

अंश धारक का नाम	अंश का %
भारत सरकार	64.75
अन्य	35.25
कुल	100.00

6.6.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

(रुपये करोड़ में)

मद	2017–18	2018–19*
कुल कारोबार	1946.27	2927.00
संचालन लाभ	113.05	(267.96)
कर पूर्व लाभ	111.59	(269.21)
कर पश्चात लाभ	76.63	(324.47)

* अनंतिम

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

6.7 फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी चुकता पूंजी 32 करोड़ रुपए है। यह पूरे भारत में कंपनियों को स्क्रैप और स्लैग के प्रबंधन के लिए सेवा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोहा एवं इस्पात उद्योग से निकले स्क्रैप एवं स्लैग को रिसाइकिंग कर उससे पूंजी इकट्ठा करना है। यह न केवल देश के बहुमूल्य खनिज संसाधनों को सुरक्षित करती है बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी स्टील मिल सेवा जैसे स्लैब को आच्छादित करना, हॉट स्लैग पिट प्रबंधन एवं रखवाली करने आदि की सेवा प्रदान करती है।

एफएसएनएल का पंजीकृत और कॉरपोरेट ऑफिस छत्तीसगढ़ के भिलाई में है तथा यह कंपनी इस समय सेल-राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती, सेलम, आरआईएनएल-विशाखापट्टनम, एनआईएनएल-धुबरी, भेल-हरिद्वार, आरडब्ल्यूएफ-बैगलुरु, एयर इंडिया मुम्बई और एस्सार-हाजिरा को भी अपनी सेवा दे रही है।

6.7.1 भौतिक उपलब्धि

मद	2017-18	2018-19*
स्क्रैप की वसूली (लाख मीट्रिक टन)	32.90	35.66
उत्पादन का बाजार मूल्य (रुपये करोड़ में)	2895.20	3138.37

* अनंतिम

6.7.2 वित्तीय उपलब्धि

(रुपये लाख में)

मद	2017-18	2018-19*
कुल कारोबार अर्थात् विविध आय सहित सेवा प्रभार का आकलन आदि	34029.79	37841.34
ब्याज और मूल्यहास से पहले सकल मार्जिन	2405.29	5539.73
ब्याज और मूल्यहास	1101.51	1430.78
कर पूर्व लाभ	1303.78	4108.95

* अनंतिम

6.8 मेकॉन लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनीरत्न उद्यम मेकॉन लिमिटेड धातु और खनन, बिजली, तेल एवं गैस, अवसंरचना, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन्स, सड़क एवं हाइवे, रेलवे, जल प्रबंधन, बंदरगाह, सामान्य इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग तथा कई अन्य क्षेत्रों में अनुभव वाला एक प्रमुख बहुआयामी डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्शदात्री और ठेके पर काम करने वाला संगठन है। मेकॉन टर्नकी क्रियान्वयन समेत अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक का कार्य पूरा करने हेतु ग्रीनफील्ड और ब्राऊनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए सभी सेवाएं प्रदान करता है। यह एक आईएसओ:9001 मान्यता प्राप्त कंपनी है, जो कई वैश्विक वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और यूएन औद्योगिक विकास संगठन में पंजीकृत है। इसकी कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी है, जिससे यह अपनी तकनीक के विकास में सहयोग प्राप्त करती है। मेकॉन ने राष्ट्रीय महत्व की एतिहासिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है/पूरा कर रही है, जैसे भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सीबर्ड के लिए नौसेना बेस, करवार में डॉकयार्ड और फ्लीट बेस बिल्डिंग पैकेज (डीसी-डीवाई और एफबीबी) फेज-II ए; इसरो के लिए श्रीहरिकोटा में बाउल क्लीनिंग मशीन, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के तहत दिल्ली के नरेला में अग्निल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना; ईएसआईसी, नई दिल्ली के लिए सूरत (गुजरात), फुलवारी शरीफ (बिहार) और विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) में 100 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल; जेसीएनएल, रांची के लिए झारखंड में भारतनेट परियोजना चरण-II; यूसीआईएल, जादुगुड़ा के मोसाबनी यूरेनियम रिकवरी प्लांट (एमयूआरपी) और रोहिल यूरेनियम प्रोजेक्ट का विकास; यूसीआईएल, जादुगुड़ा की मौजूदा खान और संयंत्रों के लिए पुर्जा, उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं के लिए खरीद सेवाएँ; श्री हरिकोटा में द्वितीय लांचिंग पैड, भारत का प्रथम देसी लांच पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एसएचएआर, इसरो के लिए सेमी क्रायोजेनिक पोपल्सन सिस्टम पर स्टैटिक टेस्ट के लिए महेंद्रगिरी में इंटिग्रेटेड इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी, बीईएल के लिए विशेषीकृत ब्लास्ट प्रूफ एवं सुरक्षित भूमिगत अवसंरचना एवं विशेषीकृत ईएमपी सुरक्षित



भू-संरचना, सीआरजीओ स्टील के लिए उत्पादन तकनीक के विकास के लिए पाइलट प्लांट की स्थापना, हाल (एचएएल) के लिए नई हैलीकॉप्टर फैसिलिटी के लिए एकीकृत अवसंरचना, भारतीय नेवी के लिए कोच्ची एवं गोवा के भारतीय नेवल एयरक्राफ्ट याड्स का आधुनिकीकरण, आरआईएनएल के लिए रेल पहिया प्लांट, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्टेट ऑफ आर्ट्स कैपस, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई में डीएसटी, डीआरडीओ, मानव संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित जीओ-टैक्निकल सेंट्रीयूज सुविधा, टीएनईबी पॉवर प्लांट के लिए एन्नोर बर्थ से कोल हैंडलिंग सुविधा, जो 11 किलोमीटर की बेल्ट कन्चेयर व्यवस्था युक्त हार्बर से पावर प्लांट तक एशिया की सबसे बड़ी कोल हैंडलिंग सुविधा है।

मेकॉन ने अलग-अलग देशों में 135 परियोजनाओं के लिए विश्वस्तरीय डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

6.8.1 वित्तीय उपलब्धि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 445.57 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 29.93 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कारोबार 468.94 करोड़ रुपये (अनंतिम) है। 31.03.2018 तक शुद्ध कारोबार 227.86 करोड़ रुपये है और 31.03.2019 तक 243.73 करोड़ रुपये अनंतिम है।

6.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक फ्लैगशिप कंपनी है, जिसकी स्थापना 02.04.1976 को की गई थी। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य कर्नाटक के चिकमंगलूरु स्थित कुद्रेमुख लौह अयस्क खान से लो ग्रेड मैग्नेटाइट लौह अयस्क का खनन कर इससे फायदा कमाना था। वर्तमान में केआईओएल लिमिटेड लौह अयस्क को पेलेट्स के निर्माण में तथा बिक्री में लागी है। 3.5 एमटीपीए रेटेड क्षमता और 0.216 एमटीपीए ब्लास्ट फर्नेस यूनिट के साथ अत्याधुनिक पेलेटिसेशन प्लांट मैगलोर में स्थित है। केआईओसीएल को लौह अयस्क के खनन, लाभ और प्रसंस्करण के क्षेत्र में चार दशकों का अनुभव है। विनिर्माण सुविधाओं को आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और ओएचएसएएस 18001: 2007 के साथ मान्यता प्राप्त है। कंपनी के पास मंगलोर में अपनी कैप्टिव बर्थ और शिप लोडिंग की सुविधा है। भारत सरकार के पास इसकी इकिवटी का 99.06 प्रतिशत है।

6.9.1 पूँजी संरचना और शेयर होलिडंग पैटर्न

2018–19 के दौरान केआईओसीएल ने 1,25,88,235 इकिवटी शेयर वापस खरीदे हैं, चुकता इकिवटी शेयर कैपिटल @ 170 रुपये प्रति इकिवटी शेयर का 1.98 प्रतिशत है कुल 214 करोड़ रुपए के व्यय के साथ जो कुल चुकता शेयर कैपिटल और कंपनी के मुक्त भंडार का 9.99 प्रतिशत है।

6.9.2 उत्पादन उपलब्धि

साल 2018–19 के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में 21.70 लाख टन पैलेट के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष के दौरान 22.38 लाख टन का वास्तविक उत्पादन हुआ जो निर्धारित लक्ष्य का 103 प्रतिशत है।

6.9.3 वित्तीय उपलब्धि

केआईओसीएल की 2018–19 के दौरान और पिछले साल की उपलब्धियों का व्योरा निम्न है:

(रुपये करोड़ में)

मर्दे	2017–18	2018–19*
संचालन से राजस्व	1,605.41	1,878.22
कर पूर्व लाभ	86.09	184.12
कर पश्चात लाभ	81.48	111.86

* अनंतिम

6.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

आरआईएनएल की सहायक कंपनी ईआईएल एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और यह ओएमडीसी और बीएसएलसी की धारक कंपनी है। ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी दिनांक 19.03.2010 से पीएसयू बन गई हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

(क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ईआईएल)

वित्तीय उपलब्धि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19*
आय	1.19	0.82
व्यय	0.52	0.71
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	0.35	(0.02)

* अनंतिम

ईआईएल की अधिकृत पूँजी 13.50 करोड़ रुपये और चुकता पूँजी 1.42 करोड़ रुपये है।

(ख) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसीएल)

ओएमडीसी लौह और मैग्नीज अयस्क की सबसे पुरानी खनन कंपनी है। ओएमडीसी की खानें ओडिशा के क्योंझर जिले के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में स्थित हैं। खनन पट्टों का नवीकरण न होने और चल रहे मुकदमों के कारण वर्तमान में खदानें चालू नहीं हैं।

कंपनी की प्राधिकृत और चुकता पूँजी 0.60 करोड़ रुपये है।

वित्तीय उपलब्धि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19*
अन्य आय	55.23	53.94
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	(252.95)	(451.63)

* अनंतिम

(ग) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

बीएसएलसी एक खनन कंपनी है और ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में चूना-पत्थर और डोलोमाइट के एक पट्टे पर कार्य कर रही है। कंपनी की अधिकृत पूँजी 87.50 करोड़ रुपए और चुकता पूँजी 87.29 करोड़ रुपए है।

भौतिक उपलब्धि

(मीट्रिक टन में)

विवरण	2017-18	2018-19*
उत्पादन		
डोलोमाइट	570,000	534,400
लाइमस्टोन	—	—
प्रेषण		
डोलोमाइट	580,000	541,526
लाइमस्टोन	1000	20
माइनर मिनरल	—	27,994

* अनंतिम

वित्तीय उपलब्धि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19*
आय	46.29	39.82
कर पश्चात लाभ/हानि (पीएटी)	(10.52)	(28.12)

* अनंतिम



अध्याय—VII

निजी क्षेत्र

7.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र, देश में इस्पात उद्योग के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र में एक ओर बड़ी इस्पात कंपनियां और दूसरी ओर स्पंज आयरन संयंत्रों, छोटी धमन भट्टी इकाइयों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रिं-रोलिंग मिलों, कोल्ड-रोलिंग मिलों और कूलिंग इकाइयों जैसी छोटी और मंझोली कंपनियां सम्मिलित हैं। ये कंपनियां गुणवत्ता, नवीकरण और किफायतीपन के मामले में भी व्यापक मूल्य संवर्धन योगदान दे रही हैं।

7.2 निजी क्षेत्र में अग्रणी इस्पात निर्माणकर्ता नीचे तालिका में दिए गए हैं :

क्र. सं.	इस्पात कंपनी का नाम	वर्तमान क्षमता मिलियन टन में
1	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	18.00
2	टाटा स्टील लिमिटेड	13.00
3	एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड	10.00
4	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	8.60
5	इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड	1.88
6	जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड	0.88
7	जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड	0.78

नोट: झोत जेपीसी— आंकड़े अनंतिम हैं और जेपीसी को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

7.3 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील 18 एमटीपीए की स्थापित क्षमता के साथ भारत की एक अग्रणी एकीकृत इस्पात निर्माता कंपनी है और भारत एवं विदेशों में इसे बढ़ाये जाने की योजना है। 12 एमटीपीए क्षमता के साथ कर्नाटक के विजयनगर में स्थित जेएसडब्ल्यू इस्पात उत्पादन यूनिट भारत में किसी एक स्थान पर सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। अपने ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए उच्च शक्ति और उन्नत हाई-एंड इस्पात निर्माण करने वाली पहली कंपनी है।



वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

आज, जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया के 100 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करता है। जेएसडब्ल्यू यूएसए और जेएसडब्ल्यू स्टील, इटली क्रमशः यूएस और यूरोप के बाजारों में हाल के अधिग्रहण हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड को अपने व्यापार और परिचालन उत्कृष्टता के लिए व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। हाल में इसे मिले प्रमुख पुरस्कारों में विजयनगर में कुल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए डेमिंग पुरस्कार (2018) डीजेएसआई रोबेकोसम सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री मूवर अवार्ड (2018) शामिल है।

7.4 टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील समूह 33 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की वार्षिक कच्चे इस्पात क्षमता वाली शीर्ष वैश्विक इस्पात कंपनियों में से एक है। यह दुनिया के सबसे भौगोलिक रूप से विविध स्टील उत्पादकों में से एक है, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में परिचालन करता है और दुनिया भर में इसकी वाणिज्यिक उपस्थिति है। 2018 में, टाटा स्टील ने भूषण स्टील लिमिटेड (जिसे अब टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड का नाम दिया गया है) का अधिग्रहण किया। वर्तमान में, टाटा स्टील के भारतीय परिचालन (जमशेदपुर, कलिंगनगर, अंगुल) में कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता 18.6 एमएनटीपीए है।



टाटा स्टील इंडिया वैश्विक स्तर पर सबसे कम लागत वाले इस्पात उत्पादकों में से एक है। टाटा स्टील वर्ष 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी का विजेता रहा है। यह लगातार चौथा वर्ष था जब टाटा स्टील को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1992-93 में इस पुरस्कार की शुरुआत के बाद से, टाटा स्टील ने 11 बार पीएम की ट्रॉफी जीती है। टाटा स्टील को भारत के शीर्ष 25 बेहतरीन कार्यस्थल मैनुफैक्चरिंग 2019 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क®इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दी गई है।

कंपनी को कई उम्मीदवारों के बीच एथिस्फियर इंस्टीट्यूट से आठवीं बार (2019) 'विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों' का पुरस्कार और ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड्स (2017 और 2018) भी मिला है।

7.5 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड

एस्सार स्टील अपने फ्लैट स्टील उत्पादों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कंपनी का फोकस उच्च मूल्य वर्धित ग्रेड स्टील्स पर है और इसने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए फ्लैट स्टील के 300 से अधिक ग्रेड विकसित किए हैं। एस्सार स्टील 10 एमटीपीए एकीकृत स्टील का उत्पादन करता है और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के मूल्य शृंखला को पूरा करने के लिए सुविधाएं तैयार करके कई विवेकपूर्ण निवेश किए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं में इसका निवेश इसकी विनिर्माण प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है और उत्पादों की गुणवत्ता को लगातार बनाए रखता है।

सुविधा	क्षमता (एमटीपीए)
फ्लैट प्लांट	14
आयरन मेकिंग	10.2
हॉट रोलिंग	7.1
कोल्ड रोलिंग	2.0
गेल्वेनाइजिंग	1.0
कलर कोटिंग	0.4
पाइप मिल	0.6
हैवी प्लेट मिल	1.5
स्टील प्रोसेसिंग	4.0



यह औद्योगिक खंड के वृहद क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है जिसमें ऑटो, जहाज निर्माण, सफेद एवं पीले उत्पाद, जनरल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट्स, हाइड्रोकार्बन उद्योग, पाइप निर्माण और डिफेंस आदि शामिल हैं।

एस्सार स्टील स्थिरता पर बहुत जोर देती है और इसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए) स्थिरता संकेतक के साथ जोड़ा जाता है। एस्सार स्टील एक क्लाइमेट एक्शन सदस्य और स्थिरता चार्टर डब्ल्यूएसए का हस्ताक्षरकर्ता है और एसोसिएशन से पिछले पांच वर्षों में तीन बार सुरक्षा और स्वास्थ्य उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त है।

एस्सार ने सक्षम वर्षा जल संचयन और नियंत्रित जल उपयोग, बेहतर स्लैग और अपशिष्ट गैस प्रबंधन जैसी गतिविधियों के माध्यम से शून्य-अपशिष्ट कंपनी होने का मानदंड प्राप्त किया है। संवहनीयता के क्षेत्र में अपने ठोस प्रयासों के लिए कंपनी को प्रतिष्ठित संस्थानों के पुरस्कारों से नवाजा गया है।

7.6 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) भारत के प्रमुख और एकीकृत इस्पात उत्पादकों में से एक है और इस्पात, विद्युत और खनन सहित मूल अवसंरचना क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे बड़ा व्यापार संगठन है।

जेएसपीएल का व्यवसाय संचालन भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखण्ड के राज्यों में होता है, जहां यह भारत के कुछ सबसे उन्नत इस्पात निर्माण और वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन क्षमता का संचालन करता है। जेएसपीएल रेलों का भारत का पहला और एकमात्र निजी निर्माता है। यह भारत में इस्पात और बिजली के सबसे कम लागत वाले उत्पादकों में से एक है। कंपनी ने भारतीय रेलवे को 97,400 टन रेल की आपूर्ति करने का ऑर्डर प्राप्त किया और निर्धारित समय से चार महीने पहले 22 अप्रैल 2019 को इसकी आपूर्ति की। भारतीय रेलवे से एक ही वैश्विक निविदा के तहत 30000 टन रेलों का अतिरिक्त आर्डर प्राप्त किया।



7.7 जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड (जेएसएल)

जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड (जेएसएल) भारत में जंगरोधी इस्पात का सबसे बड़ा एकीकृत निर्माता है। ओडिशा संयंत्र में सीमेंस वीएआई, एसएमएस सिमाग और एंड्रीज सुंडविंग और कॉम्प्लेक्स से प्राप्त विश्व स्तरीय तकनीक और उपकरण हैं, जो फेरो अलॉयज और कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट से सुसज्जित है और यह संयंत्र ग्रेड एवं डाइमेंशन दोनों के संदर्भ में अद्वितीय और व्यापक श्रेणी के उत्पाद तैयार करने में सक्षम है।



उपभोक्ता की मांग के अनुसार हॉट रोल्ड प्लेट्स और 1650 एमएम चौड़ाई के कॉयल्स और सभी ग्रेड में 2एमएम की निम्नतम मोटाई के जंगरोधी इस्पात का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही निम्नतम 0.3 एमएम मोटाई के साथ—साथ 1650 एमएम की अधिकतम चौड़ाई का कोल्ड रोल्ड कॉयल्स उपभोक्ता की जरूरत के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।

7.8 जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड

जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल) का 0.8 एमटीपीए क्षमता का एक पूर्ण एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह रेज़र ब्लेड्स के लिए जंगरोधी इस्पात स्ट्रिप्स का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और भारत व अंतरराष्ट्रीय टकसालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला भारत में कॉइन ब्लैंक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। जेएसएचएल संयंत्र मेलिंग, कास्टिंग, हॉट रोलिंग से कोल्ड रॉलिंग एवं अन्य विशेषताओं को जोड़ते हुए परंपरागत और उन्नत दोनों ही तकनीकों के एकीकरण की रणनीति पर काम करता है।

जेएसएचएल का विशिष्ट उत्पाद प्रभाग प्रतिष्ठित भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की उच्च परिशुद्धता और विशिष्ट जंगरोधी इस्पात जरूरतों को पूरा करता है। इसकी उत्पाद श्रृंखला में स्लैब्स और ब्लूम्स, हॉट रोल्ड कॉयल्स, स्ट्रिप्स, प्लेट्स, क्वालयन ब्लैंक्स, सूक्ष्म स्ट्रिप और कोल्ड रोल्ड कॉयल्स शामिल हैं।





अध्याय—VIII

इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान

8.1 परिचय

इस्पात क्षेत्र में कामगारों की तकनीकी कुशलता को लगातार निखारने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थानों के उपयोगी भूमिका एवं योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है:

8.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित कार्यबल द्वारा विकसित अवधारणा योजना के आधार पर पुरी में नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (एनएसआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। इसे प्रशिक्षण—सह—सेवा—सह—अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। यह संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से काम करना शुरू किया है। बीपीएनएसआई की स्थापना वैश्विक एवं भारतीय इस्पात उद्योगों में तेजी से हो रहे बदलाव के अनुरूप देशीय सेकेण्डरी इस्पात उद्योग को ढालने में मदद करने के उद्देश्य से की गई थी। 20 फरवरी, 2004 को मंत्रिमंडल ने पुरी में बीपीसीएसआई की स्थापना को जेपीसी से पूँजीगत निधि के साथ पूर्णकालीन संस्थान के रूप में मंजूरी दे दी है। 2030–31 तक 300 एमटीपीए के लक्ष्य को प्राप्त करने को ध्यान रखते हुए, यह प्रस्तावित किया गया है कि बीपीएनएसआई अपने प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ इस्पात उद्योग में अनुसंधान और नवाचार करने के लिए स्टील रिसर्च एंड टेक्नालॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) के तहत कार्य करेंगे।

8.3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

राष्ट्रीय इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1987 को लौह और इस्पात के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में और वर्तमान में इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में निम्नलिखित ध्येय और उद्देश्य के साथ की गई थी।

- इस क्षेत्र को अद्यतन टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और डिजाइन कार्य का संचालन करना।
- तकनीकी समस्याओं को सुलझाने, ऊर्जा दक्षता में सुधार और प्रदूषण के स्तर को कम करने के संदर्भ में उद्योगों के लिए परामर्श सेवाओं का विस्तार करना।
- उद्योग और शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच बातचीत के लिए मंच प्रदान करना।
- विभिन्न औद्योगिक सेवा और परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
- अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से माध्यमिक इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्रदान करना और उनके ज्ञान आधार को अद्यतन करना।

प्रमाणन / मान्यताएं

- एक अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा करने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में पैनलबद्ध किया है।
- पीएटी योजना के तहत एम एंड वी गतिविधियों के लिए बीईई द्वारा पैनलबद्ध किया है।
- ऊर्जा ऑडिट और ऊर्जा से संबंधित कार्यों के लिए पीसीआरए और राज्य द्वारा नामित एजेंसी पीईडीए के साथ पैनलबद्ध किया है।
- पंजाब सरकार और दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के सुरक्षा निरीक्षण के लिए कारखानों के निदेशक द्वारा सक्षम व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम विभाग द्वारा तकनीकी सहायता के लिए मान्यता प्राप्त हुई।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद – उत्तर क्षेत्रीय चॅप्टर के कार्यकारी सदस्य।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

वर्तमान गतिविधियाँ

क. औद्योगिक परामर्श, सेमिनार, प्रशिक्षण और कौशल विकास

2018-19 के दौरान एनआईएसएसटी ने देश भर में विभिन्न इकाइयों को परामर्श प्रदान किया है। एनआईएसएसटी ने पूरे भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र के उत्पादन और गुणवत्ता पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

- आरएचएफ में ईंधन के रूप में पीएनजी का उपयोग करने के लिए उपयुक्त दहन उपकरण के चयन पर परामर्श कार्य। इसके अलावा, यूनिट को प्राकृतिक गैस फायरिंग परियोजना के सफल संचालन में सहायता प्रदान की गई है। एक यूनिट को पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में पीएनजी फायरिंग प्रणाली पर एक मॉडल इकाई के रूप में विकसित किया गया है।
- फैक्ट्री निदेशक, पंजाब सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न इकाइयों में पिघलने और स्क्रैप पृथक्करण में सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया था।
- दमण और दीव और दादरा नगर हवेली की यूटी की विभिन्न यूनिटों में सुरक्षा ऑडिट किया गया।
- डीआरआई भट्टे पर अभिवृद्धि संरचना पर परामर्श, यूनिटों के लिए एमओईएफ मानदंडों और किफायती पीएनजी फायरिंग के अनुसार माध्यमिक धातुकर्म प्रक्रिया श्रेणी के तहत उनके वर्गीकरण का आकलन करने के लिए कार्य प्रक्रिया का आकलन।
- अगस्त 2018 में मैसर्स एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट नगरनार के भूमि हारनेवाले का प्रशिक्षण और कौशल विकास का काम पूरा हो गया है।

ख. ऊर्जा लेखापरीक्षा

एनआईएसएसटी द्वारा कई ऊर्जा दक्षता संबंधित परियोजनाओं को निष्पादित किया गया था जिसमें इस्पात उद्योग में आयोजित ऊर्जा ऑडिट, अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट और नामित उपभोक्ताओं के एम एंड वी ऑडिट, ऊर्जा दक्षता सुधार परियोजनाएं शामिल हैं।

ग. सुरक्षा ऑडिट/सत्यापन/निरीक्षण

कारखाना निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्तियों की क्षमता के तहत पंजाब सरकार, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, एनआईएसएसटी ने पंजाब राज्य, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में इस्पात उद्योग के लिए सुरक्षा निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट किए हैं। उद्योग में सुरक्षित वातावरण के लिए औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

घ. परीक्षण प्रयोगशाला

पिछले दशक में, एनआईएसएसटी परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने, परामर्श अध्ययन करने, ऊर्जा ऑडिट आयोजित करने और पुनः रोलिंग उद्योग में तकनीकी सुधार के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं में भाग लेने के लिए मुख्य संस्थान के रूप में उभर रहा है। उपकरण/प्रयोगशालाओं को अद्यतन रखने के लिए पिछले 5 वर्षों में कुछ उपकरण जोड़े गए/अपग्रेड किए गए। इस लिए, निम्नलिखित प्रयोगशालाएं एनआईएसएसटी की मंडी गोबिंदगढ़ परिसर में चल रही हैं।

- यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला
- रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला
- धातुशास्त्र प्रयोगशाला
- प्रदूषण परीक्षण प्रयोगशाला

उपरोक्त में से, मैकेनिकल और रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, एनआईएसएसटी ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीटीएस) से 15 विभिन्न इस्पात उत्पादों के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त की है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ

संस्थान ने निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की हैं:

- मिनी स्टील प्लांटों में इंडक्शन फर्नेस और नियंत्रित रोलिंग मार्ग के माध्यम से सूक्ष्म-मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात के उत्पादन का विकास।
- एसिड-लाइन वाली इंडक्शन भट्टी में वाणिज्यिक-ग्रेड हल्के स्टील का डीफोस्फोराइजेशन,



- द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की रीरोलिंग मिलों की री-हीटिंग भट्टी के डिजाइन में कंप्यूटर सिमुलेशन का विकास।
- बीआईएस गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्टील का उत्पादन करने के लिए इंडक्शन मेलिंग फर्नेस में इन-फर्नेस रिफाइनिंग के लिए लागत प्रभावी दुर्दम्य अस्तर सामग्री का विकास।

योगदान

- प्रति टन स्टील की ऊर्जा उपयोग में कमी;
- विभिन्न स्तरों पर शॉप-फ्लोर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करके ऊर्जा की खपत में कमी लाने में योगदान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय धन की पर्याप्त बचत हुई और वायु प्रदूषण स्तर में कमी आई।
- सामग्री के नुकसान में कमी; विभिन्न स्तरों पर शॉप-फ्लोर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करके नुकसान को कम करने में योगदान दिया, जिससे उत्पादन की लागत कम हो गई।
- एसआरआरएम क्षेत्र के लिए री-हीटिंग भट्टियों का डिजाइन बनाना।
- विभिन्न शॉप-फ्लोर परीक्षण करके इस्पात उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान दिया।
- उत्पादकता में सुधार, विभिन्न तकनीकी पहलुओं के माध्यम से लागत नियंत्रण पर यूनिटों के तकनीकी ज्ञान का सुधार उदा. डायरेक्ट रोलिंग, अस्वीकृत माल पर नियंत्रण आदि का कार्यान्वयन।

इस्पात उत्पादों से संबंधित विभिन्न मानक बनाने/संशोधन के लिए एनआईएसएसटी विभिन्न बीआईएस मानकीकरण समितियों में भी प्रतिनिधित्व करता है।

एनआईएसएसटी, डीआईपीपी के तहत सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (सीसीआईएस) के दावों पर विचार करने के लिए 2007 में नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी (एनईआईआईपीपी) का एक प्रमुख तकनीकी सदस्य है।

एनआईएसएसटी एमएसएमई के साथ मिलकर फाउंड्री, स्टील मेकिंग और रोलिंग टेक्नोलॉजी में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए काम कर रहा है। इस्पात क्षेत्र के एसएमई इस संस्थान के उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हैं और महसूस करते हैं। एनआईएसएसटी राष्ट्रीय इस्पात नीति को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है।

8.4 इस्पात विकास और विकास संस्थान (आईएनएसडीएजी)

- आईएनएसडीएजी, लाभ के लिए नहीं, सदस्य—आधारित संगठन है, जिसकी स्थापना भारत सरकार (इस्पात मंत्रालय) और भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्माण और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में इस्पात—आधारित निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देना है। स्टील कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट (एससीआई), यूके के अनुरूप स्थापित, आईएनएसडीएजी भारतीय निर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में इस्पात—गहन संरचनाओं के संवर्धन की दिशा में कार्य कर रहा है।
- स्टील उत्पादकों के अलावा आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, डिजाइनर, फैब्रिकेटर, शैक्षणिक संस्थान और छात्र (आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियरिंग) सहित कुल सदस्यता आधार 31.03.2019 को 446 है। छात्र सदस्य के रूप में लगभग 650 छात्र नामांकित हैं। वर्ष के दौरान आईएनएसडीएजी ने दो तकनीकी पुस्तकें (क) आईएनएसडीएजी ईयर बुक 2017–2018, (ख) बिल्डिंग डिजाइन यूजिंग स्टील हॉलो सेक्शन, (ग) भारत में लैंडमार्क स्टील स्ट्रक्चर्स का महत्वपूर्ण विश्लेषण और (घ) इस्पात प्रचार में कुछ रिपोर्ट और पत्र।
- वर्ष के दौरान, आईएनएसडीएजी सक्रिय रूप से विभिन्न सेमिनारों (इस्पात मंत्रालय द्वारा समर्थित) में शामिल रहा है और प्रस्तुतियों के माध्यम से निर्माण में इस्पात को बढ़ावा दिया है। इस तरह के सेमिनार का आयोजन ऐज़वाल, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम और मुंबई में किया गया। आईएनएसडीएजी ने सरकार की किफायती आवास योजना में इस्पात—ठोस मिश्रित प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ समन्वय किया है। तब से इस तकनीक को योजना में शामिल कर लिया गया है।
- निर्माण के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर और अधिक बल देने के लिए, आईएनएसडीएजी ने पश्चिम बंगाल के 6 जिलों (कूचबिहार, दर्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मालदा, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर) में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्योग और कपड़ा विभाग के साथ समन्वय किया है। आगे के विकास के लिए 30 और सीएफसी की पहचान की गई है। आईएनएसडीएजी ने प्रारंभिक चरण में डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट (डीएसआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की शुरुआत की। औद्योगिक समूहों की स्थापना के लिए हैंडहोल्डिंग सपोर्ट अब चयनित केंद्रों को दिया जा रहा है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए इस्पात-आधारित अवसंरचना पर विभिन्न विषयों पर सफलतापूर्वक वार्षिक राष्ट्रीय छात्र प्रतियोगिता, जिसमें से एक सिविल और स्ट्रक्चरल छात्रों के लिए और दूसरा आर्किटेक्चर छात्रों के लिए, इसका आयोजन किया गया। सिविल प्रतियोगिता 2018-19 के लिए – थीम: "स्टील इंटेंसिव इनोवेटिव कार सर्विस स्टेशन" और आर्किटेक्चर प्रतियोगिता 2018 के लिए – थीम: "स्टील इंटेंसिव एलिवेटेड साइकिल ट्रैक"। आईएनएसडीएजी पिछले एक साल में डिजाइन और निर्माण किए गए किसी भी प्रतिष्ठित स्टील संरचनाओं के लिए हर साल पेशेवरों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित करता है।
- तकनीशियनों और निर्णय निर्माताओं को कवर करने वाले स्टील से संबंधित विषयों पर विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम/व्याख्यान आयोजित करना। पेशेवरों और प्राध्यापकों के लिए नवीनतम बीआईएस कोड के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल
 - इस्पात उपयोग में परिचयात्मक और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - पैरलेल पल्सेज सेक्शनों का प्रभावी उपयोग

2018-19 के दौरान लगभग 70 पेशेवरों और प्रध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है। कक्षा में व्याख्यान देने, इस्पात आधारित परियोजना के काम को प्रायोजित करने और संयुक्त रूप से सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करके सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों दोनों शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत।

वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की कुल संख्या:

क्र.	कॉलेज / संस्थान	भागीदार	कार्यशाला की सं.
1	आदमास यूनिवर्सिटी	मैकेनिकल / सिविल	1
2	रकूल ऑफ प्लानिंग अँड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	आर्किटेक्चर	1
3	आईआईईएसटी, शिबपुर	आर्किटेक्चर	1
4	नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	सिविल	1
5	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग अँड मैनेजमेंट, कोलकाता	सिविल	1
6	आईआईटी, खड़गपुर	सिविल / आर्किटेक्चर	1

- बीआईएस के सदस्य के रूप में आईएनएसडीएजी लगातार नए कोड्स की आवश्यकता का आकलन कर रहा है और स्टील-आधारित निर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पुराने कोड्स का अद्यतीकरण कर रहा है।
 - ड्राट आईएस 808 (हॉट रोल्ड स्टील बीम का आयाम, कॉलम, चैनल और एंगल सेक्शन) बीआईएस को प्रस्तुत किया जाता है।
 - संशोधन आईएस 11384 है – सामान्य निर्माण के लिए समग्र निर्माण के लिए अभ्यास संहिता – कोड को अंतिम रूप दिया गया है और बीआईएस द्वारा अपनाया गया है।
 - आईएस 801 (कोल्ड-फॉर्मेड स्टील) ड्राफ्ट बीआईएस को प्रस्तुत किया गया। बीआईएस ने सूचित किया है कि आईआईटी मद्रास विशेषज्ञ पैनल के साथ कोड का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर रहा है।
 - आईएनएसडीएजी IS 11587 (वेदरिंग स्टील), IS 15103 (फायर रेसिस्टेंट स्टील) और IS 15962 (भूकंपरोधी स्टील) जैसे तीन महत्वपूर्ण कोडों के संशोधन पर काम कर रहा है।
- आईएनएसडीएजी, बीआईएस समिति के एमटीडी 4 और एमटीडीसी में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है ताकि गढ़ा इस्पात उत्पादों, लंबे और फ्लैट स्टील उत्पादों पर मानक तैयार किए जा सकें।
- आईएनएसडीएजी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण/इस्पात श्रेणियों की छूट पर इस्पात मंत्रालय की तकनीकी समिति में सक्रिय रूप से शामिल है (डोमेन विशेषज्ञ के रूप में)। समिति स्टील आयात के अनुरोध पर विचार-विमर्श करने के लिए महीने में एक बार (कभी-कभी दो बार) बैठक करती है और उपयुक्तता के आधार पर प्रत्येक आवेदन को मंजूरी देती है।
- आईएनएसडीएजी, जीआई वार्यस की संभावनाओं और भारतीय बाजार में विकास और पूर्व-लेपित स्टील शीट के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड और मेसर्स जोएसडबल्यू स्टील लिमिटेड के लिए तकनीकी कार्य कर रहा है।
- आईएनएसडीएजी ने आवास पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न बुनियादी ढांचों की गतिविधियों में स्टील-गहन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एचएससीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।



अध्याय—IX

एसआरटीएमआई एवं अनुसंधान

भारत में भारतीय इस्पात क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान और विकास सरकारी सहायता से किया जा रहा है और इसके अलावा (i) अग्रणी सार्वजनिक और निजी लौह और इस्पात कंपनियां, (ii) सीएसआईआर प्रयोगशालाएं, (iii) शैक्षणिक संस्थान भी औद्योगिक भागीदारी के साथ स्वयं के वित्तपोषण से अपने खुद के अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से यह काम करते हैं। भारत में अग्रणी इस्पात कंपनियों का अनुसंधान एवं विकास में निवेश टर्नओवर का 0.05–0.6 प्रतिशत के बीच है, जबकि विदेशों में अग्रणी इस्पात कंपनियां अपने टर्नओवर का 1 प्रतिशत ही अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करती हैं।

9.1 राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (एनएसपी 2017) ने भारतीय इस्पात को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, उच्च प्रदर्शन इस्पात की घरेलू मांग को पूरा करने, इस्पात की खपत बढ़ाने आदि के संबंध में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एनएसपी 2017 ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर पहचान की है।

9.2 इस्पात मंत्रालय आरएंडडी निवेश बढ़ाने के लिए भारत में इस्पात उद्योग में आरएंडडी प्रयासों में सहयोग प्रदान कर रहा है और साथ ही इस उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं और मुद्दों से भी निपट रहा है। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

9.2.1 सरकारी कोष की वित्तीय सहायता से आरएंडडी

- सरकार ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय महत्व की आरएंडडी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत कोष की मदद से एक नयी स्कीम—“लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी संवर्धन” शुरू की। इसमें लौह अयस्क, कोयले के बेनिफिसिएशन, इंडक्शन फर्नेस में गुणवत्तापूर्ण इस्पात के उत्पादन, सीआरजीओ इलेक्ट्रिकल स्टील का विकास एवं उत्पादन और राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं पर खास ज़ोर होगा। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रही और इसे 14वें वित्त आयोग की अवधि (2019–20) में जारी रखा गया है।
- इस योजना के तहत अभी तक 36 आरएंडडी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें इस्पात मंत्रालय की ओर से 123.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। पूरी की गई परियोजनाओं के जरिये लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लाभ के लिए लौह अयस्क एवं कोयले के बेनिफिसिएशन एवं संचय हेतु प्रयोगशाला में/पायलट स्तर पर प्रक्रियाएं/प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। लैबोरेटरी स्तर के इंडक्शन फर्नेस में कम फॉस्फोरस के इस्पात का उत्पादन करने के लिए लैब स्तर पर प्रक्रिया विकसित की गई है जिसके लिए औद्योगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा, हाइड्रोजन प्लाज्मा का इस्तेमाल कर लौह अयस्क/चूरे को लैबोरेटरी में गलाने की व्यवहार्यता पायलट स्तर पर तलाशी गई है।
- वर्ष 2018–19 में “लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन” योजना के अधीन अनुसंधान और विकास के लिए जारी किए गए अनुदान का विवरण अनुलग्नक—XVII पर है।

9.2.2 भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई)

अनुसंधान को बढ़ाने और सभी स्टेक होल्डरों को एक प्लेटफर्म में लाने के लिए भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन नामक उद्योग शिक्षा आधारित से एक संस्थागत मंच स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान की। एसआरटीएमआई का पंजीकरण 14 अक्टूबर, 2015 को पंजीकृत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के रूप में किया गया है। एसआरटीएमआई के निदेशक की नियुक्ति एक जनवरी, 2018 को की जा चुकी है। एसआरटीएमआई सक्रिय रूप से इस्पात कंपनियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शिक्षाविदों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान को नेतृत्व कर, अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में तालमेल बैठाकर राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान निकाला जा सके।

9.3 इस्पात कंपनियों द्वारा आरएंडडी

9.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

अनुसंधान एवं विकास

वित्त वर्ष 2018–19 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस) 78 आरएंडडी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें से 44 परियोजनाएं मार्च 2019 तक पूरी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के तहत सेल के

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

संयंत्रों/इकाइयों को तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराए गए जिसमें लागत में कमी लाने, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता में सुधार और नए उत्पादों के विकास पर खास जोर रहा। इस केन्द्र ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान 20 पेटेंट और 18 कॉपीराइट्स के लिए आवेदन किया है। 2018-19 के दौरान 79 तकनीकी पेपर प्रकाशित किए गए और 95 पेपर प्रस्तुत किए हैं।

आरएंडडी प्रयास एवं पहल

- बीएफ#5, बीएसएल में हार्ड फेसिंग एवं रेफ्रैक्ट्री लिनिंग कॉपर ट्यूर्एस शुरू की गई।
- आरएंडएस मिल एवं बीएसपी में स्किड पाइप इंसूलेशन की लाइफ को बढ़ाकर आरएचएफ के प्रदर्शन में सुधार किया गया।
- एसएमएस, आरएसपी में स्लैप कास्टर#2 की बढ़ती उपलब्धता के लिए उच्च प्रदर्शन बीयरिंग की शुरुआत की गई।
- कास्टर#3 एसएमएस-2, आरएसपी से स्लैब में लांगीट्यूडनल मिडफेस क्रैक्स (एलसी) की जांच और इसकी प्रकृति का विश्लेषण किया गया।
- एएसटीएम ए537 सीएल.1,2,3/सेल डब्ल्यूआर/सेल डब्ल्यूईएलड/एएसटीएम ए517जीआरएफ, आरएसपी जैसे विशेष इस्पात उत्पादों का उत्पादन एवं विकास।
- आरडीसीआईएस में प्रयोगशाला पैमाने पर टीआरआईपी— उन्नत लीन डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का विकास
- आरडीसीआईएस में प्रयोगशाला परीक्षण और पुस्तकालय प्रबंधन के लिए एक सूचना प्रणाली का विकास
- बीएसएल में बीएफ स्टोव की इन्फारेड थर्मल इमेजिंग
- बीएसएल में अत्यधिक तेज उष्णा के माध्यम से बीओएफ स्लैग की उपयोगिता का अध्ययन एवं सीमेंट कंक्रीट बनाने में इसका उपयोग
- बीएसपी के एसपी-3 में गर्म पानी के उत्पादन के लिए सिंटर कूलर की बेकार हो गई हीट का उपयोग करना।
- आरडीसीआईएस में पायलट ओवन कार्बोनाइजेशन के माध्यम से कोयला मिश्रण में पेट कोक की कोक गुणवत्ता पर प्रभाव

नए उत्पादों का विकास एवं व्यावसायीकरण

आरडीसीआईएस सेल के उत्पाद विकास की गतिविधियों में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। उत्पादों के विकास के लिए चयन का मानक, अत्यधिक मांग, तैयार बाजार, अच्छा मार्जिन और संयंत्र की क्षमता है। आरडीसीआईएस ने सेल के संयंत्रों के साथ तालमेल कर अप्रैल-मार्च, 2019 के दौरान निम्नलिखित उत्पाद विकसित किए:

- क्यू एंड टी एएसटीएम ए 517 जीआर.एफ, 32 और 40 मिमी. मोटी प्लेट्स आईएस 2062 ई 350 स्ट्रक्चरल
- क्यू एंड टी एएसटीएम ए 537 सीएल.2, 40 मिमी मोटी प्लेट्स
- आईएस 2062 ई250बीआर ग्रेड में यूटी साउंड 100 मिमी मोटी प्लेट
- मोटा सामान्यीकृत बीक्यू प्लेट्स —आईएस 2002जीआर.2 (63 / 70 / 110 मिमी)
- ईएन 10025-6 एस690 क्यूएल में उच्च शक्ति क्यू एंड टी प्लेट्स
- 2 पाई क्वेंच और टेम्पर्ड स्टील प्लेट्स
- 20 / 25 मिमी आईएस 1786 550 डी टीएमटी बार्स
- उच्च शक्ति संरचना के लिए 230x160, 300x150 और 350x240 मिमी आकार के एआई किल्ड जेआईएस 3101 एसएस 540 (आरसी-2) जीआर सीसी ब्लूम्स
- चैनल 100 आईएस 2062 ई350 बीआर
- उन्नत प्रभाव वाले गुणों के साथ 56 एमएम प्लेट्स (-20 डिग्री सेल्सियस पर 54 जूल) भारी आई-बीम आईएस 2062 ई 350 सी
- 75x75x10 मिमी और 75x75x8 मिमी आकार का ग्रेड आईएस 2062 ई250बी0
- आईएस 1786 एफई550 डी टीएमटी रिबार्स 25 / 32 मिमी
- जेआईएस जी3141 एसपीसीसी क्वॉयल
- एसयूपी 11ए ग्रेड बिलेट्स
- सी-20 (कम सीई) बिलेट्स का उपयोग करके एफई-500 डी ग्रेड 8 और 10 मिमी. डीआईए टीएमटी वायर रॉड का निर्माण
- माइक्रो-मिश्र धातु के बिना उच्च शक्ति आईपीई 600 स्ट्रक्चरल



आरएंडडी पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सेल का कारोबार	आरएंडडी खर्च			कारोबार का %
		पूंजी	राजस्व	कुल	
2014–15	50627	32.14	232.06	264.20	0.52
2015–16	43294	50.78	226.22	277.00	0.64
2016–17	49180	77.83	261.60	339.43	0.69
2017–18	58297	20.79	314.71	335.50	0.58
2018–19	66267	14.77	305.09	319.86	0.48

पेटेंट के लिए आवेदन: 20

कॉर्पोरेशन: 18

प्रकाशित टेक्नीकल पेपर: 79

प्रस्तुत किए गए टेक्नीकल पेपर: 95

9.3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरएंडडी प्रयास एवं पहलें

संयंत्र की मौजूदा एवं भावी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आरएंडडी पहल की जाती है। वर्ष के दौरान आरएंडडी पहल इस प्रकार रहीं:

- जंग और भूकंप रोधी विशेषता वाली थर्मो-मैकेनिकली ट्रीटेड छड़ों का विकास
- बीओआरओएन स्टील ग्रेड्स का विकास
- सीओ2 वेल्डिंग ग्रेड का विकास
- लाडल और टुंडिश कवरिंग कंपाउंड के रूप में फ्लाई ऐश पैलेट्स के उपयोग पर व्यवहार्यता अध्ययन
- सिथेटिक स्लैग के प्रतिस्थापन के रूप में लैडल फर्नेस स्लैग के उपयोग पर व्यवहार्यता अध्ययन
- वीएसपी में ब्लास्ट फर्नेस पर गर्म धातु सल्फर हटाने के लिए स्लैग विशेषताओं का अनुकूलन
- कोक ओवन बैटरी 4 में उत्सर्जन को चार्ज करने में सुधार
- सिटेरिंग पर लौह अयस्क फाइंस में ओवरसाइज (+10 मिमी) के प्रभाव का अध्ययन
- सिविल निर्माण में नदी की रेत के प्रतिस्थापन के रूप में बीएफ स्लैग की उपयुक्तता का अध्ययन
- एसएमएस –1 में स्टील लैडल लाइनिंग के जीवन को बढ़ाने के लिए स्टील लैडल लाइनिंग के लिए एल्यूमिना-मैग्नेशिया स्पिनल ब्रिक्स का उपयोग
- एसएमएस –1 में लैडल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली
- एलडी कन्वर्टर्स में स्टील स्क्रैप की जगह मिल स्केल ब्रिकेट के उपयोग पर व्यवहार्यता अध्ययन

आरएंडडी पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वास्तविक खर्च	कारोबार के % के तौर पर खर्च
2014–15	33.09	0.28
2015–16	21.74	0.18
2016–17	23.52	0.18
2017–18	20.06	0.12
2018–19	19.07*	0.09*

* अनंतिम

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

9.3.3 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी के पास अपना आरएंडडी केन्द्र है जो अपनी मौजूदा परिचालित खानों तथा भारत और विदेश में अन्य संगठनों को प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराता है। यह केन्द्र ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रक्रियागत निष्पादन में सतत सुधार के जरिये लौह एवं खनिजों से संबद्ध उत्पाद एवं प्रौद्योगिकीय विकास अभियानों को चलाने में अपनी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरएंडडी के प्रयास एवं पहल:

- दोणिमलै बेनिफिसिएशन एवं पैलेट संयंत्र के लीन टेलिंग से लोहे के मूल्यों (न्यूनतम 2 प्रतिशत) की रिकवरी में सुधार। (एमओयू परियोजना)
- किरंदुल कंप्लेक्स के स्क्रीनिंग प्लांट-2 के स्क्रीनिंग दक्षता में सुधार के लिए अनुशंसित नवीनीकरण का कार्यान्वयन
- हाईड्रोमेटालर्जिकल रूट से किरंदुल कॉम्प्लेक्स (डेप -14) के लौह अयस्क के अतिरेक से शुद्ध एल्यूमीनियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों का विकास।
- लौह अयस्क भंडारण और रखरखाव (चरण II) में उपयोग की जाने वाली लाइनर सामग्री को धिसने वाले पर अध्ययन।

आरएंडडी पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	टर्नओवर	पीबीटी	शुद्ध आय	आरएंडडी खर्च	कारोबार का %	पीएटी का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5/4)
2015–16	6456	4505	3028	17.64	0.27	0.58
2016–17	8830	4293	2589	20.30	0.23	0.78
2017–18	11615	6180	3806	22.03	0.19	0.58
2018–19	8901*	5001*	3188*	14.99*	0.17*	0.47*

* अनंतिम

9.3.4 मेकॉन लिमिटेड

आरएंडडी के प्रयास एवं पहल

- मोटर वाहन उपयोग के लिए स्टील ब्लैंक का स्थानीय इंडक्शन हीट ट्रीटमेंट
- इंफ्रारेड कैमरा आधारित टोरपेडो लैडल कार (टीएलसी) कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास

पेटेंट के लिए आवेदन:12

आरएंडडी पर खर्च

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च का % (कारोबार के संदर्भ में)
2015–16	317.28	2.96	0.93
2016–17	342.93	1.83	0.53
2017–18	445.57	1.72	0.39
2018–19*	464.00	2.61	0.56

* अनंतिम



9.3.5 मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड (मॉयल)

आरएंडडी प्रयास एवं पहल

देश के सीएसआईआर—आरएंडडी लैबोरेटरी, अकादमिक एवं आरएंडडी संस्थानों के साथ मिलकर मॉयल ने आधुनिक प्रौद्योगिकी आरंभ करते हुए खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने हेतु आरएंडडी गतिविधियां की हैं। प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- गमगांव खान के भूमिगत खंडों के सामने की वेंटिलेशन और उत्पादकता सुधारने के लिए गहरे स्तरों हेतु वेंटिलेशन पुनर्निर्माण अध्ययन।
- उत्थनन के लिए खनन योग्य भंडार बढ़ाने के उद्देश्य से परिवर्तित स्टोप डिज़ाइन।
- उक्वा खान में स्टॉपिंग ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम का मशीनीकरण।
- उक्वा खान में हाइड्रोलिक स्टोइंग ऑपरेशन के लिए मलांजखाड़ कॉपर परियोजनाओं की मिल टेलिंग।
- स्लोप निगरानी उपकरणों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के साथ स्लोप स्थिरीकरण हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम।

पेटेंट के लिए आवेदन: 2

आरएंडडी पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी पर खर्च	कारोबार का %
2014–15	6.00	0.72
2015–16	7.33	1.16
2016–17	4.68	0.47
2017–18	9.64	0.75
2018–19*	9.34	0.65

* अनंतिम

9.3.6 केआईओसीएल लिमिटेड

- बैनिफिसिएशन प्लांट में ग्राइंडिंग प्रोसेस सर्किट का आधुनिकीकरण
- क्लच सिस्टम का फ्लूड कॉपलिंग्स से प्रतिस्थापन
- पैलेटीकरण प्रक्रिया के लिए बैंटोनाइट के साथ ऑर्गेनिक ब्लाइंडर का उपयोग
- सीबी-86 सी कंवेयर के लिए फैब्रिक बेल्ट के बदले स्टील कॉर्ड बेल्ट का उपयोग

9.3.7 टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल), जमशेदपुर

टाटा स्टील लिमिटेड के पास जमशेदपुर में अपना खुद का आरएंडडी केन्द्र है और यह लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे कच्चा माल सहित लौह एवं इस्पात से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान कार्य कर रहा है।

नए उत्पाद का विकास

- नए उत्पाद का विकास (वित्तीय वर्ष 2018): बहुत अच्छे गुणों के साथ नॉन-सॉर अनुप्रयोगों के लिए एपीआई एक्स -80 और सॉर अनुप्रयोगों के लिए एपीआई एक्स -65 के पायलट स्केल पर अनुसंधान एवं विकास का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।
- लेज़र मेटल डिपोज़िशन का उपयोग करके साउंड एसएस316एल ब्लॉक्स का निर्माण: एलएमडी के माध्यम से एसएस316एल भागों के निर्माण के लिए सफलतापूर्वक एक विधि विकसित की गई है और रोल्ड एसएस 316 एल प्लेटों से तुलना करने वाले यांत्रिक गुणों के साथ साउंड एसएस टेस्ट ब्लॉक बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया।
- 780 से अधिक एमपीए टेंसिल स्ट्रेंथ के साथ हॉट रोल्ड ऊर्ध्व फेज स्टील (एचआरडीपी) : पायलट स्तर पर स्केल रोलिंग के माध्यम से 5 मिमी. मोटी हॉट रोल्ड शीट का उत्पादन किया गया। बेहतर वाईएस/टीएस अनुपात के साथ टेंसिल स्ट्रेंथ (टीएस), इल्ड स्ट्रेंथ (वाईएस) सहित आवश्यक मैकेनिकल गुण प्राप्त किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

प्रक्रिया प्रौद्योगिकी की मुख्य बातें

- पर्यावरण के मुद्दों में सुधार करने के लिए एलएफ स्लैग में धूल के निर्माण की रोकथाम: एलएफ में अलग-अलग एडिटिव्स को जोड़ने से स्लैग डस्ट के निर्माण को रोकने में मदद मिली, जो पर्यावरण चिंता का विषय है। यह परिणाम भू-पर्षटी पर स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों के अलावा प्राप्त किए गए।
- ब्लास्ट फर्नेस में आयन कॉम्प्लेक्स द्वारा साइनाइड हटाने की प्रक्रिया का कार्यान्वयन: परिणाम से पता चला है कि इनलेट की तुलना में 80 प्रतिशत साइनाइड हटाया गया।
- लौह अयस्क के प्रवाह में सुधार के लिए ड्राई प्रोसेसिंग प्लांट में "सुपर ऑब्जर्वेट पॉलिमर आधारित प्रवाह सहायता" का उपयोग: परीक्षण अवधि के दौरान संयंत्र थ्रूपुट में औसत वृद्धि 5500 टन प्रति दिन थी। इसके बाद प्रति घंटे औसत थ्रूपुट दर के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला कि संयंत्र 1000 टन प्रति घंटे की थ्रूपुट दर को प्राप्त कर सकता है, जो मानसून की अवधि में लगभग 30 प्रतिशत अधिक थी।

वित्तीय वर्ष	टर्नओवर के % के तौर पर आरएंडडी पर खर्च	आरएंडडी पर खर्च (करोड़ रुपए में)	आवेदन किए गए पेटेंट की संख्या	स्वीकृत पेटेंट की संख्या	अनुसंधान संस्थाओं के साथ साझीदारी की संख्या
2014-15	0.32	134	57	36	23
2015-16	0.34	129	71	32	32
2016-17	0.27	145	78	42	42
2017-18	0.30	182	94	58	34
2018-19	0.30*	208*	107	72	40

* अनंतिम

9.3.8 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

विजयनगर वकर्स

- 31 मार्च 2019 तक कुल 25 परियोजनाएं (प्रक्रिया, ऊर्जा और उत्पाद अनुकूलन से संबंधित परियोजनाएं) पूरी हो चुकी हैं।
- 31 मार्च 2019 तक कुल 7 आरएंडडी विकास कार्यान्वित किए गए हैं और उनका व्यवसायीकरण किया गया है। इससे 14.58 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत है।
- 31 मार्च 2018 तक शैक्षणिक संस्थानों (आईआईटी रुड़की और आईआईटी केजीपी, एनआईटीके-सुरथकल) और बीएसफ जर्मनी आरएंडडी के साथ कुल 3 सहयोगी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

आरएंडडी पर खर्च

वर्ष	वार्षिक कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी पर निवेश (करोड़ रुपये में)	वार्षिक कारोबार के प्रतिशत के रूप में आरएंडडी निवेश
2014-15	31430	17.44	0.055
2015-16	27818	8.06	0.029
2016-17	35299	19.30	0.055
2017-18	44057	32.00	0.073

पेटेंट

वर्ष	वर्ष के दौरान पेटेंट के लिए आवेदन की संख्या	वर्ष के दौरान स्वीकृत पेटेंट की संख्या
2014-15	7	0
2015-16	19	4
2016-17	11	1
2017-18	11	4
2018-19	11	2



डोल्वी वक्स

- वर्ष 2018–19 के दौरान प्रक्रिया सुधार, ऊर्जा बचत एवं उत्पाद सुधार के लिए कुल 6 आरएंडडी परियोजनाओं को पूरा किया गया है।
- वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआईआर–सीबीआर रूड़की, सीएसआईआर–आईएमएमटी भुवनेश्वर और सीएसआईआर–एनईईआरआई मुंबई के साथ कुल 3 सहयोगी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

आरएंडडी खर्च

वर्ष	वार्षिक कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी पर निवेश (करोड़ रुपये में)	वार्षिक कारोबार के प्रतिशत के रूप में आरएंडडी निवेश
2014–15	10404.37	1.44	0.014
2015–16	6190.00	1.97	0.031
2016–17	14562.00	2.23	0.017
2017–18	16401.53	6.70	0.040

पेटेंट

वर्ष	वर्ष के दौरान पेटेंट के लिए आवेदन की संख्या	वर्ष के दौरान स्वीकृत पेटेंट की संख्या
2014–15	1	0
2015–16	1	1
2016–17	5	0
2017–18	5	1
2018–19	6	0

सेलम वक्स

- प्रक्रिया सुधार, ऊर्जा एवं उत्पाद सुधार से संबंधित कुल 6 परियोजनाओं को पूरा किया गया है।
- शैक्षणिक संस्थाओं के साथ दो सहयोगी परियोजना शुरू की गई हैं।

आरएंडडी खर्च

वर्ष	वार्षिक कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी पर निवेश (करोड़ रुपये में)	वार्षिक कारोबार के प्रतिशत के रूप में आरएंडडी निवेश
2014–15	3423.34	2.85	0.083
2015–16	2661.41	3.20	0.120
2016–17	3240.42	3.75	0.115
2017–18	3604.00	4.56	0.126

पेटेंट

वर्ष	वर्ष के दौरान पेटेंट के लिए आवेदन की संख्या	वर्ष के दौरान स्वीकृत पेटेंट की संख्या
2014–15	1	0
2015–16	0	0
2016–17	0	0
2017–18	0	0
2018–19	1	1

9.3.9 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जे.एस.पी.एल)

आरएंडडी पहल

- सेमिस का विकास: 60एसआई7, 56एसआईसीआर7, 28एमएनबी5, 18एमएनएनबी6, एस48सी (एम), टी11, 1080सीआर, ईएन18एस
- नए सेक्शन का विकास: एमएलएसएम:यूसी 203 एंड यूसी 305
- ब्लास्ट फर्नेस के लिए आयरन बीयरिंग ब्रिक्स का विकास

9.3.10 टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (टीएसबीएसएल)

उच्च कार्बन, 75 एनआई8, 75 सीआर1 को कम करने और 50 सीआर वी4 स्टील ग्रेड यानी कोल्ड रोलिंग और हीट ट्रीटमेंट के बाद उत्पाद के अंतिम अनुप्रयोग के लिए टीएसबीएसएल ने आईआईटी मुंबई के साथ करार किया।

आरएंडडी पहल

- डीडब्ल्यूटी परीक्षण में 100 प्रतिशत शेयर क्षेत्र के साथ तेल और गैस परिवहन के लिए 12.70x1450 मिमी. में एपीआई 5एलएक्स-70 ग्रेड विकसित किया गया। यह तेल और गैस कंपनियों से एक्स-70 ग्रेड के अनुमोदन में मदद करेगा।
- 29 डिग्री पर डीडब्ल्यूटीटी की सख्त आवश्यकता के साथ तेल एवं गैस परिवहन के लिए 9.70x1030 मिमी. में एपीआई 5एल एक्स-60 एम पीएसएल 2 ग्रेड का विकास किया गया।
- प्रेसिसन ट्यूब के लिए एसएई 1541 ग्रेड विकसित किया गया
- प्रेसिसन ट्यूबों के लिए एसएई 1536 ग्रेड विकसित किया गया
- 7.5 मिमी. की मोटाई वाले खोखले आयताकार पाइप के लिए आईएस 10748 जीआर -6 का विकास किया गया।
- पाइप एंड ट्यूब (एमएस:1768:2004) और स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड (एमएस ईएन 10025-2:2011) के लिए एसआईआरआईएम उत्पाद लाइसेंस की स्वीकृति प्राप्त हुई।

9.3.11 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की गुजरात स्थित हजीरा, सूरत की फैक्ट्री परिसर में आरएंडडी यूनिट स्थापित है।

आरएंडडी पहल

- इस्पात मिल के लोहे के कणों वाली धूल और खतरनाक गाद के उपयोग के लिए 700 टीपीडी माइक्रो पैलेटीकरण सुविधा स्थापित की गई। माइक्रो पैलेट को सिन्टर प्लांट में डाला जाता है, जो कुल सिंटर ग्रीन मिक्स में 10-12 प्रतिशत खरीदे गए लौह अयस्क की जगह लेता है
- पीडब्ल्यूएचटी स्थिति के साथ 90-95 मिमी. से अधिक मोटाई वाले प्रेशर वेसेल क्वालिटी पैलेट का विकास
- भारतीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एमआईएल-डीएलटी-12560जे (एमआर) के अनुसार घरेलू आर्मर पैलेट का विकास
- क्यू एंड टी उत्पाद में 537 सीएल2 जैसे भारी पैलेट का विकास (>90-95 मिमी से अधिक मोटा)
- कम मोटाई (1.6 मिमी / 1.8 मिमी)-20 एमएनबी5 / 22एमएनबी5 में हॉट स्टैपिंग के लिए बोरान स्टील का विकास
- ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग के लिए लोअर गेज <2.50एमएम में टीएस>590एमपीए के साथ उच्च शक्ति वाले स्टील का विकास
- उच्च शक्ति वाले वायुमंडलीय संक्षारण प्रतिरोधी स्टील (ए709 एचपीएस70डब्ल्यू) का विकास
- ऑटो अनुप्रयोग के लिए 50सीआरवी4 ग्रेड का विकास (यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए सिंप्रेस और क्लच प्लेट)
- कोरेक्स मेल्टर गैसीफायर की मॉडलिंग (आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से)
- लैडल सुपरहीट की संभावना को देखते हुए लैडल के लिए सीएफडी मॉडल का विकास



9.3.12 जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड (जेएसएचएल)

विकसित किए गए नए ग्रेड्स

- स्ट्रिप क्लैडिंग अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उच्च फेराइट सामग्री के साथ ऑस्ट्रेनिटिक स्टेनलेस स्टील ईक्यू309एल एवं ईक्यू309एलएनबी।
- दर्घण पॉलिशिंग अनुप्रयोगों के लिए ऑस्ट्रेनिटिक स्टेनलेस स्टील।
- बैलिस्टिक अनुप्रयोग के लिए उच्च नाइट्रोजन स्टेनलेस स्टील 18सीआर22एनएन0.65एन।
- मोटर वाहन अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध के साथ रिथर फेरिटिक स्टेनलेस स्टील ग्रेड 444 एवं 432
- कॉपर रिफाइनरी के लिए सीआरएपी में लीन डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ग्रेड यूएनएस 32101
- पेपर और पल्प इंडस्ट्री के लिए सीआरएपी कंडीशन में लीन डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ग्रेड यूएनएस 32304
- उच्च शक्ति, कठोरता और वेल्डिंग योग्य दक्षता के साथ 5सीडीवी6 विमान सामग्री।
- 1200 मिमी चौड़ाई में रोल बॉन्डेड स्टेनलेस क्लैड स्टील प्लेट (एमएस + एसएस)।
- नायबियम स्टैबलाइज्ड हाई क्रोमियम ग्रेड 445। निकल मुक्त फेरिटिक मिश्र धातु 18सीआर-8एनआई ऑस्ट्रेनिटिक स्टेनलेस स्टील के वायुमंडलीय संक्षारण प्रतिरोध से मेल खाता है।

आरएंडडी पर खर्च

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च का % (कारोबार के संदर्भ में)
2015–16	7,091.04	1.54	0.02%
2016–17	7,575.55	4.26	0.06%
2017–18	9,450.23	7.92	0.08%

9.3.13 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल), जाजपुर

विकसित किए गए स्टेनलेस स्टील ग्रेड:

वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (अब तक)
200 सीरीज	2	.	.	2
300 सीरीज	2	2	4	6
400 सीरीज	4	2	2	1
डुप्लेक्स	—	2	—	—
कुल	8	6	6	9

आरएंडडी पर खर्च

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च का % (कारोबार के संदर्भ में)
2015–16	7028.24	1.4	0.020%
2016–17	8957.4	1.4	0.016%
2017–18	10963.67	1.45	0.013%

अध्याय-X

इस्पात एवं इसका उपयोग—क्षेत्र और नए उत्पाद

10.1 सड़कों इस्पात क्रैश बैरियर्स एवं लगातार बढ़ते कंक्रीट फुटपाथ (सीआरसीपी) में इस्पात का उपयोग

10.1.1 इस्पात क्रैश बैरियर्स

सुरक्षा बैरियर्स क्या हैं?

सड़क किनारे सुरक्षा बैरियर्स	मध्य सुरक्षा बैरियर्स
तटबंधों पर वाहनों को रोकना एवं सड़क किनारे के बैरियर्स से सुरक्षा	तीखे घुमावों पर वाहनों को अचानक मुड़ने से रोकना

{आईआरसी—एसपी: 84—2014 सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से चार लेन के राजमार्गों के लिए विनिर्देश एवं मानक का मैनुअल}

सड़क किनारे सुरक्षा बैरियर्स

निम्न जगहों पर प्रदान किए जाते हैं:

- 3 मीटर या उससे अधिक के सभी तटबंधों पर
- पारगमन के साथ 450 मीटर त्रिज्या वाले सभी घुमावों और इसके 20 मीटर आगे और पीछे
- जहां भी स्थायी बैरियर्स हों हटाए नहीं जा सकते हैं



सड़क किनारे के सामान्य बैरियर्स

- पुल का तटबंध, सड़क किनारे की सीमा एवं रेलिंग, सड़क किनारे की चट्टानें, पुलिया, पाइप एवं हेडवॉल्स, कटाव वाले ढलान, दीवारों को बनाए रखना, बिजली के खंभे, यातायात सिग्नल, पेड़ और उपयोगी खंभे

मध्य सुरक्षा बैरियर्स

निम्न जगहों पर लगाए जाते हैं:

- संकीर्ण मध्य: अनियंत्रित वाहनों के संकीर्ण मध्य को तोड़ने से गाड़ियां टकरा जाती हैं।
- संकीर्ण मध्य पर किसी वस्तु को स्थाई रूप से रखना

क्रैश बैरियर्स के प्रकार

अर्ध कठोर	कठोर	लचीला
क) डब्ल्यू-बीम की तरह का इस्पात बैरियर्स ख) थ्री बीम की तरह इस्पात बैरियर्स ग) संशोधित थ्री बीम की तरह इस्पात बैरियर्स	कंक्रीट का क्रैश बैरियर्स	तारों की रस्सी की बाड़



विभिन्न प्रकार के क्रैश बैरियर्स – तुलना

आरसीसी (कठोर प्रकार)	इस्पात (अर्ध कठोर प्रकार)	तार (लचीला प्रकार)
टक्कर से नुकसान नहीं	हल्की फुल्की टक्कर के बाद फिर से काम में लाए जाने के लायक	कोई नुकसान नहीं
कोई रखरखाव नहीं	लगातार रखरखाव की जरूरत	न्यूनतम खर्च के साथ न्यूनतम रखरखाव
प्रारंभिक कीमत बहुत अधिक	मध्यम प्रारंभिक लागत	लगाने में जटिलता के साथ मध्यम लागत
सुरक्षा बैरियर्स से थोड़ा दूर रहने के लिए वाहन चालकों का मनोवैज्ञानिक संकोच	बहुत अधिक	मध्यम
पुल/आरओबी पर लगाया जाना और महत्वपूर्ण सामानों की सुरक्षा	राजमार्ग के साथ (प्रमुख और छोटे पुलों पर नहीं)	राजमार्ग के साथ (प्रमुख और छोटे पुलों पर नहीं)



इस्पात क्रैश अवरोध

वर्तमान कोड प्रावधान

- क्रैश बैरियर्स की जरूरत के लिए मध्य की न्यूनतम चौड़ाई पर कोड (आईआरसी एसपी 84) मौन है।
- हालांकि, यह कोड सड़क किनारे के बैरियर्स के स्थान पर अत्यधिक विशिष्ट होता है।

यूके कोड में प्रावधान

दोहरी कैरिज वे सड़कों पर जिसकी केंद्रीय रिजर्व (मध्य) की चौड़ाई कैरिज वे सड़क निशान (या बिना निशान वाले किनारे) वाले विपरीत किनारों के बीच 10 मीटर या उससे कम मापी गई हो, पर सुरक्षा बैरियर्स प्रदान किया जाता है। जहां पर केंद्रीय रिजर्व की चौड़ाई 10 मीटर से अधिक होती है, वहां आवश्यक तौर पर डिजायन संगठन को सुरक्षा बैरियर्स के आकलन की आवश्यकता होती है।

(टीडी 19/16 अध्याय 3, भाग 8, खंड 2, संभाग 2 के खंड 3.57— स्थाई सुरक्षा बैरियर्स के प्रावधान के लिए मानदंड और मार्गदर्शन)

सिफारिशें

- सभी विकसित देशों में अभ्यास के तौर पर मध्य/केंद्रीय रिजर्व के साथ इस्पात क्रैश सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- राजमार्गों पर रफ्तार की सीमा के बढ़ने के साथ मध्य बैरियर्स की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है।
- आईआरसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों को शामिल किया जाएगा।
- घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी पहाड़ी सड़कों के साथ स्टील क्रैश बैरियर (उपयुक्त प्रकार) की तैनाती।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

10.1.2 कंक्रीट फुटपाथों को सतत सुदृढ़ बनाना

सड़कों का महत्व गांवों और शहरों के बीच संपर्क बहाल करने से कहीं अधिक है। यह वाणिज्य, व्यापार और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमेशा कहा जाता है कि देश अपनी सड़क की कीमत चुकाता है, चाहे सड़क हो या नहीं। संसाधनों की कमी और फंड की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के विकास के लिए लचीले या कठोर फुटपाथ का विकल्प एक महत्वपूर्ण कारक होता है।

राजमार्गों को कंक्रीट का होना चाहिए क्योंकि:

- टिकाऊ – 30 साल से अधिक का जीवन
- समय के साथ कंक्रीट और कठोर होता है एवं मजबूती प्राप्त करता है
- कंक्रीट फुटपाथ अनुमानित समय और ट्रैफिक लोड से ज्यादा समय तक बना रहता है।
- इसमें आवश्यक सभी सामग्री देश में उपलब्ध है
- यह बिटुमिन से बने फुटपाथों की अपेक्षा 10–20 प्रतिशत अधिक ईंधन की बचत करता है।
- रखरखाव और ईंधन बचत में कमी के कारण जीवन चक्र लागत (एलसीसी) बहुत कम होती है
- चिकनी कंक्रीट सतह के कारण वाहन परिचालन लागत (वीओसी) बहुत कम हो जाती है

कंक्रीट सड़कों के प्रकार

- सतह से जुड़ा हुआ कंक्रीट फर्श(जेपीसीपी)
 - ❖ नहीं जोड़े जाने वाले स्लैब के लिए ट्रांसवर्स ज्वाइंट स्पेसिंग 4 मी. से 5 मी. तक की होती है और दरार को नियंत्रित करने के लिए जोड़े जाने वाले कंक्रीट स्लैब को 15 मी. तक बढ़ाया जा सकता है।
 - ❖ जोड़ों का समय—समय पर रख—रखाव जरूरी है। एलसीसी बिटुमिन सड़क की अपेक्षा कम होती है।
- लगातार जोड़ा जाने वाला कंक्रीट फर्श (सीआरसीपी)
 - ❖ यह बिना जोड़ों वाला कंक्रीट फर्श होता है, जो दरारों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त तौर पर जोड़ा जाता है, जिसे पुल की सीमा जैसे टर्मिनल के अंतिम छोर को छोड़कर किसी भी लंबाई तक खींचा जा सकता है।
 - ❖ लंबवत जोड़ों और टर्मिनल के जोड़ों को छोड़कर रखरखाव वस्तुतः समाप्त है।

सीआरसीपी में निम्न लाभों के साथ—साथ जेपीसीपी के सभी गुण हैं:

- वाहन चलाने के लिए बिना जोड़ों वाली चिकनी सतह
- जेपीसीपी की तुलना में भी इसका दीर्घकालिक समग्र मूल्य न्यूनतम एलसीसी है।
- इसमें मरम्मत की बहुत कम जरूरत होती है और वाहन चालकों और कामगारों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा भी कम होता है क्योंकि इसके लिए देखभाल की न्यूनतम आवश्यकता होती है।
- इसका निर्माण पर्यावरण अनुकूल होता है।

सुदृढ़ीकरण का कार्य

- दरारों को मजबूती से पकड़ता है
- दरारों पर पड़ने वाले भार को स्थानांतरित करता है
- अंतिम क्षण को नियंत्रित कर कठोरता प्रदान करता है।
- फुटपाथ की मजबूती को बढ़ाता है।

सुदृढ़ीकरण सीआरसीपी की संपत्ति है

- सुदृढ़ीकरण कंक्रीट उत्पादों की उत्कृष्टता को बेहतर करता है
- इस्पात सुदृढ़ीकरण, दरार पड़ने की दर को कम करता है और इससे फर्श की उम्र बढ़ती है।
- इस्पात सुदृढ़ीकरण के प्रावधान से प्रभावशाली स्लैब का घनत्व बढ़ता है।
- अच्छी तरह से बना हुआ सुदृढ़ स्लैब अच्छी तरह से बने हुये सादे कंक्रीट स्लैब को मात देता है।



सीआरसीपी की मोटाई

- अमेरिका की फेडरल हाइवे अथॉरिटी द्वारा किया गया दीर्घावधि फुटपाथ निष्पादन (1991 सर्वाइवल विश्लेषण) अध्ययन यह इंगित करता है कि:
 - ❖ ईएसएएल (समकक्ष स्थिर अक्षीय भार) के संदर्भ में 10" जेआरसीपी और 8" सीआरसीपी का प्रदर्शन करीब-करीब समान था।
 - ❖ 10" सीआरसीपी वास्तव में 10" जेआरसीपी (स्क्रीन रिइंफोर्समेंट के साथ) की तुलना में 2.1 गुना ज्यादा ईएसएएल वहन करता है।
- सीआरसीपी का भार स्थानांतरण गुणांक जे (जोड़ों और दरारों पर से भार स्थानांतरित करने की कंक्रीट फर्श संरचना की क्षमता) जेपीसीपी की तुलना में अधिक अनुकूल होती है। इस तरह जेपीसीपी की तुलना में सीआरसीपी में कंक्रीट रॉलैब की मोटाई कम रखने की जरूरत होती है।

सीआरसीपी का प्रदर्शन

- लंबे समय तक रखरखाव से मुक्त होने और सामान्य लचीला और सादे कंक्रीट फर्शों की मरम्मत की आवश्यकता नहीं होने और उसकी जीवन चक्र लागत (एलसीसी) कम होने के फायदों के कारण सीआरसीपी विदेशों और विशेषकर यूएसए और यूरोप में सामान्य तौर पर उपयोग में लाया जाता है।
 - ❖ अंतरराज्यीय व्यवस्था में 85 प्रतिशत कंक्रीट फर्श सीआरसीपी में हैं।
 - ❖ 55 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक और द्वितीयक व्यवस्था भी सीआरसीपी में हैं।
- उत्तरी अमेरिका में काम में लाए गए फर्शों पर 20 साल का अध्ययन, लंबी अवधि के फुटपाथ प्रदर्शन कार्यक्रम ने यह दिखाया है कि सीआरसीपी की वास्तविक, आरामदायक तरीके से वाहन चलाने योग्य सतह के लिए लंबे समय तक रखरखाव की जरूरत नहीं होती है और यह वाहन चालकों के लिए बहुत आरामदायक होता है।

सीआरसीपी के साथ सुरक्षित परिवहन

सर्वश्रेष्ठ दृश्यता – कंक्रीट प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण दृश्यता बढ़ती है और स्ट्रीट लाइटिंग की लागत कम होती है। गर्मी के दिनों में नम रास्ते पर गाड़ी चलाना मुश्किल होता है क्योंकि बिटुमिन गाड़ी के टायर में चिपकता है। मुलायम रास्ते पर चमक के कारण दृश्यता भी प्रभावित होती है।

फुहार को कम करना – कंक्रीट पर कभी पहिए की लकीर नहीं बनती है। इसमें लकीर में पानी जम जाने का खतरा नहीं होता है।

टायर की बेहतर पकड़ और दुर्घटना में कमी – कंक्रीट रास्तों को बनाते समय ही टायर की अच्छी पकड़ और दुर्घटना को कम करने के लिए आसानी से धिसा जाता है। मानसिक परेशानियों को कम करके इसपर आसानी से वाहन चलाया जा सकता है और यह वाहन चलाने की गुणवत्ता में भी सुधार करता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए चिकनापन एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है – चिकना रास्ता परिवहन के लिए सुरक्षित और अधिक आरामदायक सतह बनाता है।

उपयुक्त है – पहाड़ी क्षेत्र, उच्च वर्षा के क्षेत्र और कम रखरखाव

10.2 सड़क और फुटपाथों में स्लग का उपयोग

लौह एवं इस्पात उद्योगों से पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट

लौह एवं इस्पात किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रेरक ताकत हैं और इसलिए लौह एवं इस्पात उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट उत्पादों और विशेषकर ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। वार्तमान में भारत में कच्चे माल की खराब गुणवत्ता के कारण प्रति टन इस्पात उत्पादन में 1.2 टन अपशिष्ट निकलता है जबकि विदेशों में यह प्रति टन 0.55 टन होता है।



वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

लौह एवं इस्पात उद्योगों से पैदा होने वाला ठोस अपशिष्ट

महत्वपूर्ण स्रोत	ठोस अपशिष्ट
ब्लास्ट फर्नेस	स्लैग
स्टील मेल्टिंग शॉप	स्लैग (बीओएफ) रिफ्रैक्ट्री, स्लज
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	स्लैग (ईएएफ), डस्ट, रिफ्रैक्ट्री
इंडक्शन फर्नेस	स्लग, डस्ट, स्लज, रिफ्रैक्ट्री
कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट	फ्लाई ऐश
लौह अयस्क खदान	लौह अयस्क अपशिष्ट
कोक ओवन	कोक डस्ट, कोक स्लज
रोलिंग मिल	मिल्स स्केल

इन अपशिष्टों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) स्लैग और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) स्लैग की है। भारत में इस्पात कंपनियों में पैदा होने वाले कुल ठोस अपशिष्टों का करीब 63 प्रतिशत खुली जगहों पर फेंका जाता है, जो अपनी खतरनाक प्रकृति के कारण पर्यावरण के लिए समस्या पैदा करता है। अपशिष्टों को एकत्र करना, उसका परिवहन करना और फिर उसकी ढुलाई करना काफी महंगा पड़ता है और इसके लिए बड़ी भूमि की जरूरत होती है।

लौह एवं इस्पात उद्योगों से निकलने वाले ठोस अपशिष्टों के कारण स्वास्थ्य संबंधी संभावित खतरों के अलावा इससे वनस्पतियों को नुकसान, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी परेशानियां होती हैं। प्रत्येक एकीकृत इस्पात कंपनी के पास अपना कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट है, जो फ्लाई ऐश, व अन्य दूसरे खतरनाक धूल जैसे उप-उत्पाद पैदा करता है। अगर इन ठोस अपशिष्टों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो इससे बहुत बड़ा राजस्व घाटा, पर्यावरणीय नुकसान और पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा।

दानेदार बीएफ स्लैग का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जा सकता है और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद ग्राउंड ग्रेनोलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग (जीबीएफएस) का उपयोग कंक्रीट उत्पादन के लिए खनिज योजक के तौर पर किया जा सकता है, जो सीमेंट का विकल्प बन सकता है। निर्माण कार्यों के लिए जियो-पॉलिमर में जीबीएफएस के उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अपने कठोर गुणों के कारण बीओएफ सड़क की आधार और उप-आधार परत के लिए उपयुक्त सामग्री है। बीओएफ स्लैग के खनिज विज्ञान एवं इसके भौतिक गुणों के ऊपर हुआ अनुसंधान यह दिखाता है कि यह सड़क बनाने के लिए एक बेहतरीन पत्थर बन सकता है। कई कामों और सार्वजनिक सड़कों के निर्माण में विभिन्न अवधि के बीओएफ स्लैग का उपयोग किया गया है। जापान का निष्पन स्लैग संगठन बंदरगाहों के निर्माण में कंवर्टर स्लैग के उपयोग और ईएएफ ऑक्सीडाइजिंग स्लैग का उपयोग कंक्रीट सामग्रियों के निर्माण में किए जाने को लेकर अनुसंधान कर रहा है।




इस्पात स्लैग और अनुप्रयोग क्षेत्र

बीएफ स्लैग के प्रकार	विशेषताएं	अनुप्रयोग
एयर-कूल्ड बीएफ स्लैग	<ul style="list-style-type: none"> * हाइड्रॉलिक गुण * क्षारीय प्रतिक्रिया नहीं * फाइबर स्वरूप में बनाए जाने के ताप रोधन एवं ध्वनि अवशोषण प्रभाव * सेरेमिक बॉडी फार्मूलेशन (एसआईओ2, एएल2ओ3, सीएओ, एमजीओ) के लिए उपयुक्त ऑक्साइड अवयव 	<ul style="list-style-type: none"> * सड़क के आधार के लिए खुरदरा सामग्री * कंक्रीट के लिए खुरदरा समूह * रॉक वूल के लिए कच्चा माल
दानेदार बीएफ स्लैग	<ul style="list-style-type: none"> * पीसने पर बहुत अधिक अंतर्निहित हाइड्रॉलिक गुण * कम एनए2ओ, के2ओ * अंतर्निहित हायड्रॉलिक गुण, हल्का वजन, आंतरिक घर्षण का बड़ा कोण, अत्यधिक जल पारगम्यता आदि 	<ul style="list-style-type: none"> * पोर्टलैंड बीएफ स्लैग सीमेंट के लिए कच्चा माल, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए मिलाने वाली सामग्री, कंक्रीट मिश्रण * सीमेंट किलंकर के लिए कच्चा माल (चिकनी मिट्टी के बदले) * सिविल इंजीनियरिंग कार्य के लिए सामग्री, भू-सुधार सामग्री (लैक फिल, अर्थ कवर, रोड सब ग्रेड)
बीओएएफ और ईएएफ स्लैग	<ul style="list-style-type: none"> * कठोर, घिसाव रोधी * हाइड्रॉलिक गुण * आंतरिक घर्षण का बड़ा कोण * एफईओ, सीएओ, एसआईओ2 अवयव * उर्वरक अवयव 	<ul style="list-style-type: none"> * अस्फाट कंक्रीट के लिए समग्र * आधार निर्माण सामग्री * बालू संघनन खंभों के लिए सामग्री * सीमेंट किलंकर के लिए कच्चा माल * उर्वरक और भू-सुधार
एलडी स्लैग	<ul style="list-style-type: none"> * सर्वश्रेष्ठ घिसाव रोधी * चिपकने में बेहतर * बेहतरीन स्थायित्व एवं घिसाव को कम करने वाला 	<ul style="list-style-type: none"> * कंक्रीट और अस्फाल्ट समग्र * सड़क आधार और उप आधार * मिट्टी स्थिरीकरण

सड़क निर्माण के लिए जोड़ना

इस डायग्राम में तकनीक को दर्शाया गया है, जहां क्रिस्टेलाइन बीएफ स्लैग को तोड़कर, छानकर और पीसकर विभिन्न आकार की श्रेणियों में रखा जाता है और फिर उसका उपयोग सड़क निर्माण और इमारत आदि बनाने के लिए मिलाने वाली सामग्री के तौर पर किया जाता है।



इस्पात स्लैग फुटपाथ संरचना के बाउंड और अनबाउंड दोनों तरह की परतों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। इस्पात स्लैग का उपयोग समग्र रूप से फुटपाथ की बाउंड सतह के स्तर या सड़कों के अनबाउंड उप-आधार या आधार परत के तौर पर भी किया जाता है। लिखित तौर पर कई अध्ययनों में सड़क के आधार और उप-आधार में इस्पात स्लैग के उपयोग के संतोषजनक प्रदर्शन को दिखाया गया है। फिसलन प्रतिरोध की माप फुटपाथ की सतह पर टायर के घुमने के दौरान लगने वाले बल के तौर पर की जाती है। पर्याप्त फिसलन प्रतिरोध सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता

है। इस संदर्भ में इस्पात स्लैग बाउंड डामर अनुप्रयोगों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस्पात स्लैग समग्र कोणीय होता है और सतह पर इसकी बनावट खुरदरी होती है। बीएफ और बीओएफ स्लैग मिश्रण कार्बोनिक और/या हाइड्रॉलिक प्रतिक्रिया से सीमेंट या बिटुमिन जैसे किसी बंधन के बिना भी काफी कठोर होता है। बीएफ और बीओएफ दोनों ही स्लैग यूरोसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में 20 साल से अधिक समय से राजमार्गों और रनवे पर व्यापक तौर पर उपयोग किये जाते हैं।

इस्पात स्लैग के साथ अस्फाल्ट सड़कें (बीओएफ एवं ईएएफ स्लैग)

इस्पात स्लैग एक महंगी सामग्री है, इसलिए जब गर्म डामर वाले फर्श के निर्माण के दौरान मिलाने वाले अच्छे गुणों वाली सामग्री की कमी होती है और अत्यधिक प्रतिरोधात्मक गुण की जरूरत होती है, इस्पात स्लैग का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इस्पात के स्लैग में मुक्त चूना और मैग्नेशिया हो सकता है, जो पानी के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और जिसके कारण स्लैग फैल जाता है। इसे फैलने से रोकने के लिए परंपरागत तौर पर चाहे तो इस्पात स्लैग को तब तक स्टॉकपाइल्स के साथ मिलाया जाता है, जब तक कि इसके फैलने की क्षमता खत्म न हो जाए। इसे जमा करने के लिए अधिकतम समय स्थानीय तापमान, वर्षा और पूरे साल हवा में नमी की संतृप्तता के परिमाण पर निर्भर करता है और इन कारकों के आधार पर इसे 3–12 महीनों तक रखा जा सकता है। अधिकांश राजमार्ग विभाग को इस्पात स्लैग को शुद्ध करने के लिए कम से कम 6 महीने की जरूरत होती है। इस्पात स्लैग को शुद्ध करने के बाद इसका उपयोग बहुमूल्य द्वितीयक संयोजक के तौर पर किया जा सकता है।

10.3 इमारतों में इस्पात का उपयोग

संयुक्त निर्माण

- हाउसिंग का निर्माण मेट्रो शहरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी नहीं है।
- लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से बनाने वाली निर्माण तकनीक की जरूरत है।
- इस्पात/ इस्पात-कंक्रीट संयुक्त निर्माण ही इसका समाधान है।
- यह निर्माण के समय में 25–30 प्रतिशत की बचत करता है।
- इससे उधार की पूंजी का बोझ कम होता है और जल्दी से राजस्व पैदा होना सुनिश्चित हो जाता है।
- अधिक ऊंची इमारतों को भूकंप और आंधी से बचाव की आवश्यकता होती है।
- संयुक्त विकल्प से प्रत्यक्ष तौर पर निर्माण लागत (परंपरागत आरसीसी से करीब 8–10 प्रतिशत), कुल निर्माण लागत, हमेशा के लिए इसकी लागत में कमी के कारण यह सस्ता होता है।

संयुक्त डिजायन अवधारणा

- खींचाव के मामले में कंक्रीट कमजोर होता है लेकिन दबाने की इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है।
- इस्पात अत्यधिक तन्य शक्ति लेने में सक्षम है, जबकि इसे दबाने की क्षमता इसके ज्यामितीय गुणों के कारण सदर्श्यों के वैशिक झुकाव और कभी-कभी अवयवों के स्थानीय झुकाव से अत्यधिक प्रभावित होता है।





- संयुक्त निर्माण में इन दोनों अलग—अलग सामग्रियों को कटे हुए स्टेक्स के माध्यम से उनके अंतरफलक पर कम गहराई में एक साथ बांध दिया जाता है, जिससे इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की लागत में कमी आ जाती है।
- कंक्रीट और इस्पात के थर्मल विस्तार का गुणांक लगभग समान है, तापमान की विविधता के कारण इस भाग में अंतरफलक तनाव को अनुमानित नहीं किया जाता है।

समग्र निर्माण का अनूठा लाभ

- सामग्री का बेहतरीन उपयोग, तथा दबाव में कंक्रीट और खिंचाव में इस्पात
- इस्पात समयपूर्व विफलता के बिना एक नमनीय तरीके से विकृत हो सकता है और फ्रैक्चर से पहले कई लोडिंग चक्रों का सामना कर सकता है। इस्पात की इतनी अधिक लोच से समग्र खंड के बेहतर भूकंपरोधी परिणाम होते हैं।
- इस्पात घटक भूकंप के प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा को सोखने की क्षमता है।
- बड़े स्तंभ मुक्त क्षेत्र को कवर करने की क्षमता। इससे ज्यादा इस्तेमाल की जगह मिल जाती है। साथ ही तेज निर्माण कार्य से निवेश की गई पूँजी में तेजी से लाभ प्राप्त होता है।
- रोल्ड और / या प्री-फेब्रीकेटेड घटकों के द्वारा तेजी से निर्माण। साथ ही तेजी से निर्माण, निवेश की गई पूँजी पर त्वरित वापसी की सुविधा देता है।
- स्टील की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है क्योंकि उसे फैक्ट्री में नियंत्रित वातावरण में निर्मित किया जाता है। आरसीसी विकल्प की तुलना में इस्पात का अधिकतम उपयोग संयुक्त निर्माण में ढांचे के अधिकतम हिस्से के लिए बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- जीव चक्र लागत विश्लेषण के आधार पर किफायती है क्योंकि आमतौर पर इस्पात संरचना आसानी से बनाए रखी जा सकती है और उसके लिए बार-बार मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ती।
- इस्पात ज्यादा टिकाऊ है, अत्यधिक पुनः चक्रित करने योग्य और पर्यावरण हितैषी। इसलिए उसमें अधिक इस्पात का उपयोग करके टिकाऊ संरचना का निर्माण किया जा सकता है।
- विस्तार/लोडिंग निरंतर बनाए रखने के लिए असंयुक्त निर्माण की तुलना में छोटे संरचनात्मक इस्पात वर्गों की जरूरत होती है। इसलिए आरसीसी निर्माण के मुकाबले संयुक्त संरचना के संपूर्ण वजन में कमी से संरचनात्मक और आधार लागत में कमी आती है।
- आरसीसी निर्माण के मुकाबले फॉर्मर्वर्क की लागत कम होती है।
- संचालन और परिवहन की लागत कम हो जाती है क्योंकि संरचना का बड़ा हिस्सा कार्यशाला में बनाया जा सकता है।
- आरसीसी निर्माण की तुलना में इस्पात और इस्पात-कंक्रीट समग्र निर्माण आकस्मिक दुर्घटना के लिए ज्यादा प्रतिरोधी है।
- संयुक्त वर्गों में ज्यादा कठोरता होती है और इसलिए असमग्र इस्पात वर्गों की तुलना में कम विचलन का अनुभव होता है।



भारत में कुछ ऐतिहासिक इस्पात इमारतें

आईसीआईसीआई क्षेत्रीय मुख्यालय, गांधीबाबाद, हैदराबाद

- 4 लाख वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र
- कुल माले—3बी + 4 पोडियम + 12 टिपिकल फ्लोर्स
- टिपिकल ग्रिड 10.9×10.6 मीटर है।
- समग्र कार्बाई के साथ डिजाइन किए गए द्वितीय बीन्स के बीच कॉमलोर 80 से 3.55 मीटर विस्तार सहित डिजायन किए गए डैक स्लैब 170 एमएम— विस्तार 10.9 मीटर।
- संपूर्ण संरचनात्मक गहराई 785 एमएम

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- निर्माणकार्य तेज करने के लिए 8 से 12 मीटर ऊंचाई के स्तंभ हटाए गए।
- करीब 30,000 मिलियन टन संरचनात्मक इस्पात इस भारत में इस्तेमाल हुआ है।

फोर सीज़न्स होटल, वर्ली, मुंबई

- भारत में सबसे ऊंची इमारत
- सर्विस प्लॉर तक संरचनात्मक इस्पात का इस्तेमाल संयुक्त निर्माण का अच्छा उदाहरण है।

शनशाइन टावर, दादर, मुंबई

- ऊंचाई – 175 मीटर
- संयुक्त निर्माण
- कोर्स द्वारा इस्पात आपूर्ति
- पेरिफेरी के साथ स्क्वायर कॉलम— 500 एमएम X 500 एमएम – विशेष रूप से जापान से आयातित
- सादगी और लालित्य की वास्तुकला अभिव्यक्ति
- वायु एवं भूकंपीय बलों के विरुद्ध स्थिरता के लिए डायगनल ब्रेसिंग्स

किंगफिशर टावर्स, बैंगलुरु

- टेरेस स्तर पर पुनः पेश किए गए मूल प्लॉट आयाम
- झुके हुए बॉक्स-टाइप स्टील स्ट्रॉट्स पर समर्थित कैंटिलिवर्ड लैंडस्केप टेरेस
- अधिकतम कार पार्किंग को समायोजित करने के लिए ऊपर फ्लोटिंग कॉलम का समर्थन करने के लिए पोडियम में स्टील गार्डर्स
- एमईपी सेवाएं मध्यवर्ती स्तरों पर मुड़ी हुई हैं

आरसीसी और इस्पात कंक्रीट संयुक्त निर्माण के बीच एक जी+5 मंजिला इमारत (प्लॉट क्षेत्र— 3672 वर्गमीटर) पर एक विशिष्ट जीवन चक्र लागत (एलसीसी) अध्ययन

संदर्भ: आईएस 13174 (भाग 2): 1994

20 वर्ष उपयोगिता काल का आंकलन करते हुए 12% डिस्काउंट फैक्टर के साथ वर्तमान मूल्य (पीडब्ल्यू) पद्धति

(राशि रूपये में)

खंड	मद	आरसीसी इमारत (निर्माण अवधि 18 महीने)		इस्पात युक्त इमारत (निर्माण अवधि 12 महीने)	
		अनुमानित लागत	वर्तमान मूल्य	अनुमानित लागत	वर्तमान मूल्य
I	प्रारंभिक पूंजी लागत	128,002,624	128,002,624	129,133,642	129,133,642
II	उधार ली गई पूंजी पर ब्याज (20 वर्ष का कारक यूपीएफडब्ल्यू 7.4694)	70,349,528	525,468,764	68,259,501	509,857,515
III	वार्षिक किराया आय (20 वर्ष का कारक यूपीएफडब्ल्यू 7.4694)	-360,967	-2,696,210	-364,157	-2,720,033
IV	बचे हुए माल का मूल्य (20 वर्ष का कारक पीफडब्ल्यू 0.1037)	6,400,131	663,694	-5,872,964	-609,026
V	वार्षिक सेवा शुल्क और मरम्मत (20 वर्ष का कारक यूपीएफडब्ल्यू 7.4694)	543,391	4,058,805	129,134	964,551
	कुल		655,497,677		636,626,648

12 प्रतिशत डिस्काउंट फैक्टर के साथ 20 वर्षों के जीवनकाल का अनुमान लगाते हुए वार्षिक लागत (एसी) पद्धति
(राशि रु. में)

खंड	मद	आरसीसी इमारत (निर्माण अवधि 18 महीने)		इस्पात युक्त इमारत (निर्माण अवधि 12 महीने)	
		अनुमानित लागत	वर्तमान मूल्य	अनुमानित लागत	वर्तमान मूल्य
I	प्रारंभिक पूंजी लागत (20 सालों का वार्षिक कारक है 1 / यूपीएफडब्ल्यू 0.1339)	128,002,624	17,139,551	129,133,642	17,290,995
II	उधार ली गई पूंजी पर ब्याज (पीडब्ल्यू तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 20 वर्ष का पीडब्ल्यूएफ और फिर वार्षिक कारक है 1 / यूपीएफडब्ल्यू 0.1339)	70,349,528	5,014,416	68,259,501	4,951,816
III	किराये से आय	-360,967	-360,967	-364,157	-364,157
IV	बचे हुए माल का मूल्य (20 वर्षों का वार्षिक कारक है 1 / यूपीएफडब्ल्यू 0.1339)	6,400,131	88,869	-5,872,964	-81,549
V	वार्षिक सेवा शुल्क और मरम्मत (वार्षिक पुनरावृत्ति इस प्रकार स्थिर है)	543,391	543,391	129,134	129,134
	कुल		22,425,259		21,926,238

स्रोत: एचएससीएल अध्ययन

अनुमान:

- आरसीसी इमारत के लिए प्रारंभिक लागत का अनुमान डीपीएआर 2012 पर आधारित है और यह इस्पात युक्त संरचना के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता और डीपीएआर 2012 से प्राप्त बजट प्रस्ताव पर आधारित है।
- अन्य सभी मूल्य / गुणांक संबंधित आईएस कोड और वर्तमान बाजार स्थितियों के आधार पर उचित रूप से माने जाते हैं/विचार किया जाता है/गणना की जाती है।

इस्पात अत्यधिक कम लागत वाले आवास

- फ्रेमिंग : इस्पात एसएचएस सेक्शंस
पैनल्स : दीवारों और छतों पर 15एमएम मोटे फैरो सीमेंट पैनल।
योजनाएं : प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं में फिट किया जा सकता है।



लागत: मानक फिनिशिस के साथ (सेटिक टैंक/लीच पिट/बायो डाइजेस्टर को छोड़कर) 700 - 750/- रु. प्रति वर्ग फुट

10.4 पुलों में इस्पात का उपयोग

इस्पात के पुलों और सड़क सम्पर्क पुलों का उपयोग/ क्षमता

परिचय

- यह देखा गया है कि कंक्रीट से ढांचों के मुकाबले पुल सहित इस्पात आधारित ढांचे अधिक टिकाऊ होते हैं, हमारे ही देश में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं।
- आईआरसी के प्रावधान के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किए कोई भी पुल, इस्पात या कंक्रीट 120 साल से अधिक टिकाऊ होने की उम्मीद की जाती है।
- उम्मीद के विपरीत, निर्णायक और विशेषज्ञ इस्पात पुलों के अपेक्षित जीवन को लेकर अनजान रहते हैं।
- पीएससी या आरसीसी पुल (रेलवे के लिए और साथ ही शहरी पुलों और आरओबी में सड़क पुलों के लिए) विफल और मुश्किल में डालने वाला प्रदर्शन किया है, जबकि आवश्यक रखरखाव के साथ इस्पात पुल अब भी मजबूत हो रहे हैं।

इस्पात के पुल क्यों

विवरण	पीएससी ढांचा	इस्पात पुल
पूरा होने का समय	निर्माण में वर्ष लगे	कुछ महीनों के अंदर
भूकंपरोधी	डिज़ाइन करने में कठिनाई	उपयुक्त और डिज़ायन करने में आसान
लचीलापन और सटीकता	बड़े विस्तार और जटिल संरचनाएं बना पाने में मुश्किल	डिज़ाइन, निर्माण और खड़ा करने में आसान
फ्लोर कारपेट एरिया	बहुत बड़े स्तंभों के कारण बर्बादी	पतले स्तंभों के कारण बचत
अचल भार	नींव पर बहुत ज्यादा वजन आता है	कम वजन, बचत (वजन की तुलना में अधिक शक्तिशाली)
समग्र खपत	परिणामस्वरूप स्टोरेज की बड़ी जगह, गंदा परिसर, ठीक करने में पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है	परिणामस्वरूप काम करने में अच्छा वातावरण— ग्रीन बिल्डिंग (कम ऊर्जा खपत, कम शोर)
श्रम	बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है — श्रमिकों के लिए झोपड़ियाँ और अन्य सुविधाएं प्रदान करना जटिल काम है	केवल कुछ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है।

कंक्रीट के मुकाबले इस्पात का लाभ

- दिए गए समय सीमा और भार के लिए अधिसंरचना की गहराई या पुल के गर्डर, कंक्रीट गर्डर की तुलना में इस्पात गर्डर के लिए कम होती है।
- किसी भी वॉटर क्रॉसिंग या सड़क या रेल क्रॉसिंग की न्यूनतम ऊंचाई के लिए पुल का स्तर किसी न्यूनतम उच्च बाढ़ स्तर (एचएफएल) की न्यूनतम ऊंचाई जैसे कुछ मापदंडों के आधार पर इसके किनारे के स्तर के द्वारा निर्धारित होता है और इसलिए गर्डर की कम गहराई का मतलब कार्य स्तर की समाप्ति की कम ऊंचाई होता है।
- रास्तों की कम चौड़ाई और कम ऊंचाई से पूरी प्रणाली की लागत में कमी आती है।
- कंक्रीट के पुल की अपेक्षा इस्पात के पुल का डेड लोड कम होता है:
 - इसमें आकार (थोड़े खंभे), खंभों की लागत और नींव की आवश्यकता कम होती है।
 - पुल पर भूकंप संबंधी प्रभाव कम होता है, जिससे निर्माण में तेजी आती है और भूकंप के दौरान यह अच्छा प्रदर्शन करता है।
- इसे हटाने के लिए बहुत कम क्षमता की क्रेन की जरूरत होती है।
 - इसलिए कम अड़चने
 - निर्माण के समय अधिक सुरक्षा



- व्यापक पूर्वनिर्माण
 - ❖ उच्चतर गुणवत्ता नियंत्रण होता है
 - ❖ बेहतर दीर्घावधि कार्यनिष्ठादान
- स्थल परिचालन को कम करना
 - ❖ फैक्ट्री और कार्यस्थल प्रचालन के बीच बेहतर एवं एकीकृत योजना बनाई जाती है
 - ❖ कार्यस्थल पर जगह की आवश्यकता को कम करना, जिससे निर्माण तेजी से होता है।
 - ❖ कार्यस्थल के पर्यावरण को कम प्रभावित करता है
- पुल में अधिक मज़बूत इस्पात का उपयोग
 - ❖ यह संरचना के डेड लोड और गहराई में कमी लाता है
 - ❖ परिवहन और इसके निर्माण से जुड़े समानों को हटाना आसान बनाता है, जिससे इसकी पूरी लागत में कमी आती है।
- लंबा रंगाई चक्र
 - ❖ लंबे समय तक चलने वाले आधुनिक जंगरोधी पेंट की अच्छी योजना और संसाधन का आवंटन करके इस्पात ढांचे को बेहतर बनाया जा सकता है
- इस्पात संरचना के लिए सतत संरचनात्मक प्रणालियां
 - ❖ निरंतरता बनाए रखना
 - ❖ निर्माण कार्य में लगे लोगों की संख्या को कम करता है
 - ❖ उच्च टिकाऊपन सुनिश्चित करना

इस्पात का टिकाऊपन

- इमारत, पुल, फ्लाइओवर, पाइपलाइन्स आदि के लिए लोकप्रिय निर्माण सामग्री के तौर पर विविध उपयोग
- कम लागत (जीवन चक्र लागत के अनुसार)
- पर्यावरण क्षरण से आसानी से बचाया जा सकता है।
- हरित, सतत, कम पानी की खपत, न्यूनतम यातायात अवरोध
- उच्च प्रदर्शन वाली आधुनिक सुरक्षित कोटिंग उपलब्ध है, जिसका सही तरीके से उपयोग करने, सही समय पर मरम्मत करने से प्रदर्शन में सुधार होता है
- पर्यावरण स्थिति और संरचना की अपेक्षित जीवन के अनुसार पेंट प्रणाली का उपयोग

विभिन्न प्रकार के पुल

- बीम पुल
- कैंटीलीवर पुल
- आर्क पुल
- सस्पेंशन पुल
- केबल स्ट्रे पुल
- ट्रस पुल

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

लंबे समय तक चलने वाले पुलों का उदाहरण

1. बांग्लादेश में पदमा नदी पर हार्डिंग ब्रिज— 100 वर्ष।
 - ❖ वर्ष 2016 में शताब्दी वर्ष का आयोजन
 - ❖ अभी भी 25 वर्ष तक का जीवनकाल
2. रबींद्र सेतु (हावड़ा ब्रिज)— 73 वर्ष।
 - ❖ 1942 / 1943 में उद्घाटन
 - ❖ कोलकाता आने वाले पर्यटकों तक के लिए लैंडमार्क
3. कोलकाता में ब्राबोर्न रोड फ्लाइओवर— 46 वर्ष।
 - ❖ इस ब्रिज का उद्घाटन 1970 में किया गया
 - ❖ प्रतिदिन कोलकाता से हावड़ा जाने वाले यातायात वाहनों का बोझ ढोता है
4. रामेश्वरम में पाम्बन पुल — 102 वर्ष।
 - ❖ विश्व के दूसरे महत्वपूर्ण संक्षारक क्षेत्र में अवस्थित

कुछ अन्य पुल

- बिहार में मोकामा ब्रिज
- गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क-सह— रेल पुल।
- राजामुंद्री में गोदावरी नदी पर सड़क-सह— रेल पुल व अन्य कई पुल।

सड़क फ्लाइओवर

- कोलकाता के अधिकांश शहरी पुलों का निर्माण इस्पात से हुआ है।
- नई दिल्ली में भी इस्पात के पुल का निर्माण शुरू हो गया है

रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी)

- रेलवे ने कानून बनाया है कि जिन आरओबी का निर्माण उसके कार्यक्षेत्र में हो रहा है, वे इस्पात से बनाए जाएंगे।

शहरी फ्लाइओवर और आरओबी के लिए संयुक्त पुल

- विशिष्ट अनुभागीय आकृति—
 - ❖ 20 मीटर-25 मीटर तक के विस्तार के लिए आई-सेक्शन
 - ❖ 30 मीटर से अधिक विस्तार के लिए बॉक्स सेक्शन।
- शहरी क्षेत्र में, फ्लाइओवर्स के लिए ग्रेड विभाजक के तौर पर काम कर रहा है।
 - ❖ बाध्यकारी विस्तार के लिए आई गर्डर की तुलना में बॉक्स गर्डर अधिक उपयुक्त होते हैं
 - ❖ पुल के पाट के लिए रिवर्स सही है

इस्पात कंक्रीट संयुक्त निर्माण के फायदे

- सामग्री का अत्यधिक किफायती उपयोग जैसे दबाव में कंक्रीट और लचीले एवं मोड़ने वाले निर्माणों में इस्पात का उपयोग
- इस्पात सामग्री के मुलायम होने के कारण इसमें भूकंप प्रतिरोधी क्षमता एवं संयुक्त संभाग की क्षमता अधिक होती है।
- संयुक्त संभाग अत्यधिक सख्त होता है और इस तरह असंयुक्त इस्पात संभाग से इसका नीचे की ओर झुकाव कम होता है।
- पूरी तरह से कंक्रीट या असंयुक्त संरचनाओं की तुलना में जीवन चक्र लागत विश्लेषण पर आधारित इस्पात कंक्रीट संयुक्त विकल्प प्रतिस्पर्धी है।

प्लेट गर्डर्स

- मिड-स्पैन क्षेत्र में हल्के सेक्शन का उपयोग करने से 20 मीटर-30 मीटर से अधिक विस्तार (पाट) के लिए किफायती।

बॉक्स गर्डर्स

- ग्रेड विभाजक का बाध्यकारी विस्तार 35-50 मीटर के बीच होता है, इसलिए इस्पात-कंक्रीट संयुक्त बॉक्स गर्डर प्रणाली इस तरह के विस्तार के लिए सबसे अच्छा होता है।
- ये कोलकाता के ग्रेड विभाजकों और पुलों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है और इसका प्रदर्शन पीएससी बॉक्स गर्डर की अपेक्षा बहुत अच्छा पाया गया है।



बॉक्स गर्डर के फायदे

- दिए गए विस्तार के लिए बहुत कम गहराई सुनिश्चित करता है।
- कम गहराई के कारण कम ऊंचा और कम लम्बा पहुंच मार्ग मिल सकेगा और इससे ब्रिज गर्डर की अधिसंरचना के नीचे स्थाई ऊंचाई के लिए पहुंच मार्ग में कम लागत आएगी।
- बेहतर वायुगतिकीय आधार प्रदान करता है।
- गहराई कम होने के कारण हवा के लिए कम सतह प्रदान करता है।
- गर्डर का बंद आकार बेहतर और सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक संरचना प्रदान करता है

एलसीसीए के लिए विचार किए जानने वाले कारक

- डिजाईन
- निर्माण
- रखरखाव
- नष्ट करना
- कंपन: कोलकाता (करीब 15) और दिल्ली (करीब 6) में बनाए गए सभी संयुक्त सड़क पुलों की जांच में पता चला है कि इन पुलों में होने वाली कंपन उपयोगिता सीमा स्थिति के अनुसार निर्देशित सीमा के अंदर है।
- तापमान नियंत्रण: यह धारणा कि इस्पात के पुल ज्यादा गर्म होते हैं और वातावरण में गर्मी का उत्सर्जन करता है, गलत पाई गई है जैसा कि कोलकाता और नई दिल्ली में देखा गया है, जहां दोनों पीएससी के साथ-साथ संयुक्त पुल हैं। आजकल बाजार में उपलब्ध कई तरह के पेंट के जरिए इस्पात को ताप प्रतिरोधक बनाया जाता है।
- रखरखाव: आईएनएसडीएजी द्वारा अपने कई अध्ययनों में विभिन्न जीवनचक्र लागत विश्लेषणों से संकेत मिलता है कि पूरे डिजायन जीवनकाल के लिए इस्पात पुलों की संपूर्ण रखरखाव लागत पीएससी पुलों के मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा इस्पात पुलों का कुल जीवनचक्र कंक्रीट पुलों से बहुत ज्यादा है।

सड़क परियोजनाओं में एलसीसीए तकनीक को अनिवार्य बनाने का प्रयास

- डीपीआर कंसल्टेंट्स द्वारा परियोजना मूल्यांकन के दौरान एलसीसीए तकनीक को शामिल करने के लिए प्रमुख स्टील उत्पादकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आईएनएसडीएजी द्वारा महानिदेशक एमओआरटीएच को प्रेजेंटेशन दी गई। समीक्षा और समावेशन के एमओआरटीएच को आवश्यक एलसीए अध्ययन दिए गए।
- बीआईएस ने एलसीए अध्ययन के लिए आवश्यक मानकों (आईएस 13174 भाग I एवं भाग II) को अद्यतन करने के लिए एमएसडी 4 समिति का पुनर्गठन किया है।

हाई ग्रेड इस्पात का उपयोग

- पुल डिजाईन में हाई ग्रेड इस्पात का इस्तेमाल इस्पात की खपत को बेहद कम कर सकता है।
- सामान्य तौर पर आरडीएसओ/रेलवे द्वारा अनुमोदित पुल (नमूने के माध्यम से सुंयुक्त गर्डर्स और ओपन वेब वेल्ड) केवल ई 250 ग्रेड में डिजाईन किए जाते हैं (यानी न्यूनतम 250 एमपीए प्राप्त ताकत)।
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसीसी) और एनएचएआई के तहत पुल हाई ग्रेड इस्पात से तैयार किये जा रहे हैं।
- ओपन वेब वेल्डेड प्रकार की संरचनाओं में इस्पात की मात्रा को ईष्टतम करने के लिए सभी टेंशन कॉर्डर्स (शीर्ष, नीचे और लंबवत) ई 350 ग्रेड के साथ डिजाइन किये जाते हैं जबकि अन्य ई 250 के साथ डिजाइन किये जाते हैं।
- कुछ पुल पहले ही ई 410 ग्रेड के साथ बनाए गए हैं उदाहरण के लिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल और जम्मू में चिनाब पुल।

लागत प्रभावशीलता सतत संयुक्त पुल (संदर्भ आईएनएसडीएजी प्रकाशन आईएनएस/पीयूबी/081 फरवरी 2006 में प्रकाशित)

- 3 विस्तार निरंतर (30एम – 35एम – 30एम) 3 लेन इस्पात कंक्रीट पुल– 13172 रुपये/वर्ग मीटर की अधिसंरचना के लिए लागत अनुमान
- 5 विस्तार निरंतर सेगमेंटल पीएससी गर्डर – फुटपाथ के बिना 2 लेन डुअल कैरिज वे– का अधिसंरचना लागत अनुमान 1,4947 रुपये/ वर्ग मीटर है।
- इस्पात विकल्प का अधिसंरचना अनुमान 1775/वर्ग मीटर सस्ता है यानी 11.88 प्रतिशत।
- डब्ल्यूपीआई के मुताबिक 2006 से 2019 के दौरान इस्पात की कीमत बढ़ने की दर सीमेंट की कीमत बढ़ने की दर से कम है। इसलिए दिखाया गया लागत लाभ वर्तमान संदर्भ से और अधिक हो सकता है।

अध्याय—XI

इस्पात के प्रयोग का संवर्धन

11.1 घरेलू इस्पात खपत का संवर्धन

यह देखा गया है कि भारत में इस्पात की खपत में वृद्धि अधिकतर शहरी क्षेत्र में हुई है जहां बहुत सी विकास गतिविधियाँ चल रही हैं। दूसरी ओर भारत में कृषि उत्पादन में तेज बढ़ोतरी और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता के विकास के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत अधिक नहीं रही है। इस्पात विकास एवं वृद्धि संस्थान (आईएनएसडीएजी) ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत को बढ़ाने और इस्पात के प्रयोगों के बारे में जागरूक बनाने के लिए पर्याप्त गतिविधियाँ/पहल की हैं।

11.2 ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के आकलन के लिए अध्ययन

मंत्रालय की मांग अनुदान पर संसदीय स्थायी समिति (पीसीएस) की सिफारिशों के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के माध्यम से ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण/अध्ययन किया था। जेपीसी ने जुलाई 2011 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। सर्वे ने ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत, इस्पात की खपत प्रवृत्तियों और ग्रामीण भारत में भविष्य में इस्पात के अनुमानों के संबंध में अपने परिणाम जारी किए। सर्वे के दौरान तीन वर्षों अर्थात् 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के विश्लेषण के लिए और 2011–12, 2016–17 और 2019–20 की अवधियों के लिए गांवों में इस्पात की मांग के आकलन करने के लिए आंकड़े संकलित किए। ग्रामीण भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 2007 से 2009 के दौरान अनुमानतः 9.78 किलोग्राम आंकी गई जो इस्पात उत्पादों की बाजार में प्रवेश के आधार पर 2020 में 12 किलोग्राम तक बढ़ने का अनुमान है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से बड़े स्तर पर घरेलू स्तर पर निर्माण गतिविधियों के कारण होगी लेकिन यह विभिन्न आइटमों की खरीद के कारण भी बढ़ेगी जैसे व्यवसायिक प्रयोग के आइटम, फर्नीचर और वाहन। यह भी अनुमान लगाया गया है कि घरेलू वस्तुओं के लिए मांग कुछ वर्षों में कम हो जायेगी। इसका मुख्य कारण है इस श्रेणी के कुछ मुख्य योगदानकर्ता उत्पादों के लिए लोहे के उत्पादों के प्रयोग के स्थान पर प्लास्टिक के प्रयोग में बढ़ोतरी होना। सर्वे में ग्रामीण भारत में इस्पात की खपत को बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं जैसे मकान संरचना के प्रकार में परिवर्तन, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए स्टील के डिजाइनों का प्रयोग, सामुदायिक संरचनाओं में निवेश, लघु और मध्यम इस्पात उत्पादों का निर्माण, इस्पात के फायदे बताना, इस्पात की सुंदरता को बढ़ाना, इस्पात के सभार तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और इस्पात की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को दूर करना।

हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में इस्पात की घरेलू मांग पर पूरे भारत में एक ताजा सर्वे इस्पात मंत्रालय के संरक्षण में जेपीसी द्वारा किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य इस्पात की मांग के प्रेरकों को समझना और आधुनिक ग्रामीण भारत में इस्पात के लिए मांग का आकलन करना है। यह ग्रामीण भारत में इस्पात के प्रयोग के प्रति व्याप्त अवधारणा/दृष्टिकोण और वहां पर इस्पात के अधिक प्रयोग की संभावना के स्तर का विश्लेषण करेगा। ग्रामीण स्तर पर निर्माण और रिटेलरों के आपूर्ति पक्ष का विश्लेषण करके भारतीय ग्रामीण बाजार में इस्पात की विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति की मौजूदा प्रवृत्तियों का आकलन भी निश्चित तौर पर इस अध्ययन में शामिल होगा ताकि एक सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। वर्तमान में अद्यतन की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है जिसका विश्लेषण शुरू कर दिया गया है।

11.3 इस्पात के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सेल द्वारा उठाए गए कदम

विश्वव्यापी औसत स्तरों तक प्रति व्यक्ति इस्पात खपत की बढ़ाने के समग्र उद्देश्य के अंदर देश में इस्पात के प्रयोग की बढ़ोतरी को सेल द्वारा प्राथमिकता दी गई है। इस संबंध में सेल ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- सेल अपने वितरक/डीलर नेटवर्क के माध्यम से बिक्री करते हुए विभिन्न संवर्धन गतिविधियों में लगा हुआ है। इस प्रकार की कुछ गतिविधियों में आंतरिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न उत्पादों को दर्शाते हुए दीवार पर चित्र लगाना, होर्डिंग्स लगाना और आउटडोर विज्ञापन लगाना, सार्वजनिक स्थानों पर डिसप्ले जैसे एयरपोर्ट और परिवहन स्थल, उपयोगकर्ताओं और निर्णय लेने वालों, आदि के लिए बैठकों/सेमिनारों में डिस्प्ले करना।
- सेल विभिन्न आयोजनों को प्रायोजित कर रहा है जिनमें कॉलिज फेस्टिवल, आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रौद्योगिकी मेले शामिल हैं ताकि युवाओं को इस्पात और इस्पात डिजाइनों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त सेल इस्पात के विभिन्न उपयोगों के बारे में जानकारी देने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेता रहा है।



- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सेल ने हाल ही में एक वितरक पॉलिसी बनाई है जिसका उद्देश्य रिटेल चेन के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचना और उत्पादों में मूल्य संवर्धन, डिलिवरी और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को उच्चतर मूल्य प्रदान करना है। मार्च 19 तक चौदह (14) वितरक पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं और दूसरे स्थानों पर वितरकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
- “सेल स्टील—गांव की ओर” अभियान जो पिछले वित्त वर्ष में शुरू किया गया था, वित्त वर्ष 2018–19 में पूरे देश में 152 कार्यशालाएं आयोजित करके और अधिक शक्ति के साथ जारी रहा। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्टील के प्रयोग के लाभों के बारे में शिक्षित करना और सेल के रिटेल उत्पादों के बारे में जागरूक करना है।
- इस्पात आधारित निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेल ने दो आधुनिकतम स्ट्रक्चरल मिलें स्थापित की हैं; दुर्गपुर में मीडियम स्ट्रक्चरल मिल (एमएसएम) और बर्नपुर में युनिवर्सल स्ट्रक्चरल मिल (यूएसएम)। ये मिलें विभिन्न आकारों के पैरलल लेंज बीम (संकरे पैरलल लेंज बीम और चौड़े पैरलल लेंज बीम) और 100 मिमी से 750 मिमी तक के आकार की अन्य संरचनात्मक उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम हैं। उत्तरोत्तर विभिन्न खण्डों को हमारे उत्पाद बास्केट में शामिल किया जा रहा है ताकि ग्राहकों की मांग को पूरा किया जा सके। इन मिलों की क्षमता लगभग 1.85 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। सेल ने आईएसपी और डीएसपी की नई मिलों के अपने पैरलल लेंज स्ट्रक्चरल को “नेक्स” ब्राण्ड का नाम दिया है।
- “स्टील डिजाइन और निर्माण में नई चुनौतियाँ” विषय पर विभिन्न सेमिनार आयोजित किए गए हैं ताकि इन संरचनात्मक खण्डों के प्रयोगों की व्यापक रेंज को दर्शाया जा सके और सेल की संरचनाओं और पैरलल लेंज बीमों का प्रयोग करके निर्मित डिजाइन और निर्माण के लाभों को प्रदर्शित किया जा सके। इन सेमिनारों में डिजाइनर, इंजीनियर, शिक्षाविद, परियोजना ग्राहक और निर्माण उद्योग के दूसरे अग्रणी व्यावसायी भाग ले रहे हैं।
- पैरलल लेंज खण्डों सहित स्टील खण्डों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए सेल ने आईआईटी चेन्नई और आईआईटी, मुम्बई में “एनकोड—स्टील” नामक कार्यक्रम प्रयोजित किया जिसका फोकस पारम्परिक आरसीसी डिजाइन की बजाय स्टील में संरचना डिजाइन पर था।
- स्मार्ट सिटी मिशन पहल के अंतर्गत सेल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के लिए स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शुरू कर चुका है।
- डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत सेल ने मिटो रोड, नई दिल्ली में एनडीएमसी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए एक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) क्योस्क स्थापित किया है। इस क्योस्क को 304 ग्रेड के सेलम स्टेनलेस स्टील के



सोलर पैनल लगा स्टेनलेस स्टील का बस शेल्टर

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

साथ तैयार किया गया है। यह सुविधा केंद्र एक ही छत के नीचे आईटी सक्षम सेवाओं को प्रदान करेगी जैसे पैनकार्ड, पासपोर्ट, रेलवे टिकट, प्रोप्रीटी टैक्स, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, बिजली के बिलों और पानी के बिलों का भुगतान आदि।

- दो स्टेनलेस स्टील के बस शेल्टर जिनके साथ सोलर रूफ पैनल लगे हैं और स्टेनलेस स्टील के बैंच सेल द्वारा एनडीएमसी के लिए तैयार किए गए हैं और मुख्य स्थानों पर लगाए गए हैं।
- वर्तमान में सेल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ मिल कर दिल्ली में दो स्मार्ट कचरा स्टेशनों का निर्माण कर रहा है – एक भिकाजी कामा प्लेस और दूसरा कमला नगर में जहां स्टेनलेस स्टील से बने कचरे के डिब्बों को जमीन के अंदर बने गड्ढों में रखा जाएगा ताकि सड़क के किनारे पर बदबू न आए, बीमारियाँ फैलाने वाले कचरे और गंदे वातावरण से बचा जा सके।
- **स्टेनलेस स्टील का कचरा डिब्बा:** सेल के सेलम स्टेनलेस स्टील से तैयार कचरे का डिब्बे जो स्वच्छ, साफ और आकर्षक हैं जिन्हें एनडीएमसी को सप्लाई किया गया है।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और जागरुक बनाने की दृष्टि से स्टेनलेस स्टील का एक सोलर ट्री तैयार किया गया है और पालिका वाटिका में स्थापित किया गया है। 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील से बना सात मीटर ऊंचा स्टेनलेस स्टील का सोलर ट्री जिस पर नौ पत्तियां लगी हैं, जो अब कनॉट प्लेस, जो एक भीड़-भाड़ का केंद्र है, का एक मुख्य आकर्षण है और यह एनसीआर के दूसरे लोकप्रिय क्षेत्रों में इस प्रकार के कई सोलर ट्री को लगाने की शुरू करने के लिए एक मिसाल है।
- सेल ने एक बहु-स्तरीय प्लांटर मॉड्यूल विकसित किया है जो ग्रीन पहल और शहरी परिदृश्य के सौंदर्यकरण के अनुरूप होगा। इसे सड़क तिराहों और मुख्य मार्गीय चौराहों पर लगाने पर विचार किया जा रहा है।

11.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के उत्पाद 24 शाखा बिक्री कार्यालयों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं जिनमें पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों (उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और आंध्रा शामिल हैं) के अंतर्गत स्वयं के स्टॉक्यार्ड और कन्साइनमेंट एजेंट स्टॉक्यार्ड शामिल हैं, ताकि पूरे भारत में अपने उत्पादों को बेचा जा सके। निरंतर आपूर्ति के आधार पर पूरे भारत में विस्तार के दृष्टिगत एमओयू किए जा रहे हैं। जहां भी ग्राहक इनके इच्छुक हैं उनके लिए संयंत्र से भेजने के लिए भी सुविधा दी जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त आरआईएनएल के पास रिटेलरों और ग्रामीण डीलरों का एक विशाल वितरण नेटवर्क है जो पूरे भारत में फैला हुआ है।

स्टील के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरआईएनएल द्वारा उठाए गए कदम:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर में प्रवेश को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ई-रिटेल जिसमें शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत शामिल हैं।



पश्चिमी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए मुम्बई में आयोजित बैठक



- स्टील उपयोग संवर्धन अभियानों को संरचनात्मक ढंग से चलाया जा रहा है जिसमें आर्किटेक्ट, बिल्डरों और निर्माण इंजीनियरों के साथ बैठकें (एबीसी मीट), विशेष स्टील ग्राहकों के साथ मीट और ओरिजिनल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की बैठकें शामिल हैं।
- हजरत निजामुद्दीन—विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस ट्रेन का नाम विजाग स्टील समता एक्सप्रेस करके ब्रांड इमेज का संवर्धन।
- ओलम्पिक में बैंडमिटन की पहली भारतीय रजत पदक विजेता सुश्री पीवी सिंधु को विजाग स्टील की ब्रांड एम्बेस्डर नियुक्त किया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य परिवहन निगम की बसों और डीडी किसान टीवी चैनल के माध्यम से विज्ञापन दिए गए। आरआईएनएल ने अपने उत्पादों के संवर्धन के लिए एफएम रेडियो और एफएम गोल्ड रेडियो के साथ भी समझौता किया है।
- ग्रामीण डीलरशिप स्कीम में प्रत्याभूत ब्याज रहित उधार, कैश और कैरी की सुविधा प्रदान करके, और उत्पाद संवर्धन के लिए प्रोत्साहन आदि के द्वारा सुधार किया गया है। सक्रिय ग्रामीण डीलरों को डिसप्ले बोर्ड और एमआरआरपी बोर्डों के लिए 5000/- रुपये का मानदेय दिया जाता है। जो ग्रामीण डीलर होर्डिंग, वॉल पैटिंग, अखबार/केबल टीवी विज्ञापन जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियां करते हैं उन्हें 100 रुपये प्रति टन संवर्धन प्रोत्साहन दिया जाता है।
- ग्रामीण डीलरशिप स्कीम (आरडीएस) के अंतर्गत 585 आरडीएस को आरआईएनएल के साथ पंजीकृत किया गया है और 2018–19 के दौरान लगभग 44,653 टन उठाया गया है, जो सीपीएलवाई से 11 प्रतिशत अधिक है।
- श्रीलंका के लिए कन्साइनमेंट सेल्स एजेंट (सीएसए) नियुक्त किया गया और श्रीलंका में बिक्री शुरू हो हुई।
- आरआईएनएल आईएनएसडीएजी (इन्सटीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एण्ड ग्रोथ) का एक संस्थापक सदस्य है, जो स्टील संरचनाओं के डिजाइन बनाने, स्टील उत्पादों के लिए कोड का विकास करने, स्टील उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने, आर्किटेक्ट, बिल्डरों और निर्माण इंजीनियरों की बैठकों का आयोजन करने जैसी गतिविधियां कर रहा है और स्टील उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने और देश में स्टील के प्रयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने में सहायक परियोजनाएँ चला रहा है।
- शुरू से अंत तक संभारतंत्र स्थापित करने और सुधार करने के लिए आरआईएनएल ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाया है और कोच्चि, अहमदाबाद और मुम्बई स्थित शाखाओं में तटीय परिवहन एजेंसी को नियुक्त किया है।

11.5 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी, स्क्रैप की ई-नीलामी की संगठित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से, स्टील और दूसरी सामग्री की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देता है। यह ऊर्जा की बचत करता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है तथा देश के विविध स्थानों पर विकास को बढ़ावा देता है।

लोहे, स्टील और अलौह उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए, विशेष रूप से लघु और मध्यम क्षेत्र के निर्माताओं के लिए, एमएसटीसी ने एक ई-शॉपिंग मॉल, "एम 3" ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। एमएसटीसी धातु मंडी बी2बी और बी2सी खण्ड के लिए एक वर्चुअल बाजार है।

अध्याय-XII

ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन

12.0 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा कार्यकृशलता मिलकर एक कंपनी का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण मानक हैं। इस्पात मंत्रालय विभिन्न नियमों और योजनाओं के द्वारा इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। इस्पात मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंचों और उपायों के जरिए उठाए जा रहे कुछ कदम इस प्रकार हैं:

12.1 सरकार की पहल

12.1.1 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी)

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती से निपटने के लिए 2008 में शुरू किया गया है। एनएपीसीसी 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करता है जिसमें से नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईई) एक है। एनएमईईई के तहत परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) महती योजना है। पीएटी एक बाज़ार आधारित तंत्र है जो ऊर्जा बचत के प्रमाणन के जरिये क्रियान्वित होता है और जिसका व्यापार किया जा सकता है। पीएटी अप्रैल, 2012 से प्रभावी हो गया है।

साल 2010 में भारत में ऊर्जा की कुल खपत करीब 45 करोड़ टन तेल के बराबर अनुमानित थी जिसमें से करीब 13.5 करोड़ टन तेल के बराबर ऊर्जा की खपत यानी करीब 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी औद्योगिक क्षेत्र की थी। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा की खपत करीब 3.37 करोड़ टन तेल के बराबर यानी औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की कुल खपत का 25 प्रतिशत रहा।

पीएटी चक्र-1 (2012–15) के दौरान, 67 नामित उपभोक्ता (डीसी) 2.532 करोड़ टन तेल के बराबर कुल ऊर्जा की खपत के साथ लौह एवं इस्पात क्षेत्र में रहे, जो इस्पात क्षेत्र में कुल ऊर्जा खपत का 45 प्रतिशत बैठता है।

पीएटी चक्र-2 (2016–19) के तहत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में इस्पात मंत्रालय द्वारा 71 नामित उपभोक्ताओं को अधिसूचित किया गया। इन 71 डीसी के संबंध में ऊर्जा खपत की हिस्सेदारी इस्पात क्षेत्र में कुल ऊर्जा खपत का करीब 72 प्रतिशत निकलता है।

इसके अलावा, पीएटी चक्र-3 (2017–2020) के तहत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में 29 नए नामित उपभोक्ता अधिसूचित किए गए हैं।

पीएटी चक्र-4 (2018–21) के तहत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में इस्पात मंत्रालय द्वारा 135 नामित उपभोक्ताओं को अधिसूचित किया गया।

12.1.2 एसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन:

यूएनडीपी–जीईएफ–इस्पात मंत्रालय की परियोजना: “स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा दक्षता” (2004–2013):

यह परियोजना पूरी कर इसे लागू किया जा चुका है। इससे ऊर्जा की खपत घटाने और जीएचजी उत्सर्जन में 25–50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए 34 इस्पात री–रोलिंग मिलों (मॉडल यूनिटों) में निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को लागू करने में सहूलियत मिली है। इससे कई अन्य स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप को दोहराने में मदद मिली है।

यूएनडीपी–इस्पात मंत्रालय–ऑसएड परियोजना: “भारत में लघु स्तर के इस्पात उद्योग में ऊर्जा दक्षता के साथ उत्पादन बढ़ाना” (जून 2013–मई 2018)

स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा कार्यकृशलता को दोहराने और इंडक्शन फर्नेस जैसे अन्य एसएमई क्षेत्र में हस्तक्षेप का विस्तार करने का लक्ष्य है। 283 स्टील रोलिंग इकाइयों और 4 इंडक्शन फर्नेस इकाइयों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को लागू करने की सुविधा। ऊर्जा की खपत और जीएचजी उत्सर्जन को 5–25 प्रतिशत तक नीचे लाने में मदद की।

तीसरा चरण: पांच साल के लिए तीसरे चरण में, 1200 इकाइयों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है, जो 33 लाख टन CO₂ को कम करेगा।

12.1.3 ऊर्जा कार्यकुशलता सुधारने के लिए नीडो मॉडल परियोजनाएं

इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को, जिन्हें आदर्श परियोजनाओं के तौर पर जाना जाता है स्थापित करने के लिए जापान की सरकार अपने आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के जरिये हरित सहायता योजना (जीएपी) के तहत भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से विदेशी विकास सहायता के रूप में धन उपलब्ध कराती है। इन परियोजनाओं की देखरेख जापान के नीडो (नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन) द्वारा की जाती है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में इन परियोजनाओं का समन्वय इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अभी तक निम्नलिखित परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं, जिनमें दो टाटा स्टील में और एक परियोजना आरआईएनएल में हैं।

- बीएफ स्टोव वेस्ट हीट रिकवरी: टाटा स्टील में पूरी की गई
- कोक ड्राई क्वेंचिंग: टाटा स्टील में पूरी की गई
- सिंथर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में पूरी की गई
- आईएसपी बर्नपुर, सेल में ऊर्जा निगरानी और प्रबंधन प्रणाली प्रगति पर है

इसके अलावा, और दो आदर्श परियोजनाओं—(i) सेल के राउरकेला में रीहीटिंग फर्नेस के लिए रिजेनरेटिव बर्नर सिस्टम और (ii) आईएसपी बर्नपुर में ऊर्जा निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए सेल ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

12.1.4 लौह एवं इस्पात के स्लैग का उपयोग

बीएफ आयरन स्लैग और स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) शामिल है एकीकृत इस्पात संयंत्रों से निकलने वाले प्रमुख अपशिष्टों में इनकी हिस्सेदारी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में तैयार प्रत्येक टन इस्पात में करीब आधा टन से अधिक की होती है। ज्यादातर इस्पात संयंत्र लौह के इस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत उपयोग (ज्यादातर सीमेंट बनाने और कुछ हिस्सा एग्रीगेट के तौर पर जिसमें दोनों की ही बीआईएस या आईआरसी मानकों में अनुमति है) कर रहे हैं, जबकि अन्य 100 प्रतिशत उपयोग के स्तर पर पहुंचने के करीब हैं।

एसएमएस (खासकर एलडी) धातुमल का उपयोग निम्न कारणों से सीमित है:

- फॉस्फोरस की मात्रा
- उच्च मुक्त चूना की मात्रा और
- उच्च विशिष्ट वज़न

इन मुद्दों से निपटने के लिए इस्पात मंत्रालय ने लौह एवं इस्पात धातुमल के प्रोत्साहन और उपयोग के लिए एक टास्क फोर्स गठित की है। संयुक्त सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में 30 सितंबर, 2016 को टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों और संघों ने भाग लिया था। इस बैठक में, स्लग से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और कार्य योजनाएं बनाई गईं। इस्पात मंत्रालय ने सड़क एग्रीगेट के रूप में एसएमएस स्लैग के उपयोग की अनुमति देने वाले कोड और प्रक्रियाओं के विकास के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस को रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होने वाली रोड़ी के रूप में लौह और इस्पात के उपयोग के लिए मानक तैयार करने के लिए अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) को, सड़क बनाने, रेलवे ट्रैक पर रोड़ी में लोहे और स्टील के स्लग के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर विचार करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, और प्रसंस्कृत एसएमएस स्लग का उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए सभी आईएसपी को भी पत्र लिखा है।

12.1.5 भारतीय इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)

भारत सरकार ने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत कम करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद, सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते को मंजूरी दी। संबंधित क्षेत्र में CO₂ उत्सर्जन को कम करने के लिए एनडीसी को लागू करने के लिए एमओईएफ सभी आर्थिक मंत्रालयों से परामर्श कर रहा है। इस्पात मंत्रालय ने एनडीसी लक्ष्यों और वित्तीय आवश्यकताओं के पुनर्निरीक्षण के लिए दो कार्य समूहों का गठन किया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

12.2 इस्पात कंपनियों की पहल

12.2.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

ऊर्जा प्रबंधन

पिछले 4 वर्षों के दौरान विशेष ऊर्जा खपत (जीसीएएल/टीसीएस):

संयंत्र	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
बीएसपी	6.44	6.58	6.58	6.75
डीएसपी	6.42	6.36	6.04	6.28
आरएसपी	6.50	6.43	6.19	6.26
बीएसएल	6.70	6.70	6.67	6.68
आईएसपी	7.60	7.20	6.06	6.32
सेल	6.51	6.60	6.38	6.50

पर्यावरण प्रबंधन

- विशिष्ट कणिका तत्व (पीएम) उत्सर्जन लोड 4.8 प्रतिशत घटा (0.74 kg/tcs से 0.7 kg/tcs)
 - विशिष्ट पानी की खपत 4.5 प्रतिशत घटी (3.62 m³/tcs से 3.44 m³/tcs)
 - विशिष्ट प्रवाह निर्वहन 0.92 प्रतिशत घटा (1.89 m³/tss से 1.88 m³/tss)
 - बीएफ धातुमल का उपयोग 5.9 प्रतिशत बढ़ा (90.52 से 95.89)

कम कार्बन उत्सर्जन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकियां/सुविधाएं

कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने और उच्च ऊर्जा कार्यकुशलता हासिल करने की दिशा में किए गए उपायों के तौर पर सेल के संयंत्रों ने पिछले कुछ वर्षों में खासकर हाल के विस्तार/आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के दौरान विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को लागू किया है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:

- भूमि आधारित पुशिंग एमिशन कंट्रोल सिस्टम के साथ लंबी कोक ओवन बैटरियां
- कोक ड्राई कूलिंग
- ब्लास्ट फर्नेस में टॉप प्रेशर रिकवरी (टीआरटी) टरबाइन
- 100 प्रतिशत सतत कास्टिंग
- ब्लास्ट फर्नेस स्टोव और सिंटर कूलर से वेस्ट हीट रिकवरी
- गैस आधारित बिजली संयंत्र

विशेष कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन (टी/टीसीएस)

2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
2.60	2.61	2.56	2.59

राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/नियमनों के अनुपालन की खास बातें

स्टेक उत्सर्जन: सभी प्रमुख उत्पादन शॉप्स के ढेरों से कणिका तत्व (पीएम) उत्सर्जन संबद्ध मानदंडों के मुताबिक रहा।

फ्यूजिटिव उत्सर्जन: कोक ओवन बैटरियों, ब्लास्ट फर्नेस व बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से फ्यूजिटिव उत्सर्जन नियमों के दायरे में रहे।

परिवेश वायु की गुणवत्ता: परिवेश में वायु की गुणवत्ता नियमों के दायरे में रही।

गंदे पानी के बहाव की गुणवत्ता: गंदे पानी के बहाव की गुणवत्ता नियमों के दायरे में रही।

धातुमल का उपयोग: 2018–19 के दौरान बीएफ और बीओएफ स्लैग और कुल ठोस अपशिष्ट का उपयोग इस प्रकार रहा*

बीएफ स्लैग	बीओएफ स्लैग	कुल ठोस अपशिष्ट
95.89%	55.94%	85.17%

*अनंतिम आंकड़े



अन्य पहल:

- पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन
- खनन किए गए क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय बहाली
- कार्बन डाई-ऑक्साइड का बायो सिक्वेस्ट्रेशन
- गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग
- जीरो लिकिवड डिस्चार्ज (जेडएलडी) हासिल करने की पहल
- 4.43 लाख से अधिक पौधों का रोपण

12.2.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

ऊर्जा की खपत (जीसीएएल / टीसीएस)

वर्ष	ऊर्जा (जीसीएएल / टीसीएस)	CO ₂ उत्सर्जन (टन्स / टीसीएस)
2014–15	6.37	2.79
2015–16	6.40	2.79
2016–17	6.39	2.78
2017–18	6.05	2.62
2018–19	5.98	2.59

ऊर्जा खपत घटाने के लिए किए गए/किये जा रहे उपाय (2018–19)

- कोक ओवन बैटरी-5 के स्टीम टर्बाइन की कमीशनिंग और स्थिरीकरण और 6.04 मेगावाट उत्पन्न।
- कोक ओवन में सकल कोक उपज में 72.34 प्रतिशत से 72.88 प्रतिशत सुधार।
- कोक ओवन में 3.08 प्रतिशत से 3.13 प्रतिशत तक टार उपज में सुधार।
- ब्लास्ट फर्नेस में पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) में 53.6 Kg/tHM से 59.2 Kg/tHM तक वृद्धि। बीएफ-3 पीसीआई 76 Kg/tHM से बढ़कर 95.4 kg/tHM हो गया। बीएफ-2 पीसीआई 4 kg/tHM से बढ़कर 27.8 Kg/tHM हो गया।
- बीएफ-3 में ऊषा खपत में 432 Mcal/tHM से 408 Mcal/tHM तक में कमी।
- एसएमएस-1 में ऊषा खपत में 38 Mcal/tHM से 35 Mcal/tHM तक कमी।
- विशेष बार मिल्स में बिजली की खपत में 103.19 Kwh/tIP से 98.16 Kwh/tIP की कमी।
- विशेष बार मिल (एसबीएम) में ऊषा खपत में 394 Mcal/tIP से 312 Mcal/tIP तक कमी।
- WRM-1 में बिजली की खपत में 121.68 Kwh/tIP से 120.03 Kwh/tIP तक कमी।
- WRM-2 में बिजली की खपत में 217.06 Kwh/tIP से 210.82 Kwh/tIP तक कमी।
- एमएमएसएम में ऊषा खपत में 425 Mcal/tIP से 403 Mcal/tIP तक कमी।
- एसटीएम में बिजली की खपत में 114.12 Kwh/tIP से 101.05 Kwh/tIP तक कमी।
- एसटीएम में ऊषा खपत में 390 Mcal/tIP से 316 Mcal/tIP तक कमी।
- सीआरएमपी-1 और 2 में बिजली की खपत को 54.99 Kwh/tGL से घटाकर 50.82 Kwh/tGL पर करना।
- सीआरएमपी-2 में ऊषा खपत में 941 Mcal/tGL से 938 Mcal/tGL तक कमी।
- सीपीपी-2 में बिजली उत्पादन में 76.39 मेगावाट से 104.10 मेगावाट तक सुधार।
- बीपीटीएस में बिजली उत्पादन में 10.73 मेगावाट से 11.7 मेगावाट तक सुधार।
- सौर ऊर्जा संयंत्र में 0.84 मेगावाट से 0.90 मेगावाट तक सुधार।
- एसएमएस-1 में एलडी गैस की उपज में 95 Ncum/tCS से 104 Ncum/tCS तक सुधार।

इन उपायों के कारण, विशिष्ट ऊर्जा खपत वर्ष 2017–18 में 6.05 Gcal/tCS से घटकर वर्ष 2018–19 के दौरान 5.98 Gcal / tCS हो गई।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

वेस्ट हीट रिकवरी प्रणालियां (2018-19)

ऊर्जा बचाने वाली सुविधा	इकाइयां	ऊर्जा की रिकवरी	बॉयलर कोल की बचत (टन)	CO ₂ उत्सर्जन में कमी (टन)
एलडी गैस रिकवरी प्लांट – एलडी गैस रिकवरी प्लांट 1 और 2	MNCum	514	304315	477775
बैंक प्रेशर टर्बाइन स्टेशन (बीपीटीएस, सीओबी 4 और 5 टर्बाइन) पर उत्पन्न कुल बिजली	MWh	218368	174694	274270
गैस विस्तार टरबाइन स्टेशन (GETs) और टीआरटी में उत्पन्न कुल बिजली	MWh	56527	45222	70998
सिंटर प्लांट स्ट्रेट लाइन कूलर (एनईडीओ परियोजना) में अपशिष्ट ताप प्राप्ति से उत्पन्न कुल बिजली	MWh	779	623	978

थर्मल पावर प्लांट में उप उत्पाद गैसों का उपयोग (2018-19)

यूनिट: एमएनकम

उपयोग हुए ईधन का नाम	मूल्य	बॉयलर कोल की बचत (टन)	CO ₂ उत्सर्जन में कमी (टन)
सीपीपी-1			
कोक ओवन गैस	373	522692	820627
बीएफ गैस	1874	420297	738366
सीपीपी-2			
कोक ओवन गैस	110	153752	241390
बीएफ गैस	2506	628999	987528

पर्यावरण प्रबंधन

राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/विनियमनों के अनुपालन की खास बातें (2018-19)

स्टैक उत्सर्जन, वातावरण में वायु की गुणवत्ता और प्रयुजिटिव उत्सर्जन के संबंध में राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/विनियमनों से जुड़ी सभी पर्यावरणीय संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया। रिसाव की गुणवत्ता के संबंध में अमोनियम का संकेंद्रण, एन2, फेनोल, तेल, ग्रीस, सीओडी एवं टीएसएस की सांद्रता एपीपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा निर्धारित नियमों के दायरे में रहे।

बीएफ स्लैग: 18,09,916 टन बीएफ स्लैग निकला और 26,64,876 टन का उपयोग किया गया। इस तरह से 147.51 प्रतिशत का उपयोग किया गया (मार्च 19 तक)।

एलडी स्लैग: 8,82,410 टन एलडी स्लैग निकला और सिंटर प्लांट, ब्लास्ट, यातायात और निर्माण गतिविधियों में 1,57,378 टन उपयोग किया गया जिसमें 17.84 प्रतिशत उपयोग किया गया (मार्च 19 तक)।

अन्य अपशिष्ट: अन्य धातु संबंधी अपशिष्ट जैसे डीई सिस्टम्स एवं ईएसपी से धूल, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटों और मिल स्केल्स से 3,82,940 टन (मार्च 19 तक) गाद का बेस मिक्स तैयारी के लिए सिंटर प्लांट में पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

क्रियान्वयन के अधीन पर्यावरण संबंधी पहल:

- एक बॉयलर के लिए ईएसपी के थर्मल पावर प्लांट के संशोधन/वृद्धि का काम उत्सर्जन को 50 मिलीग्राम/एनएम 3 से नीचे लाने के लिए 35.2 करोड़ रुपये की लागत से भेल के साथ लिया गया है। यह जुलाई 19 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- सालाना 2,00,000 टन उठाव का लक्ष्य रखते हुए प्रति वर्ष प्रति पक्ष न्यूनतम 75,000 टन उठाव के साथ ऑटो क्लेब एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन का दीर्घकालीन पट्टा देने की प्रक्रिया चल रही है।



12.2.3 मेकॉन लिमिटेड

एमईसीओएन ने अपनी सतत विकास (एसडी) नीति और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। एमईसीओएन ने अक्टूबर, 2018 में 20 kWp सौर ऊर्जा शक्ति इकाई का गठन किया है।

12.2.4 मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल)

प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं:

वायु प्रदूषण नियंत्रण:

- गीली स्थिति में ब्लास्ट होल्स की खुदाई
- छिड़काव की व्यवस्था के साथ ट्रक पर बने वॉटर टैंकर द्वारा हॉलेज सड़कों पर पानी का छिड़काव
- गहरे बड़े ब्लास्ट होल के दौरान उठने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए ड्रिलिंग की गति बनाए रखना।
- उत्सर्जन नियंत्रित रखने के लिए वाहनों और मशीनों का नियमित रखरखाव किया जाता है

जल प्रदूषण:

- खनन कार्य में उपयोग किया जा चुका भूमिगत जल पूरी तरह से वृक्षारोपण और रेत के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है।
- किसी भी खदान से आस-पास के जल स्रोतों में पानी नहीं छोड़ा जाता।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

- स्टैब्लाइजेशन के बाद सफेद ढेरों को राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के साथ परामर्श कर पौधारोपण के जरिये ढक दिया जाता है।
- ताजे और सक्रिय ढेरों को बैंचिंग और ट्रेंच कटिंग भूतल से एक मीटर ऊंची पत्थर की दीवार खड़ी कर सुरक्षित रखा जा रहा है।

पौधारोपण:

पिछले 30 वर्षों में सभी खानों में 20.46 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिसमें इन पौधों के बढ़कर पेड़ बनने की औसत दर 75 प्रतिशत रही।

12.2.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी खानों को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र के साथ मान्यता प्रदान की गई है जिसमें (QMS) ISO 9001:2008, (EMS) ISO 14001:2004 और (OHSMS) OHSAS 18001:2007 एवं SA 8000:2008 मानक शामिल हैं। एनएमडीसी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

वायु प्रदूषण

- खान वाली सड़कों पर धूल को दबाया जाता है और फ्यूजिटिव धूल को दबाने के लिए डंपर प्लेटफॉर्म पर एवं ट्रांस्फर प्लाईट्स पर ऑटोमाइज्ड मिस्ट वाटर स्प्रे का उपयोग किया जाता है।
- ब्लास्ट छेद की ड्रिलिंग के लिए गीली ड्रिलिंग का उपयोग।
- कनवेयर्स का उपयोग, जो कि क्रशिंग प्लांट से लौह अयस्क को स्क्रीनिंग प्लांट और फिर लोडिंग प्लांट तक ले जाने के दौरान पूरी तरह से ढके रहते हैं।
- बैलाडिला भंडार-14/11सी परियोजना, भंडार-5, 10/11ए और दोनिमलाई लौह अयस्क खान परियोजना पर वातावरण में वायु की गुणवत्ता की सतत निगरानी प्रणाली स्थापित है, जिसके जरिये PM10, PM2.5, SO2, NOX और CO की ऑनलाइन निगरानी की जाती है।
- दोनिमलाई लौह अयस्क खान ड्राई फॉग डस्ट सप्रेशन सिस्टम लागू किया गया है।

जल प्रदूषण:

- घरेलू सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए बछेली टाउनशिप में सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी के साथ 2 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया। इसी तरह के 3 एमएलडी क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट किरंदुल और दोनिमलाई टाउनशिप में स्थापित किए जा रहे हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- गीले स्क्रीनिंग ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न कीचड़ के निराकरण के लिए सभी खानों में टेलिंग बांध बनाए गए।

टिकाऊपन से जुड़ी पहल

- सभी लौह अयस्क खनन परियोजनाओं में हर साल कार्बन फुट प्रिंट अध्ययन आयोजित किए जाते हैं और कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) में जीएचजी उत्सर्जन प्रकट किए जाते हैं।
- एनएमडीसी विभिन्न किस्म के लौह अयस्क (45 प्रतिशत से अधिक) का अधिकतम उपयोग कर 'शून्य अपशिष्ट खनन' की दिशा में काम कर रही है। पतले ग्रेड के अयस्क बेनिफिसिएशन के लिए भी प्रयास चल रहे हैं।
- स्लिम्स (घटिया दर्जे के बेकार अयस्क) के लाभप्रद उपयोग के लिए कर्नाटक में खान स्थलों पर ही बेनिफिसिएशन और पैलेट संयंत्र स्थापित किया गया है। इसी तरह का बड़े स्तर का संयंत्र बैलाडिला सेक्टर में 15 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन के साथ स्थापित किया जा रहा है जो कि लौह अयस्क के परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल और किफायती तरीका है।

12.2.6 केआईओसीएल लिमिटेड

- केएसपीसीबी और एमओईएफ अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों में उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है।
- शेड -1 और शेड -2 क्षेत्र से बिखरे पानी के पुनःचक्रण और पानी के संरक्षण के लिए कूलिंग तालाब क्षेत्र में पंपिंग व्यवस्था के साथ एक गङ्गा बनाया गया है।

पिछले दो वर्षों में और वित्तीय वर्ष 2018-19 के अप्रैल से मार्च 2019 तक की विशिष्ट ऊर्जा खपत निम्नानुसार है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
प्रति टन छर्रों में बिजली खपत (Kwh/T में)	67.09	66.83	66.52
प्रति टन छर्रों में ऊष्मा खपत (Kcal/T में)	246.30	249.57	229.73

12.2.7 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

विजयनगर वर्क

ऊर्जा प्रबंधन

वर्ष	*एसईसी Gcal/Tcs	*CO ₂ TCO ₂ (टन/Tcs)
2015-2016	6.397	2.52
2016-2017	6.260**	2.41**
2017-2018	6.185**	2.40**
2018-2019	6.08**	2.31**

ध्यान दें: * SEC एवं CO₂ मान पीएम ट्रॉफी के अनुसार और **डीआरआई और सीडीक्यू सहित PMT मानदंड के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन की खास बातें:

- पैलेट प्लांट में अतिरिक्त ईएसपी की स्थापना स्टैक उत्सर्जन को <15 mg/Nm³ कम करने के लिए प्रक्रिया
- कोक ओवन 3 और 4 में बैटरी के लिए चार्जिंग उत्सर्जन नियंत्रण के कारण दृश्य उत्सर्जन में कमी <16 सेकंड
- शून्य छत उत्सर्जन के लिए कार्यान्वित प्रणाली।
- सिंटर पौधों के लिए एमईआरओएस तकनीक
- जंक्शन घरों से उत्सर्जन को पाने के लिए अतिरिक्त 09 नंबर बैग फिल्टर की स्थापना।
- 71 स्टैक में स्थापित ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (95 पैरामीटर -71 पीएम, 12 एसओ 2 और 12 एनओएक्स और वास्तविक समय आंकड़ों की निगरानी के लिए सीपीसीबी सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है)।

पर्यावरणीय प्रमुख निष्पादन संकेतकों का सारांशः

मानक	वित्तीय वर्ष 16	वित्तीय वर्ष 17	वित्तीय वर्ष 18	वित्तीय वर्ष 19
विशेष प्रक्रिया धूल उत्सर्जन* (kg/tcs)	0.58	0.50	0.50	0.42
विशेष पानी का प्रवाह (m ³ /tcs)	0	0	0	0
विशेष जल की खपत (m ³ /tcs)	2.80	2.37	2.28	2.41
ठोस अपशिष्ट उपयोग (%)	68.76	70.60	78.23	79.94

*बिजली संयंत्रों को छोड़कर

सेलम वर्क्स

विशेष ऊर्जा खपत

वर्ष	Gcal/TCS
2015–16	7.52
2016–17	7.24
2017–18	6.94
2018–19	6.95

ऊर्जा की खास बातें

- बैटरी नंबर 1 पर कोक में नई चिमनी की स्थापना के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए अपशिष्ट गैस का उपयोग बढ़ा।

सभी संयंत्र द्वारा उत्सर्जन, वातावरण में वायु की गुणवत्ता और पर्याजिटिव उत्सर्जन के लिहाज से राष्ट्रीय / सीपीसीबी / एसपीसीबी नियमों/विनियमनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

12.2.8 टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल)

टाटा स्टील को पर्यावरणीय आयाम में 100 प्रतिशत के शीर्ष स्कोर के साथ डीजोएसआई 2018 में स्थिरता पर वैश्विक रूप से इस्पात उद्योग के प्रमुख लीडर के रूप में चुना गया है। जमशेदपुर स्टील वर्क्स (टीएसजी) ऊर्जा और CO₂ तीव्रता (कोयला आधारित बीएफ-बीओएफ मार्ग में) में भारतीय बैंचमार्क बना हुआ है और उसने ग्रीन को प्लेटिनम रेटिंग (केवल भारतीय स्टील कंपनी) को बरकरार रखा है।

ऊर्जा प्रबंधन की खास बातें

कलिंगानगर वर्क्स निरंतर बढ़ा रहा है और वहां,

- ब्लास्ट फर्नेस ईंधन की दर 2017–18 में 474 से घटकर 2018–19 में 473 Kg/thm हो गई।

वित्त वर्ष	विशेष ऊर्जा खपत (Gcal/tcs)		विशेष CO ₂ उत्सर्जन (T/tcs)	
	जमशेदपुर	कलिंगानगर	जमशेदपुर	कलिंगानगर
2015–16	5.77	—	2.30	—
2016–17	5.67	8.76	2.29	3.08
2017–18	5.67	6.72	2.30	2.66
2018–19 (अपेक्षित)	5.69	6.31	2.29	2.54

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

पर्यावरण प्रबंधन की खास बातें

देर उत्सर्जन: धूल या कणिका तत्व का उत्सर्जन (Kg/tcs)

संयंत्र	2016-17	2017-18	2018-19
जमशेदपुर	0.44	0.41	0.37
कलिंगनगर	1.3	0.66	0.61

एलडी स्लैग की चुनौतियों के बीच 2018-19 के दौरान जमशेदपुर स्टील वर्क्स में कुल अपशिष्ट उपयोग 96 प्रतिशत और कलिंगनगर में 100 प्रतिशत के स्तर पर था। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सहित अन्य अपशिष्टों का ज्यादातर उपयोग या तो स्वदेश में या बाहरी तौर पर सीमेंट बनाने में किया जाता है। एलडी स्लैग के उपयोग के लिए सरकार एवं आईआरसी, बीआईएस, आरडीएसओ, आईसीएआर, इस्पात मंत्रालय, फिक्टी आदि जैसे उद्योग निकायों के साथ सहयोगी पहल की जा रही है।

अवधि (यूओएम मिलियन टन)	बीएफ स्लैग				एलडी स्लैग			
	उत्पादन		उपयोग		उत्पादन		उपयोग	
	टीएसजे	टीएसके	टीएसजे	टीएसके	टीएसजे	टीएसके	टीएसजे	टीएसके
2017-18	3.90	1.06	3.88	0.98	1.81	0.54	1.05	0.30
2018-19 (अपेक्षित)	3.85	1.23	3.97	1.18	1.69	0.59	1.76	0.75

अवधि (यूओएम मिलियन टन)	कुल अपशिष्ट			
	उत्पादन		उपयोग	
	टीएसजे	टीएसके	टीएसजे	टीएसके
2017-18	6.78	2.69	5.72	2.36
2018-19 (अपेक्षित)	6.88	2.13	6.76	2.14

नोट: उपयोग में मात्रा का पूर्व स्टॉक शामिल है।

सीआरईपी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए सिंटर प्लांट, एफ एंड जी ब्लास्ट फर्नेस और जमशेदपुर में एलडी 1 एवं एलडी 1 (इस्पात विनिर्माण) शॉप्स के पुराने और मौजूदा ईएसपी और बैग फिल्टरों को अपग्रेड किया जा रहा है और साथ ही दोनों संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण, वॉटर ट्रीटमेंट, रिकवरी एवं रीसाइकिलिंग और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का सतत विस्तार किया जा रहा है।

स्वच्छ / हरित प्रौद्योगिकीय पहल

- 15 यूएस डॉलर / tCO₂ की दर से आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण का पायलट परीक्षण शुरू किया गया।
- भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और जापान सरकार द्वारा चलाई गई सार्वजनिक निजी गठजोड़ साझेदारी में हिस्सा लिया।
- यह कंपनी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की क्लाइमेट एक्शन मेंबर है।

पौधारोपण

सभी भारतीय परिचालनों में 2018-19 (सितंबर 2018 तक) के दौरान 35444 पौधे लगाए गए; स्टील वर्क्स में 28,091 (टीएसजे में 5278 + टीएसके में 30116) पौधे लगाए गए।

12.2.9 टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (टीएसबीएसएल)

ऊर्जा संरक्षण की पहल

- स्टील स्लैब की 100 प्रतिशत हॉट चार्जिंग
- ब्लास्ट फर्नेस-2 में शीर्ष गैस रिकवरी टर्बाइन
- एलईडी लैंपों की स्थापना



- सौर प्रकाश प्रणाली की स्थापना
- सीडीक्यू -1 और सीडीक्यू -2 की स्थापना
- बीओएफ गैस धारक की स्थापना
- ब्लास्ट फर्नेस-2, 130 से 200 किलोग्राम में दूसरी पीसीआई की स्थापना
- हॉट स्ट्रिप मिल के री-हीटिंग फर्नेस # 3 में दहन प्रणाली संशोधन
- ब्रिकेट में बीओएफ गाद, एफईएस धूल और चक्की पैमाने के रूपांतरण के लिए ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना
- सिंटर प्लांट # 2 और 3 में सिंटर कूलर के तापमान के संबंध में पंखे की गति के आंटो विनियमन के लिए नए पाइरोमीटर की स्थापना।

पर्यावरण प्रबंधन

मानक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
विशिष्ट ऊर्जा खपत (Gcal/tcs)	6.880	6.859	6.797	6.84
विशिष्ट CO ₂ उत्सर्जन (Gcal/tcs)	3.12	2.84	2.80	2.93

ठोस अपशिष्ट उत्पादन एवं उपयोग:

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
कुल अपशिष्ट उत्पादन (Kg/tcs)	720	684	740	713
कुल अपशिष्ट उपयोग (Kg/tcs)	670	644	673	502
अपशिष्ट उपयोग का प्रतिशत	93.18	94.16	90.94	70.35

विशिष्ट जल की खपत (m³/tcs)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
थर्मल पावर और पीने के पानी को छोड़कर एचएसएम के लिए विशिष्ट पानी की खपत	4.42	4.55	4.25

स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण – स्लैग

- पीएस बॉल का उत्पादन करने के लिए एसएमएस-I और एसएमएस-II से उत्पन्न स्लैग को संसाधित करने के लिए दो (2) स्लैग एटमाइजेशन प्लांट (ईकॉमेस्टर, दक्षिण कोरिया द्वारा आपूर्ति) लगाए गए हैं।
- पीएस बॉल्स पर्यावरण-सौम्य सामग्री हैं, जो आकार में 0.1 से 4.5 मिमी व्यास के साथ गोलाकार हैं, मुक्त चूने और प्रदूषण रहित एक गैर-विस्तारीय सामग्री है।

12.2.10 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड

ऊर्जा संरक्षण की पहल

- सिंटर प्लांट में इग्निशन फर्नेस के साथ ऊर्जा दक्ष बर्नर सिस्टम की स्थापना
- पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी लगाना
- संयंत्र क्षेत्र में एलईडी लाइटिंग की स्थापना

पर्यावरण प्रबंधन

वर्ष	ऊर्जा खपत (Gcal/tCS)	CO ₂ उत्सर्जन (T/tcs)
2015–16	7.606	2.72
2016–17	7.497	2.51
2017–18	6.995	2.33
2018–19 (अप्रैल–सितंबर 18)	7.0*	2.33*

* अनंतिम

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

लौह एवं स्टील स्लैग का उत्पादन एवं उपयोग

ईएफ और कॉनआर्क फर्नेसों से निकले स्लैग का उपयोग निचले इलाकों में जगह भरने के लिए खदान सामग्री के विकल्प के तौर पर किया जा रहा है क्योंकि संयंत्र तटीय इलाके के नजदीक है। साथ ही इसका उपयोग विस्तार परियोजना गतिविधियों के लिए आंतरिक सड़क निर्माण में, रेलवे ट्रैक के लिए गिट्टी के तौर पर, रेलवे के लिए चाहरदीवारी, लोड बियरिंग प्लेटफॉर्म, चाहरदीवारी, समुद्र तट संरक्षण के तौर पर भी किया जा रहा है। वहीं इसे उक्त उद्देश्यों के लिए आसपास के उद्योगों को बेचा भी जा रहा है।

स्वच्छ हरित प्रौद्योगिकी की पहल

ईधन के तौर पर एनजी/एनजीएल/नैफ्था पर आधारित प्लांट टेक्नोलॉजी का चयन

- हॉट ब्रिक्वेटेड आयरन (एचबीआई) की जगह ईएफ में हॉट डीआरआई चार्जिंग की एक टेक्नोलॉजी विकसित की। इससे बिजली की खपत घटी और उत्पादकता में सुधार आया।
- कोरेक्स टेक्नोलॉजी को लागू किया
- कॉम्पैक्ट स्ट्रिप प्लांट का क्रियान्वयन
- कोरेक्स प्लांट से पैदा हुई कोरेक्स गैस का उपयोग एचबीआई, प्लेट मिल, सीएसपी मिल और लाइम प्लांट में एनजी के प्रतिस्थापन के तौर पर किया जा रहा है।
- एस्सार ने 19 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया है जो बीएफ गैस से निकली वाष्प से चलता है।

12.2.11 जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड (जेएसएचएल)

जेएसएचएल ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक विशेष अभियान शुरू किया है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में जेएसएचएल ने ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

वर्ष	विशिष्ट ऊर्जा खपत उत्सर्जन (T/tcs)
2015–16	0.488
2016–17	0.490
2017–18	0.473

अनुमानित 200000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष स्लैग स्टील मेल्टिंग शॉप्स (एओडी और ईएफ) से उत्पन्न होता है। सभी स्लैग को हमारे स्टील पिघलाने की सुविधाओं में पुनः उपयोग करने के लिए मूल्यवान धातु को पुनर्प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है और बाकी को स्लैग चिप्स और स्लाइस पाउडर में बदल दिया जाता है। स्लैग चिप्स और पाउडर का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए संसाधन के रूप में किया जाता है।

देर उत्सर्जन, फ्यूजिटिव उत्सर्जन, परिवेशी वायु गुणवत्ता, विशिष्ट पानी की खपत और प्रवाह निर्वहन की गुणवत्ता मानदंडों के अंदर है।

12.2.12 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल), जाजपुर

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने उच्च-चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए कलिंगानगर, जाजपुर, उड़ीसा में आधुनिक, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल उपकरणों के साथ अपने पूरी तरह से एकीकृत स्टेनलेस स्टील प्लांट की स्थापना की। ग्रेड और आयामों के संदर्भ में, संयंत्र उत्पादों की एक अनूठी और विस्तृत शृंखला का उत्पादन करने में सक्षम है।

वर्ष	विशिष्ट ऊर्जा खपत उत्सर्जन (T/tcs)
2015–16	1.537
2016–17	1.432
2017–18	1.417



अनुमानित 200000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष स्लैग स्टील मेलिंग शॉप्स (एओडी और ईएएफ) से उत्पन्न होता है। सभी स्लैग को हमारे स्टील पिघलने की सुविधाओं में पुनः उपयोग करने के लिए मूल्यवान धातु को पुनर्प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है और बाकी को स्लैग चिप्स और स्लाइस पाउडर में बदल दिया जाता है। स्लैग चिप्स और पाउडर का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए संसाधन के रूप में किया जाता है।

देव उत्सर्जन, पर्यूजिटिव उत्सर्जन, परिवेशी वायु गुणवत्ता, विशिष्ट पानी की खपत और प्रवाह निर्वहन की गुणवत्ता मानदंडों के अंदर है।

12.2.13 जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

पर्यावरण प्रबंधन

वर्ष	ऊर्जा (Gcal/tcs)	CO ₂ उत्सर्जन (Tons/tcs)
2014–15	9.099	2.942
2015–16	8.745	2.928
2016–17	8.417	2.744
2017–18	8.263	2.770
2018–19	8.092*	2.766*

* अलेखापरीक्षित आंकड़े

- डीआरआई–1 में एबीसी फैन में वीवीएफडी की स्थापना
- डीसीपीपी में एलईडी लाइट्स के साथ एचपीएसवी लैंपों को बदलना
- सभी सीआरईपी कार्रवाई बिंदुओं का अनुपालन किया जाता है।
- सीएफबीसी बॉयलर में 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का उपयोग जो 90 प्रतिशत डीआरआई चार और 10 प्रतिशत डीआरआई एबीसी धूल से संचालित होता है। सीएफबीसी बॉयलर में किसी भी कच्चे कोयले का उपयोग नहीं किया जाता है।

स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना

- ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का उपयोग करने के लिए अपने इस्पात संयंत्र के पास रायगढ़ में सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया।
- एसएमएस स्लैग का उपयोग करने के लिए रायगढ़ और अंगुल में एकीकृत इस्पात संयंत्रों में ईकोमेस्टर की स्लैग इटमाइजिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित स्लैग प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं।
- स्लैग इटमाइजिंग प्रोसेस (एसएपी) अपशिष्ट स्टील स्लैग को उच्च कम्पनसेशन उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए संपीड़ित वायु और धुंध शीतलन प्रणाली का उपयोग करता है और इस उत्पाद को कीमती स्लैग बॉल कहा जाता है, जिसका उपयोग अपघर्षक ब्लास्ट सामग्री, काउंटर वजन आदि के रूप में किया जाता है।
- रायगढ़ स्टील प्लांट से कोयला आधारित डीआरआई से चार का पुनः प्रयोग कैप्टिव पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किया जा रहा है।
- सिंटर प्लांट में लोहे के ठोस कचरे जैसे बैग फिल्टर डस्ट, मिल स्केल का फिर से उपयोग किया जाता है।

अध्याय—XIII

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

13.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय को इस उद्देश्य हेतु अपना 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन निर्दिष्ट करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

13.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेल का स्थापित नेटवर्क है। इसका गुवाहाटी में शाखा बिक्री कार्यालय है जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्पात उत्पादों के विपणन का काम करता है। शाखा बिक्री कार्यालय के अलावा, गुवाहाटी, सिलचर और ईंटानगर में तीन सीए गोदाम हैं। वित वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिक्री 1.7 लाख टन से ज्यादा हुई है। सेल राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर रहा है।

परियोजनाओं और उद्योग को बिक्री के अलावा, सेल खुदरा आवश्यकताओं को भी पूरा करने पर भी ध्यान दे रहा है। सेल में पहले खुदरा बिक्री एक व्यापक प्रसार डीलर नेटवर्क के माध्यम से की गई थी। सेल ने वितरणकर्ताओं और डीलर्स वाला 2-टियर वितरण मॉडल तैयार किया है, जो एक खास भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने वाले वितरकों से जुड़ा है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य एक कुशल वितरण चैनल के माध्यम से रिटेल में अंतिम ग्राहक तक पहुंचना और उत्पाद, वितरण और सेवाओं में मूल्यवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करना है।

01.06.2017 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में नियुक्त किए गए वितरक की प्राथमिक जिम्मेदारी टीएमटी की खुदरा बिक्री के लिए है। 01.04.2019 तक वितरक के पास रोल पर 157 डीलर हैं जो उत्तर पूर्व के सभी सात राज्यों को कवर करते हैं। 2018-19 के दौरान 2-स्तरीय चैनल बिक्री के माध्यम से कुल बिक्री 19970 टन थी।

वितरक ने ग्रामीण जागरूकता बैठक, राजमिस्त्री की बैठक, दीवार पेंटिंग, विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन, आदि तरीकों से प्रचार किया है।

13.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

पूर्वोत्तर क्षेत्र एक तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है और यहां पर हाइड्रो पावर, थर्मल पावर स्टेशन, कोयला और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ी क्षमता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है। वर्तमान में, आरआईएनएल मटीरियल के जरिए इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है जिसे आरआईएनएल कोलकाता स्टॉकयार्ड से सड़क मार्ग से वांछित स्थानों पर भेजा जाता है।

आरआईएनएल ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए मैर्सर्स एमएसटीसी के साथ उसके ई-कॉर्मस प्लेटफॉर्म यानी मेटल मंडी के उपयोग के लिए समझौता किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आरआईएनएल की एक आउटलेट खोलने की योजना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्टॉकयार्ड रखने के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ चर्चा चल रही है।

आरआईएनएल ने अगरतला में एक विशेष एबीसी मीट आयोजित की थी और सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, अगरतला नगर निगम, त्रिपुरा हाउसिंग बोर्ड, त्रिपुरा राज्य विद्युत आपूर्ति निगम, एनआईटी अगरतला से फैकल्टीज और स्कॉलर्स, जानेमाने ठेकेदारों, बिल्डर्स और आर्किटेक्ट से लेकर सभी सरकारी विभागों से बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की थी। पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, नगर पालिका जैसे सरकारी विभागों ने आरआईएनएल द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने कर्मचारियों को नामित करते हुए आंतरिक परिपत्र जारी किया था।



13.4 एमएसटीसी लिमिटेड

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) वन संपदा से समृद्ध है जो कुल वन क्षेत्र का 22.21 प्रतिशत है। कृषि के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति विभिन्न फलों, सब्जियों और मसालों की वृद्धि में सहायक होती है।

एमएसटीसी ने अपनी ई-कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादकों की उपज के लिए बाजार तक सीधे पहुंच की सुविधा के लिए पहल की है। एमएसटीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईआरएमएसी-डीओएनईआर मंत्रालय का एक पीएसयू) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एनईआरएमएसी एक एग्रीगेटर और सेंट्रल रेल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी), एक सार्वजनिक क्षेत्र का लॉजिस्टिक प्रदाता, भंडारण, परिवहन खरीदारों को वस्तु की घर तक डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) जिसके पास निम्न और उच्च दोनों मार्ग हैं, नदी / समुद्री मार्गों के माध्यम से परिवहन को आसान कर सकता है।

उपरोक्त कंपनियों की परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना भी एमएसटीसी मेटल मंडी, "एम3" ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में पारदर्शी और बिना परेशानी वाले तरीके से लौह और गैर-लौह दोनों उत्पादों के निर्माता से खरीदार तक घर तक डिलीवरी में मदद करेगी।

इसके अलावा, एमएसटीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्य और केंद्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, रक्षा इकाइयों तथा अद्व-सैनिक बलों के स्कैप का पारदर्शी तरीके से विक्रय करने का काम करती है, जो स्थानीय व्यापारियों की सहायता करती है, जिसके कारण परोक्ष रूप से यह क्षेत्र लाभान्वित होता है।

अध्याय—XIV

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस्पात के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक लाने एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं साझेदारी महत्वपूर्ण है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय ने लोहा एवं इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लिया, जिसका विस्तृत व्योरा नीचे दिया गया है:

- मोजाम्बिक से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर जवाहर लाल नेहरू भवन, नई दिल्ली में 12 जनवरी 2018 को आयोजित बैठक में भागीदारी। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी के सिंह ने की थी।
- डीआईपीपी में अंतर-मंत्रालयी बैठकें डीआईपीपी में संयुक्त सचिव श्री रविंदर की अध्यक्षता में हुईं और इस्पात मंत्रालय में उप सचिव श्री नरेश कुमार वाधवा और अवर सचिव श्री आशीष शर्मा ने इसमें हिस्सा लिया।
- वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव (यूरोप) की अध्यक्षता में वाणिज्य विभाग में अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक हुई और इस्पात मंत्रालय के निदेशक श्री नीरज अग्रवाल इसमें उपस्थित थे।
- इस्पात मंत्रालय के निदेशक श्री नीरज अग्रवाल की उपस्थिति में वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग (जेसीईएसटीसी) के लिए भारत-बुल्गारिया संयुक्त आयोग का 18वां सत्र।
- 4 अप्रैल, 2018 को ईएएम-अजरबैजान विदेश मंत्रालय द्विपक्षीय बैठक के लिए विदेश मंत्रालय में अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक बाकू, अजरबैजान अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक (आईएमएम) में होने वाली थी, जिसमें इस्पात मंत्रालय के निदेशक श्री अनुपम प्रकाश ने हिस्सा लिया।
- 20–22 मार्च, 2018 तक सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) में भारत सोर्सिंग मेले में इस्पात मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रुचिका चौधरी गोविल और निदेशक श्री नीरज अग्रवाल ने भाग लिया।
- आईसीवीएल के पुनर्गठन के संबंध में 21.05.2018 को हैदराबाद में सरकारी आश्वासन (2017–18) पर समिति की अध्ययन यात्रा, इस्पात मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रुचिका चौधरी गोविल ने इसमें हिस्सा लिया।
- खनन मंत्रालय के तत्वावधान में, आधुनिकीकरण और औद्योगिक कूप के कार्य समूह के तहत खनन पर भारत-रूस उप-समूह का 7वां सत्र, इस्पात मंत्रालय के निदेशक श्री नीरज अग्रवाल ने इसमें भाग लिया।
- विदेशी देशों के साथ भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू (समझौता ज्ञापन) की स्थिति पर कैबिनेट सचिवालय में समीक्षा बैठक, इस्पात मंत्रालय के निदेशक श्री नीरज अग्रवाल ने इसमें हिस्सा लिया।
- इस्पात मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रुचिका चौधरी गोविल की अध्यक्षता में हाजीगक खनन परियोजना पर विचार-विमर्श फिर से शुरू करने पर 7वीं अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक 01.02.2019 को आयोजित की गई।



अध्याय—XV

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

15.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय एवं इसके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईसीटी आधारभूत संरचना, सेवा एवं एप्लीकेशन के विकास से संबंधित मामलों के उन्नयन के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं।

- मंत्रालय में कंप्यूटर सेंटर, हाई एंड सर्वर, क्लाइंट सिस्टम्स, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वाईफाई सेटअप से लैस है, जिससे इस मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को आईसीटी सपोर्ट उपलब्ध होता है।
- मंत्रालय में गीगाबाइट के साथ करीब 250 नोड्स का एक लैन (एलएएन) परिचालन में है।
- इस मंत्रालय में सभी अधिकारियों/प्रभागों को एनआईसीएनईटी आधारित एनआईसी/जीओवी डोमेन में ईमेल सुविधा के साथ इंटरनेट संपर्क उपलब्ध करवाया गया है।

मंत्रालय में कागजरहित कार्यालय की अवधारणा को प्रोत्साहन देने के लिए ई—गवर्नेंस अनुप्रयोग का कार्यान्वयन

- डीएआरपीजी की राष्ट्रीय ई—गवर्नेंस योजना के तहत इस मंत्रालय में कम कागजी कार्वाई की पहल के अंतर्गत 'ई—ऑफिस' सॉफ्टवेयर (भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना) मॉड्यूल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, लीव मैनेजमेंट सिस्टम और स्पैरो (ईएपीएआर) लागू किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने ई—ऑफिस के कार्यान्वयन में इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से सराहना का प्रमाणपत्र प्राप्त किया।
- ई—गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत मंत्रालय में एक इंटरनेट पोर्टल भी परिचालन में है। यह पोर्टल कार्य योजनाओं, नकदी रहित लेनदेन वातावरण तैयार करने, अदालती मामलों आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
- ई—मांग पत्र, स्टॉक एवं इनवेंटरी प्रबंधन प्रणाली और यात्रा पर गए अधिकारी की सूचना प्रणाली मंत्रालय के इंट्रानेट पोर्टल पर परिचालन में है। ई—मांगपत्र, स्टॉक और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को आवश्यक सामान्य प्रक्रिया द्वारा दाखिल करने, दाखिल करने और जनरल सेक्शन के एडमिन से मंजूरी प्राप्त और पहले के स्टॉक और इन्वेंटरी बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।
- ई—ऑफिस फाइल प्रबंधन एवं रसीदों, फाइलों की निगरानी, वीआईपी/पीएमओ संदर्भ, कैबिनेट नोट आदि अवकाश प्रबंधन प्रणालियों, ज्ञान प्रबंधन एवं सूचना प्रसार, वार्षिक रिपोर्ट पर सूचना सामग्री का संग्रह, संसद के प्रश्नों, प्रभागों से लंबित आवेदनों का पता लगाने और निगरानी (अदालती मामलों, ऑडिट पैरा एवं संसद के आश्वासन आदि) के लिए एलएएन का व्यापक उपयोग किया जाता है।
- इस मंत्रालय में रीयल टाइम निगरानी के साथ आधार प्रमाणीकरण पर बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली परिचालन में है।
- माननीय प्रधानमंत्री को मासिक प्रगति वीसी उपलब्ध कराने के लिए इस्पात कान्फ्रेंस रूम और इस्पात सचिव कार्यालय में हाई डेफिनिशन वीसी की व्यवस्था की गई है।
- ई—गवर्नेंस योजना के तहत इस मंत्रालय में निम्नलिखित केन्द्रीयकृत नागरिक केन्द्रित वेब आधारित प्रणालियां भी लागू की गई हैं:
 - इस मंत्रालय एवं इसके सार्वजनिक उपक्रमों में आम लोगों और पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान की सुविधा के लिए केन्द्रीयकृत जन शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) लागू की गई है।
 - सूचना का अधिकार अधिनियम — आरटीआई कानून 2005 के तहत प्राप्त अनुरोधों एवं अपीलों की निगरानी की सहूलियत के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई—एमआईएस)। यह प्रणाली इस मंत्रालय एवं इसके सार्वजनिक उपक्रमों में लागू की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- ❖ इस मंत्रालय में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) नाम से एक वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म लागू किया गया है।
- ❖ अति सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन, ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ड्रैकिंग प्रणाली के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म, पेंशन बकाए का समय पर भुगतान एवं पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के लिए 'भविष्य' नाम की ऑनलाइन पेंशन मंजूरी एवं भुगतान निगरानी प्रणाली, कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग सिस्टम (लिंब्स), सरकार के साथ काम करने का अनुभव साझा करने हेतु सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए अनुभव नाम का प्लेटफॉर्म, भर्ती के नियमों के निर्धारण, संशोधन एवं निगरानी प्रणाली (आरआरएफएमएस), सीएसीएमएस, भारत सरकार में पदों एवं सेवाओं में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधि (आरआरसीपीएस) की निगरानी प्रणाली लागू की गई है।
- ❖ एसीसी वैकेंसी निगरानी प्रणाली (एवीएमएस), ई-विजिटर निगरानी प्रणाली (ईवीएमएस), ई-समीक्षा पोर्टल, एपीएआर और वार्षिक संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए स्पैरो को भी लागू किया गया है।
- मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए एक डैशबोर्ड की व्यवस्था की गई है। डैशबोर्ड मुख्य तौर पर इस्पात, उत्पादन, बिक्री और वित्तीय, तकनीकी-आर्थिक प्रदर्शन, सीएसआर बजट, सुरक्षा मुद्दे, सीएपीईएक्स, संयुक्त उद्यम (जेवी), लौह और इस्पात परिदृश्य, उपभोग और क्षमता उपयोग, आयात एवं निर्यात, इस्पात की वस्तुओं की कीमतें और कच्चे माल के भंडारण से संबंधित पीएसयू के प्रदर्शन की जानकारी प्रदान करता है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

- इस्पात मंत्रालय के लिए कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) पर वेबसाइट (<https://steel.gov.in>) विकसित की गई है, जो इस्पात मंत्रालय, उसके अधिकारियों/पीएसयू के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने, आंकड़े उपलब्धता की गति और सटीकता प्राप्त करने एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम को व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में विकसित करने और लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसने घरेलू एवं वैश्विक बाजार में सेल को प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम किया है।

- नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने के निरंतर प्रयास के कारण सेल एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के क्षेत्र में व्यावसायिक संचालन के प्रमुख स्पेक्ट्रम को कवर करने में सक्षम हुआ है। सेल के 4 एकीकृत इस्पात संयंत्र यानी भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (बीएसपी), बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल), राऊरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) और केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) ने पहले ही ईआरपी लागू कर लिया है और इसका लाभ उठा रहे हैं। पांचवां एकीकृत इस्पात संयंत्र यानी आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र (आईएसपी) और नियमित कार्यालय (सीओ) में जीओ-लाइव योजना के साथ ईआरपी कार्यान्वयन का कार्य वित्तीय वर्ष (2019–20) में प्रगति पर है।
- सेल ने क्लाउड मॉडल के माध्यम से आईटी सेवाओं का लाभ उठाना शुरू किया है, जो नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्राप्त करते हुए त्वरित नियोजन, लागत प्रभावशीलता, प्रबंधन में आसानी के अंतर्निहित लाभ के कारण तेजी से वास्तविक उद्योग मानक बन रहा है। नियमित कार्यालय इस पहल में आईएसपी के साथ ईआरपी समाधान लागू करने को अंतिम रूप देने में अग्रणी था।
- बीएसपी में 'विनिर्माण निष्पादन प्रणाली' (एमईएस) को रेलवे की आवश्यकता और समय पर भेजने की सुविधा के अनुसार रोलिंग के लिए प्रत्येक दुकान के अंदर, सामग्री पर नज़र रखने और संतुलन, नमूने और परिणाम का रिकॉर्ड दर्ज करने आदि का दुकान पर निष्पादन करने के लिए यूआरएम और एसएमएस-3 में विस्तारित किया गया है।
- कंपनी के प्रमुख संयंत्रों/इकाइयों में वैधानिक अनुपालन के लिए अंतरराज्यीय गतिविधियों के लिए ई-वै बिल के कार्यान्वयन का काम पूरा कर लिया है।
- भारत सरकार ने पहल स्वरूप जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को बढ़ाने और स्वचालन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ईआरपी सिस्टम के साथ खरीददारी की पेशकश को जोड़ना शुरू किया गया है।
- सेल ने कर्मचारियों के बारे में जानकारी जैसे कर्मचारी मास्टर डेटा प्रबंधन, उनके विकास की रूपरेखा, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, पेंशन डेटा, शिकायत प्रणाली, सुझाव प्रणाली, कंपनी से निकाले जाने के लिए साक्षात्कार, प्रशिक्षण मॉड्यूल

और एमआईएस रिपोर्ट आदि के लिए केंद्रीकृत डेटा बैंक तैयार करने के लिए इन –हाउस ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एसआरएमएस) लागू की है।

- सेल ने डिजिटलीकरण और बदलते समय के साथ तालमेल रखने की अपने पहल के तौर पर मानव संसाधन (एचआर) से संबंधित क्षेत्रों में एंड्रॉइड ऐप विकसित करने के साथ–साथ उत्पादन से संबंधित शॉप फ्लोर पैरामीटर भी बनाए हैं।
- संगठन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सेल अधिकारियों के लिए शिकायत पंजीकरण और सतर्कता अनापत्ति के लिए प्रणाली लागू की गई है।
- कैप्टिव माइंस में दुर्गम स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन फार्मसी व्यवस्था का विस्तार किया गया है।
- इंटरनेट एसबीआई भुगतान गेटवे के माध्यम से बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए टाउनशिप के तीसरे पक्ष के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-हैंडशेक मॉड्यूल शुरू किया गया है।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल समग्र संगठनात्मक दक्षता में सुधार के लिए आईटी अवसंरचना और विभिन्न आईटी प्रणालियों/अनुप्रयोगों के विकास का निरंतर प्रयास करता रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में आरआईएनएल ने भौगोलिक रूप से अलग–थलग 23 स्थानों में पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर 2018 को एनआईसी द्वारा विकसित की गई ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है। आरआईएनएल इसे लागू करने वाला पहला पीएसयू है।
- प्रक्रिया में सुधार (एससीएमपीआई, क्लास–ए) के लिए स्टैंडर्ड सीएमआई अप्रेजल विधि लागू किया गया। व्यवसाय अनुप्रयोगों के लिए लेखापरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और आरआईएनएल को सीएमआई लेवल–3 प्रमाणपत्र दिया गया।
- आईटी एवं ईआरपी विभाग में सूचना सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम लागू करने के लिए फिर से आईएसओ 27001:2013 प्रमाणपत्र दिया गया।
- नये बेव पोर्टल, दस्तावेज संग्रह समाधान, ठोस कचरा प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया गया और मार्केटिंग सेल्स, उत्पादन एवं विस्तारित संयंत्रों के लिए डिले डेटा आदि के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया।
- उत्पादन के क्षेत्र में रेक विश्लेषण एवं निगरानी के लिए नया सिस्टम विकसित किया गया और कंवेयर ब्रेकडाउन एनालिसिस को देखने के लिए इसे लागू किया गया।
- एसएमएस–2, कास्टर–2, एसबीएम फर्नेस एवं डब्ल्यूआरएम–2 मिल आदि जैसे लेवल–2 सिस्टम को सफलतापूर्वक शुरू किया गया।
- भर्ती प्रक्रिया की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया और एचआर के क्षेत्र में अधिकारियों के लिए वेब आधारित स्व–मूल्यांकन प्रणाली, अनुबंध श्रमिकों के लिए गेट पास प्रणाली आदि की व्यवस्था की गई।
- आरआईएनएल विक्रेताओं के अपने बिल पर नजर रखने की सुविधा को आसान बनाने के लिए एंटरप्राइज बिल ट्रैकिंग सिस्टम (ईबीटीएस) विकसित किया गया।
- नयी वेंडर पंजीकरण प्रणाली, एसआरएम ई–टेंडरिंग और ई–नीलामी मॉड्यूल, मिश्रित–मुद्रा बोली आदि की व्यवस्था की गई।

15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

साल के दौरान निम्न विकास कार्यों को पूरा किया गया:

- एनएमडीसी मुख्यालय हैदराबाद को 10 अन्य स्थानों से जोड़कर 27.12.2018 से मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ओपेक्स मॉडल और मल्टी–प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग (एमपीएलएस) कनेक्टिविटी पर टेले प्रसेंस एज ए सर्विस (TPaaS) लागू किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- केंद्रीयकृत पेरोल कार्यान्वयन को एसआईयू—पालोन्चा, जीईसी—रायपुर और डीएमपी—पन्ना तक विस्तारित किया गया है।
- सभी मॉड्यूल वाले एचआरएमएस सॉफ्टवेयर को एनएमडीसी मुख्यालय एवं सभी स्थानों पर समान रूप से लागू किया गया।
- निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस को अपग्रेड किया गया है:
 - ❖ 2003 से 2013 तक के माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को अपग्रेड किया गया है।
 - ❖ बाराकुडा ईमेल सिक्यूरिटी गेटवे को लागू किया गया।
 - ❖ एकिटव डाइरेकट्री, डीएनएस, डीएचसीपी को 2003 से 2012 तक के लिए अपग्रेड किया गया है।
 - ❖ विंडो फैलऑवर क्लस्टर तैयार किया गया और सभी फिजिकल सर्वर को हाइपर-5 का उपयोग करते हुए वचुअल में भेज दिया गया।
 - ❖ क्लस्टर एवं ग्राहकों के प्रबंधन के लिए एससीसीएम को लागू किया गया।
- एनएमडीसी मुख्यालय और सभी स्थानों पर बायो—मेट्रिक अटेंडेंस रिकार्डिंग सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए 23.11.2018 को पीओ जारी किया गया।
- सतर्कता विभाग के लिए निम्न नए मॉड्यूल विकसित किए गए हैं:
 - ❖ सतर्कता शिकायत निगरानी प्रणाली।
 - ❖ सतर्कता निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली।
 - ❖ सुझाव प्रबंधन प्रणाली।
- खनन एवं संयंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली संचालित स्वचालन में नवाचार के लिए एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच चीप्स (CHiPS), रायपुर के माध्यम से 24.04.2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया। इसके तहत निम्नलिखित गतिविधियां की गईः
 - ❖ फलीट मैनेजमेंट सिस्टम (एफएमएस)।
 - ❖ डिजिटल सेक्रेटेरियट सॉफ्टवेयर इम्पलीमेंटेशन।
 - ❖ एनएमडीसी के लिए आईटी पॉलिसी एवं आईटी रोडमैप का मसौदा तैयार किया गया।
 - ❖ कन्वीनर बेल्ट मैनेजमेंट प्रणाली, रियल टाइम ऊर्जा निगरानी, कर्मचारियों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और संपत्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए पीओसीज सहित कई त्वरित सफलताएं मिली।
- सतर्कता में समानांतर प्लेसमेंट के लिए अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक कैरियर पोर्टल विकसित किया गया है।
- सुरक्षा विभाग के लिए एक दुर्घटना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।
- जेओएस / अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के लिए प्रदर्शन समीक्षा चर्चा (पीआरडी) शुरू की गई है।

15.5 मॉयल लिमिटेड

कंपनी के कामकाज के सभी क्षेत्रों का कंप्यूटीकरण सुनिश्चित करने के लिए मॉयल लिमिटेड ने पूर्णकालिक सिस्टम विभाग का गठन किया है। पर्याप्त आईटी अवसंचरना सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गएः

- प्रधान कार्यालय एवं सभी खानों/संयंत्रों में 450 कम्प्यूटर लगाए गए।
- प्रधान कार्यालय में विंडोज एवं लिनक्स प्लैटफॉर्म पर इथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) लगाया गया और कंपनी की सभी खानों में भी एलएएन का डिजायन तैयार किया गया और इसे विकसित किया गया।

- एनआईसी सर्वर पर मजबूत इंटरनेट बेवसाइट डिजाइन, विकसित और चालू किया गया तथा एक इन-हाउस इंटरनेट सर्वर भी चालू किया गया।
- सभी खानों और प्रधान कार्यालय द्वारा नियमित आधार पर अनुप्रयोगों, डेटाबेस/सूचना और अन्य संसाधनों को प्रभावी रूप से साझा करने के लिए इन्हें लीजड लाइन पर एमपीएलएस वीपीएन एवं वीपीएन के माध्यम से जोड़ा जाता है।
- जानकारी को सतत रूप से साझा करने, ईमेल करने और इकाइयों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को ओएफसी पर 40 एमबीपीएस (1: 1) इंटरनेट लीजड लाइन का इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है। सभी खदानों को ओएफसी पर लीजड लाइन इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 2 लाख रुपए एवं उससे अधिक मूल्य के सामान और सेवाओं की सभी खरीद एमएसटीसी के ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
- कंपनी में ईआरपी का कार्यान्वयन (नीचे विस्तृत जानकारी दी गई है)
- खानों, मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ संचार के लिए वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है।

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)

मॉयल में ईआरपी लागू होने से सभी कारोबारी प्रक्रियाएं कार्य निर्बाध रूप से एकीकृत हो सके हैं, जिससे सभी स्तरों पर व्यवहारिक एवं पारदर्शी सूचना के आधार पर निर्णय करने में सहायित होती है। संपूर्ण संगठन द्वारा साझा आधार पर एकल सौदे किए जाने से पूरे कारोबारी कामकाज में सभी प्रमुख आंकड़ों का मानकीकरण प्राप्त हुआ है।

- ईआरपी के लिए मुख्यालय में आधुनिक डेटा केंद्र का डिजाइन तैयार किया गया और इसे शुरू किया गया।
- एफआईसीओ, एमएम, एमएम, एसडी, पीपी, पीएम और एचआरएम जैसे एसएपी के मुख्य मॉड्यूल्स के अलावा अब कंपनी ने एफएलएम, डीएमएस और ईएसएस/एमएसएस को भी लागू किया है।
- सभी नियमित व्यापार लेनदेन पूर्ववर्ती परंपरागत प्रणालियों के बदले एसएपी से किया जाने लगा है।

15.6 एमएसटीसी लिमिटेड

- जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार के वेबसाइट्स के लिए दिशानिर्देश) के आधार पर एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त किया गया था, जो हमारे कार्पोरेट वेबसाइट <https://www.mstcindia.co.in> के लिए एसटीक्यूसी कोलकाता द्वारा किए लेखापरीक्षण के बाद 4 फरवरी 2022 तक वैध है।
- आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्रभावी है और हर साल एसटीक्यूसी, कोलकाता इसकी निगरानी करता है और यह प्रमाण पत्र 12 जून 2010 तक वैध है।
- आईएसओ 9000:2015 प्रमाणपत्र को भी 30.04.2019 को किए गए दूसरे निगरानी लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार बनाए रखा गया है और यह 30—05—2020 तक वैध है।
- एमएसटीसी सिस्टम्स प्रभाग वर्ष 2013 से सीएमएमआई लेवल 3 के अनुरूप है और इसका अन्य तीन वर्षों के लिए नवीकरण किया गया, जिसकी वैधता 27—06—2019 तक है।
- एमएसटीसी ने मेजर एंड माइनर मिनरल ब्लॉक (एमएमबी), ई-आरएकेएम, आईओसी आयात-निर्यात पोर्टल और देना बैंक, एचएमडीए, एनएमडीसी डायमंड ऑक्शन सहित संपत्ति बिक्री आदि जैसे कई विशिष्ट रूप से तैयार परियोजनाओं को खुद विकसित किया है और इसे लागू किया है।
- एमएसटीसी ने खुद से एमओए की ओर से www.jaivikkheti.in पोर्टल, ओएमसीज के लिए पेट्रोल पंपों और ट्रांसपोर्ट के वितरण के लिए ऑनलाइन ड्रा सिस्टम, एमओएस के लिए डैशबोर्ड, एंड्रॉयड एम3 मोबाइल ऐप के साथ-साथ ऑनलाइन कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली (गैर-कार्यपालक) का आंतरिक विकास, ऑनलाइन हवाई टिकट की मांग, ऑनलाइन अवकाश आवेदन, ज्ञान प्रबंधन पोर्टल आदि विकसित किया है।
- ई-प्रोक्योरमेंट सेवाओं पर एसटीक्यूसी प्रमाणन का नवीनीकरण एसटीक्यूसी कोलकाता द्वारा आयोजित ऑडिट को

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

मंजूरी देने के बाद अंतिम चरण में है, जिसमें कार्यात्मक परीक्षण, सीवीसी और आईटी अधिनियम अनुपालन ऑडिट, वेब एप्लिकेशन सुरक्षा परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, वल्नरेबिल्टी टेस्टिंग, और पेनेटरेटिंग टेस्टिंग जैसे सभी परीक्षण शामिल हैं।

- अंदर के उपयोगकर्ताओं एवं बाहरी दुनिया से हैंकिंग को रोकने के लिएसक्रिय कदम उठाने के लिए एवं लॉग पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ—साथ नेटवर्क डिवाइस के बदले विभिन्न स्तरों पर नेक्स्ट जेनरेशन फायरवॉल औफ हेट्रोजेनियस ओईएमएस (चेकप्वाइंट/सीआईसीएसओ) लगाया गया है।
- सॉफ्टवेयर सिस्टम विभाग के लिए सीईआरटी—आईएन के द्वारा ऑडिट कराया गया।

15.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

- एफएसएनएल ने कॉरपोरेट कार्यालय और इसकी छह प्रमुख इकाइयों (भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला, दुर्गापुर और विजाग) के बीच मल्टी—प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) संपर्क को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआईएमएस) नाम से एकीकृत ईआरपी पैकेज क्रियान्वयन के चरण में है।
- डिजास्टर रिकवरी (डीआर) डेटा सेंटर को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है।

15.8 मेकॉन लिमिटेड

रांची, बैंगलूरु और दिल्ली में मेकॉन के कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर, नेटवर्क और विभिन्न इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयरों जैसे REBARCAD, TEKLA, AERMODVIEW, STAAD.PRO, AUTOCAD, ETAP, CAESAR, PVLITE, AUTOPLANT, PDS आदि से युक्त हैं, जिनसे गुणवत्ता डिजाइन और विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुगम हो जाता है।

मेकॉन वर्तमान में चल रहीं विभिन्न परियोजनाओं के नियोजन और निगरानी के लिए प्राइमवेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल कर रही है और कंपनी के भीतर विकसित किए गए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है।

कंपनी के भीतर विकसित एप्लीकेशंस जैसे एचआर, कॉरपोरेट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, एमआईएस, कंपीटेंसी मैपिंग, ई—आर्काइव दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उपयोग किए जा रहे हैं।

मेकॉन ने ग्राहकों के लिए जीएसटी चालान तैयार करने और वेंडरों से प्राप्त जीएसटी बिलों की प्रोसेसिंग हेतु जीएसटी सिस्टम भी विकसित किया है। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को एक साझा सूचना पोर्टल (www.meconinfo.co.in) के जरिये एकीकृत किया जाता है।

15.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल के सभी संयंत्रों एवं कार्यालयों में आईटी का इस्तेमाल इसकी स्थापना के समय से ही किया जा रहा है। आईटी गतिविधियों के अंतर्गत कवर किए गए मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- माल—सूची एवं सामग्री प्रबंधन : कंपनी 1980 के दशक से ही कंप्यूटरीकृत माल—सूची लेखा एवं नियंत्रण प्रणाली का उपयोग कर रही है। कनाडा की खनन कंपनियों द्वारा डिजाइन की गई एवं विशेष प्रक्रिया, प्रारूप और चेक डिजिट के साथ संहिताकरण की खूबी वाली इस प्रणाली को अपनाया गया है। बाद में इस प्रणाली को अपग्रेड किया गया और एक वेब आधारित स्लेटफॉर्म पर ले जाया गया।
- वित्र एवं लेखा: पेरोल का लेखा और पे स्लिप निकालने के काम का कंप्यूटरीकरण 80 के दशक में किया गया। सभी प्रमुख भुगतान आरटीजीएस/ऑनलाइन/बैंक के जरिये किए जाते हैं। कॉरपोरेट कार्यालय और संयंत्र में सभी सौदे 100 प्रतिशत नकदी रहित हैं।
- ई—कॉमर्स: ई—निविदा, ई—खरीद और आरटीजीएस ने कागजी कार्रवाई को कम किया है, पारदर्शिता बढ़ाई है और



इसके कारण समय की बचत हुई है। पेलेट्स की बिक्री एसक्यूटीसी प्रमाणन वाली क्लास क्लास i/ii आरएसए/एसए एजेंसी द्वारा ई-निविदा के माध्यम से की जाती है। इससे मूल्य पता करने के समय में उल्लेखनीय कमी आई है। एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य की सभी खरीद ई-निविदा के जरिये की जाती है।

- प्लांट प्रोसेस ऑटोमेशन:** केआईओसीएल के सभी संयंत्र पूर्ण ऑटोमेटेड हैं और इसे सेंट्रल कंप्यूटर रूम से नियंत्रित किया जाता है। इसे लागू किए जाने के बाद पहले की अपेक्षा कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, मानव एवं मशीन की सुरक्षा बढ़ गई है और उपकरणों का जीवनकाल बढ़ गया है। कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के जरिये संग्रह किए गए आंकड़ों का उपयोग समय समय पर एहतियाती रखरखाव करने, उपकरण के जीवनकाल का अनुमान लगाने में किया जाता है, जिससे उत्पादकता बढ़ी है।
- वेबसाइट का रख-रखाव:** कंपनी की वेबसाइट व्यापक रूप से कंपनी द्वारा शुरू की गई सभी मौजूदा गतिविधियों को शामिल करती है और इसे नियमित रूप से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपडेट की जाती है। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ लिकेजस किया गया है। दिलचस्प सामग्री की जांच को सक्षम बनाने के लिए ट्रिवटर, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया/नेटवर्किंग को एकीकृत करने के लिए वेबसाइट में लिंक भी दिए गए हैं।
- ऑनलाइन एचआरएमआईएस:** मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचआरएमआईएस) को इन-हाउस विकसित किया गया है, जो डेटा विश्लेषण और प्रोसेसिंग के लिए कर्मचारियों का मास्टर विवरण, कैरियर विवरण, पदोन्नति विवरण, आश्रितों का विवरण आदि जैसी जानकारी प्रदान करने वाला केंद्रीकृत डेटा बैंक है। यह कर्मचारियों की जानकारी का एक एकीकृत डेटाबेस है।
- वेब आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली:** वेब आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को ई6-ई7 तक के अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए इन-हाउस विकसित किया गया है। इसका उपयोग उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- ऑनलाइन ट्रैमासिक सतर्कता क्लीयरेंस प्रणाली:** एजीएम (ई5) से ईडी (ई9) स्तर तक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ट्रैमासिक सतर्कता क्लीयरेंस प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कंपनी ने खुद से ट्रैमासिक सतर्कता क्लीयरेंस प्रणाली का विकास किया है।

15.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

इन कंपनियों ने सभी निविदाएं/ईओआई अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) में प्रकाशित करने की पहल की है। लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क की बिक्री की प्रक्रिया केवल ई-नीलामी माध्यम से पूरी की जाती है। कॉरपोरेट कार्यालय में बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली और सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। अवकाश के रिकॉर्डर्स के रखरखाव और वेतन की प्रोसेसिंग एक विशेष तौर पर तैयार की गई पेरोल प्रणाली के जरिये की जाती है। आरटीजीएस और ई-भुगतान मोड के माध्यम से वेंडर बिलों और कर्मचारी के वेतन का भुगतान करने के लिए टैली आधारित अकाउंटिंग पैकेज का उपयोग किया जा रहा है।

अध्याय—XVI

सुरक्षा

16.1 प्रस्तावना

किसी भी उद्योग के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न सिर्फ इसके कर्मचारियों और कामगारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन जटिल और जोखिम वाली गतिविधि है इसलिए कर्मचारियों को जख्मी होने से बचाने और दुर्घटना को रोकने के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण और सभी तरह के खतरों और जोखिम के प्रति पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

16.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और व्यवस्था के मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

16.2.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

इस्पात प्लांट में दुर्घटना-रहित कार्य करना सुनिश्चित करना सेल प्रबंधन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जो 'शून्य दुर्घटना' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेल में सुरक्षा प्रबंधन की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है अर्थात् सुरक्षा जागरूकता पैदा करने एवं सुरक्षा के प्रति मानवीय व्यवहार सुधारने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक स्तर के साथ-साथ संबंधित प्लांट/यूनिटों के प्रमुख कार्यपालकों द्वारा बल दिया जाता है। सभी उपयुक्त मंचों पर महत्वपूर्ण विषय के रूप में सुरक्षा पर चर्चा की जाती है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

सेल में अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओएचएसएस-18001 कार्यान्वित करने के साथ-साथ एक 'व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति' भी है।

16.2.2 सेल में सुरक्षा व्यवस्था

सेल के सभी प्लांट/यूनिटों के संबद्ध कार्य प्रमुख के तहत पूर्णतः सुसज्जित सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सुरक्षा प्रबंधन पहलुओं की देखरेख की जाती है। कारपोरेट स्तर पर सेल सेपटी ऑर्गनाइजेशन (एसएसओ), रांची सेल के विभिन्न प्लांट/यूनिटों में परिचालन/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय और निगरानी तथा संगठन स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन पर उचित ध्यान देती है।

16.2.3 प्रणाली एवं प्रक्रिया

- ओएचएसएस-18001:2007 और एसए 8000:2008 जैसी प्रबंधन प्रणालियों के साथ अनुरूपता।
- सुरक्षा पहलुओं को स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी), स्टॅंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर (एसएमपी) और सेफ वर्क इन्स्ट्रुक्शन्स (एसडब्ल्यूआई) के तौर पर शामिल किया जाता है और उसका अनुपालन किया जाता है।
- कार्यों के सुरक्षित निष्पादन के लिए कार्य अनुमति प्रणाली लागू की गई है।
- पूंजीगत/प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए और उनका अनुपालन किया गया।
- ऐतिहातन निरीक्षण/औचक जांच के दौरान असुरक्षित कार्यों एवं परिस्थितियों की पहचान की जाती है और नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं तथा इनका पालन किया जाता है।
- केबल गैलरीज़, ऑयल सेलर्स सहित अग्नि संभावित क्षेत्रों के लिए संयुक्त निरीक्षण किए जाते हैं और अग्नि का पता लगाने व बचाव प्रणालियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, इस पर पैनी नजर रखी जाती है। आपात स्थिति में तैयारी के लिए मॉक ड्रिल कराए जाते हैं।
- संयंत्रों/यूनिटों में शीर्ष/विभागीय सुरक्षा समितियों के जरिए सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात उद्योग के स्तर पर भी इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जैसीएसएसआई) के जरिए एसएसओ द्वारा सचिवालय के कामकाज का प्रबंधन किया जाता है।

- जंचाई पर काम करने के लिए हाईट पास जारी करने के लिए और क्रेन संचालक और मोबाइल उपकरण संचालक के लिए भी विशिष्ट चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।
- समन्वय एवं निगरानी के लिए एसएसओ द्वारा पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में अन्तर प्लांट नेटवर्किंग स्थापित की गई जिसके लिए एनओएचएससी, बीएसपी केन्द्रीय एजेंसी के तौर पर काम कर रही है।
- एसएचई गतिविधियों में सेल और एनएससी दोनों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए सुरक्षा ऑडिट और प्रशिक्षण के लिए एनएससी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- चिह्नित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 'सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों' पर आईपीएसएस1:11 मानक तैयार किए जा रहे हैं।

16.2.4 सुरक्षा परीक्षण / निगरानी

प्लांट और यूनिटों में सुरक्षा परीक्षण निम्नलिखित ढंग से किए जा रहे हैं:

- संबंधित प्लांट के सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा आंतरिक सुरक्षा का परीक्षण
- संबंधित प्लांट/यूनिटों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सेल सुरक्षा संगठन द्वारा सुरक्षा परीक्षण
- क्षेत्रीय सांविधिक प्राधिकारियों, ओएचएसएस लेखापरीक्षाकों आदि द्वारा अनुशासित बाहरी एजेंसियों जैसे कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा परीक्षण
- ओएचएसएस-18001, एसए 8000 आदि के लिए मान्यता बनाए रखने के लिए प्रबंधन का पुनरीक्षण
- निर्धारित अंतराल पर संयंत्रों/यूनिटों के सुरक्षा प्रमुखों और अग्नि सेवा प्रमुखों की बैठक आयोजित की जाती है।
- सुरक्षा और अग्नि सेवा गतिविधियों के लिए अप्लीकेशन का प्रत्येक प्लांट/यूनिटों एवं एसएसओ के लिए निर्धारण किया जाता है।
- कार्यों को सुरक्षित पूरा करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख मशीनों की मरम्मत/कार्यों की समाप्ति के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा निगरानी की जाती है।
- एसएसओ द्वारा सभी प्लांट/यूनिटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग शुरू की गई।

16.2.5 जागरूकता एवं प्रशिक्षण

- सुरक्षा, पेशेवर स्वास्थ्य और कार्य वातावरण का स्तर बढ़ाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी सूचना का संयंत्रों के स्थानीय टीवी नेटवर्क के जरिए प्रसारण किया जाता है।
- नियमित अंतराल पर प्लांट/यूनिटों में कौशल उन्मुखी कार्य विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
- सुरक्षा प्रशिक्षण देने के दौरान परीक्षण दृश्य-श्रव्य साधन व सुरक्षा फिल्मों का उपयोग किया जाता है।
- संयंत्रों एवं यूनिटों के विभागीय सुरक्षा अधिकारियों/लाइन मैनेजरों/सुरक्षा निरीक्षकों के लिए एसएसओ द्वारा बाहरी फैकल्टी की मदद से एकीकृत इस्पात संयंत्र के नए सिरे से भर्ती किए गए विभागीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन, 'सुरक्षा प्रबंधन' सांविधिक अनुपालनों के लिए औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच और 'प्रोसेस सुरक्षा प्रबंधन' का आयोजन किया गया था।
- SSO द्वारा बाहरी फैकल्टी की सहायता से 'सेफटी इन रेल मूवमेंट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

16.2.6 व्यक्तिगत रक्षक उपकरण और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

- कर्मचारी पर्सनल प्रोटेक्टिव ईक्विपमेंट (पीपीई) उपलब्ध कराए जाते हैं और इसके उपयोग का निरीक्षण किया जाता है।
- जंचाई पर सुरक्षा के लिए दोगुना पट्टे के साथ फुल-बॉडी कवच का उपयोग किया जाता है।
- समय समय पर उन्नत पीपीई, सुरक्षा उपकरण, गैस निगरानी उपकरण भी पेश किए जाते हैं।

16.2.7 ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा

चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, दोनों परियोजनाओं और निर्माण संबंधी नौकरियों में उनकी तैनाती के मद्देनजर ठेकेदार के कार्य क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक उच्च प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

व्यक्तियों को सुरक्षित काम करने के बारे में प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रचलित दिशानिर्देशों में करार में सुरक्षा और दंड का प्रावधान, साइट निरीक्षण प्रणाली और नौकरियों की शुरुआत से पहले सुरक्षा मंजूरी जारी करना, सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती आदि शामिल हैं। दो दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल सभी प्लांट और यूनिटों द्वारा कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है।

16.2.8 दुर्घटना विश्लेषण, जांच एवं मुआवजा

- रिपोर्टबल लॉस्ट टाइम इंज्यूरी फ्रिक्वेंसी रेट (RLTIFR) – अप्रैल 2018 – मार्च 2019 की अवधि के लिए: 0.17
- सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है, विश्लेषण किया जाता है और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- घातक दुर्घटनाओं के 'ऑन-द-स्पॉट अध्ययन' की सिफारिशें इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रासंगिक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सभी प्लांट और यूनिटों के बीच प्रसारित की जाती हैं। प्रत्येक घातक दुर्घटना की जिम्मेदारी तय की जाती है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
- नियमित कर्मचारियों के मामले में, मुआवजे का भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जबकि अनुबंध श्रम के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

16.2.9 नई पहले

- सांविधिक शिकायतों के लिए विकासशील सुरक्षा लेखा परीक्षक: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई के संकाय समर्थन के साथ सभी एकीकृत इस्पात प्लांट में 'व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लेखा परीक्षा' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन: डिपार्टमेंटल सेफटी ऑफिसर्स (डीएसओ) के लिए बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी की मदद से 'प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- एसएसओ द्वारा संरचित सुरक्षा समीक्षा: ईडी, एसएसओ द्वारा संरचित सुरक्षा समीक्षा को अनुक्रम के विभिन्न स्तरों को कवर करने वाले संयंत्रों में शुरू किया गया है। सभी जीएम/एचओडी, डिपार्टमेंटल सेफटी ऑफिसर्स (डीएसओ), सफेटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (एसईडी) और फायर सर्विसेज द्वारा प्लांट निरीक्षण के बाद सभी संकलित इस्पात प्लांट की सुरक्षा समीक्षा की गई।
- नई सुरक्षा प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का विकास: आईपीएसएस 1-11 समिति के तहत चिन्हित क्षेत्रों में नई सुरक्षा प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों के विकास पर निरंतर जोर दिया जा रहा है। 19-20 दिसंबर को आयोजित आईपीएसएस की बैठक में, ऊंचाई पर लगी विमनी के निरीक्षण/पैंटिंग के लिए नई सुरक्षा मानक को अंतिम रूप दिया गया। छत की शीट बदलने के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों पर मानकों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन और ईंधन गैसों की सुरक्षा प्रक्रिया और ठेकेदार के कामगार द्वारा ऊंचाई पर काम करने के लिए सुरक्षा प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। बैठक में टाटा स्टील, एल एंड टी, आरआईएनएल, मेकॉन, जैएसपीएल, एचईसी और सेल संयंत्रों और यूनिटों के विशेषज्ञों ने भाग लिया है।
- एसएम- सेफटी अलर्ट मैसेज जारी करने की प्रणाली।
- एकीकृत इस्पात संयंत्र में सुरक्षा पालन में परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक ख्याति के सुरक्षा सलाहकार की तैनाती का पता लगाया जा रहा है।
- प्लांट और यूनिटों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मासिक समीक्षा की जा रही है।

16.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

16.3.1 प्रबंधन की प्रतिबद्धता

सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण और सक्रिय उपायों की निगरानी पर आरआईएनएल के निरंतर प्रयासों से संभावित खतरों में कमी आई है/खत्म हो गए हैं। शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने और कंपनी में सकारात्मक सुरक्षा प्रक्रिया लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। प्लांट में नियमित और अनियमित गतिविधियों की पहचान ओएचएसएस के हिस्से के रूप में विस्तार क्षेत्र सहित हजार्ड आयडेटिफिकेशन अँड रिस्क असेसमेंट (एचआईआरएस) किया गया था। सभी

सुरक्षा नियंत्रणों और उपायों की पहचान की जाती है और सभी गतिविधियों के लिए इन पर निगरानी और कार्यान्वयन किया जाता है।

16.3.2 आरआईएनएल में सुरक्षा व्यवस्था:

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों की ओर से समान भागीदारी के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 30 विभागीय सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं।

16.3.3 आपातकालीन प्रबंधन योजना

आपातकालीन स्थितियों के दौरान आपातकालीन तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात प्लांट में व्यापक आपातकालीन प्रबंधन योजना तैयार की गई है और किसी भी आपातकालीन स्थितियों के दौरान विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन के लिए संयंत्र नियंत्रण के एक नियंत्रण रूम बनाया गया है।

साइट पर आपातकालीन योजना लागू की गई थी। विभागों/प्लांट की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए, आपात स्थितियों का मुकाबला करने के लिए, हर महीने विभागीय स्तर के फायर मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं और गैस रिसाव, इलेक्ट्रिक शॉक, बचाव आदि जैसी आपात स्थितियों के लिए अन्य मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई।

16.3.4 सुरक्षा ऑडिट एवं निरीक्षण

संबंधित विभागीय सुरक्षा अधिकारी और अर्हताप्राप्त आंतरिक ओएचएसएस लेखा परीक्षकों द्वारा सभी प्रमुख और छोटे विभागों में अनुसूची के अनुसार आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किए गए हैं। ओएचएसएस सर्टिफिकेशन एजेंसी के मुख्य ऑडिटर्स द्वारा छह महीने में एक बार बाहरी सुरक्षा ऑडिट भी किया गया। ऑडिटरों द्वारा उठाए गए सभी गैर-अनुरूपताओं को ठीक कर दिया गया था। वैधानिक आवश्यकता के भाग के रूप में, बाह्य सुरक्षा ऑडिट कार्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।

सक्रिय दृष्टिकोण के भाग के रूप में, गैर-अनुरूपता (असुरक्षित-अधिनियम / असुरक्षित-स्थितियाँ) की पहचान के लिए सभी प्रमुख विभागों में विशेष सुरक्षा निरीक्षण किए गए थे और उन्हें ठीक किया गया था।

सभी दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच की गई और सभी विभागों में उपचारात्मक उपायों को लागू किया गया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्लांट में पूँजी मरम्मत और प्रमुख गतिविधियों के दौरान चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है।

16.3.5 सुरक्षा प्रशिक्षण

7043 नियमित कर्मचारियों को नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया था और लगभग 19409 अनुबंध कर्मचारियों को सुरक्षा प्रवेशण और पुनर्शर्या प्रशिक्षण दिया गया था। सभी संविदा कर्मियों को सुरक्षा प्रवेशण प्रशिक्षण के बाद ही नौकरी पर रखा जाता है। इसके अलावा, व्यवहार आधारित सुरक्षा, कानूनी और अन्य आवश्यकताओं, सामग्री प्रबंधन में सुरक्षा, आदि के लिए विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए गए थे, सुरक्षा पास जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई थी; सुरक्षा पास प्राप्त करने के बाद ही गेट पास जारी किए जाते हैं।

वर्ष 2018–19 की मुख्य बातों/ किए गए उपाय:

- पिछले वित्तीय वर्ष में दुर्घटनाओं की आवृत्ति दर 0.13 से घटाकर 0.09 कर दी गई है।
- बैंज़ोल प्लांट में विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी।
- कारखाना अधिनियम 1948 का कार्यान्वयन पर जागरूकता कार्यक्रम। डॉ. आर.के. इलांगोवन, खान अधिनियम, 1952 और बीओसीडबल्यू अधिनियम, 1966 और कानूनी प्रावधानों में नवीन प्रस्तावित घटनाक्रम पर जागरूकता कार्यक्रम उपनिदेशक, डीजीएफएसएलआई भारत सरकार द्वारा 27.04.2018 को आयोजित किए गए थे।
- डॉ. आर. के. इलांगोवन, उप महानिदेशक, डीजीएफएसएलआई की मदद से सुरक्षा के कानूनी पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
- “सेफटी वीक” मनाया गया और सुरक्षा पर स्लोगन, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, हाऊस कीपिंग आदि जैसी विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ अनुबंध कर्मचारी भी शामिल थे।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- एलपीजी प्लांट का सुरक्षा निरीक्षण किया गया था और आईओसीएल के अधिकारियों की मदद से "एलपीजी सुरक्षा" पर उकुनगरम के गृहणियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- प्लांट के संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त निरीक्षण के लिए सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम द्वारा रात्रि निगरानी शुरू की गई थी।
- प्लांट की व्यापक बाहरी सुरक्षा परीक्षण का संचालन मेसर्स नेशनल सेटी काउंसिल, मुंबई द्वारा किया गया था।
- 4 मार्च 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस संबंध में, पूरे प्लांट, खानों और स्कूली बच्चों और गृहिणियों के लिए विभिन्न सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

16.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। उन्हें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत जरूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया ये केंद्र बुनियादी प्रशिक्षण, पुनःचर्या प्रशिक्षण, कुशल कामगारों और ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले कामगारों के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरतें पूरी करते हैं।

एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन कार्यों और यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक यंत्रों अधिष्ठानों के लिए कानूनी अपेक्षाओं के मुताबिक पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों का नामांकन/नियुक्ति की जाती है।

हर चालू खान के लिए सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं और हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहां कार्य वातावरण से संबंधित सुरक्षा मामलों और सुधारात्मक कार्रवाइयों पर चर्चा की जाती है।

प्रत्येक परिचालन खदान में खदान स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। यह बैठक परियोजना के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय प्रतिनिधियों और डीजीएमएस अधिकारियों के साथ साल में एक बार आयोजित की जाती है जिसमें सुरक्षा प्रदर्शन और इसके मूल्यांकन किए जाते हैं और सिफारिशों लागू की जाती हैं।

कॉरपोरेट स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें मुख्य कार्यालय में एक वर्ष में एक बार नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। एनएमडीसी माइन्स (बिलाडिला आयरन और माइन, किरंदुल कॉम्प्लेक्स; बिलाडिला आयरन और माइन, बचेली कॉम्प्लेक्स; डोनालाई आयरन और माइन; कुमारस्वामी आयरन और माइन एंड डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, पन्ना) की 29 वीं कॉरपोरेट स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 21.01.2019 को आयोजित की गई थी।

वर्ष 2018–19 में प्रति 1000 मानव कार्य दिवसों पर 7.04 मानव कार्य दिवसों का नुकसान हुआ।

16.4.1 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

सभी एनएमडीसी परियोजनाएं यानी बीआईओएम, किरंदुल कॉम्प्लेक्स; बीआईओएम, बचेली कॉम्प्लेक्स; डोनिमलई आयरन और माइन; हीरा खनन परियोजना, पन्ना और अनुसंधान और विकास केंद्र एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (क्यूएमएस) आईएसओ 9001: 2015; (ईएमएस) आईएसओ 14001: 2015; (ओएचएसएमएस) ओएचएसएरेस 18001: 2007 और एसए 8000: 2014 मानकों के साथ मान्यता प्राप्त है।

16.4.2 सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

सभी खानों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन अध्ययन किया जा रहा है। परियोजनाओं की आंतरिक सुरक्षा ऑडिट परियोजनाएं आंतरिक परीक्षण टीम द्वारा संचालित की जा रही हैं और टिप्पणियां अनुपालन के लिए परियोजनाओं को भेजी गयी हैं और आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा निगरानी की जा रही है।

16.5 एमओआईएल लिमिटेड

खदानों में काम करने वाले सभी माइनरों, खदान फोरमैन और योग्य खनन इंजीनियरों जैसे सक्षम पर्यवेक्षक नियमित रूप से सभी कामों की निगरानी कर रहे हैं। वर्किंग शिफ्ट के दौरान भी कामगार, इंस्पेक्टर, सुरक्षा अधिकारी, खदान प्रबंधक और एजेंट सुरक्षा निरीक्षण करते हैं। प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक (सुरक्षा) के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा संगठन, डीजीएमएस के साथ समन्वय कर रहा है और समय–समय पर खानों का निरीक्षण करता है।

नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें खानों में होती हैं, जहाँ दिन–प्रतिदिन के सुरक्षा पहलुओं पर कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाती है। किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए असुरक्षित कार्यों और खान दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है।



खानों के सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी की सुरक्षा नीति को 9 वें और 10 वें सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन का अध्ययन शुरू किया है। अध्ययन की सिफारिशें लागू की जा रही हैं। मुंसर खदान में मॉयल के प्रशिक्षण केंद्र में काम करने वाले निरीक्षक और श्रमिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी ठोस प्रयासों से खदान की दुर्घटना की आवृत्ति कम हो गई है। निर्देशकों और सीएमडी सुरक्षा मानकों की उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की नियमित निगरानी कर रहे हैं।

16.5.1 सुरक्षा परीक्षण

संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा और योग्य आंतरिक ओएचएसएस लेखा परीक्षकों द्वारा सभी खानों और प्लांट में आंतरिक सुरक्षा परीक्षण किए गए हैं। सभी परीक्षण बिंदुओं का अनुपालन संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। वैधानिक आवश्यकता के भाग के रूप में, बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा सुरक्षा के क्षेत्र में बाहरी सुरक्षा परीक्षण किया जा रहा है। एजेंसी द्वारा उठाए गए सभी पॉइंट्स का अनुपालन किया गया है।

16.5.2 विपत्ति मूल्यांकन और विपत्ति प्रबंधन

वर्ष 2002 के डीजीएमएस परिपत्र संख्या 13 की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों और सुरक्षा प्रबंधन योजना के तहत सभी प्रमुख खानों (भूमिगत के साथ—साथ ओपनकॉर्स्ट) पर विपत्ति मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। विपत्ति प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में विपत्ति की पहचान करना, विपत्ति मूल्यांकन का विश्लेषण करना और विपत्ति प्रबंधन की प्राथमिकता एवं विपत्ति घटाने की योजना तय करना है।

16.5.3 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन (ओएचएसएस 18001: 2007)

मॉयल को बालाधाट, डॉंगरी बुजुर्ग, चिकला, कांद्री, मुंसार, गुमगाँव, तिरोड़ी और उकवा खानों के लिए ओएचएसएस 18001: 2007 प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

16.5.4 आपदा प्रबंधन योजना

कंपनी के पास सभी खानों के लिए आपदा प्रबंधन योजना है। यह योजना खान अधिनियम, 1952, धातु विज्ञान खान नियमन 1961 के प्रावधानों, महानिदेशक खान सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों, समय—समय पर जारी केंद्र सरकार के निर्देशों, आदि के ऊपर विचार करने के लिए तैयार की गई है। उपरोक्त निर्दिष्ट नुसार, ओएचएसएस प्रमाणीकरण को आपदा प्रबंधन योजना को भी लागू करने की आवश्यकता है।

16.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी व्यापारिक संगठन है तथा इसका कोई प्लांट/कार्यशाला नहीं है। हालांकि, कार्यालय के घंटों के दौरान एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में डॉक्टर की उपस्थिति सहित आवश्यक उपाय किए गए हैं।

16.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कर्मचारियों को सुरक्षा सावधानियों और सुरक्षित कार्य प्रणालियों का निरीक्षण करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाता है और इस संबंध में नियमित निगरानी एफएसएनएल द्वारा सुनिश्चित की जाती है। सुरक्षा और संबद्ध विषयों पर कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, पूरे वर्ष के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर में सुरक्षा और संबंधित पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि जैसी प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध एजेंसियां कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए लगी हुई हैं। वर्ष के दौरान मेसर्स राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से एफएसएनएल की सभी यूनिटों में सुरक्षा परीक्षण किया गया है।

सुरक्षा और सुरक्षित कार्य व्यवस्था की दिशा में इन कर्मचारियों की जागरूकता और प्रेरणा के लिए अन्य उपायों के तहत कंपनी में सुरक्षा दिवस समारोहों के दौरान वाद—विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध/स्लोगन प्रतियोगिताएं आदि कराई जाती हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उचित पुरस्कार दिए जाते हैं, जिससे ऐसी प्रतियोगिताओं में कर्मचारी उत्साहित होकर भाग लेते हैं।

16.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन एक इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी और संविदकारी संगठन है जो परियोजना स्थापित करने के लिए टर्न—की क्रियान्वयन सहित अवधारणा से स्थापना तक आवश्यक सेवाओं की पेशकश करती है और न ही विनिर्माण के क्षेत्र में है और न प्रोसेस उद्योग में है। मेकॉन ने सुरक्षा नीति कथन तैयार किया है जिसे अनुकूलन प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

से सम्प्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति कथन की कुछ विशेषताओं को कंपनी के आचरण और अनुशासन तथा अपील नियमावली में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके फलस्वरूप, मेकॉन में कोई अवांछित दुर्घटना नहीं हुई है।

16.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड के पास अलग विभाग है जिसे प्रशिक्षण और सुरक्षा विभाग और व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, जिसमें एक अभियंता और एक योग्य डॉक्टर मिलकर प्लांट स्तर पर कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल करते हैं।

- केआईओसीएल, ओएचएसएएस: 18001:2007 ऑक्यूपैशनल हैजार्डस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रमाणन के अनुरूप है।
- फैक्ट्रियों के निदेशक द्वारा अनुमोदित ऑनसाइट आपातकालीन योजना पेलेट प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस यूनिट दोनों के लिए अस्तित्व में हैं।
- संबंधित विभाग के इंजीनियरों और सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दो महीने में एक बार नियमित रूप से सुरक्षा जांच की जाती है। हर तिमाही में आयोजित होने वाली सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाता है और खामियों को दूर करने के लिए समुचित कार्रवाईयां की जाती हैं।
- सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में कामगारों की सहभागिता कंपनी द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। क्षेत्रवार सुरक्षा समितियां बनाई जाती हैं। इन सुरक्षा समितियों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। दिनांक 23.04.2018, 18.07.2018, 20.11.2018 और 23.03.2019 को नियमित अंतराल पर सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
- सुरक्षा चेतना विकसित करने और मानव संसाधन विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। एसओपी, रखरखाव गतिविधियां, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, अग्निशमन और पर्यावरण पर जागरूकता, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा, निरंतर सतर्कता विकास, उत्पादकता आदि जैसे विषयों पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उपरोक्त विषयों पर नियमित कर्मचारियों के लिए 4719 मानव-दिवस का कुल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और स्थल सुरक्षा पर ठेकेदारों श्रमिकों के लिए 293 मानव-दिन प्रदान किए जाते हैं।
- फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अनुसार 4 से 10 मार्च, 2019 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था और इसके भाग रूप में कई सुरक्षा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था जैसे कन्नड़, अंग्रेजी और हिन्दी में सुरक्षा स्लोगन तथा सुरक्षा पोस्टर पैटिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के साथ-साथ केआईओसीएल ने 28 मार्च, 2019 को इस्पात सुरक्षा दिवस भी मनाया गया था।
- पेलेट प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस इकाई में 6 महीने में एक बार ऑनसाइट आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है।

16.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ये कंपनियां खनन और संबद्ध गतिविधियों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी (डीजीएमएस) से प्राप्त नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा उपाय करती हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सामग्री आदि प्रदान किए गए हैं। खनन कार्यों में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सुरक्षित व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर और साथ ही क्षेत्रीय प्रदर्शनियों में कामगारों की भागीदारी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह की खानों के दौरे कर की नई व्यवस्थाएं नियमित तौर पर अपनाई जाती हैं। बुनियादी और पुनर्शर्यां प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में और खानों में विभिन्न विषयों और परिचालन गतिविधियों से श्रमिकों को प्रदान किया जाता है।



अध्याय—XVII

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

17.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। मंत्रालय में कुल 246 स्वीकृत पदों में से दिनांक 31.03.2019 तक 196 कर्मचारी हैं, जिसमें 47 (23.98 प्रतिशत) एससी, 9 (4.59 प्रतिशत) एसटी और 35 (16.84 प्रतिशत) ओबीसी वर्ग के कर्मचारी थे। सचिवालय सेवा से संबंधित पद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं।

17.2 स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल भर्ती एवं प्रोन्नति के संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करता है। दिनांक 31.3.2019 को कुल 72,339 की जनशक्ति में से 11,974 अनुसूचित जाति (16.55 प्रतिशत), 10,815 अनुसूचित जनजाति (14.95 प्रतिशत) और 10,191 (14.08 प्रतिशत) अन्य पिछड़े वर्गों के थे।

सेल की खानों सहित इसके संयंत्र और इकाइयां देश के आर्थिक रूप से पिछड़े एससी/एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के संपूर्ण विकास में योगदान किया है। इसमें से कुछ योगदान निम्न हैं:

- कुल कर्मचारियों का करीब 84 प्रतिशत के प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है, जिससे बड़ी संख्या में एससी/एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ मिलता है।
- इस्पात संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी विकसित हुआ है। इससे स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार और उद्यमिता के विकास के अवसर पैदा हुए हैं।
- आम तौर पर ठेकेदार अस्थायी और कुछ समय की नौकरियों के लिए स्थानीय क्षेत्रों से काम करने वालों की नियुक्ति करते हैं, जो फिर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल के इस्पात संयंत्रों की स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की है, जिससे स्थानीय लोगों को इन संयंत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा देने का मौका मिलता है और इससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं।
- सेल द्वारा विकसित किए गए स्टील टाउनशिप में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो स्थानीय एससी-एसटी लोगों के लिए वरदान की तरह है। सेल में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी इन सुविधाओं का फायदा मिलता है।

सेल ने एससी/एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई पहल की है, जो इस प्रकार हैं:

- पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के स्थानों पर विशेष रूप से गरीब, कमजोर बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। इन स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन, यूनिफार्म के साथ-साथ जूते, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी मदैं, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ मामलों में परिवहन आदि की सुविधा दी जाती है।
- कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में एससी/एसटी के छात्रों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वो सेल के कर्मचारी हों या नहीं।
- भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला, बोकारो, बर्नपुर (गुटगुटपारा) में गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, जहां एससी/एसटी एवं कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य परामर्श, दवाइयां आदि दी जाती है।
- सेल संयंत्रों ने आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। किरीबुरु के सारंदा सुवन छात्रावास, भिलाई के ज्ञानोदय होस्टल, बीरहोर जनजातियों के लिए ज्ञान ज्योति योजना आदि जैसे आवासीय छात्रावासों में उनके समग्र विकास के लिए उन्हें मुफ्त शिक्षा, यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, भोजन, बोर्डिंग, लॉजिंग और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
- कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए, आस पास के गांवों के युवाओं और महिलाओं को आईटीआई, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर,

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

फिटर और इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, अचार/पापड़ /अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, धागा बुनाई, सिलाई, सिलाई और कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिया, गनी-बैग, कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन, मिठाई के डब्बे, साबुन, धुआं रहित चूल्हा बनाना आदि जैसे व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

एससी/एसटी के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के अनुपालन के लिए राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- सभी मुख्य संयंत्रों/इकाइयों में एससी/एसटी सेल काम कर रहा है। सभी डीपीसी/चयन समितियों में एससी/एसटी समुदाय से संबंधित एक सदस्य होते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भर्ती बोर्ड/चयन समितियों/डीपीसी के स्तर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को इसमें नामित किया जाता है।
- एससी/एसटी के लिए आरक्षण नीति एवं अन्य मामलों की अद्यतन जानकारी के लिए एससी/एसटी/ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी और सेल संयंत्रों/इकाइयों के अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए एक नियमित रूप से बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से आंतरिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ हैं, जो आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। इसके अलावा सेल में सेल एससी/एसटी कर्मचारी महासंघ नाम से एक शीर्ष स्तर की संस्था भी है, जो एससी/एसटी कर्मचारियों के साथ समन्वय बैठाने के लिए उनके मुद्दे उठाता है। महासंघ के साथ नियमित रूप से निदेशक (कार्मिक) स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है।

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 17,574 है, जिसमें से 2,891 अनुसूचित जाति (16.45 प्रतिशत), 1301 अनुसूचित जनजाति (7.4 प्रतिशत) तथा 2931 अन्य पिछड़ा वर्ग (16.68 प्रतिशत) है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर योग्यता पुरस्कार योजना के तहत अनुदान—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियां

आरआईएनएल में अनुदान केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है। इसके तहत पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि तक 1500 रुपये प्रतिमाह का पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिया जाता है, जिन्होंने बारहवीं या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और वे इंजीनियरिंग/वास्तुकला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/दंत रोग/कृषि विज्ञान/औषधि शास्त्र/विधि डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। इस तरह के आठ पुरस्कार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के बच्चों को और वार पुरस्कार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को दिए जाते हैं।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में दिनांक 31.03.2019 को कुल 5887 कर्मचारी थे, जिनमें से 922 कर्मचारी अनुसूचित जाति (15.66 प्रतिशत), 1446 अनुसूचित जनजाति (24.56 प्रतिशत) और 1109 अन्य पिछड़े वर्ग (18.84 प्रतिशत) के हैं।

नीति के अनुसार किसी भी बैकलॉग रिक्ति को अगले साल में निरंतर आधार पर भरने का प्रयास किया जाता है और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सक्षम रही है।

17.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक श्रम प्रधान संगठन है, जिसमें दिनांक 31.03.2019 तक 6048 कर्मचारी थे। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 80 प्रतिशत से अधिक एससी/एसटी/ओबीसी (एससी—20.01 प्रतिशत; एसटी—25.53 प्रतिशत, ओबीसी 35.04 प्रतिशत) वर्ग के हैं। मॉयल दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खदानों के आसपास रहने वाली आदिवासी आबादी के विकास में भी गहरी दिलचस्पी ले रहा है:

- खानों के निकट गांवों को गोद लिया गया तथा आस पास के गांव में रहने वाले लोगों को पेयजल, सड़क, चिकित्सा जांच एवं इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई।
- खनन क्षेत्र के आस पास के स्कूलों में वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, किताबें आदि मुहैया कराई गई।
- उच्च स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन कराया गया।

- आदिवासी महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे सिलाई कढाई की कक्षाएं चलाना, प्रौढ़ शिक्षा, एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम, कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन कराया गया।
- दिव्यांग अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांग जनों को प्रशिक्षण दिया गया।

17.6 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.03.2019 को एमएसटीसी लिमिटेड में कुल कर्मचारियों की संख्या 357 थी, जिनमें से अनुसूचित जाति के 61 (17.08 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के 18 (5.04 प्रतिशत) और अन्य पिछड़े वर्ग के 68 (19.04 प्रतिशत) थे।

कमजोर वर्ग के चयन और पदोन्नति से संबंधित मामलों में निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है। सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण, रियायत आदि के संबंध में समय समय पर जारी अन्य निर्देशों और सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं का उचित ढंग से पालन किया जाता है। सभी विभागीय पदोन्नति समितियों व चयन समितियों (भर्ती के मामले में) के गठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व रखा जाता है।

वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 17 कर्मचारियों को कंपनी के आंतरिक और संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया। इसके अलावा, एमएसटीसी में अजा/अजजा कर्मचारी परिषद को हर संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई गई। यह परिषद मुख्यतः इस कंपनी के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए काम करती है।

17.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की कुल जनशक्ति 751 में से 149 अनुसूचित जाति (19.84 प्रतिशत), 79 अनुसूचित जनजाति (10.52 प्रतिशत) और 126 अन्य पिछड़े वर्ग (16.77 प्रतिशत) के थे। एफएसएनएल द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति तथा विभिन्न कल्याणकारी उपायों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों के कमजोर वर्गों से संबंधित कर्मचारियों के कल्याण का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।

17.8 मेकॉन लिमिटेड

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी के कुल 1282 कर्मचारियों में से 249 अनुसूचित जाति (19.42 प्रतिशत), 135 अनुसूचित जनजाति (10.53 प्रतिशत) एवं 155 अन्य पिछड़ा वर्ग (12.09 प्रतिशत) के थे। मेकॉन समाज के कमजोर वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः सजग है। मेकॉन ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए श्यामली कालोनी, रांची में सामुदायिक शिक्षण योजना, संसाधन सृजन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और चैशायर होम में सामूहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विकलांग लोगों की सहायता, ग्राम आधारित कार्यक्रमों, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं इत्यादि जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

17.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में दिनांक 31.03.2019 को कर्मचारियों की कुल संख्या 841 थी, जिनमें से 134 कर्मचारी अनुसूचित जाति (15.93 प्रतिशत), 50 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (5.95 प्रतिशत) और 92 कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग (10.94 प्रतिशत) के थे।

कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलोर में एक आधुनिक टाउनशिप, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं आदि की व्यवस्था कर पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई हैं। यहां 10 प्रतिशत “ए” और “बी” टाइप के क्वार्टर एवं 5 प्रतिशत “सी” और “डी” टाइप के क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

कुद्रेमुख, मंगलोर और बैंगलूरु में प्रबंधन और एससी/एसटी वेल्फेयर एसोसिएशन के बीच निरंतर बातचीत होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा के साथ-साथ शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

17.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी में 31.03.2019 को कर्मचारियों की कुल संख्या 1002 थी। करीब 75.84 प्रतिशत (1002 में से 760) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से है जिनमें से 214 अनुसूचित जाति (21.35 प्रतिशत), 408 अनुसूचित जनजाति (40.71 प्रतिशत) और 138 अन्य पिछड़ा वर्ग (13.77 प्रतिशत) से हैं।

अध्याय—XVIII

सतर्कता

18.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ

मंत्रालय की सतर्कता इकाई के अध्यक्ष संयुक्त सचिव रैंक के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होते हैं जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। एक उप सचिव, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ सीवीओ मंत्रालय के सतर्कता संगठन में केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं। इस्पात मंत्रालय और इसके प्रबंधकीय नियंत्रण में आने वाले सीपीएसई के संबंध में सतर्कता इकाई में निम्न के लिए जिम्मेदार है:

- गड़बड़ी/प्रलोभन वाले क्षेत्रों की पहचान और सरकार के काम में ईमानदारी/दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए रोकथामपूर्ण कदम उठाना;
- शिकायतों की जांच और उचित जांच के कदम उठाना;
- इन कदमों का निरीक्षण और निगरानी;
- केंद्रीय अचेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच रिपोर्टों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास मंत्रालय की टिप्पणियाँ भेजना;
- जहां भी आवश्यक हो, पहले और दूसरे स्तर पर सीवीसी से परामर्श प्राप्त करना;
- सीवीसी और डीओपी एण्ड टी के साथ परामर्श पर सीपीएसई में सीवीओ नियुक्त करना;
- इस मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आरापों के संबंध में शिकायतों की जांच ताकि उचित कार्यवाही की जा सके;
- इस मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल प्रोप्रटी रिटर्न का रखरखाव और जांच;
- मंत्रालय के नियंत्रण में आठ सीपीएसई काम कर रहे हैं। इन सभी सीपीएसई में सतर्कता इकाई के अध्यक्ष एक सीवीओ होते हैं जिसे सीवीसी और डीओपी एण्ड टी के परामर्श पर मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मंत्रालय स्टील सीपीएसई में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा व्यक्तिगत बैठकों और मासिक जांचसूची, समय—समय पर सीवीओ द्वारा भेजे गए रिटर्न और विवरणों में माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त लंबित संदर्भों के बैकलॉग के आधार पर मंत्रालय आवश्यकता के आधार पर संबंधित सीपीएसई के सीवीओ के साथ चर्चा भी करता है। सीवीसी से प्राप्त सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर निर्देशों और दिशानिर्देशों के परिपत्रों को भी अनुपालना के लिए सीपीएसई के सीवीओ को भेजा जाता है। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रगति की निगरानी की गई।

दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 के दौरान 25 सीवीसी संदर्भों को प्राप्त किया गया और 24 संदर्भों का निपटारा किया गया। दूसरे स्रोतों से 82 शिकायतें प्राप्त हुईं और 80 का निपटारा किया गया।

इस अवधि के दौरान दो दिवसीय सतर्कता संगोष्ठी का आयोजन मुख्य सतर्कता आयुक्त, भारत सरकार द्वारा किया गया जिसमें प्रशासन में सतर्कता की भूमिका, शिकायत निवारण तंत्र, अनुबंधों की जांच, सरकारी खरीद के संबंध में नियम और विनियमों, निविदाओं और खरीद में पारदर्शिता, बिलों और भुगतान को अंतिम रूप देने में देरी, सतर्कता जांच, पीएसयू कर्मचारियों के सीबीआई मामले, चार्ज शीट तैयार करने, खरीद प्रक्रियाएँ—जीईएम और जीएफआर, संस्थान और कर्मचारियों के मामले, प्रशासन में आचार संहिता आदि से संबंधित समस्याओं पर विभिन्न क्षेत्रों से आए जाने—माने वक्ताओं द्वारा चर्चा की गई।

18.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेमिटेड (सेल)

सेल की सतर्कता इकाई वर्तमान तंत्रों और प्रक्रियाओं के नियंत्रण, जांच, विश्लेषण और चेतावनियों के माध्यम से निरंतर समीक्षा पर बल देता है और सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करती है, जिसके फलस्वरूप संगठन की प्रभावशीलता में बढ़ोतारी होती है। पारदर्शी सिस्टम और प्रक्रियाओं के लिए नियमित रूप से सुव्यवस्थित बदलावों और सहायक प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाता है। अप्रैल 2018 – मार्च 2019 की अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई हैं:



- मुख्य क्षेत्र
 - ❖ उच्च मूल्य के कच्चे माल की प्राप्ति, सैंपलिंग और जांच के क्षेत्रों में निगरानी।
 - ❖ 2015 और 2016 में एसआईपी के ऑडिट को लागू किया गया।
 - ❖ आपातकालीन खरीद और अनुबंध मामलों की जांच।
- रोकथामपूर्ण जांच: सेल के विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों के संवेदनशील क्षेत्रों में फाइल जांच और संयुक्त जांच सहित कुल 2444 आवधिक जांच की गई, जिनमें से 46 जाँच विस्तृत छानबीन के लिए चुनी गई जबकि 565 मामलों में निवारक/सिस्टम में सुधार की सिफारिशें की गई।
- सिस्टम सुधार परियोजनाएँ: संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद सेल के विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों में कुल 18 सिस्टम सुधार परियोजनाओं (एसआईपी) को शुरू किया गया है।
- गहन विश्लेषण: विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों में गहन विश्लेषण के लिए 13 मामलों को चुना गया। गहन विश्लेषण के दौरान उच्च मूल्य की खरीद/अनुबंधों की व्यापक जांच की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक अनुशंसाएं अग्रेषित की गई ताकि सुधार के लिए सुझावों को लागू किया जा सके।
- एसीवीओ की बैठक: संयंत्र/यूनिट स्तर पर सतर्कता विभागों के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित वार्ता के एक हिस्से के रूप में सीवीओ ने नियमित बैठकें आयोजित की जिहें एसीवीओ की बैठकें कहा जाता है। बैठकों के दौरान सेल के सतर्कता विभाग के कार्य की समीक्षा की गई। विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों द्वारा व्यक्ति अध्यनों/अन्य सतर्कता संबंधी मामलों पर प्रस्तुतियाँ, जिससे सभी द्वारा अच्छी कार्य पद्धतियों/प्रक्रियाओं को अपनाना सुनिश्चित होगा।
- ऑटोमैटिक फाइल जांच रिपोर्ट: मिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट में सेल सतर्कता द्वारा एक ऑटोमैटिक फाइल जांच स्मार्ट-फॉर्म को लागू किया गया है। खरीदारी/अनुबंध चक्र में मुख्य पड़ावों के संबंध में आंकड़ों को अब एक बटन के दबाने पर पूर्व-निर्धारित मानक फाइल जांच प्रारूप में प्राप्त किया जा सकता है। इससे भौतिक रूप से फाइल को अधिग्रहण और संबंधित आंकड़ों को खोजने में लगने वाले समय की तुलना में पर्याप्त समय बचेगा, आवश्यक सूचना सतर्कता विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के पास तुरंत उपलब्ध होगी।
- वार्षिक अचल सम्पत्ति रिटर्न (एआईपीआर) को कार्यकारी कार्यप्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (ईपीएमएस) से जोड़ना: सेल के विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों में कई कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एआईपीआर को दाखिल करने में देरी की गई। सेल के सभी कार्यकारी अधिकारियों द्वारा समय पर एआईपीआर का भरना सुनिश्चित करने के लिए एआईपीआर को ईपीएमएस के साथ जोड़ दिया गया है। एआईपीआर 2018 को दाखिल करने की तिथि को अब उस समय ईपीएमएस सिस्टम में दर्शाया जाएगा जब कार्यकारी अधिकारी वर्ष 2018–19 के लिए अपनी अंतिम समीक्षा को दाखिल करता है।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2018 के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी वॉकथॉर्न

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- सेल के सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम: सेल के विभिन्न प्लांटों और यूनिटों में कुल 178 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएँ आयोजित की गई जिनमें 2994 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, ताकि सेल में अपनाई गए सिस्टम और प्रक्रियाओं पर जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018: 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 के दौरान सेल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

18.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के सतर्कता विभाग ने आरआईएनएल में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के विभिन्न कदम उठाए जिसके अंतर्गत निवारक सतर्कता पर विशेष ध्यान दिया गया। आवश्यकता के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया और प्रणालियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई गई प्रक्रियाओं पर अध्ययन आयोजित किए गए। अनुबंध/खरीद आदेशों की गहन जांच की गई और ऑडिट पैरा/आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच की गई। संवेदनशील पदों की पहचान, निगरानी जांच, बिलों की रैंडम जांच भी की गई। इसके अतिरिक्त, विशेष जागरूकता अभियान भी कर्मचारियों और अन्य स्टेकहारकों के बीच निगरानी के संबंधित पक्षों पर जागरूकता पैदा करने के लिए ईमानदारी और समरूपता लाने के लिए प्रबंधनकीय क्रियात्मक उपकरण के रूप में चलाए गए।

ई-नीलामी, ई-रिवर्स नीलामी और ई-भुगतान आदि के माध्यम से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया; अर्थात् 81.59 प्रतिशत खरीद, 99.98 प्रतिशत ई-भुगतान, 100 प्रतिशत स्टोर निपटान और 100 प्रतिशत मार्केटिंग ट्रांसपोर्ट/निपटारा अनुबंध।

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्न पहल की गई:

- 40 गुणवत्ता जांच और 54 रेल/रोड दोबारा तुलाई सहित 329 सिस्टम निगरानियाँ की गई।
- निवारक सतर्कता/नैतिकता पर 21 सतर्कता जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया।
- प्रक्रियाओं, नियमों, नीतियों, दिशानिर्देशों आदि में सुधार के लिए 05 सिस्टम अध्ययन किए गए और सतर्कता निरीक्षणों/अनुशंसाओं को संबंधित विभागों को भेजा गया।
- “भ्रष्टाचार मिटाओ – नया भारत बनाओ” विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 मनाया गया था। आसपास के कॉलिजों के विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें शपथ ग्रहण, पोस्टर लगाना, निबंध लेखन, विवज़ और भाषण प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल थे, जिन्हें सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिनमें स्कूल के बच्चों, कर्मचारियों, उनके आश्रितों और अन्य स्टेकहारकों ने भाग लिया।
- सीआईएसएफ के कर्मचारियों के लिए “सतर्कता की भूमिका” सत्र का आयोजन किया गया।

18.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी का सतर्कता विभाग भेदभाव रहित, उचित और पारदर्शी निर्णय लेने में दिशा निर्देश देता है और सहायता करता है और उचित उपायों के साथ निवारक सतर्कता को प्राथमिकता देता है। विभाग ने वर्ष के दौरान कुछ पहल की हैं। पूर्णतः स्पष्ट सिस्टम और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त जांच और संतुलन पर बल दिया गया। निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता के मामलों में जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। परियोजनाओं में सतर्कता कर्मियों ने सतर्कता के मामलों में कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की हैं। प्राप्त हुई शिकायतों को जांच और आवश्यक कार्यवाहियों/अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए चुना गया और आवश्यकता के अनुसार सिफारिश की गई।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा 78 औचक जांच, 99 नियमित निरीक्षण और 5 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए। प्राप्त शिकायतों की जांच की गई और जहां अपेक्षित हो सिस्टम में सुधार / अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए। इस अवधि के दौरान, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में 48 शिकायतों का समाधान किया गया।

एनएमडीसी में सतर्कता विभाग को आईएसओ 9001:2015 के मानक प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के मानकों के लिए अपग्रेड किया गया था और प्रमाणित प्राधिकारी प्रमाण पत्र द्वारा जारी किए गए, जो कि फरवरी 2022 तक मान्य है।

सभी लेनदेनों में “पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग” को लागू करने के हिस्से के रूप में 10 लाख रुपये से अधिक के अनुबंधों, सभी कामों को नामांकन के आधार पर देने, 1 लाख रुपये से अधिक के लिए एकल निविदा आधार, ठेकेदारों को बिलों के भुगतान के संबंध में सूचना, आदि, के बारे में विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदान किया जाता है। ई-खरीद, ई-निविदा और ई नीलामी को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।



एनएमडीसी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एनएमडीसी ने नवम्बर 2007 से इंटीग्रीटी पैक्ट को लागू किया है। सतर्कता विभाग के सुझावों के अनुसार सिविल कार्यों और अनुबंधों के लिए खरीद और अनुबंधों के लिए 07.09.2018 से थ्रेशोल्ड वैल्यु को घटा कर 1.0 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पहले 20 करोड़ रुपये थी और एनएमडीसी बोर्ड के अनुमोदन पर खरीद के मामले में यह 10 करोड़ रुपये थी। इंटीग्रीटी पैक्ट को 24,445.82 करोड़ रुपये मूल्य के 193 अनुबंधों में लागू किया गया है। वे सभी अनुबंध जहां इंटीग्रीटी पैक्ट पर थ्रेशोल्ड लिमिट के अनुसार हस्ताक्षर होने थे उसका पालन हुआ और अनुबंधों के कुल मूल्य का 90 प्रतिशत इंटीग्रीटी पैक्ट के अंतर्गत आता है।

दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। पहले दिन एनमडीसी के मुख्य कार्यालय और किरन्दुल, बचेली, दोणिमलै, पन्ना, एनएसआईपी, नगरनार की इकाईयों, स्पंज आयरन यूनिट और क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस वर्ष का थीम “भ्रष्टाचार मिटाओ—नया भारत बनाओ” थी।

18.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कार्य में निवारक और एहतियाती सतर्कता शामिल हैं जिनका मुख्य ध्यान संगठन में “सिस्टम सुधार” पर होता है। वर्ष 2018–19 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- **आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन:** सतर्कता विभाग मॉयल लिमिटेड के प्रबंधन को सतर्कता सेवा प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली के लिए इंटरनैशनल सर्टिफिकेशन सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त है, द्वारा आईएसओ-9001:2015 से सम्मानित किया। यह प्रमाणपत्र दिनांक 21.05.2020 तक वैध है।
- **निरीक्षण:** सिस्टम में सुधार के सुझावों और क्रियान्वयन के दौरान नियमों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान 60 आवधिक और औचक निरीक्षण किए गए।
- **शिकायतों का निपटारा:** सतर्कता विभाग ने 35 शिकायतों का निवारण किया है और जांच के परिणामों के आधार पर प्रबंधन को सुधारात्मक कदम और सिस्टम सुधार के लिए 9 सलाह दी गई।
- **प्रक्रियाओं और सिस्टम की जांच:** सतर्कता विभाग ने खरीद, अनुबंध, भर्ती आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर उपचारात्मक कदम उठाने और सिस्टम में सुधार के लिए 7 परामर्श दिए।
- **ई-खरीद:** निर्धारित मूल्य से ऊपर की खरीद और अनुबंधों के लिए ई-खरीद की जा रही है। खरीदों और कार्य अनुबंधों के लिए निर्धारित मूल्य 2 लाख रुपये है।
- **प्रौद्योगिकी सहायता:** विनियामक निर्वाह, प्रवर्तन गतिविधियों और शिकायतों के निपटान में वेबसाइट और सहायक प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया। प्रौद्योगिकी सहायता के प्रयोग के मुख्य क्षेत्र हैं माल की खरीद और अनुबंध। ठेकेदारों/सप्लायर्स को किए गए बिलों के भुगतान को भी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। सभी निविदा दस्तावेज,



मॉयल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन

पदोन्नति सूची, ट्रांसफर सूची, सीएसआर कार्य, वरिष्ठता सूची, भर्ती के लिए आवेदन, सूचनाएं और दूसरे प्रपत्रों को भी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सतर्कता जागरूकता पर मुनसर प्रशिक्षण केंद्र और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्र में 07 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 273 कर्मचारियों ने भाग लिया (1051 घण्टे)।
- जॉब रोटेशन:** रोटेशन के लिए उन संवेदनशील पदों की पहचान की गई जहां कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक काम कर रहे हैं और उन्हें प्रबंधन के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है।
- मॉयल लिमिटेड की सभी खानों/कार्यालयों में 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।** इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने सतर्कता पत्रिका “शुचिता” का 7वां वार्षिक अंक जारी किया जिसे मॉयल के सीएमडी और सभी निदेशकों द्वारा जारी किया गया। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों, स्कूल और कॉलिजों के छात्रों और आम जन के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षणों, विक्रेता बैठक और सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था।

18.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी सतर्कता विभाग पारदर्शी सिस्टम और प्रक्रियाओं के लिए व्यवस्थित बदलावों और सहायक प्रौद्योगिकी पर बल देता है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान एमएसटीसी ने पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की:

- मई 2018 में सतर्कता विभाग के आईएसओ 9001:2015 का निगरानी ऑडिट किया गया।
- सीवीओ द्वारा सीएमडी के साथ तिमाही संरचनात्मक बैठकें की जा रही हैं।
- खरीद एवं सेवा अनुबंध नियमावली को तैयार किया गया है और सतर्कता विभाग के सुझावों के आधार पर व्यवहार में लाया गया है। विभिन्न नियमावलियों जैसे कर्मचारी नियमावली, मार्केटिंग नियमावली के कुछ प्रावधानों में वर्ष के दौरान संशोधन किया गया। निर्धारित समय के अंदर अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करने के संबंध में सीडीए नियमावली में संशोधन किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय पूर्व-निविदा ईएमडी को लागू किया गया जिससे ई-नीलामी सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी और ऑनलाइन रिफंड के प्रावधान में सहायता मिली।
- 08 निरीक्षण किए गए और सिस्टम में सुधार के लिए सुझाव दिए गए।
- सतर्कता जागरूकता पैदा करने के लिए मुख्य कार्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों में कर्मचारियों के साथ अंतःक्रियात्मक सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।



- मुख्य कार्यालय, कोलकाता के मध्यम प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए "शक्तियों के प्रत्यायोजन, वित्तीय शक्तियों और परियोजना/अनुबंध प्रबंधन" पर कार्यशाला।
- गौण वस्तुएं/सामग्री जैसे कार्यालय स्टेशनरी और खपत की वस्तुएं, कंप्यूटर पेरिफरल जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं। जिन वस्तुओं की खरीद जीईएम के माध्यम से नहीं की जाती उन्हें ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से खरीदा जा रहा है। इन गतिविधियों की निगरानी सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है।
- वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को सभी कार्यकारियों द्वारा ऑनलाइन भरा जा रहा है एपीएआर की घोषणा कार्यकारियों के लॉग इन में उपलब्ध है। कार्यकारियों के पास मूल्यांकन को ऑनलाइन दर्शाने का अवसर उपलब्ध है।
- रचतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता के साथ बैठक का आयोजन वर्ष के दौरान किया गया ताकि इंटीग्रीटी पैकेट लागू करने की समीक्षा की जा सके।
- दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 एमएसटीसी के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में मनाया गया और स्कूलों/कॉलिजों में युवाओं के लिए आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गई जिसका विषय था "भ्रष्टाचार मिटाओ—नया भारत बनाओ"।

18.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

सतर्कता विभाग "निवारक और एहतिहाती सतर्कता" पर ध्यान दे रहा है और तदनुसार कम्पनी के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया और सिस्टम में सुधार के लिए संगठन के विभाग अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। सभी इकाईयों में निवारक उपायों के रूप में रुटीन जांच की गई और अधिकारियों के प्रोप्रेटी रिटर्न की रैंडम जांच की गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय/सीवीसी को आवश्यक रिपोर्ट/रिटर्न दाखिल किए गए और समय समय पर मंत्रालय द्वारा आयोजित सीवीओ की बैठक के कार्यवृत्त की आवश्यक निगरानी की गई।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को सीवीसी के दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार निपटाया गया। सीबीआई के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गई। सीवीसी और मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक के साथ तिमाही संरचनात्मक बैठकें की जा रही हैं।

सतर्कता विभाग इंटीग्रीटी पैकेट को लागू करने का निरीक्षण कर रहा है। दिनांक 31/03/2019 तक 313 अनुबंधों को इंटीग्रीटी पैकेट के अंतर्गत शामिल किया गया है। पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अनुसार सभी खुली निविदाओं को कम्पनी की वेबसाइट, 5 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और कार्य आदेशों/अनुबंधों के सारांश, पूर्व निर्धारित मूल्य से ऊपर के बिल भुगतानों का विवरण भी हर महीने वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

29 अक्टूबर 2018 से 3 नवम्बर 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान विभिन्न गतिविधियाँ जैसे आदर्श वाक्य (स्लोगन) प्रतियोगिता, स्कूलों और कॉलिजों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, सार्वजनिक स्थानों पर पम्फलेट वितरण, "भ्रष्टाचार मिटाओ—नया भारत बनाओ" विषय पर कार्यशाला और निवारक सतर्कता, कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण आदि का आयोजन किया गया ताकि कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता पैदा की जा सके, जिसका प्रचार स्थानीय अखबारों में किया गया।

18.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन का सतर्कता विभाग वर्तमान में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के अंतर्गत कार्य कर रहा है जिसका मुख्य कार्यालय, रांची में स्थित है। मेकॉन लिमिटेड के सतर्कता विभाग ने विभिन्न गतिविधियाँ की हैं, जिन्हें संक्षिप्त में नीचे दिया जा रहा है:

- 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह—2018 का आयोजन मेकॉन मुख्यालय, रांची में और विभिन्न अन्य स्थानों पर किया गया जिसका थीम था "भ्रष्टाचार मिटाओ—नया भारत बनाओ"।
- दिसम्बर 2018 तक मेकॉन ने 195 सप्लायरों/अनुबंधकर्ताओं (व्यापक कवरेज के लिए निर्धारित मूल्य को कम किया गया: ईपीसी परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये और इससे ऊपर और शहरी प्रशासन और इनहाउस खरीद के लिए 25 लाख रुपये और इससे ऊपर) के साथ इंटीग्रीटी पैकेट पर हस्ताक्षर किए।
- सतर्कता विभाग एक अच्छी तरह से स्थापित तिमाही प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2008) का अनुपालन करता है और इसकी अपनी सतर्कता गुणवत्ता नियमावली है।

- निवारक सतर्कता की ओर से परियोजनाओं के वाणिज्यिक पक्षों पर अधिक ध्यान दिया गया। अनुबंध प्रदान करने और क्रियान्वयन के क्षेत्रों में एहतिहाती सतर्कता कार्य किया गया।
- मूल्य चाहे जो भी हो, सभी निविदाएं, कुछ आकस्मिक खरीद को छोड़कर, निविदा दस्तावेजों, ड्राइंग और आंकड़ों, तकनीकी विशिष्टताओं के साथ अधिकतम पारदर्शिता के लिए डाउनलोड किए जा सकने योग्य रूप में मेकॉन की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। सभी निविदाओं को सीपीपी पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है।
- स्थानीय विक्रेताओं के कुछ छोटे बिलों को छोड़कर विक्रेताओं को सभी भुगतान इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस मोड) द्वारा किया जाता है। जीएसटी का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाता है। विक्रेताओं द्वारा अपने बिलों को ट्रैक करने के लिए वेब आधारित बिल वॉच सिस्टम मेकॉन के जीएसटी सिस्टम के साथ जोड़ा गया (मेक-जीएसटी और बिल वॉच सिस्टम)।
- संगठन में संवेदनशील विभागों की पहचान की गई और औचक/नियमित निरीक्षण और इन क्षेत्रों में फाइलों की जांच पर ध्यान दिया गया।

18.9 केआईओसीएल लिमिटेड

सालों से केआईओसीएल में निवारक सतर्कता सतर्कता विभाग का मुख्य क्षेत्र रहा है और इस वर्ष के दौरान भी यही मुख्य क्षेत्र रहा। निवारक सतर्कता का वातावरण पैदा किया जा रहा है ताकि सभी स्तरों पर अधिकारियों को भ्रष्टाचार और गलत प्रथाओं के बारे में संवेदनशील किया जा सके।

- प्रबंधन के साथ नियमित संरचनात्मक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ई-गवर्नेन्स, सहायक प्रौद्योगिकी, निविदा प्रबंधन, कार्य प्रदान करने, भर्ती पॉलिसी से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई है।
- सतर्कता विभाग को आईएसओ प्रमाणन 9001–2015 के मानकों की अनुपालना के लिए प्रमाणित किया गया है ताकि गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम में निरंतर सुधार को सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रमाणपत्र 29 जनवरी 2022 तक वैद्य है।
- 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 के दौरान केआईओसीएल लिमिटेड के सभी स्थानों/कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए। स्कूलों/कॉलिजों के छात्रों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने और सतर्कता गतिविधियों को मजबूत करने के कदमों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।
- सितम्बर 2010 से निविदा के साथ-साथ ई-रिवर्स निविदा द्वारा खरीद चलन में है। इसकी मूल्य 5 लाख रुपये और इससे ऊपर निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान 99.27 प्रतिशत मामले मूल्य के अनुसार इसके अंतर्गत शामिल किए गए। 1 लाख रुपये के निर्धारित मूल्य सीमा से ऊपर सभी भुगतानों को इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से किया जा रहा है।
- वर्ष 2018–19 के दौरान, 130 कार्य/खरीद/बिक्री आदेशों को इंटीग्रीटी पैक्ट क्लॉज के द्वारा जारी किए गए हैं जिसमें 98.84 प्रतिशत लागत के अनुबंध शामिल हैं। इंटीग्रीटी पैक्ट के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- वर्ष के दौरान 62 छंटनी/परीक्षण, 46 जांच/निरीक्षण किए गए और उपचारात्मक कदम, यदि कोई हो तो, सुझाए गए। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई।
- सतर्कता विभाग ने तीन विभिन्न स्थानों पर 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 720 घण्टे शामिल हैं। गुड गवर्नेन्स – सतर्कता और अन्य विकास, सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता, भ्रष्टाचार मिटाओ—नया भारत बनाओ आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया।

18.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

इन कम्पनियों के पास अपने सतर्कता विभाग हैं जिसके अध्यक्ष आरआईएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं, और उनकी सहायता मुख्यालय, कोलकाता में एक सतर्कता अधिकारी और सीवीओ के पीएसओ करते हैं। इसके अलावा, दो सतर्कता अधिकारियों (अतिरिक्त प्रभार) को ओएमडीसी माइन्स, ठकुरानी और बीएसएलसी माइन्स, बिरमित्रपुर दोनों के लिए नियुक्त किया गया है। सतर्कता विभाग के कार्यों में कम्पनी की सभी खानों के लिए और कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय के लिए निवारक और दण्डात्मक दोनों कार्यवाहियाँ शामिल हैं। कम्पनी का सतर्कता विभाग अपने व्यवस्थित सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और इसने कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और अंतःक्रियात्मक सत्रों का आयोजन किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार कम्पनी प्रतिवर्ष “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” का आयोजन करती है।



अध्याय—XIX

शिकायत निवारण तंत्र

19.1 केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) लागू की गई है। सी पी जी आर ए एम एस एनआईसीनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है, जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की शिकायतों का तेजी से निपटारा करना और उनकी प्रभावकारी मॉनीटरिंग करना है। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है : (i) नागरिक द्वारा शिकायत को दर्ज करना; (ii) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि; (iii) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन; (iv) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण; (v) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण तथा (vi) मामले का निपटारा।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक सी पी जी आर ए एम एस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2019 तक प्राप्त	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
73	1499	1529	43

इस्पात मंत्रालय में संशोधित सेवोत्तम अनुरूप नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और क्रियान्वित किया गया है। मंत्रालय और इस्पात पीएसयू में “सात उपाय आदर्श नागरिक केंद्रिक—सेवोत्तम” को अपनाने की व्यौरेवार स्थिति अनुबंध—XVI में दी गई है।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसलों/आदेशों पर कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध—XII में दी गई है।

19.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में कार्यपालकों और गैर—कार्यपालकों के लिए अलग—अलग प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, कार्य परिस्थितियों, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंपे गए कार्य और कल्याणकारी सुख—सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिए इनसे कारगर तरीके से निपटा जाता है। हालांकि इस्पात संयंत्रों के सहयोगपूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को संवर्धित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के बीच जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	17	681	688	10
कर्मचारी शिकायतें	10	257	254	13

19.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल में, कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्यपालकों तथा गैर—कार्यपालकों के लिए अलग—अलग सुनियोजित एवं औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियाँ हैं। गैर—कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत सुधार

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

प्रणाली के अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि उपस्थित होता है। इसके अलावा, कार्यपालक एवं गैर—कार्यपालक दोनों की शिकायत निवारण प्रणालियों में शिकायतों का निवारण करने के लिए समय—सीमा निश्चित की गई है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	3	59	62	0
कर्मचारी शिकायतें	1	261	260	2

19.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में एक महाप्रबंधक और चार उत्पादन परियोजनाओं में प्रत्येक के परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में काम करता है। सीवीओ को शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। शिकायतें दर्ज करने के लिए एन एम डी सी की वेबसाइट के होम पेज पर जन शिकायतों के लिए भारत सरकार के पोर्टल के लिए “लिंक” दिया गया है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति:

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	5	46	43	8
कर्मचारी शिकायतें	0	0	0	0

19.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में कार्यपालक तथा गैर—कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की अपनी प्रक्रिया है। मॉयल में शिकायतों की निपटान व्यवस्था में प्रत्येक इकाई के लिए एक शिकायत अधिकारी मनोनीत किया जाता है। मुख्यालय में मनोनीत शिकायत अधिकारी कारगर तरीके से काम करने के लिए प्रत्येक इकाई के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय रखता है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	2	2	0
कर्मचारी शिकायतें	0	2	2	0

19.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हैं। संगठन के क्षेत्रों और शाखाओं में कुल आठ (08) सेल हैं और मुख्यालय में एक नोडल ऑफिसर और एक लोक शिकायत अधिकारी हैं। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। एमएसटीसी ने ऑनलाइन रसीद और सार्वजनिक शिकायतों के निपटान के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) भी लागू किया है ताकि शिकायतों को तुरंत हल किया जा सके और मामलों को सुलझाने के लिए कार्रवाई की जा सके। कुछ शिकायतें डाक से भी प्राप्त होती हैं। संगठन के कर्मचारी और बाहर से प्राप्त शिकायतों के समाधान और निवारण के लिए कार्रवाई की जाती है। प्रकोष्ठों के अलावा, मुख्यालय में एक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है। शिकायत समिति संबंधित विभाग/क्षेत्र/शाखा से प्राप्त शिकायतों और टिप्पणियों की जांच के बाद सिफारिशें करती है।

मामलों की समीक्षा के लिए शिकायत समिति समय-समय पर बैठक करती है। कंपनी के केंद्रीयकृत सीपीजीआरएमएस और लोक शिकायत साइट की नियमित निगरानी मुख्यालय द्वारा की जाती है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	64	60	4
कर्मचारी शिकायतें	0	4	4	0

19.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में प्राप्त जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति:

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	7	7	0
कर्मचारी शिकायतें	0	0	0	0

19.8 मेकॉन लिमिटेड

जन शिकायतें

आमतौर पर मेकॉन का जनता से कार्य व्यापार नहीं होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के उत्पीड़न से जुड़ी कोई निश्चित शिकायत मिलती है तो उसे एक शिकायत के रूप में लिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। मेकॉन ने जन शिकायतों के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एस) के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामजद किया है तथा इस नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक एवं जन शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

कर्मचारियों की शिकायतें

मेकॉन में अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तीन स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटारे की सिफारिश कार्यपालक और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार समिति करती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अलग से एक प्रकोष्ठ है। फिलहाल कहीं से भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सामान्य तौर पर गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को उनके द्वारा निवाचित मेकॉन कर्मचारी यूनियन (एमईयू) के माध्यम से और कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में मेकॉन एकजीक्यूटिव एसोसिएशन (एमईए) के माध्यम से रखने को प्राथमिकता देता है जिन्हें कंपनी ने मान्यता दे रखी है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान प्राप्त जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति निम्नवत है:

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	18	17	1
कर्मचारी शिकायतें	0	0	0	0

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

19.9 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल मे विवाद समाधान तंत्र सहित अच्छी तरह से सुनियोजित तथा बहुपरती जन शिकायत समाधान तंत्र है। के आई ओ सी एल में लोक समाधान स्थापना बंगलौर में निगमित कार्यालय से लेकर सभी उत्पादन यूनिटों और संपर्क कार्यालयों में लागू की गई है। ग्राहक तथा स्टैकहोल्डर शिकायत होने पर अथवा संगठन के साथ शिकायतों के लिए निम्नलिखित द्वारा जन शिकायत/विवाद निपटान कर सकते हैं:

- सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी नामित किया जाता है। शिकायतकर्ता इन अधिकारियों तक अपनी शिकायत निजी तौर पर या लिखित रूप में या ई-मेल या टेलिफोन के जरिए पहुंचा सकता है।
- विक्रेताओं की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

सेवोत्तम शिकायत नागरिक चार्टर में कोई बदलाव कॉरपोरेट वेबसाइट www.kioclltd.in पर दिया गया है। कंपनी ने शिकायतें दर्ज करने और उनके निवारण के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के पोर्टल के लिए लिंक दिया है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	दिनांक 01.04.2018 तक शेष शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतें	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	2	2	0
कर्मचारी शिकायतें	0	7	6	1

19.10 ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी

इन कंपनियों में निगमित और इकाई स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था लागू है। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किए गए हैं। बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज “सेवोत्तम” मॉडल के अनुसार शिकायत और निपटान की ऑनलाइन प्राप्ति की प्रणाली पहले ही शुरू कर चुकी है। जन शिकायतों के ऑनलाइन पते के लिए बीजीसी वेबसाइट www.birdgroup.co.in पर सात स्टेप मॉडल “सेवोत्तम” उपलब्ध कराई गई है। जन शिकायतों को अक्सर सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से निपटाया जाता है।



अध्याय—XX

दिव्यांग और इस्पात

20.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सरकारी नियमों का पालन करता है। इस्पात मंत्रालय में दिनांक 31.03.2019 की स्थिति अनुसार, पांच (एक नेत्र से निःशक्त, एक सुनने से निःशक्त और तीन हड्डियों से निःशक्त) व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

20.2 स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- निःशक्त जन अधिनियम, 2016 के अधिकारों के संदर्भ में निःशक्त जन के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का सेल के संयंत्रों/ईकाइयों में अनुसरण किया जा रहा है। निःशक्त जनों के लिए कार्य स्थल पर अवरोध मुक्त वातावरण के प्रयास किए गए हैं। प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाओं में जयपुर फुट, छील चेयर आदि शामिल हैं।
- सेल अपने कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रहा है।
- निःशक्त कर्मचारियों को आवास के आवंटन में विशेष छूट दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को आवंटन के समय निचले तल पर आवास दिया जाता है।
- सेल निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का विस्तार करता है यहां तक कि किसी कर्मचारी के अक्षम भाई या बहन को भी, यदि वे अक्षम हैं और कर्मचारी पर निर्भर हैं।
- सेल के संयंत्रों में निःशक्त व्यक्तियों को दुकानें, एसटीडी बूथ, मिल्क बूथ, हॉकर्स लाइसेंस आदि आबंटित किए जाते हैं।
- संयंत्र स्थलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विभिन्न खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। संयंत्रों के कुछ स्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से खेल के मैदान निश्चित किए गए हैं।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, दिनांक 07.02.1996 से प्रभावी हुआ है।

- आरआईएनएल पीडब्ल्यूडी अधिनियम—2016 के अनुसार ग्रुप—ए, बी और सी में पदों की प्रतिशतता निर्धारित है।
- अधिनियम के अनुसार आरआईएनएल जब भी भर्ती करता है, आरक्षण लागू करता है। पीडब्ल्यूडी को रियायतें और छूट दी जाती हैं जैसे: ऊपरी आयु सीमा (10 वर्ष), आवेदन शुल्क छूट, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति के साथ बराबर योग्यता के अंकों में 10% छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ चयन टेस्ट के अंकों में 10% छूट।
- अधिनियम लागू होने के बाद से, आरआईएनएल ने विभिन्न निःशक्त जनों (अब तक योग्यता के आधार पर 10 व्यक्तियों को छोड़कर) के साथ 191 व्यक्तियों को नियुक्त किया है।
- कानून के अनुसार दी जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं: नौकरियों की पहचान, पद की भर्ती, और पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण, कार्य स्थल पर सहायता/सहायक उपकरण, सुगम और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना, कंपनी के क्वार्टर के आवंटन में वरीयता, शिकायत निवारण, निःशक्त जनों से संबंधित मामलों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त करना, विशेष आकस्मिक अवकाश और स्थानांतरण/पोस्टिंग में वरीयता।
- प्रशासनिक भवन/कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यालयों में निःशक्त जनों की सुविधा के लिए रैंप मार्ग प्रदान करना, भवन के लिफ्टों में ऑडिटरी सिग्नल की व्यवस्था, रिसेप्शन सेंटर में छील-चेयर का प्रावधान जैसे कुछ कार्य किए गए हैं।

20.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड एक खनन संगठन है तथा इस पर खनन अधिनियम तथा इसके नियम एवं विनियम लागू होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खानों/संयंत्रों में निःशक्त व्यक्तियों को खानों/कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बाहर काम करने की जरूरत नहीं होती है और एनएमडीसी में इस समय विभिन्न पदों पर 100 निःशक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

एनएमडीसी ने कंपनी के कार्यालयों में आने वाले अलग-अलग निःशक्त जनों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि रैंप मार्ग, लिफ्टों में श्रवण संकेत आदि। परियोजनाओं में कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए अक्षम हो जाते हैं, उन्हें चिन्हित पदों पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

20.5 मॉयल लिमिटेड

कंपनी ने “निःशक्त जन अधिनियम, 1995” के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है।

20.6 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एमएसटीसी में निःशक्तता वाले 10 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

20.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफएसएनएल एक सेवा संगठन है, स्क्रैप प्रबंधन एवं संबद्ध कार्यों के लिए संयंत्र के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। एफ एस एल की गतिविधियां सभी मौसमों में खुले क्षेत्र में की जाती हैं। यहीं नहीं, परिचालन गतिविधियों के लिए बालिंग क्रेन, मेग्नेटिक सेपरेटर, डोजर, डम्परों आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः एफ एस एल का वातावरण/कार्य परिस्थितियां निःशक्त व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं हैं। अतः निःशक्तों को काम में लगाना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। फिर भी, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक दोनों वर्गों में तीन-तीन पद चिन्हित किये गये हैं जिनमें से मंत्रालयी संवर्ग में समूह-ए और समूह-सी के तहत एक-एक पद दृष्टि से निःशक्त, श्रवण निःशक्त और शारीरिक निःशक्त के लिए हैं। एफएसएनएल सेवा संगठन होने के नाते, एफएसएनएल में भर्ती जरूरत पर आधारित है और इस्पात संयंत्रों को मिलने वाले कार्यों पर निर्भर करती है।

20.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने “निःशक्त जन अधिनियम, 1995” के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। मेकॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या दिनांक 31.03.2019 को 1282 थी, जिनमें से निःशक्त जनों की विभिन्न पदों पर संख्या 11 थी।

20.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल भर्ती में निःशक्त जनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पदों के आरक्षण पर भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करता है। केआईओसीएल में दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न समूहों में निःशक्तता श्रेणी से संबंधित 13 व्यक्ति हैं। केआईओसीएल उन सभी स्थानों और विशेष रूप से जहां निःशक्त जन (पीडब्ल्यूडी) को रोजगार के लिए उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें आवंटित नौकरियों के प्रदर्शन के दौरान एक विशेष निःशक्तता नहीं आती है। कार्य वातावरण हमेशा इस तरह से बनाए रखा जाता है कि निःशक्तता श्रेणी वाले व्यक्तियों की उत्पादकता/प्रदर्शन किसी भी तरह से निःशक्तता से प्रभावित नहीं होती है।

20.10 ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी

ईआईएल केवल एक शेल कंपनी है जिसमें केवल दो कर्मचारी हैं। ओएमडीसी और बीएसएलसी खनन संगठन है, जो कि खनन अधिनियम और इसके नियम एवं विनियमों के प्रावधानों से शासित होते हैं। सुरक्षा घटक पर विचार करते हुए खान/संयंत्र में विकलांग व्यक्तियों को कार्य पर लगाना संभव नहीं है।



अध्याय—XXI

हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

21.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय ने संघ की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार और जारी वार्षिक कार्यक्रम के दृष्टिगत वर्ष 2018–19 के दौरान सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में अच्छी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासनात्मक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के सीधे प्रभार के अंतर्गत राजभाषा प्रभाग राजभाषा नीति और हिन्दी अनुवाद कार्य को लागू करने से संबंधित काम—काज को देखता है और इसमें सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, एक पीपीएस, एक एएसओ, एक स्टेनोग्राफर 'डी' और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जबकि वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के दो पद और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के दो पदों को स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी का एक पद खाली है और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के खाली पद के विरुद्ध एक परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं।

21.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति काम कर रही है। यह समिति मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

21.1.2 हिन्दी सलाहकार समिति

हिन्दी सलाहकार समिति केन्द्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत काम करती है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग के संबंध में मंत्रालय को परामर्श देना है। पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक दिनांक 05.07.2018 को और चौथी बैठक दिना। दिनांक 21.01.2019 को आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने “हिन्दी की शान” नामक डोक्युमेंटरी फ़िल्म का निर्माण किया और इसे माननीय राज्य मंत्री (इस्पात) द्वारा हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में रिलीज़ किया गया। सी—डैक को भी आमंत्रित किया गया था जिसने “कंठरथ” सोफ्टवेयर के प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए जिसे उनके द्वारा विकसित किया गया है।



माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में 05.07.2018 को हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



माननीय इस्पात राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 21.01.2019 को हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

21.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 3(3) का क्रियान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 3(3) के अंतर्गत शामिल लगभग सभी दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाता है। क्षेत्र "क", "ख" और "ग" में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को हिन्दी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में जांच बिंदुओं की पहचान की गई है।

21.1.4 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा/हिन्दी कार्यशाला

सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय इस्पात मंत्री द्वारा हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर 2018 को एक अपील जारी की गई। 14 सितम्बर से 30 सितम्बर के दौरान मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

21.1.5 हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार योजना

इस्पात से संबंधित मामलों में हिन्दी में मौलिक पुस्तकों लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना लागू की गई है जिसमें 25,000/- रुपये, 20,000/- रुपये, और 15,000/- रुपये के क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य लेखकों को हिन्दी में मौलिक पुस्तकों लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2016–2017 और वर्ष 2017–2018 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं और इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

21.1.6 मंत्रालय के अधिकारियों/संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण

मंत्रालय के अधिकारियों ने दिनांक 31.03.2019 तक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसई के 22 कार्यालयों का दौरा किया जिसका उद्देश्य उन कार्यालयों में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग का निरीक्षण करना था और इन कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति की अनुपालना के लिए उपचारात्मक कदम उठाने के लिए सुझाव दिए गए। इसके अतिरिक्त सीपीएसई के 10 कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किया गया और मंत्रालय ने इन बैठकों का प्रतिनिधित्व किया।

21.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने निरंतर भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। हिन्दी के विकास के लिए सेल द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।



सेल प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने की संवैदानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जैसे कर्मचारियों की टिप्पणी/प्रारूपण कौशल बढ़ाने के लिए “सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त हिन्दी : कुछ रोचक तथ्य”, “दैनिक शासकीय काम—काज और कुछ सामान्य त्रुटियाँ” और “राजभाषा और समय प्रबंधन का महत्व” विषय पर कार्यशाला और लोकप्रिय लेखकों/कवियों की स्मृति में कार्यशालाएँ आयोजित की, जिनमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया।

सेल ने 14 से 28 सितम्बर 2018 के दौरान “राजभाषा पखवाड़ा” के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला के अतिरिक्त विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की हैं जैसे अंत्याक्षरी, श्रुतलेख, आशुभाषण, काव्य पाठ, आदि, जिनमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। अंतिम दिन सेल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हर वर्ष सेल द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि कर्मचारियों के परिवारों को सीधे तौर पर “राजभाषा पखवाड़े” से जोड़ा जाए।

सेल की आंतरिक राजभाषा पत्रिका ‘इस्पात भाषा भारती’ वर्ष 2017–18 के लिए नगर स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत 60 पीएसयू सदस्यों में से गौरवशाली द्वितीय पुरस्कार विजेता रही। पुरस्कार जीतने वाले सभी पीएसयू को शील्ड और प्रमाणपत्र 47वीं बैठक में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वितरित किए गए और नई दिल्ली में 25 सितम्बर 2018 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया।

सेल ने 6 मई 2011 से 3 दिसम्बर 2018 तक 7 वर्ष से भी अधिक समय तक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) पीएसयू की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभाई है। सेल द्वारा वर्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो छमाही बैठकें आयोजित की जा रही हैं। निबंध लेखन, श्रुतलेख, वाद–विवाद, कविता पाठ, विस्मरण लेखन, चित्र प्रस्तुति, कहानी को पूर्ण करना, कहानी कथन, राजभाषा जागरूकता/टिप्पणी/अनुवाद और आशु भाषण का आयोजन विभिन्न पीएसयू सदस्यों के माध्यम से किया। सभी विजेताओं और आयोजक पीएसयू को दिल्ली में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू) की बैठकों में शील्ड और पुरस्कार प्रदान किए गए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान के अंतर्गत सेल पीएसयू सदस्यों के संयुक्त प्रयास से एक प्रतिनिधित्व करने वाली हाउस पत्रिका “इंद्रप्रस्थ स्वर” का नियमित प्रकाशन कर रहा था, जिसे इन छमाही बैठकों के दौरान रिलीज किया गया। छमाही प्रगति रिपोर्ट और पीएसयू सदस्यों की इन–हाउस पत्रिका के मूल्यांकन किए गए और सर्वश्रेष्ठ पीएसयू को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों में शील्ड और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

सेल की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), दिल्ली की 46वीं बैठक और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 16 मार्च 2018 को किया गया। सेल को छमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए 60 सदस्य पीएसयू में से 5वां स्थान मिला। सेल की देखरेख में 10 सदस्य पीएसयू ने विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की।

21.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति और निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग के लिए उठाए गए कदमों और उपलब्धियों को नीचे दिया गया है:

प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ:

- हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ कोर्सों के अंतर्गत 141 कर्मचारियों को शामिल किया गया।
- 280 कर्मचारियों को यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी में कंप्यूटर पर कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- 1405 कर्मचारियों को अभ्यास आधारित हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया जिसे मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय/शाखा बिक्री कार्यालयों/सम्पर्क कार्यालयों में आयोजित किया गया था।

निरीक्षण:

- आंतरिक: मुख्यालय में 26 विभाग और 13 क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा बिक्री कार्यालय/सम्पर्क कार्यालय
- इस्पात मंत्रालय द्वारा: 3 कार्यालय

- गृह मंत्रालय द्वारा: 02 कार्यालय
- संसदीय राजभाषा समिति द्वारा: 03 कार्यालय
- निरीक्षण के दौरान विभिन्न सुझावों की अनुपालना की गई।

उपलब्धियाँ / पुरस्कार:

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए हाउस पत्रिका 'सुगंध' के लिए राजभाषा कीर्ति का प्रथम पुरस्कार
- इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'इस्पात राजभाषा शील्ड' और 'राजभाषा कार्यान्वयन सम्मान' का द्वितीय पुरस्कार
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), विशाखापट्टनम द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए श्रेणी-1 के अंतर्गत 'राजभाषा गौरव सम्मान' और 'नगर राजभाषा सम्मान'
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), कोच्चि द्वारा बीएसओ-आरआईएनएल को सांत्वना पुरस्कार

21.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी अपने मुख्यालय, परियोजनाओं और यूनिटों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में अग्रणी रहा।

वर्ष के दौरान मुख्य कार्यालय के हिन्दी प्रशिक्षण केंद्र में हिन्दी भाषा में 'हिन्दी पारंगत' प्रशिक्षण पर निरंतर जोर दिया गया। कर्मचारियों के चार बैच पहले ही कोर्स पूरा कर चुके हैं। हिन्दी में दैनिक शासकीय कार्य करने के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय और परियोजनाओं में हर तिमाही में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए हिन्दी यूनिकोड का प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना की मदद से इसके परिसर में नियमित कक्षाएं आयोजित की गईं, ताकि अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

हिन्दी में टिप्पणी, पत्र, हिन्दी में रजिस्टर और श्रुतलेख के लिए प्रोत्साहन योजनाएं पूरे वर्ष लागू रही। हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

मुख्यालय और सभी परियोजनाओं में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। राजभाषा के प्रयोग की देखरेख करने और इसे बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं और यूनिटों में निरीक्षण और डेस्क प्रशिक्षण आयोजित किए गए। राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के विभिन्न विभागों में हर माह राजभाषा सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में हिन्दी में डेस्क प्रशिक्षण की प्रदान किया गया। "राजभाषा कार्य सहायिका" बुकलेट को हिन्दी में रुटीन कार्य के लिए संदर्भ के रूप में एनएमडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। तीन भाषाओं की शब्दावली "एनएमडीसी त्रिभाषा शब्दावली" (अंग्रेजी-हिन्दी-तेलगु) को आंतरिक रूप से तैयार किया गया है।

एनएमडीसी ने नगर स्तर पर राजभाषा के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखे। हैदराबाद-सिकंदराबाद जुड़वां शहरों के छोटे उपक्रमों के लिए एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन नगर राजभाषा समिति (उपक्रम), हैदराबाद-सिकंदराबाद के तत्वाधान में मुख्य कार्यालय में आयोजित किया। सभी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए "अंतर-उपक्रम हिन्दी प्रतियोगिता" का आयोजन भी किया गया।

इस्पात मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में विभिन्न उपक्रमों के अधिकारियों के लिए मुख्यालय में "राजभाषा विचार गोष्ठी" का आयोजन किया गया। एनएमडीसी राजभाषा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन भी मुख्यालय में आयोजित किया गया। दोणिमलै लौह अयस्क परियोजना, एसआईयू, पालोंचा और डायमण्ड खनन परियोजना, पन्ना में राजभाषा तकनीकी सेमिनारों का आयोजन किया गया। राजभाषा को समर्पित हाउस पत्रिका "खनिज भारती" का प्रकाशन किया गया। मुख्यालय और परियोजनाओं से विभिन्न हिन्दी/द्विभाषा/त्रिभाषा पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गईं, जैसे सृजन, बैला समाचार, बचेली समाचार, दोणि समाचार, हीरा समाचार, सी न्यूज आदि। परियोजनाओं और यूनिटों में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए "एनएमडीसी राजभाषा शील्ड" योजना के अंतर्गत शील्ड वितरित की गई।



एनएमडीसी को वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “राजभाषा सम्मान के प्रथम पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एनएमडीसी को “ग” क्षेत्र में पीएसयू के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय) प्रदान किया गया। एनएमडीसी को वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए मध्यम आकार श्रेणी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (यू), हैदराबाद–सिकंदराबाद से प्रथम पुरस्कार–“राजभाषा शील्ड” प्राप्त हुआ। एनएमडीसी की हिन्दी पत्रिका “खनिज भारती” को हैदराबाद–सिकंदराबाद की सभी पीएसयू में मुद्रित पत्रिका श्रेणी में “श्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार” प्राप्त हुआ।

21.5 मॉयल लिमिटेड

सभी खदानों सहित मॉयल में अधिकांश पत्राचार हिन्दी में किया जाता है (97 प्रतिशत)। सभी प्रोसेसरों में यूनिकोड को लागू किया गया है। कम्पनी ने सभी कंप्यूटर सिस्टमों में हिन्दी से संबंधित सॉफ्टवेयर इन्स्टॉल किए हैं।

55 प्रतिशत से अधिक राशि को हिन्दी की पुस्तकों खरीदने पर खर्च किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ, स्वच्छता अभियान, कौमी एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाए गए।

कार्यशाला और प्रशिक्षण आयोजित करके अधिक से अधिक लोगों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण किया गया। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए काव्य गोष्ठी और राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया है। हिन्दी भाषा में काम करने वाले कर्मचारियों को मुख्यालय और खदान इकाईयों में प्रोत्साहन योजना के लाभ दिए जाते हैं जिससे उन्हें हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मॉयल के कर्मचारियों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। मॉयल लिमिटेड की पत्रिका “शुचिता” को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया।

21.6 एमएसटीसी लिमिटेड

14 सितंबर, 2018 को राजभाषा त्रिमास का उद्घाटन किया गया। इस अवधि के दौरान, मुख्य, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कुल 47 कर्मचारियों को हिन्दी प्रतियोगिताओं में जीतने और हिन्दी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 10 जनवरी 2019 को आयोजित विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए थे। इस वर्ष में, कुल 86 कर्मचारियों को राजभाषा प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित किया गया।

अधिकारियों ने हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों और इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वर्ष 2018–19 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति ने मुख्यालय, कोलकाता (दिनांक 01.10.2018), वडोदरा कार्यालय (दिनांक 26.10.2018) और त्रिवेंद्रम कार्यालय (दिनांक 23.01.2019) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संलग्न दस्तावेजों के साथ अच्छी तरह से भरी हुई प्रश्नावली को दाखिल किया गया। एमएसटीसी में राजभाषा के कार्यान्वयन को संसदीय राजभाषा समिति और इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन से दृढ़ता मिली।

14 सितम्बर 2018 को माननीय उप-राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडु ने एमएसटीसी को राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए ‘राजभाषा कीर्ति पुरस्कार’ प्रदान किया।

मई और नवम्बर 2018 सत्र में हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा क्रमशः 26 और 21 कर्मचारियों का परीक्षा के लिए नामांकन किया गया। इन कर्मचारियों को आंतरिक कक्षाओं, लीला एप आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

21.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समय–समय में प्राप्त होने वाले निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करता है।

सितम्बर 2018 में एफएसएनएल के कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी यूनिटों में “हिन्दी माह” मनाया गया। हिन्दी टिप्पणी/आलेखन, निवंध लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी वाद–विवाद प्रतियोगिताएँ आदि का आयोजन माह के दौरान किया गया और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

तीन भाषाओं अर्थात हिन्दी—छत्तीसगढ़ी—अंग्रेजी के शब्दकोष का निर्माण एफएसएनएल के राजभाषा विभाग द्वारा किया गया। एफएसएनएल के राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी शब्दकोष “राजभाषा शब्द सम्मान” का निर्माण किया गया।

हिन्दी लेखन में स्कूल/कॉलिजों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भिलाई (छत्तीसगढ़) में हिन्दी में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गतिविधियाँ की गईं।

एफएसएनएल की हाउस पत्रिका दर्पण के प्रथम अंक का नए नाम और शैली में माननीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा 5 जुलाई 2018 को इंदौर में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में रिलीज किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी), भिलाई—दुर्ग ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई—दुर्ग के संबंधित सदस्यों में से एफएसएनएल को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए “राजभाषा उत्कर्ष पुरस्कार—2018” के लिए चुना गया।

एफएसएनएल के राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न हिन्दी कार्यशालाएं और तकनीकी बैठकें विभिन्न तिथियों को आयोजित की गईं।

एफएसएनएल के प्रतिनिधियों को सेल—भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित “ऑनलाइन” राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसका आयोजन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) भिलाई—दुर्ग के संबंधित सदस्यों के लिए किया गया था।

21.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के कार्यालयीन कार्य में भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीएमडी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। मेकॉन नगर राजभाषा समिति, रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और सक्रिय रूप से सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है।

दिनांक 14.09.2018 से 28.09.2018 तक कम्पनी के मुख्यालय के साथ—साथ अन्य कार्यालयों में “हिन्दी पखवाड़ा” मनाया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने अपने दैनिक शासकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की शपथ ली। “हिन्दी पखवाड़ा” के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कम्पनी के मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में किया गया। “यूनिकोड के जरिए हिन्दी में काम—काज” विषय पर एक विशेष हिन्दी कार्यशाला और एक राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भी हिन्दी पखवाड़ा के दौरान किया गया।

हमारे मुख्यालय, रांची में मैं 7 सितम्बर 2018 को अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके दो सत्र थे। पहले सत्र का विषय था “मेक इन इंडिया: इस्पात मंत्रालय के पीएसयू की भूमिका” और दूसरे सत्र का विषय था “विश्व परिदृश्य के संबंध में राजभाषा हिन्दी की भूमिका”।

कम्पनी के हिन्दीत्तर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हिन्दी प्रशिक्षण का आयोजन जनवरी—मई, 2019 (सत्र) के दौरान किया गया, जिसमें प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाओं का आयोजन किया गया जिनमें 10 कर्मचारियों ने भाग लिया।

21.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग पर जारी निर्देशों का पालन करता है।

कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों के अनुसार हिन्दी प्रशिक्षण, नकद पुरस्कार और वेतन बढ़ोत्तरी प्रदान की जाती है। हिन्दी कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है ताकि कर्मचारियों में जागरूकता पैदा की जा सके, ज्ञान प्रदान किया जा सके और उनके शासकीय काम—काज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष के दौरान कार्मिकों को अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु 04 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से सभी स्थानों पर होती हैं और पिछली तिमाही में की गई प्रगति की समीक्षा इस प्रकार की बैठकों में की जाती है। सितम्बर 2018 में कम्पनी के सभी स्थानों पर हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों को हिन्दी में अपना काम—काज करने के लिए नकद पुरस्कार वितरित किए गए। 29 सितम्बर,



2018 को एक समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

कम्पनी बंगलोर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की संयोजक है और बंगलोर में सभी केंद्रीय उपक्रमों के लिए बैठकें और संयुक्त हिन्दी मासिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ये बैठकें 18 जुलाई 2018 और 18 दिसम्बर 2018 को आयोजित की गई थीं। 18 जुलाई 2018 को बंगलोर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा आयोजित प्रथम बैठक में वार्षिक पत्रिका “दीपिका” का 13वां अंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैनर के अंतर्गत जारी किया गया।

कम्पनी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) सदस्यों के लिए 2 से 30 अगस्त 2018 के बीच एक संयुक्त हिन्दी माह का आयोजन किया और सत्रह प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। बंगलोर में अधिकांश पीएसयू अधिकारियों ने इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विभिन्न पीएसयू के 167 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार, स्मृति चिह्नों और प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया।

21.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

इन कम्पनियों ने कर्मचारियों में जागरूकता और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। ओएमडीसी ने निबंध लेखन, हिन्दी कविता पाठ और हिन्दी अनुवाद पर प्रतियोगिताएँ आयोजित करके और पुरस्कार वितरण करके “हिन्दी पखवाड़ा” मनाया जिसमें कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ओएमडीसी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम के निर्देशों के अंतर्गत कदम उठा रहा है। दो भाषाओं में बोर्ड और विज्ञापनों को जारी किया जा रहा है। “राजभाषा शिक्षण बोर्ड” को मुख्यालय में स्थापित किया गया है ताकि कर्मचारियों को प्रतिदिन नए शब्द सिखाए जा सकें। हिन्दी सीखने और शासकीय कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के लिए “हिन्दी शिक्षण योजना” के अंतर्गत पारंगत कोर्स के लिए राजभाषा प्रशिक्षण काक्षाओं का आयोजन किया गया।

अध्याय—XXII

महिला सशक्तिकरण

22.1 इस्पात मंत्रालय

अगस्त, 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विसाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में, महिलाओं की काम के संबंध में लैंगिक समानता और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के मानदंडों को मान्यता, और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, उनके प्रतिष्ठा के विरुद्ध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है, इसे माना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी नियोक्ताओं को उचित कदम उठाने चाहिए। प्रक्रिया के भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों के साथ शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न) का गठन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों पर ध्यान देने और उनके निवारण के लिए पाँच-सदस्पीय समिति का गठन किया है। समिति को वर्ष 2018-19 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जो मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ट वातावरण का व्यापक सूचक है।

महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस मंत्रालय में संकल्पना के कार्यान्वयन चरण शुरू करने के उद्देश्य से मंत्रालय में जेंडर बजट सेल की स्थापना की गई है।

22.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल तकनीकी और अतकनीकी दोनों क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करता है। चिकित्सा, पैरा-चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक में प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर) क्षमता वाली महिलाएं हैं। सेल चयन, भर्ती और नियुक्ति या पदोन्नति स्तरों पर दोनों लिंगों को समान अवसर प्रदान करता है।

सभी कर्मचारियों के लिए लिंग-निरपेक्ष समान कैरियर विकास अवसर यह सेल के अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास के लिए नीति की पहचान है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती संख्या इस वास्तविकता का संकेत है।

सेल में प्रशिक्षण पॉलिसी प्रशिक्षण जरूरतों के विश्लेषण के माध्यम से महिला कर्मचारियों सहित अपने सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों का ध्यान रखता है। महिला कर्मचारियों को उनके करियर के विकास और नौकरी की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में विशेष/तकनीकी/प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदर्शन के लिए सुविचारित किया जाता है।

महिला कर्मचारियों को लाभ

जहाँ महिला कर्मचारियों को तकनीकी के साथ-साथ अतकनीकी क्षेत्रों में पदस्थापित/संलग्न किया गया है उन सभी स्थानों पर अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी के प्लांट और इकाईयों में सभी कर्मचारियों के लिए शौचालय, भोजनालय आदि उपलब्ध हैं। सभी कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। कंपनी का वैधानिक अनुपालन, जैसे कि मातृत्व अवकाश, बाल-संरक्षण अवकाश आदि का लाभ, महिला कर्मचारियों के लिए उसकी नीतियों में भी प्रतिबिम्बित होता है।

यौन उत्पीड़न का प्रतिबंध

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन हमारे प्लांट/इकाईयों में किया गया है और इस समिति की संरचना वर्तमान प्लांट/यूनिट के संबंधित इंटरनेट/वेब पोर्टल पर अपलोड की गई है।



महिलाओं की देखभाल

सेल ने समाज में महिलाओं के ज्यादा लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। इन गतिविधियों में बालिकाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल पर जागरूकता कार्यक्रम, परिवार नियोजन, पूर्व जन्मजात सेवाएं, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन और एड्स नियंत्रण पर सूचनात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। सेल प्लांट और यूनिट में महिला समितियाँ भी हैं जो सामाजिक मुद्दे जैसे बाल श्रम / दहेज, महिलाओं का शोषण, स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को समर्थन, शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होना आदि, में कार्यरत हैं।

22.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में, महिला कर्मचारी इसकी कुल श्रमशक्ति का 3.1% है। लगभग 6.7% अधिकारी और 1.5% गैर-अधिकारी महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी जैसे संचालन और अनुमान के अलावा पारंपरिक कार्य जैसे मानव संसाधन, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएं आदि विविध और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

आरआईएनएल एससीओपीई के संरक्षण में गढ़ित वुमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस) के मंच के स्थानीय कक्ष के माध्यम से महिलाओं के कार्यबल को बारीकी से बुनने की सुविधा प्रदान करता है। यह कक्ष महिला कर्मचारियों के विकास के लिए कई गतिविधियों का आयोजन कर रही है जिसमें प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम, नेटवर्किंग और सामाजिक कौशल पर कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें महिलाओं के रोजगार से संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए लैंगिक संवेदनशील कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्य सफलताओं में ये शामिल हैं:

- देश में तकनीकी, प्रबंधकीय, महिला विकास, स्वास्थ्य, सेमिनार और सम्मेलनों सहित विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के लिए 873 महिला कर्मचारियों को नामांकित किया गया था। विदेश में सेमिनार में उपस्थित होने के लिए दो महिला कर्मचारियों को नामांकित किया गया था।
- 70 अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यस्थल अधिनियम 2013 में यौन उत्पीड़न की प्रतिबंधन के प्रावधानों पर भी आयोजित किए गए थे।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2018), महिला दिवस (8 मार्च 2018) और महिला दिवस समारोह को 19 से 25 नवंबर, 2018 के दौरान कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) के भाग के रूप में मनाया गया, जहां मान्यवर व्यक्तियों द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं के महत्व और राष्ट्र निर्माण के विकास में उनकी भूमिका पर व्याख्यान दिया गया।
- 24 मार्च 2018 को महिला कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय वार्षिक खेल सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 100 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया था।
- कक्ष कार्यकारी महिलाओं के बच्चों के लाभ के लिए शिशुसदन— “हैप्पी आवर्स” चलाती है। शिशुसदन में हर साल बाल दिवस मनाया जाता है।
- आरआईएनएल की महिला टीम ने विशाखापत्तनम में आयोजित क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स –2018 के खंड सम्मेलन में 5एस कार्य स्थान प्रबंधन में सुवर्ण परितोषिक जीता और लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेल सम्मेलन में 50 मीटर रनिंग और टेनिकोइट डबल्स में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था।

22.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड ने दिनांक 31.03.2019 को 371 महिलाओं को नियुक्त किया है, जो (दिनांक 31.03.2019 की स्थितिनुसार) 5887 की अपनी कुल जनशक्ति का लगभग 6.30% है। कंपनी सभी स्तरों, पर चाहे वह चयन, भर्ती, रोजगार या पदोन्नति हो, सभी लिंगों के लिए समान अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

मुख्य ऑफिस और प्रोजेक्ट्स में स्वतंत्र शौचालय, विश्रांती कक्ष आदि जैसी सुविधाएं दी गयी हैं। स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन आदि में जागरूकता प्रशिक्षण के लिए महिला कर्मचारियों को एनएमडीसी प्रायोजित कर रहा है, कंपनी के सभी कानूनी दायित्व महिला कर्मचारियों के लिए पॉलिसीओं में प्रतिबिम्बित होते हैं।

अपनी 62 वीं रिपोर्ट में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार, सभी परियोजनाओं में डबल्यूआईपीएस कक्षों का गठन किया गया है।

सीएसआर गतिविधियों के तहत, एनएमडीसी ने स्थानीय महिला सशक्तीकरण के लिए कई गतिविधियाँ शुरू की हैं। उनमें से कुछ हैं:

- बालिका शिक्षा योजना:** एनएमडीसी बस्तर खंड की आदिवासी छात्राओं के लाभ के लिए “बालिका शिक्षा योजना” नामक केंद्रित उपक्रम चलाती है। इस उपक्रम का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की अत्यधिक कमी की स्थिति को दूर करने में व्यावसायिक शिक्षा, महिला सशक्तीकरण में योगदान करने के लिए समाज की सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की लड़कियों की सहायता करने का तिगुना उद्देश्य है। योजना के तहत, चयनित आदिवासी लड़कियों को अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में बीएससी (नर्सिंग) और जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत 25 छात्रों के साथ हुई लेकिन कार्यक्रम की सफलता के साथ, 40 छात्राओं को शामिल करने के लिए प्रवेश को बढ़ाया गया। योजना का पूरा खर्च एनएमडीसी द्वारा वहन किया जाता है।
- वर्ष 2011-12 के बाद से, 298 छात्राओं को इस योजना के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित होने के लिए प्रायोजित किया गया है। पहले तीन समूहों के छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और लाभ प्राप्त किया गया है।
- आदिवासियों के लिए छात्रवृत्ति योजना:** “शिक्षा सहयोग योजना” एनएमडीसी द्वारा गरीब आदिवासी और अनुसूचित जाति के बस्तर खंड, छत्तीसगढ़ के 07 (सात) जिलों और कर्नाटक में बेल्लारी जिले के दोणिमलै के आस-पास के 8 गांवों के छात्रों के लिए उपक्रम है। योजना का उद्देश्य छात्रों को 8 वीं कक्षा से स्नातक स्तर तक की शिक्षा तक आगे बढ़ाने में मदद करना है। इस योजना के तहत कुल 18000 छात्रवृत्तियाँ वितरित की जाती हैं, जिनमें से लगभग 44% लाभार्थी छात्राएँ लड़कियाँ हैं।

22.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल के पास अपने रोल पर 783 महिला कर्मचारी हैं जो दिनांक 31.03.2019 तक के 6048 के कुल कार्यबल का 12.94% है।

महिला मंडल कंपनी के सभी खान में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। महिला मंडल द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षाप्रद और सामुदायिक गतिविधियाँ, जैसे कि वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, ज्यादातर दूरस्थ खदान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए।

हर वर्ष, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को चिह्नित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

इसकी सीएसआर गतिविधियों के भाग के रूप में, स्व-सहायता समूह खानों में बनाए गए हैं, जिसमें दूरस्थ के गांवों से महिलाओं को शामिल किया गया है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्तियाँ, धुलाई की पाउडर, धुलाई का साबुन, बांस की टोकरियाँ, सिलाई और कई अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मॉयल में इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और यह बहुत बड़ी सफलता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, मामलों से निपटने के लिए कंपनी में एक यौन उत्पीड़न प्रबंधन और निवारण समिति का गठन किया गया है।

समिति के सदस्यों के नाम कंपनी की वेब साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं यानि www.moil.nic.in मॉयल में उत्पीड़न का एक मामला दर्ज किया गया था और उसकी समिति द्वारा पूछताछ की गई थी।

22.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी बुमेन इन पब्लिक सैक्टर (डबल्यूआईपीएस) के फोरम का कॉर्पोरेट जीवन सदस्य है। वर्ष के दौरान, डबल्यूआईपीएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कई महिला कर्मचारियों को नामित किया गया था। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। आवधिक बैठकें और शिकायत निवारण, जागरूकता कार्यक्रम आदि का विधिवत संचालन कंपनी द्वारा किया जाता है।



22.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल की महिला कर्मचारियों को सभी गतिविधियों में उचित महत्व दिया जाता है, और उनके कौशल, क्षमताओं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए मान्यता दी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न समितियों में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व है, जैसे कि यौन उत्पीड़न की प्रतिबंध के लिए समिति आदि। एफएसएनएल की कार्य पद्धति महिला कर्मचारियों के लिए काफी अनुकूल है।

22.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन में महिला कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय या शिकायते देखने के लिए एक वरिष्ठ महिला कार्यकारी की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति है। मेकॉन महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में समय-समय पर मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करता है। इसके अलावा, समय-समय पर हमारे एचआरडी अनुभाग द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

22.9 केआईओसीएल लिमिटेड

वेतन, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण दृष्टिकोण, मातृत्व लाभ आदि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय/वैधानिक प्रावधान कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं।

दिनांक 31.03.2019 तक केआईओसीएल के रोल पर 26 महिला कर्मचारी हैं।

कार्यस्थल (प्रतिबंध, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत प्रावधानों/आवश्यकताओं के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न की शिकायत महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों से निपटने के लिए बैंगलुरु, मंगलुरु और कुद्रेमुख यूनिटों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था। शिकायत समिति में अध्यक्ष अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कार्यकारिणी, एक पुरुष कर्मचारी और एक महिला कर्मचारी और तीसरे पक्ष के सदस्य के रूप में नॉन-गवर्नमेंट ॲर्गनाइजेशन (एनजीओ) से एक महिला प्रतिनिधि शामिल हैं।

एक महिला मंच – सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाएँ केआईओसीएल में काम कर रही हैं और सभी महिला कर्मचारी इस फोरम की आजीवन सदस्य हैं। केआईओसीएल, डबल्यूआईपीएस फोरम के लिए एक कॉर्पोरेट आजीवन सदस्य है, जो स्टैंडिंग कोन्फरेंस ॲफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइसेस (एससीओपीई) के अंतर्गत कार्य कर रहा है। समन्वय को डबल्यूआईपीएस के साथ मेल जोल रखने हेतु केआईओसीएल से आवर्तित आधार पर नामित किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा डबल्यूआईपीएस की वार्षिक बैठकों/क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2019 को उत्साहपूर्वक मनाया जाता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, डबल्यूआईपीएस कक्ष ने सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है जैसे कि चिकित्सा शिविर का आयोजन, स्वच्छता किटों का वितरण आदि, बाल दिवस पर, तनिरबावी उच्च प्राथमिक विद्यालय, मंगलुरु के छात्रों को डबल्यूआईपीएस द्वारा नोटबुक और शब्दकोशों का वितरण किया गया था।

22.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ये कंपनियां लैंगिक समानता को अधिक महत्व देती हैं। महिला कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए कंपनी में एक महिला शिकायत कक्ष कार्यरत है। ये कंपनियां समान अवसर नियोक्ता हैं और लिंग के संदर्भ में अंतर नहीं करती हैं। महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए महिला प्रतिनिधियों के साथ "जेंडर बजटिंग सेल" का गठन किया गया है। कार्य स्थल (प्रबंधन, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं की यौन उत्पीड़न के मामले में आंतरिक शिकायत समितियां हैं।

अध्याय—XXIII

निगमित सामाजिक दायित्व

23.1. प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक ऐसी संकल्पना है, जिसके तहत संगठन उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर अपने कार्य क्षेत्र के प्रचालनों के सभी पहुँचों के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेकर समाज के हित का संरक्षण करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कुल मिलाकर समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः सीएसआर का स्थायी विकास के साथ सीधा संबंध है।

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 बनाया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में है। इसमें कंपनियों के लिए शुद्ध मूल्य, कारोबार, और शुद्ध लाभ के आधार पर वे अर्हक मानक निर्धारित किये गये हैं, जिनकी सीएसआर गतिविधियां करने के लिए जरूरत होती है और साथ-साथ, जो कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन की व्यापक कार्य प्रणालियों, कार्यान्वयन और निगरानी को निर्देशित करते हैं। अपनी सीएसआर नीतियों में कंपनियों द्वारा शामिल की जा सकने वाली गतिविधियों को इस अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII के प्रावधान सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीएसआर नियमावली तैयार की है और इसे 27.2.2014 को जारी किया है। सीएसआर नियमावली 1.4.2014 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होती है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अक्टूबर 2014 में निगमित सामाजिक दायित्व और स्थायित्व पर दिशा—निर्देश जारी किये हैं। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सीएसआर के तहत निधियों के आवंटन एवं व्यय करते समय उपरोक्त अधिनियम/नियमावली/ दिशा—निर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया है।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निधियों के आवंटन एवं व्यय के ब्यौरे अनुबंध XV पर दिए गए हैं।

23.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल का सामाजिक उद्देश्य निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का पर्याय है। इस्पात विनिर्माण के व्यवसाय के अलावा, कंपनी का उद्देश्य उन तरीकों से व्यवसाय का संचालन करना है, जो उन समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, जिन समुदायों में यह काम करता है। किसी भी संगठन के लिए समाज पर अपने व्यवसाय के प्रभाव के बारे में जागरूक होने से सीएसआर शुरू होता है। 'लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के अपने दर्शन एवं मूलमंत्र के साथ सेल अपनी स्थापना के समय से ही सीएसआर पहलों का गठन और कार्यान्वयन कर रहा है। इन प्रयासों के कारण सेल के आसपास गांवों की आज विशाल औद्योगिक केन्द्रों में परिवर्तित किया जा सका।

सेल सीएसआर पहल हमेशा सीएसआर और स्थायित्व पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देश – 2013 और वर्तमान में 'कंपनी अधिनियम –2013' के अनुसार प्रचलित विधियों के अनुरूप की गई है। सेल की सीएसआर परियोजनाएं गांव के विकास के क्षेत्र में देश भर में स्टील टाउनशिप, खानों और दूर दराज के स्थानों में की जाती हैं, जिसमें मॉडल स्टील विलेजेज (एमएसवीज) का विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, टीकाकरण, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल करना, शिक्षा, पानी की सुविधा, सड़क का निर्माण, सड़क किनारे की नालियों और स्ट्रीट लाइट, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांगों को सहायता, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

सेल सीएसआर गतिविधियां

स्वास्थ्य देखभाल

जरूरतमंद लोगों को उनके घर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के लिए संयंत्रों/इकाइयों/खानों की परिधि में और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न गांवों में निश्चित दिनों पर नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाये जाते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान 3050 स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिनसे 60,000 से अधिक ग्रामवासी लाभान्वित हुए।

वर्ष 2018–19 में संयंत्र की परिधि में 5 मोबाइल स्वास्थ्य इकाई (एमएमयू) चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ 44000 ग्रामवासियों को उनके घर पर उपलब्ध हुआ।



सेल के राजरकेला स्टील प्लांट द्वारा परिधीय आबादी के लिए निःशुल्क सर्जिकल अंतःक्षेप

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान संयंत्रों के 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 69000 ग्रामीणवासियों को निःशुल्क चिकित्सा देखभाल और दवाइयां प्रदान की गई।

शिक्षा

शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के ध्येय से, सेल अपने टाउनशिप में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 77 से अधिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है तथा भिलाई और राजरकेला के 600 से अधिक स्कूलों को अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ जुड़कर लगभग 64,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करके सहायता कर रहा है।

- एकीकृत इस्पात संयंत्रों के स्थानों में संचालित किए जा रहे 19 विशेष विद्यालय (कल्याण और मुकुल विद्यालय) के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) 3740 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, यूनिफार्म के साथ जूते, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलें आदि तथा परिवहन की सुविधा दे रहे हैं।
- 318 से अधिक आदिवासी बच्चे सरंदा सुवन छात्रावास, किरीबुरु; आरटीसी आवासीय पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर; ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहरा, भिलाई; कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, भुवनेश्वर; ज्ञान ज्योति योजना बोकारो में निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि प्राप्त कर रहे हैं।
- संयंत्र के उपनगरों में 2300 से अधिक स्कूल छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- **ज्ञान ज्योति योजना:** 15 बिरहोर बच्चों के अगले बैच को अपनाया गया है, जो बोकारो में बोर्डिंग, लॉजिंग, पौष्टिक और पौष्टिक भोजन, कपड़े, मुफ्त चिकित्सा उपचार, खेलकूद और सांस्कृतिक अवसर आदि के साथ-साथ मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं स्थायी आय सुजन

नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, छोटी गाड़ियों की ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, अचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, हैंडीक्राफ्ट, रेशम उत्पादन, धागा की बुनाई, सिलाई, सिलाई और कढाई, दस्ताने, मसाले, तौलिया, टाट के बोरे, कम लागत वाले सेनेटरी नैपकिन, स्वीट बॉक्स, साबुन, धुंआरहित चूल्हा बनाना आदि जैसे क्षेत्रों में 710 युवा और 1168 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- सेल ने नूह जिला प्रशासन के साथ उनके मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए सहमति पत्र (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत हरियाणा के नूह स्थित 100 बालिका/सह-शिक्षा विद्यालयों में निम्न कार्य किए गए:
 - ❖ 100 स्कूलों में एक-एक सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इनसिनेरेटर की स्थापना की गई।
 - ❖ 100 स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के ऊपर जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- ❖ छात्राओं और उनके परिवार के महिला सदस्यों के बीच 20 लाख सेनेटरी नैपकिन बांटे गये।
- लगभग 816 युवाओं को आईटीसी बोलनी, बड़गांव, बलियापुर बोकारो प्राइवेट आईटीआई और राउरकेला आदि में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया। सेल/आरएमडी ने बोलानी और बरसूआ आईटीआई को अपग्रेड करने और उसको संचालित करने के लिए गोद लिया।

स्वच्छ भारत अभियान—स्वच्छ विद्यालय अभियान

सेल भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए “स्वच्छ भारत अभियान” में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अपने संयंत्रों और खान की परिधि अंदर आने वाले स्कूलों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सेल को आवंटित किए गए 672 शौचालयों के निर्माण को पूरा कराया। इसमें शौच करने की जगह, यूरिनल, वॉशबेसिन और ओवरहेड वाटर स्टोरेज जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। शौचालय निर्माण के अलावा पूरे संगठन में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। कार्य स्थल सहित विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिता, विज्ञप्ति, प्रतिस्पर्धा और शापथ जैसे जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया उचित साफ—सफाई कंपनी में व्यापक रूप से की जा रही है।

मॉडल स्टील ग्राम: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए भौतिक और सामाजिक दोनों ढांचों को व्यापक विकास प्रदान करने के लिए, देश भर में (आठ राज्यों में) 79 गांवों को ‘‘मॉडल स्टील ग्रामों’’ के रूप में अपनाया गया था। इन गांवों में की गई विकासात्मक गतिविधियों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क और कनैकिटीविटी स्वच्छता, सामुदायिक केन्द्रों आजीविका सृजन, खेल सुविधाओं, इत्यादि शामिल हैं। इन एमएसवी में विकसित सुविधाएं नियमित रूप से चलाई व बरकरार रखी जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास: सेल ने अपनी स्थापना की शुरूआत से ही सड़कों का निर्माण और मरम्मत करके 450 गांवों में 79.03 लाख से अधिक लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा है। अब तक सेल ने 8176 से अधिक जल स्रोतों की स्थापना करके दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई है।

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता: सेल अपने सीएसआर के तहत भिलाई में “मुसकान”, राउरकेला में “अंधे, बहरे और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल” और “होम एंड होप” बोकारो में “आशालता केंद्र”, दुर्गापुर में “विकलांग उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम” (होप) और दुर्गापुर में “दुर्गापुर विकलांग हैप्पी होम”, बर्नपुर में “चेशायर होम” जैसे विभिन्न स्कीमों एवं केंद्रों को सहायता प्रदान करता है। भिलाई के “सियानसदन” जैसे वृद्धाश्रम को सहयोग प्रदान करता है।

23.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

जब सीएसआर की अवधारणा अपने प्रारंभिक चरण में थी, तभी से अपनी स्थापना के बाद से ही आरआईएनएल ने सामुदायिक विकास पहल के हिस्से के रूप में कई परियोजनाएं/गतिविधियां और कार्यक्रम किए हैं। मार्च 2007 में एक अलग विभाग का गठन किया गया था और विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को फोकस तरीके से संचालित करने के लिए ‘आरआईएनएल सीएसआर फाउंडेशन’ को उस समय के कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कराया गया। आरआईएनएल ने साल 2006 में स्वयं अपनी सीएसआर नीति बनाई थी।

इसके बाद नए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने पर कंपनी ने उक्त कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एक ‘सीएसआर एंड स्टेनेबिलिटी पॉलिसी’ तैयार की है और समावेशी विकास और स्थिरता ‘पर यथोचित जोर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर एंड एस की बोर्ड उप समिति, नियमित रूप से इन सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है।

सीएसआर के फोकस क्षेत्रों में आमतौर पर कंपनी ने उक्त कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसूची VII में उल्लिखित है जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण देखभाल, ग्रामीण विकास, खेल, स्वच्छता और स्वच्छ भारत, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद आदि क्षेत्र शामिल हैं। आरआईएनएल की प्रमुख सीएसआर पहलों में से कुछ इस प्रकार हैं:

शिक्षा

- **शिक्षा:** संयंत्र एवं खान के आस पास के गांवों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों (बीपीएल) के 1600 बच्चों को शिक्षा में सहयोग दिया जाता है।

- अरुणोदय विशेष विद्यालय के माध्यम से 100 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उपचार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
- विशाखापटनम के भीमिली स्थित महिलाओं के लिए सरकारी पॉलीटेक्नीक के 11000 वर्गफुट के कार्यशाला भवन में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला और कक्षा की सुविधा प्रदान की गई, जिससे करीब 600 छात्राओं को लाभ मिल रहा है।
- चेतना — शिक्षा से वंचित रह गई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयंत्र एवं खान के आस—पास के गांवों में और विशाखापटनम एवं विजयनगरम जिलों में प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया गया, जिससे 600 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।
- ‘पाठशाला की आभरणम’— स्कूलों में कमी को पूरा करने के लिए 6 सरकारी स्कूलों को 280 तीन सीटर डुअल डेस्क प्रदान किए और इसके बाद 15 सरकारी स्कूलों में 645 तीन सीटर डुअल डेस्क प्रदान करने के लिए परियोजना शुरू की गई।
- अक्षय विद्या: हैदराबाद (25 केंद्र) और वाईएसआर कडप्पा जिलों (15 केंद्रों) के झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- स्कूलों की आधारभूत संरचना: यूपी के लालगंज में आरआईएनएल के फोर्ज्ड हवील प्लांट के आस पास के गांवों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में ड्यूल डेस्क बैंच, आरओ प्लांट, कलास रूम, पंखे, ट्यूबलाइट, कक्षा की इलेक्ट्रिकल वायरिंग आदि जैसी शैक्षणिक आधारभूत संरचना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
- विशाखापत्तनम पब्लिक लाइब्रेरी को सहायता: अलग अध्ययन हॉल के रूप में अतिरिक्त स्थान प्रदान करके इस लाइब्रेरी की सहायता की गई।

स्वास्थ्य

- ‘नेत्र ज्योति’: 125 नेत्र शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 11700 लाभार्थियों की जांच की गई और बीपीएल श्रेणी के 629 लाभार्थियों के मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी की गई।
- कोविलयर प्रत्यारोपण: सुनने में अक्षम गरीब बच्चों के पुनर्वास के लिए बीपीएल परिवारों से संबंधित पांच बच्चों को मैसर्स एलिम्कों के माध्यम से कोविलयर प्रत्यारोपण किया गया।
- दिव्यांग को सहायता: 147 दिव्यांगों को बेहतर जीवन जीने के लिए और उनकी दिव्यांगता को कम करने के लिए छील चेयर, ट्राइसाइकल, प्रोस्थेटिक्स, एडॉप्टिव डिवाइस आदि प्रदान किए गए। दिव्यांगजनों में वे लोग भी शामिल हैं, जो रीढ़ की हड्डी में चोट लगने या फिर किसी अंग के निकाले जाने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं।
- 25 परित्यक्त और निराश्रित बुजुर्ग व्यक्तियों को एक साल के लिए अपनाया गया। उन्हें संत हरदयाल शैक्षणिक एवं अनाथ कल्याण सोसाइटी (एसएचईओडब्ल्यूएस) के माध्यम से मुफ्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और घर की तरह की देखभाल प्रदान की जाती है।
- आरआईएनएल ने विशाखापत्तनम जिला प्रशासन को 200 छील चेयर प्रदान की ताकि दिव्यांग लोग आम चुनाव में मतदान का प्रयोग कर सकें।
- हरियाणा के नूह जिला में 15 स्कूलों को नैपकिन डिस्पेंसर, इंसीनेटर खरीदने और 100000 सेनेटरी नैपकिंस बांटने के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

पर्यावरण की देखभाल

- स्वच्छ गंगा निधि में योगदान: आरआईएनएल ने स्वच्छ गंगा’ के राष्ट्रीय मिशन में सहयोग किया है और सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में 50 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया है।

कौशल विकास

- ‘सक्षम’: आर्य वर्क्स, एलएमवी ड्राइविंग, कटिंग एंड टेलरिंग, ब्लाउज डिजाइनिंग और ब्यूटीशियन कोर्स जैसे व्यवसायों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे संयंत्र, खान के आस पास के गांवों एवं विशाखापत्तनम जिला के आदिवासी गांवों में रहने वाले एवं 240 महिलाओं सहित कुल 320 लोगों को लाभ हुआ।
- विशाखापत्तनम के 100 दिव्यांगजनों’ के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और 75 लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया और शेष 25 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

परिधीय विकास

- सामुदायिक हॉल: गांव में बुनियादी ढांचे के अंतर को पाठने के लिए आंध्र प्रदेश के अनकापल्लेमंडल और उत्तर प्रदेश के सहजादपुर गांव में एक सामुदायिक हॉल का निर्माण किया गया।
- “मनकोसम” परियोजना: महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने और उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संयंत्र के आस पास के 29 विनिहित जगहों पर विशाखापत्तनम सिटी पुलिस के सहयोग से सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाया गया, जो महिला सशक्तीकरण में प्रत्यक्ष योगदान है।

राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान मदद

- भीषण चक्रवाती तूफान तितली से प्रभावित श्रीकाकुलम जिला में पुनर्वास गतिविधियों के लिए 30 लाख रुपए की सहायता दी गई।
- सेल, एनएमडीसी, एमआईओएल और एमएसटीसी और आरआईएनएल मिलकर केरल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित पल्लकड़ जिला के लोगों को 20000 स्टेनलेस स्टील प्लेट्स के सेट प्रदान किए।

साफ—सफाई

- जलधारा: विशाखापत्तनम जिले के अरकू घाटी मंडल में चार आदिवासी गांवों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने से लगभग 620 निवासियों को लाभ हुआ, जिसका स्वास्थ्य पर और महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के सुधार पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- गर्मी के महीनों के दौरान आसपास के गांवों को 70,000 लीटर प्रति दिन पीने के पानी की आपूर्ति की गई।
- आरआईएनएल खानों के आसपास के गांवों में आरओ प्लांट लगाए गए।

स्वच्छ भारत

- स्वच्छ विद्यालय: “स्वच्छ विद्यालय” के तहत 32 सरकारी स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
- बाल स्वच्छता जागृति: आस पास के 12 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4200 छात्रों के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरुकता अभियान चलाया गया।
- वर्ष 2018-19 के दौरान स्वच्छ भारत के तहत संयंत्र, खानों और टाउनशिप के क्षेत्रों में 2301 स्वच्छता अभियान चलाए गए। इसके अलावा सरकार के निर्देशों के अनुरूप ‘सफाई पखवाड़ा’, ‘स्वच्छता ही सेवा’, स्वच्छ भारत, स्वच्छता पर्व स्वच्छता पखवाड़ा आदि मनाए गए।

डिजिटल लेन—देन जागरूकता

- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 45 जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया।

23.4 एनएमडीसी लिमिटेड

कंपनी द्वारा चलाये गये/शुरू किये गये सीएसआर कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

शिक्षा

- वर्ष 2008 से अजा/अजजा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना “एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना” चलायी जा रही है और 2018-19 के दौरान, 18000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।
- एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ के प्री-इंजीनियरिंग और मेडिकल टेस्ट में मेरिट सीट्स पाने के लिए चल रही पीईटी/पीएमटी कोविंग के लिए “छू लो आसमां योजना” के तहत बस्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता दी। एनएमडीसी ने सफलतापूर्वक चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को सहयोग देना जारी रखा।
- एनएमडीसी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भागीदारी में चलाई जा रही ‘उज्जर’ योजना के तहत उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला के 100 आदिवासी छात्रों को सहायता देती है। एनएमडीसी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समर्थन दे रही है।



- एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ‘उजर’ स्कीम के तहत समझौते में साझेदारी की और उच्च शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा, जिला छत्तीसगढ़ के 100 जनजातीय छात्रों को वित्तीय सहायता दी। एनएमडीसी पिछले वर्ष से इस कार्यक्रम के लिए सफलतापूर्वक सहायता दे रही है।
- दिव्यांग बालक और बालिकाओं के लिए संचालित 200 सीटों वाले सक्षम-1 और सक्षम 2 को एनएमडीसी अपना समर्थन प्रदान कर रहा है। उपरोक्त संस्थान एक शिक्षा केन्द्र के रूप में जवांगा, गीदम, दंतेवाड़ा जिले में संचालित किए जा रहे हैं और एनएमडीसी ने इस वर्ष भी उपरोक्त प्रयास के लिए अपना समर्थन जारी रखा। यह एक बार फिर से सूचित किया जाता है कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि विकलांग जनों के लिए 100 प्रतिशत बाधा रहित पहुंच पाने के लिए देश में “सक्षम” एकमात्र शैक्षिक संस्थान है।
- चालू शैक्षणिक वर्ष यानी 2018–19 के दौरान एनएमडीसी बालिका शिक्षा योजना के तहत अपोलो कॉलेज/स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में 40 लड़कियों को प्रायोजित किया गया। अभी तक एनएमडीसी द्वारा नर्सिंग कोर्सेज के लिए 298 विद्यार्थियों को प्रायोजित किया जा चुका है।
- नगरनार में 2010 में शुरू किया गया आवासीय स्कूल भी कक्षा 1 से 11 तक के 583 विद्यार्थियों के साथ सफलतापूर्वक चल रहा है।
- एनएमडीसी ने एससी/एसटी/अनाथों आदि के लिए आस्था गुरुकुल स्कूल—आवासीय विद्यालय और दंतेवाड़ा स्थित एजुकेशन सिटी के अंदर दंतेवाड़ा में 1000 सीटों वाला ऑडिटोरियम बनाया और करीब 1137 अनाथ एवं हिंसा प्रभावित बच्चों के स्कूल को चलाने के लिए एनएमडीसी जिला प्राधिकरणों के साथ साझेदारी कर रही है।
- कर्नाटक के डोनिमलई परियोजना के और उसके आस पास 8000 ग्रामीण बच्चों के लिए सफलतापूर्वक मध्याहन भोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और एनएमडीसी इस पहल को अपना समर्थन जारी रख रही है।
- पांच वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, कोलकाता के साथ साझेदारी करके 500 एकल शिक्षक एकल विद्यालय संचालित करके शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान योजना के तहत 120 एकल विद्यालय को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।
- बस्तर जिला के अडवाल एजुकेशन सिटी में ट्रांजिट होस्टल का निर्माण किया गया।
- कोंडागांव जिले में 500 सीटों वाली आवासीय परिसर सह प्रशिक्षण केंद्र भवन का निर्माण किया गया।
- स्वामी विवेकानंद शैक्षिक परिसर, नारायणपुर में शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाने वाले छात्रों के लाभ के लिए सात (07) बसों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी गई।



सीएसआर पहल के तहत एनएमडीसी द्वारा एक प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- केआर डीएवी स्कूल, सफीदों, जींद को उनके स्कूल परिसर में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

कौशल विकास

- नगरनार आईटीआई में हर वर्ष 28 छात्रों के प्रवेश के साथ वैल्डर और राजमिस्ट्री ट्रेड्स की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी है।
- 5 ट्रेडों के साथ भांसी में आईटीआई का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक साल 76 छात्र पढ़ते हैं। क्राइसिल ने आईटीआई भांसी को छत्तीसगढ़ के सभी आईटीआई में प्रथम स्थान दिया है।
- दांतेवाड़ा में दो विषयों मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक के साथ स्थापित पॉलिटेक्निकल कॉलेज का 126 छात्रों के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में यह एकमात्र ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो छत्तीसगढ़ सरकार से बिना किसी योगदान के पूर्ण रूप से किसी पीएसयू द्वारा चलाया जा रहा है।
- 1600 गैर एनएमडीसी हितधारकों को खनन और इस्पात क्षेत्र से संबंधित कौशल विकासित करने के एनएसडीसी की साझेदारी में तीन साल के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसे 2018-19 में पूरा कर लिया गया है।
- घरेलू ग्रामीण इलेक्ट्रीशियन, लकड़ी शिल्प (डिजाइन) और औद्योगिक गार्मिंग जैसे ट्रेडों में 270 व्यक्तियों के लाभ के लिए अर्बों ग्रामीण एकीकृत विकास संघ (यूआरआईडीए), नई दिल्ली के साथ साझेदारी में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। साल 2018-19 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 180 प्रशिक्षुओं से बने 2 बैच पूरे किए गए हैं।
- निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी), नई दिल्ली के साथ साझेदारी में कौशल विकास प्रशिक्षण बेरोजगार युवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को निर्माण उद्योग से संबंधित व्यवसायों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन रहा है, जिसमें 200 व्यक्तियों को शामिल किया जाना है। इसमें कवर किए गए ट्रेड़: ग्रुप ए—मेसन, बार बेंडर्स, शटरिंग कारपेंटर, प्लम्बर आदि, ग्रुप बी—जनरल वर्क सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, वैल्डर और अन्य ट्रेड्स, ग्रुप सी—लैंड सर्वेयर, सेटी इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर, साइट अकाउंटेंट, लैब टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान 43 प्रशिक्षुओं को इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, वैल्डर, डीजी सेट ऑपरेटर्स और शटरिंग कारपेंटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

स्वास्थ्य देखभाल

- वर्ष 2018-19 (फरवरी तक) के दौरान 85078 एवं 22802 स्थानीय आदिवासियों को क्रमशः निःशुल्क बाह्य—रोगी और अंतःरोगी चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई।
- 2018-19 के दौरान अस्पताल ऑन व्हील्स के माध्यम से नागरनार इस्पात संयंत्र के आस पास के 13 गांवों के 11584 (दिसंबर तक) लोगों का इलाज किया गया।
- जिला प्रशासन, नूह, हरियाणा में टीकाकरण और मां और बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) सेवाओं के लिए चार गतिशीलता सपोर्ट वाहनों का प्रावधान किया गया।
- नूह (मेवात) जिला, हरियाणा में जिला प्रशासन के साथ साझेदारी में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनेरेटर लगाया गया।
- मुनरो द्वीप, कोल्लम जिला और इलूर, एर्नाकुलम जिला, केरल में अगस्त 2018 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण।
- छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी परियोजना के आसपास रहने वाले 100 दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता और पुनर्निर्माण सर्जरी के संचालन के लिए आकर्ष अस्पताल को वित्तीय सहायता दी गई।

पेय जल

- नारायणपुर जिले के गदाजी में एजुकेशन सिटी परिसर में पेयजल सुविधा का प्रावधान।
- सुकमा जिले में 27 सुदूर स्थानों में पीने के पानी के लिए सोलर पंप की स्थापना।

ग्रामीण विकास

- नारायणपुर जिले के 08 गांवों में 2 किलो वाट पॉवर प्लांट की स्थापना।
- बस्तर जिले में किसानों की जमीनों पर बाड़ लगाने, बोरवेल खोदने और हैंड पंपों की स्थापना के लिए एनएमडीसी सफलतापूर्वक किसान विकास योजना के साथ काम कर रहा है।



23.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने निदेशक मण्डल की स्वीकृति से एक सीएसआर नीति बनाई है। वर्तमान वित्त वर्ष में निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अनेक योजनाएं शुरू की गयी हैं और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं:

शिक्षा:

- मॉयल चार स्कूलों की मदद कर रही है। दो स्कूल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में और दो स्कूल महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हैं। दोनों ही जिले भारत के पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित हैं। इन स्कूलों में आस-पास के क्षेत्र के गांवों में रहने वाले और अधिकांशतः गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से एमओआईएल ने सितासवंगी, भंडारा जिला में शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2014 में एक बड़े स्कूल का निर्माण किया है। स्कूल इस सुदूर पिछड़े क्षेत्र में कई गांवों की शैक्षणिक जरूरतों का ध्यान रखता है। स्कूल में 35 कक्षाओं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी आदि के साथ आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं हैं। स्कूल डीएवी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित और मॉयल द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- सीतासांगी के डीएवी-एमओआईएल स्कूल की जबरदस्त सफलता के साथ कंपनी नागपुर जिले में मुंसार में इस स्कूल की एक और शाखा खोलने की प्रक्रिया में है, जो ग्रामीण बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेगी। इस स्कूल में अप्रैल, 2020 में कामकाज शुरू होने की उम्मीद है।

पेयजल एवं स्वच्छता

- दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, मॉयल ने 42 बोर वेल का प्रस्ताव दिया है।

स्वास्थ्य देखभाल

- एस.एम.एम. वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित महात्मा आई बैंक तथा आई अस्पताल के साथ करार किया गया है, जिसके तहत जरूरतमंद ग्रामीण लोगों का मुफ्त में मोतियाबिंद की सर्जरी की जाती है।

ग्रामीण विकास

- कंपनी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी – मॉयल फाउंडेशन को बढ़ावा दिया है और महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्र प्रौद्योगिकी अंतरण संस्थान बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन का एक सहायक संगठन (एमआईटीआरए) के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए एक एमओयू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में कृषि विकास, पशुपालन (मुर्गी एवं बकरी पालन), महिला सशक्तिकरण, जीवन शैली में सुधार कार्यक्रम, इत्यादि शामिल हैं, जो इस क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी। परियोजना बेहतर जीवन स्तर के लिए गांव स्तर पर संसाधन विकसित करने का प्रयास करेगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए नागपुर, महाराष्ट्र के भंडारा और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलों में मॉयल खानों के आसपास के क्षेत्रों में 21 गांवों की पहचान की गई है।

स्वच्छ भारत अभियान

- एमओआईएल हर महीने के पहले बुधवार को स्वच्छता दिवस और एक या अधिक खानों में हर महीने की 1 से 15 तारीख को स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। खानों और हाउसिंग कॉलोनियों के साथ साथ आसपास के गांवों में बैनर, नारे और पोस्टर प्रदर्शित करके स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

23.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड ने सीएसआर पहल के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खर्च किया है :

- रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ के लिए आईटीआई उपकरण खरीदकर आईटीआई कार्यशालाओं के बुनियादी ढांचे का विकास।
- पश्चिम बंगाल में और साथ ही झारखंड के जरूरतमंद जिलों में मध्य विद्यालयों का नवीनीकरण।
- पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदनीपुर जिला में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण।
- पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं और हाथिए में रह रही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

- रहारा में रामकृष्ण मिशन शताब्दी कॉलेज में मल्टीमीडिया इंटरएक्टिव लैंगवेज लैब का निर्माण।
- कर्नाटक हेमोफिलिया सोसायटी, देवनगरी, कर्नाटक के स्वचालित उपकरणों के साथ मौजूदा हेमाटोलॉजी प्रयोगशाला का उन्नयन।

23.7 फेरो स्क्रैप निगम लि. (एफएसएनएल)

वर्ष 2018-19 के दौरान, एफएसएनएल द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं, जिनमें निम्न जरुरतमंद जिले शामिल हैं:

- जिलापरिषद हाई स्कूल-रामबिल्ली, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय ब्लॉकों का निर्माण।
- छात्र और छात्राओं के लाभ के लिए जिलापरिषद हाई स्कूल, थोटागरुवु-विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में एक हॉल का निर्माण।
- दो क्लासरुमों का निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण जिसमें 4 यूरिनल और 4 बाथरूम, रामरुद्र इंटरमीडिएट स्कूल, चास, बोकारो, जिला धनबाद (झारखंड) के लड़कों और लड़कियों के लिए।
- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के 7 सरकारी स्कूलों में शेड के साथ वॉशबेसिन लगाना।
- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 3 सरकारी स्कूलों में वॉशबेसिन प्रदान करना।

23.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन 60 के दशक से आसपास के इलाकों में ग्रामीण/सामुदायिक विकास क्रियाकलाप संचालित कर रहा है। वर्ष 1976 में, एक समर्पित समूह का गठन किया गया तथा उसका नाम "सामुदायिक विकास समिति (सीडीसी)" रखा गया तथा उसे 'निगमित सामाजिक दायित्व' के क्रियाकलापों की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया। तत्पश्चात, वर्ष 2010 में, संगठन के सीएसआर क्रियाकलापों का समन्वय आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों से लिए गए अन्य कर्मचारियों के सहयोग से करने के लिए 'सीएसआर प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2018-19 में मेकॉन द्वारा संचालित प्रमुख विकास क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

स्वच्छता

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत झारखंड के हजारीबाग और लोहरदगा जिलों के एमएचआरडी स्कूलों में 36 प्री-फैब्रिकेटेड बायो-टॉयलेट्स का वार्षिक रखरखाव।
- मेकॉन द्वारा गोद लिए गए झारखंड के गांवों में "जागरूकता मार्च", "स्वच्छता अभियान", "सफाई/स्वच्छता पर चर्चा" "और" घरेलू कचरे से खाद की तैयारी पर बातचीत" कार्यक्रम आयोजित करके "स्वच्छता ही सेवा" अभियान का अनुपालन
- गांव गोद लिया हुआ गांव बारटोली – पंच, ब्लॉक-बुंदु, जिला-रांची (झारखंड) जिसमें "स्वच्छताशपथ", "स्वच्छता में "स्वच्छता परखवाड़े" का अनुपालन अभियान", "सफाई/स्वच्छता के तरीकों पर बातचीत" आदि आयोजित किए गए।

स्वास्थ्य सेवाएं

- झारखंड के गोद लिए गए गांव तथा पिछड़े/स्लम क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और दवाईयों का मुफ्त वितरण आयोजित। 95 चिकित्सा शिविरों में लगभग 4,460 मरीजों का इलाज किया गया।
- परियोजना स्माइल: अखिल भारतीय महिला सेवा समाज द्वारा आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, कोरमंगला, बंगलौर में गरीब/दलित/जरुरतमंद मरीजों के लिए आयोजित क्लीट लिप एंड पैलेट सर्जरी (4 रोगियों की सर्जरी की गई)।
- गोद लिए गए झारखंड के रांची जिला स्थित बुंदु तैमारा जिला के पंचा गांव के गरीब/दलित/जरुरतमंद ग्रामीणों की मोतियाबिंद सर्जरी की गई।

शिक्षा

- रांची (झारखंड) और उसके आसपास के स्लम क्षेत्र/पिछड़े इलाकों में 13 साक्षरता केन्द्रों में गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन केन्द्रों में करीब 300 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।



महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास

- झारखण्ड के स्लम/पिछड़े इलाकों के 10 केन्द्रों में सुविधा वंचित महिलाओं को निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन केन्द्रों में 70 विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र को सिलाई मशीनें तथा प्रैक्टिस के लिए कपड़ा/अन्य अपेक्षित साजो—सामान दिया जाता है।

23.9 केआईओसीएल लिमिटेड

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर के तहत केआईओसीएल द्वारा की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

जरूरतमंद जिले में शिक्षा को बढ़ावा देना

- रायचूर जिले, कर्नाटक में 30 सरकारी स्कूलों में सौर आधारित स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने के लिए समर्थन। भारत के कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले की पहचान सरकार द्वारा जरूरतमंद जिले के रूप में की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में रायचूर जिले में विकास गतिविधियां करने के लिए, केआईओसीएल ने रायचूर के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 सरकारी स्कूलों में सौर आधारित स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने के लिए सहायता दी। इस परियोजना को रायचूर जिले के उपायुक्त के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों के 2000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हैं।

पेय जल

- 50,000/- रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सरकारी हाई स्कूल, मुल्लाकाड़ु, मंगलुरु में एक्वागार्ड लगाया गया। इस परियोजना के माध्यम से, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लगभग 250 बच्चे लाभान्वित हुए।

स्वास्थ्य सेवाएं

- केआईओसीएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कुद्रेमुख में समसे और जैबल गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित किए हैं। हर महीने मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए और आवश्यक दवाएं निःशुल्क वितरित की गई थीं। इस परियोजना से 2000 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हुए।

मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान

- वर्ष 2018 के दौरान, कर्नाटक के कोडागु जिले और केरल के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप भीषण बाढ़ और भूस्खलन आदि हुए। भारी बारिश से आम लोगों की मौत हुई है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क और महत्वपूर्ण पुल, मकान, भवन, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा ने बहुत बड़ी संख्या में गरीबों, ग्रामीण लोगों के जीवन और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता देने और पुनर्वास कार्य करने के लिए, केआईओसीएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत क्रमशः मुख्यमंत्री राहत कोष, कर्नाटक को 2.94 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष, केरल को 5.90 लाख रुपये का योगदान दिया है।

23.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ओएमडीसी सीएसआर गतिविधियों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की आपूर्ति और सामुदायिक विकास पर फोकस करती है। वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट के तौर पर 35.80 लाख रुपये की राशि रखी गई है। सीएसआर गतिविधियां डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती हैं।

बीएसएलसी घाटे में चल रही कंपनी है अतः डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में कोई सीएसआर गतिविधियां नहीं कर रही है।

ईआईएल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए पात्र नहीं है।

ओएमडीसी इमारत बनाकर, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराकर, स्कूल बस, फर्नीचर उपलब्ध कराकर अपने आसपास के स्कूलों एवं कॉलेजों को सहायता प्रदान करती है। कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल कर्मचारियों के साथ—साथ खनन क्षेत्र के आस पास के लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं।

अध्याय—XXIV

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

24.1 प्रस्तावना

प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और देश में सुशासन स्थापित करने के ध्येय से, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देश में सुशासन की व्यवस्था करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुरक्षित करना भी है ताकि हर नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त कर सके। फलस्वरूप, ऐसी सूचना की जानकारी देना सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व हो गया है।

24.2 इस्पात मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव/सहायक निदेशक (राजभाषा)/सहायक औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष स्तर, के अधिकारी को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पदनामित किया गया है और इस्पात मंत्रालय के निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/उप औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर पदनामित किया गया है। मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों/कंपनियों और अन्य संगठनों में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रगति/क्रियान्वयन पर भी नज़र रखता है। 17 मदों के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों, सहायक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने भी 17 मदों के मैनुअल अपने संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दिए हैं और संबंधित जन सूचना अधिकारियों/सहायकजन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी नामित कर दिये हैं। ऑन लाइन फाईलिंग के लिए वेबपोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा शुरू किया गया है तथा इस्पात मंत्रालय दिनांक 25.06.2013 से ऑनलाईन वेबपोर्टल का एक भाग है। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान वर्ष 2017 (31 दिसंबर, 2017 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को 169 ऑफलाईन आरटीआई आवेदन तथा 276 ऑनलाईन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अपीलें भी शामिल हैं, जिन्हें नियत अवधि में विधिवत निपटा दिया गया।

24.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अधिनियम अनुच्छेद 5 (5) के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए अपने प्रत्येक संयंत्र और इकाई में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 19 (1) के तहत जन सूचना अधिकारियों (जीआईओ)/सहायक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों एवं पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति की है। पीआईओ को सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों/लाइन प्रबंधकों को डीम्ड पीआईओ कहा जाता है, और आवेदक को सूचना को समय पर जमा करने के लिए पीआईओ के रूप में समान रूप से जिम्मेदार बनाया जाता है।

सेल के लिए एक अनन्य आरटीआई पोर्टल तैयार करके सेल की वेबसाइट पर इसका लिंक उपलब्ध कर दिया गया है। सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों ने 17 मैनुअल, इस अधिनियम के तहत प्राधिकारियों का विवरण सेल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां सीआईसी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भेजा जा रहा है। सेल में ऑनलाइन आवेदन कार्यान्वयित करने की शुरुआत 1 मई, 2015 से हुई है। सेल की वेबसाइट पर कॉरपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों की रिकॉर्ड प्रतिधारण नीति का संकलन भी अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीआईसी, डीओपीटी के सर्कुलर्स और हाई कोर्ट (एचसी) के मामलों का संकलन भी सेल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान कम्पनी में कुल 3814 आवेदन और 653 अपील आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई और सभी का निपटारा आरटीआई अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय—सीमा में किया



गया। सीआईसी ने 62 मामलों को भी उठाया है और इनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया।

24.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरटीआई के 17 मैनुअलों में उपलब्ध सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) की अपेक्षा के अनुरूप कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां नियमित रूप से सीआईसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

आरआईएनएल को 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 1765 अनुरोध प्राप्त हुए हैं और 1179 आरटीआई आवेदनों का जवाब दिया गया है।

24.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत सूचना को अपनी वेबसाइट www.nmdc.co.in पर प्रकाशित किया है। जनता की जानकारी के लिए पीआईओ और एए का विवरण नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जो अपने कार्य की बहुत सारी जानकारी देती है, व्यापक रूप से परिचालित है और एनएमडीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आगे की जानकारी प्रेस कॉर्नफ़ेस, प्रेस हैंडआउट आदि के माध्यम से प्रसारित की जाती है। एनएमडीसी अपने सभी रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से बनाए रखता है। जानकारी को स्थानीय भाषा में उस रूप में अधिकतम सीमा तक दिया जाता है जब उसे जरूरत पड़ने पर कहा जाता है।

दिनांक अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

दिनांक 01.04.2018 को लंबित आवेदन	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त आवेदन	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निपटाए गए आवेदन	दिनांक 31.03.2019 को लंबित आवेदन
14	214	224	04

24.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने अपने नियमित कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की हैं और इसकी सभी खनन इकाइयों में भी जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम के तहत कार्यपालक निदेशक (कार्मिक) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/नामित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर सभी जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों के नाम भी उपलब्ध कराए गए हैं।

आरटीआई अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) (ख) के तहत यथा निर्धारित 17 शीर्षों के अंदर कम्पनी, इसके कर्मचारियों इत्यादि के संबंध में सूचना तैयार की गई है और उसे कम्पनी के पोर्टल पर डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना तथा विवरणियां प्रस्तुत करता है और इसे नियमित रूप से अद्यतन करता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी को आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 179 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 172 आवेदनों का निपटान किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अपील के 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सभी 27 अपीलों का निपटान किया गया।

24.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी, मुख्यालय में एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपीलीय अधिकारी, एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, एक नोडल अधिकारी हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र/ब्रांच में कंपनी की विभिन्न लोकेशनों पर प्रभावी प्रोसेसिंग आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के लिए एक सूचना अधिकारी है। आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निपटारा करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

2018–19 के दौरान, कुल 150 आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील प्राप्त हुए। इसमें से 142 आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निस्तारण कर दिया गया है।

24.8 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

आरटीआई अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन में, एफएसएनएल ने नियमित कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपनी सभी 8 यूनिटों में एक-एक सहायक जन सूचना अधिकारी एपीआईओ की नियुक्ति की है। कार्यकारी

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

निदेशक (पीएंडसी), एफएसएनएल, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। कम्पनी ने अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) (ख) के तहत यथापेक्षित 17 विभिन्न टेम्पलेटों/संहिताओं/स्वैच्छिक/स्व-प्रेरणा प्रकटन के लिए संहिताओं के तहत अधिनियम का अनुपालन किया है तथा उसे कम्पनी की वेबसाइट "fsnl.nic.in" पर डाला है एवं इस प्रकार प्रकाशित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

एफएसएनएल सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का लगातार अनुपालन कर रहा है। अधिनियम के तहत मांगी गई सभी सूचनाओं को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जा रहा है।

त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से सीआईसी को प्रस्तुत की जाती है। सूचना के सभी अनुरोध आरटीआई अधिनियम, 2005 के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निपटाए जाते हैं। 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या 81 थी। इनमें से, 79 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

24.9 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 के सभी संगत मैनुअलों को 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट www.meconlimited.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में नियुक्त किया गया है और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों में नामित किया गया है। जनता की ओर से मेकॉन को मिलने वाले ऐसे आवेदनों को ये नामित अधिकारी निपटाते हैं और नियत अवधि में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा इसका जवाब दिया जाता है। संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) को मेकॉन लिमिटेड में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त आवेदन एवं उनके निपटारे की स्थिति निम्नवत है:

दिनांक 01.04.2018 को लंबित आवेदन	दिनांक 01.04.2018 से 30.03.2019 के दौरान प्राप्त आवेदन	दिनांक 01.04.2018 से 30.03.2019 के दौरान निपटाए गए आवेदन	दिनांक 30.03.2019 की स्थितिनुसार लंबित आवेदन
03	85	81	07

24.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने नियमित कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है और अपने सभी संयंत्रों/अन्य इकाइयों में भी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है। अधिनियम के तहत शीर्ष स्तरीय कार्यपालकों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी के नाम केआईओसीएल की वेबसाइट www.kiocltd.com पर दिये गये हैं। अधिनियम के अनुच्छेद (4) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (ख) में निर्धारित मैनुअल तैयार करने के दायित्व का अनुपालन कर लिया गया है और उसे केआईओसीएल के पोर्टल पर डाल दिया गया है तथा उसकी नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है तथा उसे अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, केआईओसीएल को आरटीआई अधिनियम के तहत 52 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन सभी का निस्तारण कर दिया गया है।

24.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ये कम्पनियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन कर रही हैं। आरटीआई प्रश्नों की प्राप्ति एवं उत्तर देने के लिए एक जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को नामित किया गया है।



अध्याय—XXV

कौशल विकास

25.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाय) – लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी)

वर्ष 2018–19 में, पीएमकेवीवाय के तहत, भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद (आईआईएसएससी) ने 5365 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया है। प्रशिक्षण मुख्य रूप से देश के 18 राज्यों में जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा में दी गई थी। आईआईएसएससी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 89 प्रशिक्षण केंद्रों ने भाग लिया था। गरीब लोगों को लक्षित करने के हेतु उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल लक्ष्य स्कूल से छोड़ हुए (8वीं/10वीं पास) और प्रवेश स्तर के उम्मीदवार हैं। दूरस्थ जिले जो पिछड़े और अविकसित हैं वहां प्रशिक्षण संचालित किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 17–18 और वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए पीएमकेवीवाय के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	वर्ष	प्रवेशित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	उत्तीर्ण	प्रमाणित	रोजगार प्राप्त
1	2017.18	12912	9678	8373	7733	7536	1937
2	2018.19	4888	5209	5200	5199	5365	4056
	कुल	17800	14884	13573	12932	12901	5993

एन. बी. 1. लक्ष्य निरंतर है और एनएसडीसी द्वारा कुल अवधि 2017–20 के लिए दिए गए हैं।

25.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाय) – पूर्व-अध्ययन का अभिज्ञान (आरपीएल)

वर्ष 2018–19 में, एक नया आरपीएल नामतः ने आरपीएल 4.0 बीआईसीई (बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर्स) प्रारंभ किया गया। इसके तहत, अपने प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के माध्यम से उद्योग ने अपने वर्तमान कर्मचारियों के प्रमाणन कार्यक्रम में भाग लिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में समझने के लिए उनके प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को प्रारंभिक जानकारी दी गई। एनएसडीसी/एमएसडीई से आईआईएसएससी को 29 जून 2018 को 14642 का लक्ष्य प्राप्त हुआ। जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल में आरपीएल के लिए भी लक्ष्य दिए गए थे। संपूर्ण प्रोजेक्ट की अवधि 12 महीनों की है। योजना जेएसडब्ल्यू स्टील (विजय नगर और डोलवी) और जेएसपीएल (रायगढ़, पत्रातू और अंगुल) के विभिन्न प्लांट में शुरू हुई है। आरआईएनएल ने अपने अनुबंध कर्मचारियों (2000 की संख्या में) के लिए भी कार्यक्रम में भाग लिया था। आईआईएसएससी ने एसएमई यूनिट को भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। कुछ एसएमई यूनिट जैसे श्याम फेरो अलॉयज़, अमित मेटालिक्स, रश्म मजेलिके, केजरीवाल कारिंटिंग्स आदि ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। 2018–19 में श्याम स्टील ने अपने दुर्गापुर प्लांट में कार्यक्रम शुरू किया।

वर्ष के दौरान, वर्तमान श्रमशक्ति को उन्नत करने और उनकी पूर्व शिक्षा के लिए प्रमाणित करने के लिए सेल, आरआईएनएल और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स (जीआरएसई) जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया था। आईआईएसएसएससी के तहत एसएमई ने अपने वर्तमान कार्यबल के लिए प्रशिक्षण में भी भाग लिया था। अन्य कई योजनाएं जैसे जेएसडीएमएस, एनएसकेएफडीसी, एआयसीटीई–टीआय, एनयूएलएम, डीडीयूजीकेवाय आदि भी आईआईएसएससी द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान चलाई गयी थीं। प्रशिक्षण का विवरण नीचे दिया गया है: —

वित्तीय वर्ष 17–18 के लिए पूर्व शिक्षण (आरपीएल) की मान्यता

अ. नं.	योजना	प्रशिक्षण दिया गया
1	आरपीएल के तहत पीएसयू प्रशिक्षण (सेल— 183; दुर्गापुर स्टील प्लांट— 90; बोकारो स्टील प्लांट— 41 और बर्नपुर स्टील प्लांट— 75, आरआईएनएल— 131; एनएसडीसी— 86)	423
2	एसएमई क्षेत्र का प्रशिक्षण	58
3	अन्य योजनाएं (एआईसीटीई)	682
	कुल	1163

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए पूर्व शिक्षण (आरपीएल) कार्यक्रम की मान्यता

अ. नं.	योजना	प्रशिक्षण दिया गया
1	आरपीएल के तहत पीएसयू प्रशिक्षण (सेल— 181; दुर्गापुर स्टील प्लांट— 47; भिलाई स्टील प्लांट— 46; बोकारो स्टील प्लांट— 17 और बर्नपुर स्टील प्लांट— 71, आरआईएनएल— 193; गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स— 49)	423
2	एसएमई क्षेत्र का प्रशिक्षण	69
3	अन्य योजनाएं (एनयूएलएम, डीडीयूजीकेव्हाय, एआयसीटीई, जेएसडीएम, एनएसकेएफडीसी)	2690
	कुल	3182

वित्तीय वर्ष 17–18 और वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए पीएमकेवीव्हाय के तहत आरपीएल प्रशिक्षण कार्यक्रम

अ. नं.	योजना	प्रमाणित	रोजगार प्राप्त
1	पीएमकेवीव्हाय— आरपीएल (पूर्व शिक्षा के लिए मान्यता) 2017–18	3000	वर्तमान कर्मचारी पुनः कुशल होने के लिए
2	पीएमकेवीव्हाय— आरपीएल (पूर्व शिक्षा के लिए मान्यता) 2018–19	1424	वर्तमान कर्मचारी पुनः कुशल होने के लिए
	कुल	4424	

25.3 प्रशिक्षुता

नए पोर्टल के साथ सेल, आरआईएनएल जैसे सभी सार्वजनिक उपक्रमों ने प्रशिक्षुओं को संलग्न किया। आईआईएसएससी ने व्यक्तियों और एसएमई यूनिट को एनएपीएस (नेशनल अप्रेंटाइसेशिप प्रोमोशन स्कीम) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 2018–19 में, सेल के संयंत्रों ने (दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला और भिलाई) मिलकर एकसाथ लगभग 1500 प्रशिक्षुओं को लिया। पिछले वित्तीय वर्ष में आरआईएनएल ने लगभग 1000 प्रशिक्षुओं को लिया। आईटीआई दुर्गापुर ने भी अपने उत्तीर्ण उम्मीदवारों को स्टील प्लांट प्रशिक्षुता के लिए चयनित होने के लिए पोर्टल पर नामांकित होने का सुझाव दिया।

25.4 रोजगार मेला और प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2018–19 में आईआईएसएससी ने कई रोजगार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया था और भाग लिया था। इसने परिषद के रोजगार प्रतिशत को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएमकेवीव्हाय 1.0 में रोजगार प्रतिशत 12.02% था और पीएमकेवीव्हाय 2.0 में रोजगार प्रतिशत 46.45% हो गया था। मूल रूप से आईआईएसएससी ने झारखंड और ओरिसा में 5 रोजगार मेले आयोजित किए थे। इसने पैन इंडिया में एनएसडीसी द्वारा आयोजित 10 रोजगार मेलों में भी भाग लिया था।

25.5 अन्य कार्यसिद्धियाँ

- फरवरी 2019 में अपने वर्तमान जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और प्रमाणित करने के लिए टाटा स्टील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया गया।
- इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्रीमेन (आईआईएफ) आईआईएसएससी के बोर्ड में शामिल हो गया।

25.6 कौशल अवकाश अध्ययन

आईआईएसएससी ने फरवरी 2019 में भारत में लौह और इस्पात संघ के लिए कौशल अवकाश अध्ययन (कार्य भूमिका के अनुसार) शुरू किया। यह अध्ययन एनआईएसएसटी (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी) द्वारा किया गया है। आईआईएसएससी प्रत्येक संघ जैसे (रायपुर, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता आदि) में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। चालू वित्त वर्ष (2019–20) की दूसरी तिमाही के अंत तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

25.7 राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना

आईआईएसएससी ने एनएपीएस के लिए 8 पाठ्यक्रम को युग्मित मॉडल और अंतःस्थापित मॉडल जैसे दो मॉड्यूल में विकसित किया है। सेल, आरआईएनएल जैसे सभी पीएसयू नए पोर्टल द्वारा प्रशिक्षुओं को ले रहे हैं। एनएपीएस (नेशनल अप्रेंटाइसेशिप प्रोमोशन स्कीम) में भाग लेने के लिए आईआईएसएससी वैयक्तिक और एसएमई यूनिट को प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्राथमिक तौर पर सेल के संयंत्रों (दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला और भिलाई) ने एकसाथ लगभग 1500 प्रशिक्षुओं को लिया था। आरआईएनएल ने लगभग 1000 प्रशिक्षू लिए थे। आईटीआई दुर्गापुर ने भी अपने उत्तीर्ण उम्मीदवारों को स्टील प्लांट प्रशिक्षुता के लिए चयनित होने के लिए पोर्टल पर नामांकित होने का सुझाव दिया। चालू वित्त वर्ष में, आईआईएसएससी लौह और इस्पात यूनिट में विभिन्न संयंत्रों में लगभग 2500 प्रशिक्षुओं को भरती करना चाहते हैं।

अनुलग्नक—।

भारत सरकार के (व्यापार आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों, रिरोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉट / कोल्ड रोलिंग इकाइयों), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्राइंग इकाइयों और स्टील स्क्रैप प्रसंस्करण जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ लोहा और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना, विकास और सहायता।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कॉयनाइट और लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त अन्य खनिज, परन्तु इनमें खनन लीज या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।
3. लोहा और इस्पात एवं फेरो एलॉयज का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।
4. निम्न उपक्रमों की सहायक कंपनियों समेत उनसे संबंधित मामले, नामतः
 - (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);
 - (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);
 - (iii) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल);
 - (iv) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल);
 - (v) नेशनल मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी);
 - (vi) मैटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकॉन);
 - (vii) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);
 - (viii) लुप्त;
 - (ix) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल);
 - (x) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एमएसटीसी);
 - (xi) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड; तथा
 - (xii) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

अनुलग्नक – ||

इस्पात मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण

(उप सचिव स्तर तक)

(दिनांक 31.03.2019 के अनुसार)

इस्पात मंत्री	श्री बीरेन्द्र सिंह
इस्पात राज्य मंत्री	श्री विष्णु देव साय
सचिव	श्री बिनॉय कुमार
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री सरस्वती प्रसाद
अपर सचिव	श्रीमती रसिका चौबे
अपर सचिव	श्री पुनीत कंसल श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल श्री टी. श्रीनिवास
आर्थिक सलाहकार	श्रीमती प्रमोदिता सतीश
उप महानिदेशक	श्रीमती पलि कुन्डु
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री अनिल श्रीवास्तव
निदेशकगण	श्री नीरज अग्रवाल श्री अमन शर्मा श्री गिरिराज प्रसाद मीना श्री पंकज विशाल
अपर औद्योगिक सलाहकार	श्री परमजीत सिंह
उप सचिव / संयुक्त निदेशक	श्री अनिल कुमार श्री आशीष शर्मा श्री के मुरली श्री ए.के. कैलू श्री आनंद कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

अनुलग्नक – III

 आईएसपी एवं अन्य उत्पादकों के उत्पादन का
सारांश

('000 टन)

क्र.सं.	मद / उत्पादक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
उत्पादन							
I.	कच्चा इस्पात :						
	सेल, टीएसएल, आरआईएनएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल						
	ऑक्सीजन रूट	35067	36610	36174	39711	41845	44602
	ई.ए.एफ. यूनिट्स	9174	9473	11247	15775	17542	19001
	अन्य उत्पादक						
	ऑक्सीजन रूट	455	961	2221	2291	5645	5578
	ई.ए.एफ. यूनिट्स (कोरेक्स एवं एमबीएफ / ईओएफ सहित)	9419	13652	13352	13187	8879	8694
	इंडक्शन फर्नेस	27579	28283	26796	26972	29221	28689
	कुल (कच्चा इस्पात)	81694	88979	89790	97936	103131	106564
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	45.3%	47.1%	44.7%	41.0%	36.9%	35.1%
II.	कच्चा लोहा (बिक्री के लिए):						
	सेल, टीएसएल, आरआईएनएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	552	920	1186	799	726	962
	अन्य उत्पादक	7398	8774	8041	8589	5002	5093
	कुल (कच्चा लोहा)	7950	9694	9227	9388	5728	6055
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	93.1%	90.5%	87.1%	91.5%	87.3%	84.1%
III.	स्पंज आयरन:						
	गैस आधारित'	2683	2354	2440	4854	6458.3	6937
	कोयला आधारित	20189	21889	19987	23908	24052.7	26098
	कुल (स्पंज आयरन)	22872	24243	22427	28762	30511	33035
	प्रक्रिया द्वारा प्रतिशत अंश (कोयला आधारित)	88.3%	90.3%	89.1%	83.1%	78.8%	79.0%
IV.	तैयार इस्पात (मिश्र / गैर-मिश्र):						
	सेल, टीएसएल, आरआईएनएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	45160	46820	48527	57698	69143	73420
	अन्य उत्पादक	50417	53862	54376	58213	57712	58152
	कुल (तैयार इस्पात)	95577	100682	102903	115911	126854.81	131572
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	52.8%	53.5%	52.8%	50.2%	45.5%	44.2%

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

अनुलग्नक – IV
कच्चे / तरल इस्पात का उत्पादन
(उत्पादकों द्वारा)

(‘000 रुपये)

उत्पादक	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19				
	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उत्पादन	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उत्पादन	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उत्पादन	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उत्पादन	
सार्वजनिक क्षेत्र															
बीएसपी	3925	5136	131%	3925	4807	122%	3925	5058	129	3925	4737	121	3925	4072	104
डीएसपी	1802	2019	112%	1802	2063	114%	1802	1975	110	1802	2042	113	1802	2042	113
आरएसपी	1900	2291	121%	4400	2792	63%	4400	2730	62	4400	2922	67	4400	3220	73
बीएसएल	4360	3776	87%	4360	3831	88%	4360	3392	78	4360	3154	72	4360	3694	85
आईएसपी	500	127	25%	2500	141	6%	2500	871	35	2500	1394	56	2500	1801	72
एसएसपी	234	122	52%	234	104	44%	234	91	39	234	88	38	234	96	41
एसएसएल	180	91	51%	180	125	69%	180	120	67	180	108	60	180	97	54
बीआईएसएल	118	13	11%	118	46	39%	118	42	36	118	39	33	118	0	0
कुल (सेल)	13019	13575	104%	17519	13909	79%	17519	14279	82	17519	14494	83	17519	15022	86
आरआईएनएल	2910	3202	110%	2910	3296	113%	6300	3641	58	6300	3962	63	6300	4731	75
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र)	15929	16777	105%	20429	17205	84%	23819	17920	75	23819	18456	77	23819	19753	83
निजी क्षेत्र															
दाटा स्टील लि.	9600	9155	95%	9600	9331	97%	9600	9960	104	12500	11688	94	13000	12459	96
एससआर स्टील लि.	8540	3245	38%	8540	2854	33%	10000	3685	37	10000	5392	54	10000	6753	68
जोएसडब्ल्यू स्टील लि.	14600	12227	84%	14600	13136	90%	16600	12679	76	16600	16506	99	18000	16407	91
जोएसपीएल	2400	2836	118%	4000	3557	89%	4850	3177	66	4850	3445	71	8600	4014	47
अन्य बीओएफ	363	455	125%	2733	961	35%	3160	2221	70	3760	2291	61	7682	5645	73
अन्य ईएफ	14335	9419	66%	13155	13652	104%	15641	13352	85	17127	13186	77	14408	8879	62
ईएफ इकाइयाँ	36494	27579	76%	36794	28283	77%	38300	26796	70	39621	26972	68	42466	29221	69
कुल (निजी क्षेत्र)	86332	64916	75%	89422	71774	80%	98151	71870	73	104458	79480	76	114156	83378	73
सकल योग	102261	81694	80%	109851	88979	81%	121970	89790	74	128277	97936	76	137975	103131	75



अनुलग्नक – V

**कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन
(मार्ग द्वारा)**

('000 टन)

प्रक्रिया मार्ग	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
ऑक्सीजन मार्ग						
बीएसपी	5136	4807	5058	4737	4072	4447
डीएसपी	2019	2063	1975	2042	2042	2219
आरएसपी	2291	2792	2730	2932	3220	3658
बीएसएल	3776	3831	3392	3154	3694	3833
आईएसपी	127	141	871	1394	1801	1888
वीआईएसएल	13	46	42	39	0	0
आरआईएनएल	3202	3296	3641	3962	4731	5233
टीएसएल	9155	9331	9960	11688	12459	13228
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	9257	10178	8385	9655	9728	10096
अन्य ऑक्सीजन मार्ग	455	961	2221	2291	5645	5578
कुल ऑक्सीजन मार्ग	35431	37446	38275	41894	47392	50180
2. इलेक्ट्रिक मार्ग						
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस						
एएसपी	122	104	91	88	96	101
एसएसपी	91	125	120	108	97	117
एस्सार स्टील लि.	3245	2854	3685	5391	6753	6814
जेएसडब्ल्यू इस्पात लि./जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	2971	2958	4294	6851	6679	6742
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	2836	3557	3177	3445	4014	5227
लॉयड्स स्टील लि.	566	658	569	575	560	518
जिंदल स्टेनलेस लि.	1111	1907	1258	1391	1497	1574
भूषण स्टील लि.	1084	2180	3078	5601	87	1344
भूषण पावर एंड स्टील लि.	1714	1213	1832	3324	2018	2778
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	4944	7694	6615	2296	4717	2480
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस:	18684	23250	24719	29070	26518	27695
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस	27579	28283	26796	26972	29221	28689
कुल इलेक्ट्रिक मार्ग:	46263	51533	51515	56042	55739	56384
सकल योग:	81694	88979	89790	97936	103131	106564

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

अनुलग्नक — VI

तप्त धातु का उत्पादन						
		(‘000 टन)				
	संयंत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
क.	सार्वजनिक क्षेत्र					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	5377	5072	5317	5041	4280
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2191	2297	2170	2318	2282
	राऊरकेला इस्पात संयंत्र	2538	3157	3042	3094	3320
	बोकारो इस्पात संयंत्र	4100	4253	3700	3410	4046
	इस्को इस्पात संयंत्र	220	566	1431	1810	2055
	विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	21	68	60	54	0
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3769	3780	3975	4043	5132
	उप योग (क):	18216	19193	19695	19770	21115
ख.	निजी क्षेत्र					
	टाटा स्टील लिमिटेड	9898	10164	10655	13059	13855
	मिनी ब्लास्ट फर्नेस	24342	27055	28353	32356	33046
	उप योग (ख):	34240	37219	39008	45415	46901
	कुल (क+ख):	52456	56412	58703	65185	68016
	निजी क्षेत्र का % अंश	65.3%	66.0%	66.4%	69.7%	69.0%
						67.9%

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

अनुलग्नक — VII

कच्चे लोहे का उत्पादन (विक्रय के लिए)

('000 टन)

	संयंत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
क.	सार्वजनिक क्षेत्र						
	भिलाई इस्पात संयंत्र	0	3	0	0	0	67
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	38	54	53	90	61	69
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	87	143	131	55	35	148
	बोकारो इस्पात संयंत्र	40	105	36	29	58	86
	इस्को इस्पात संयंत्र	55	364	388	246	106	101
	विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	5	12	8	3	0	0
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	327	239	116	150	104	115
	उप योग (क):	552	920	732	573	364	586
ख.	निजी क्षेत्र						
	अन्य ब्लास्ट फर्नेस/कोरेक्स इकाई	7398	8774	8495	8814	5364	5469
	उप योग (ख):	7398	8774	8495	8814	5364	5469
	कुल (क+ख):	7950	9694	9227	9387	5728	6055
	निजी क्षेत्र का % अंश	93.1%	90.5%	92.1%	93.9%	93.6%	90.3%

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

अनुलग्नक – VIII

तैयार इस्पात का उत्पादन (गैर-मिश्र एवं मिश्र इस्पात)							
							('000 रुपये)
	संघंत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
क.	सार्वजनिक क्षेत्र						
	सेल	12113	11654	11567	13352	14051	14338
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2811	2552	2766	3219	3893	4233
	उप योग (क):	14924	14206	14333	16571	17944	18571
ख.	निजी क्षेत्र						
	टाटा स्टील लि.	11075	11490	11871	13639	14595	15765
	ईएसएल+जोएसडब्ल्यूएल+जोएसपीएल	22965	25021	26021	31717	36604	39084
	अन्य	50416	53861	54377	58213	57712	58152
	उप योग (ख):	84456	90372	92269	103569	108911	113001
	बिक्री के लिए कुल उत्पादन (क+ख):	99380	104578	106602	120140	126855	131572
	निजी क्षेत्र का % अंश	85.0%	86.4%	86.6%	86.2%	85.9%	85.9%

स्रोत: जोपीसी; *अनंतिम

विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

श्रेणी	2013 - 14			2014 - 15			2015 - 16			2016 - 17			2017 - 18			2018 - 19		
	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	कुल
1. गैर-फ्लैट उत्पाद																		
बास्ट एवं रोड्स	9618	20466	30084	9688	27133	32422	11064	22583	33646	11549	23548	35097	12915	22876	35791	13504	24553	38057
स्ट्रक्चरल्स	1410	5486	6896	1482	6025	7507	1614	5898	7512	1687	6297	7985	1960	6070	8029	2121	6547	8668
रेट्रेव समार्टी	882	5	887	830	5	835	882	54	937	1053	23	1076	1250	29	1279	1406	3	1409
कुल (गैर-फ्लैट उत्पाद)	11910	25957	37867	12000	28763	40763	13560	28535	42095	14289	29868	44158	16125	28975	45100	17031	31103	48134
2. फ्लैट उत्पाद																		
फ्लैट्स	3486	493	3979	4662	52	4714	4078	198	4276	4223	582	4805	4799	344	5143	5155	486	5641
एचआर क्वारल / सिट्रस	20478	4542	25019	20029	5322	25350	20192	6409	26601	26783	6451	33234	31096	6931	38027	32851	4334	37185
एचआर शीट्स	409	513	921	1099	39	1138	1504	12	1516	1043	53	1096	2425	11	2436	2367	54	2421
सीआर क्वारल / शीट्स	5193	5472	10666	5271	5285	10557	4773	4871	9643	6203	6473	12676	8761	6859	15620	9501	5187	14688
चीपी एवं जीसी / सीसी / गैलवेल्स	3936	6974	2998	4005	7003	3348	4418	7766	4028	4239	8268	3875	3168	7044	4321	3728	8049	
कलर कोटेड																		
इलेक्ट्रिकल क्वांटिट्स / शीट्स	69	57	126	69	71	140	92	56	148	156	525	680	200	44	244	234	66	300
टिन लेट्स (लेट्स-सहित)	7	337	344	0	354	354	26	305	331	26	314	340	85	348	433	97	371	468
पाइप (बड़ा व्यास)	196	1782	1978	238	1856	2094	265	1968	2232	207	1938	2145	228	2002	2230	261	1943	2204
टीएमबीपी	0	3	3	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0
टिन फ्री इस्पात	0	12	12	0	0	0	0	8	8	0	10	10	0	0	0	0	0	0
कुल (फ्लैट उत्पाद)	32875	17146	50021	34367	16983	51349	34277	18246	52523	42669	20588	63257	52187	20627	72814	55585	16860	72445
कुल (तैयार गैर-मिश्र)	44785	43103	87888	46366	45746	92112	47837	46781	94618	56958	50456	107414	68312	49602	117914	72616	47963	120579
कुल तैयार इस्पात (मिश्र-स्टेनलेस)	375	7314	7689	454	8116	8569	690	7595	8285	738	7757	8496	831	8111	8942	804	10189	10993
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	45160	50417	95577	46820	53862	100682	48527	54376	102903	57697	58213	115910	69143	57713	126855	73420	58152	131572

आकड़े 2013-14 से 2016-17 तक निवाल उत्पादन और 2017-18 से 2018-19 तक सकल उत्पादन हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

अनुलग्नक - X

श्रेणीवार लौह और इस्पात का निर्यात						
	(‘000 रुपये)					
श्रेणी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
I. अद्वैतैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	484.2	637.7	635.7	1184.4	1962.5	2149.8
II. तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)						
गैर-फ्लैट						
बार्स एवं रॉड्स	585.1	392.4	365.0	628.9	2041.5	509.0
स्ट्रक्चरल्स	64.7	83.1	81.6	160.6	174.1	195.5
रेलवे सामग्री	1.2	2.8	1.9	82.6	42.8	1.5
कुल गैर-फ्लैट	651.0	478.2	448.5	872.2	2258.5	705.9
फ्लैट						
प्लेट्स	154.9	559.3	266.2	300.7	491.3	420.5
एचआर क्वॉल्स/शीट्स	2130.2	1374.7	446.6	2952.5	2838.5	2608.7
सीआर शीट्स/क्वॉल्स	560.6	584.7	655.2	1393.7	1230.5	642.1
जीपी/जीसी शीट्स	1821.7	1629.3	1420.2	1715.8	1144.6	982.9
इलेक्ट्रिक शीट्स	9.9	9.9	19.3	44.7	90.1	47.5
टिन प्लेट्स	70.1	46.9	56.4	55.6	37.1	39.7
टिन फ्री इस्पात	0.5	0.3	0.9	1.7	2.0	2.0
पाइप्स	109.3	223.1	162.1	247.5	634.6	323.6
कुल फ्लैट	4857.4	4428.1	3026.9	6712.2	6468.6	5067.0
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	5508.4	4906.3	3475.3	7584.3	8727.0	5772.9
कुल इस्पात (गैर-मिश्र)	5992.6	5544.0	4111.1	8768.7	10689.5	7922.7
गैर-फ्लैट मिश्र/स्टेनलैस	227.9	336.1	165.3	190.3	523.3	277.1
फ्लैट मिश्र/स्टेनलैस	249.1	353.3	438.7	468.1	370.1	311.0
III. कुल तैयार इस्पात (मिश्र/स्टेनलैस)	477.0	689.4	604.0	658.4	893.4	588.0
IV. अद्वैतैयार (मिश्र/स्टेनलैस)	2.0	1.9	3.1	7.7	31.2	33.1
कुल इस्पात (मिश्र/स्टेनलैस)	479.0	691.3	607.1	666.1	924.6	621.1
कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर-मिश्र)	5985.3	5595.7	4079.3	8242.7	9620.4	6361.0
कुल इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	6471.6	6235.4	4718.1	9434.8	11614.1	8543.8
IV. पिंग आयरन	943.1	540.0	297.2	386.8	518.3	318.6
V. स्पंज आयरन	74.0	98.0	127.2	130.3	389.8	617.8

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

अनुलग्नक – XI

लोहे और इस्पात का श्रेणीवार आयात							
		(‘००० टन)					
	श्रेणी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
I	अद्वैतैयार (गैर-मिश्र)						
	अद्वैतैयार	43.2	331.3	512.1	391.9	421.9	361.8
	रि-रोलेबल स्क्रैप	208.1	329.2	426.3	343.5	424.5	417.2
	कुल	251.3	660.6	938.4	735.4	846.4	779.1
II	अद्वैतैयार (गैर-मिश्र)						
	गैर-फ्लैट						
	बार्स एवं रॉड्स	294.3	854.3	621.4	419.4	243.2	349.1
	स्ट्रक्चरल्स	43.0	52.9	24.6	64.3	36.7	46.1
	रेलवे सामग्री	4.4	15.5	11.7	38.5	28.8	67.2
	कुल गैर-फ्लैट	341.6	922.7	657.6	522.1	308.7	462.3
	फ्लैट						
	प्लेट्स	409.9	731.7	1059.7	739.7	573.8	431.1
	एचआर शीट्स	102.1	78.6	105.1	38.6	19.2	1.9
	एचआर क्वॉयल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	1104.3	2006.3	3400.6	1904.9	1751.2	1950.8
	सीआर क्वॉयल्स/शीट्स	1278.9	1713.5	2235.1	917.3	542.6	565.3
	जीपी/जीसी शीट्स	368.1	444.1	586.2	566.5	1155.1	1216.5
	इलेक्ट्रिक शीट्स	346.5	417.9	318.2	296.9	606.2	703.2
	टीएमबीपी	0.8	1.4	3.8	1.0	1.5	7.4
	टिन प्लेटें	188.4	217.7	170.5	249.2	192.0	192.0
	टिन मुक्त इस्पात	56.5	87.3	80.6	29.0	67.3	77.4
	पाइप्स	101.4	132.4	100.8	99.0	419.1	336.4
	कुल फ्लैट	3956.9	5830.8	8060.7	4842.0	5328.0	5482.1
	कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	4298.6	6753.5	8718.2	5364.1	5636.7	5944.4
	कुल इस्पात (गैर-मिश्र)	4549.9	7414.1	9656.6	6099.5	6483.2	6723.5
	मिश्र/स्टेनलेस इस्पात						
	गैर-फ्लैट	236.6	821.8	1119.5	467.7	442.5	591.1
	फ्लैट	914.6	1744.9	1874.5	1392.6	1403.7	1299.6
	अर्ध-तैयार	7.1	35.8	42.4	10.2	71.0	175.4
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र/स्टेनलेस)	1151.2	2566.8	2993.9	1860.3	1846.2	1890.7
	कुल इस्पात (मिश्र/स्टेनलेस)	1158.3	2602.5	3036.3	1870.5	1917.2	2066.0
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर-मिश्र)	5449.8	9320.3	11712.2	7224.4	7482.9	7835.1
	कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	5708.2	10016.6	12692.9	7970.0	8400.3	8789.5
III	अन्य इस्पात मर्दे						
	फिटिंग्स	298.0	419.4	482.5	470.7	205.1	189.8
	विविध इस्पात मर्दे	3402.9	2327.3	1902.4	1329.4	1550.5	1121.0
	इस्पात स्क्रेप	4926.7	5784.3	6627.1	5365.0	4744.4	6555.2
IV	लोहा						
	कच्चा लोहा	34.2	23.4	21.9	34.1	16.3	66.9
	स्पंज आयरन	7.3	20.1	0.2	1.3	77.8	43.9
	एचबी लोहा	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
V	फैरो अलॉयज	140.5	242.2	237.4	575.9	589.0	579.7
	कुल योग	14517.8	18833.3	21965.3	15746.5	15583.4	17345.9

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

अनुलग्नक - XII

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के निर्णयों / आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

इस्पात मंत्रालय

विद्वत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कैट) (प्रधान पीठ, नई दिल्ली) के समक्ष श्री/श्री ए.के. मिश्रा, सहायक औद्योगिक सलाहकार, एस. एस. टाक, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार (सेवानिवृत्त) और मुकेश कुमार, अवर सचिव द्वारा सेवारत मामलों से संबंधित अलग से तीन ओ.ए. दर्ज किए गए थे। सभी ओ.ए. पर मंत्रालय द्वारा जिरह की गई और कैट ने इस्पात मंत्रालय के पक्ष में निर्णय दिए हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

बोकारो स्टील प्लांट

(क) ओ.ए. नंबर 51/00173/2017: माननीय कैट, रांची ने दिनांक 07.11.2017 को दिए गए आदेश में सेल/बीएसएल को श्री अजय कुमार के प्रतिनिधित्व पर तर्कसंगत आदेश पारित करने को निर्देशित किया था। दिनांक 31.01.2018 के सेल/बीएसएल के पत्र ने श्री अजय कुमार को सूचित किया कि उनके आवेदन और प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया है। श्री अजय कुमार ने माननीय कैट, रांची के समक्ष दिनांक 07.11.2017 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अध्यक्ष, सेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्र. CP/051/00017/2018 दर्ज किया था। हालांकि, सेल/बीएसएल के दिनांक 31.01.2018 के उत्तर को ध्यान में रखते हुए दिनांक 22.10.2018 को माननीय कैट, ने रांची मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया।

(ख) ओ.ए. नंबर 94/2015: श्री नीरज कुमार और अन्य ने एसपीयू, बेतिया में उनके नियमितीकरण के लिए माननीय कैट, पटना न्यायपीठ के समक्ष आवेदन सं. ओ.ए./050/00094/2015 दर्ज किया। दिनांक 26.05.2016 को माननीय कैट के आवेदन को योग्यता रहित मानकर खारिज कर दिया। हालांकि, कथित आदेश में माननीय कैट ने सेल को एक वर्ष की अवधि के भीतर सतर्कता जांच पूरी करने और निष्कर्ष पर पहुंचने की सलाह दी।

इसके बाद, श्री नीरज कुमार और अन्य लोगों ने माननीय कैट, पटना न्यायपीठ के समक्ष सेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नंबर CP/50/11/2018 दर्ज किया। कथित मानहानि को माननीय कैट, द्वारा दिनांक 22.02.2018 को खारिज कर दिया गया।

इसके बाद, श्री नीरज कुमार और अन्य ने दिनांक 22.02.2018 (मानहानि मामला) और 26.05.2016 को माननीय कैट, पटना न्यायपीठ के आदेश का खंडन करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में याचिका नंबर 13380/2018 दर्ज की थी। सेल द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए मामला लम्बित है।

केआईओसीएल लिमिटेड

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कैट) और उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुकदमे लम्बित हैं:

1	ओ.ए. 575-579/2013	श्री एम वी कुलकर्णी और अन्य लोग	बनाम	भारत सरकार और अन्य	केआईओसीएल ने वीआरएस का परिचय दिया और वीआरएस के लिए आवेदन करने वाले 5 कर्मचारियों ने अपने वीआरएस आवेदन को वापस लेने के लिए आवेदन दर्ज किया। कंपनी ने उनके आवेदन पर विचार नहीं किया है। इन पांच कर्मचारियों ने, कार्यालय आदेश को रद्द करने और वी आर आवेदन को वापस लेने के लिए 5 दिन का समय घोषित करने को एक पक्षीय होने तथा केआईओसीएल में अपनी सेवाएं जारी रखवाने के निर्देश हेतु कैट के समक्ष आवेदन दर्ज किया है। न्यायाधिकरण ने याचिका की अनुमति दी और कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन याचिका संख्या 17566-67/2014 दर्ज की है और वही लंबित है।
---	-------------------	---------------------------------	------	--------------------	--

2	ओ. ए.	170/ 001885/ 2018	श्री के. वाडिराजा राव	बनाम	भारत सरकार संघ और अन्य	श्री के. वाडिराजा राव को 3 महीने की अवधि के लिए 14.12.2018 को कालियापानी स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने कैट बैंगलोर के समक्ष ओ.ए. दर्ज करके इसे चुनौती दी। कैट ने अंतरिम आदेश दिया लेकिन 29.01.2019 को ओ.ए. को रद्द करते हुए उन्हें 08.02.2019 को मुक्त करने और कालियापानी में 11.02.2019 को नियुक्त करने तथा फिर से उन्हें 10.05.19 को मैंगलोर में स्थानांतरित करने और मैंगलोर में 13.05.2019 तक उपस्थिति देने के निर्देश दिए। उसी के अनुसार उनका स्थानांतरण कर दिया गया है।
3	डब्ल्यू पी	45483/ 2018	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. तथा अन्य	बनाम	श्री शेख रहमतहुल्ला	श्री शेख रहमतहुल्ला, पूर्व-वरिष्ठ प्रबंधक (स्टोर) को परिवहन के दौरान कोक की चोरी में उनकी विफलता के आधार पर कंपनी की सेवा से हटा दिया गया था। उन्होंने WP 8747 / 2013 दायर करके केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सेवा से हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। माननीय उच्च न्यायालय ने कैट के आदेश को अलग रखा और निष्कासन आदेश का खंडन किया। केआईओसीएल ने पिछली मजदूरी के बिना रहमतहुल्ला को बहाल कर दिया। रहमतहुल्ला के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। 30.05.2015 को उन्हे सेवा से हटा दिया गया था। इसके खिलाफ, उन्होंने जांच और सजा को रद्द करने के लिए ओए नंबर 170 / 00736 / 2015 दर्ज किया। कैट ने आदेश 03.09.2018 द्वारा ओ.ए. को अनुमति दी और 10000/- की मजदूरी और लागत वापस दिलवाई। इसके विरुद्ध, केआईओसीएल ने डब्ल्यूपी आदेश को चुनौती देते हुए रिट पिटीशन दर्ज की और स्थगन आदेश प्राप्त किया।
4	डब्ल्यू पी	6103/ 2019	भारत सरकार और अन्य	बनाम	श्री नारायण सिंह	श्री नारायण सिंह के साथ ड्यूटी पर दुर्घटना हुई। वह खनन विभाग में ड्यूटी करने के लायक नहीं थे, और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने पदोन्नति के लिए 9.11.2012 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रबंधन ने यह कहते हुए प्रतिवेदन को खारिज कर दिया कि उन्हें पहले ही वैकल्पिक नौकरी दी जा चुकी है। इस निर्णय के विरुद्ध उन्होंने इसे रद्द करने और उन्हें दिनांक 1.11.2002 से सभी लाभों के साथ पदोन्नति देने के निर्देश हेतु एक ओ.ए. सं. 388 / 2014 दायर किया। कैट ने अपने आदेश दिनांक 25.10.2018 के तहत इस ओ. ए. को स्वीकृति दी और केआईओसीएल ने इस आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगाई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

अनुलग्नक – XIII

इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	सेल	2358.91	(-)7198.44	(-)4851.00	(-)758.94	3337.89
2	आरआईएनएल	103.35	(-)1417.23	(-)1690.49	(-)1911.45	(-)324.82
3	एनएमडीसी	9767.84	4092.02	4292.92	6179	7198
4	मॉयल	650.57	270.26	461.90	647.92	719.75
5	एमएसटीसी	131.47	91.34	96.61	111.6	(-)269.21
6	एफएसएनएल	25.36	32.53	36.22	13.04	41.09
7	ओएमडीसी\$	25.84	18.91	12.36	(-)258.17	(-)638.11
8	ईआईएल ##	(-)12.62	1.71	1.16	0.67	0.10
9	मेकॉन	33.01	(-)174.70	(-)88.14	43.99	11.18
10	केआईओसीएल	31.26	(-)89.67	31.22	86.09	184.12
11	बीएसएलसी\$	(-)27.27	(-)16.17	(-)17.74	(-)10.52	(-)28.12

*अनंतिम

ईस्टर्न इन्चेस्टमेंट लि. (ईआईएल), \$ उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) पूर्ववर्ती बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी) के घटक हैं।



अनुलग्नक – XIII (क)

इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तुलनात्मक पीएटी (कर पश्चात् लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	सेल	2092.68	(-)4137.26	(-)2833.00	(-)481.71	2178.82
2	आरआईएनएल	62.38	(-)1420.64	(-)1263.16	(-)1369	77.67
3	एनएमडीसी	6421.86	2712.22	2589.14	3806	4642
4	मॉयल	428.01	172.98	305.83	421.99	473.89
5	एमएसटीसी	90.99	59.88	65.43	76.63	(-)324.47
6	एफएसएनएल	17.10	21.11	23.75	8.07	26.69
7	ओएमडीसी\$	17.7	10.63	5.86	(-)252.95	(-)451.63
8	ईआईएल ##	(-)12.72	1.44	0.85	0.35	(-)0.02
9	मेकॉन	20.27	(-)162.41	(-)83.84	58.00	15.87
10	केआईओसीएल	30.82	(-)80.15	47.93	81.48	111.86
11	बीएसएलसी\$	(-)27.27	(-)16.17	(-)17.74	(-)10.52	(-)28.12

*अनंतिम

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि. (ईआईएल), \$ उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) पूर्ववर्ती बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी) के घटक हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

अनुलग्नक – XIV

केन्द्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	सेल	7667.00	5373.00	6951.00	6894	10916
2	आरआईएनएल	1428.96	1397.53	1501.43	1810.32	2518.12
3	एनएमडीसी	6681.00	6655.78	10646.00	4435.00	5376
4	मॉयल	230.29	201.23	254.97	262.07	381.15
5	एमएसटीसी	84.70	70.37	78.16	80.00	91.26
6	एफएसएनएल	41.11	42.87	49.68	38.67	36.32
7	मेकॉन	87.48	86.62	77.94	87.15	130.19
8	केआईओसीएल	110.79	37.54	58.78	71.68	53.32
9	ओएमडीसी	1.03	2.75	2.38	1.46	2.50
10	बीएसएलसी	0.41	0.75	0.73	0.76	1.20

*अनंतिम

अनुलग्नक – XIV (क)

राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	सेल	3443.00	3124.00	3292.00	2402.00	2604
2	आरआईएनएल	514.91	556.37	531.59	584.66	767.37
3	एनएमडीसी	1262.00	1070.67	1332.00	2381.00	1726.00
4	मॉयल	69.41	62.17	90.70	148.50	123.43
5	एमएसटीसी	68.63	67.10	31.86	28.00	24.43
6	एफएसएनएल	1.40	0.32	0.71	11.30	18.40
7	मेकॉन	1.62	1.77	0.39	5.87	6.92
8	केआईओसीएल	6.13	2.33	0.51	0.07	1.11
9	ओएमडीसी	0.94	1.75	0.42	40.34	550.71
10	बीएसएलसी	0.99	4.95	7.14	7.17	6.05

*अनंतिम



सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा सीएसआर संबंधी बजटीय व्यवस्था और व्यय

(रु. लाख में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	बजटीय व्यवस्था	व्यय								
सेल	7800.00	3504.00	10016.00	7616.00	2934.00	2905.00	2600.00	2570.00	3000.00	3118.00
आरआईएनएल	1423.00	1404.00	1137.00	873.00	748.00	852.68	778.00	960.00	850.00	1030.00
एनएमडीसी	25018.69	18865.00	29820.00	21009.00	24832.00	17418.00	19516.00	16937.00	20000.00	16724.00
मैथल	1419.00	1358.00	1430.00	1447.00	1127.00	1143.10	922.00	962.00	925.00	929.00
एमएसटीसी	120.00	120.00	145.00	150.26	80.00	80.44	214.00	215.00	200.00	200.00
एफएसएनएल	25.27	22.10	26.80	26.83	51.16	77.29	63.36	63.48	65.00	66.44
मेकॉन	468.23	144.46	491.51	221.08	270.43	67.30	203.12	42.32	229.00	16.92
फेंडाइंग्सोसीएल	109.92	101.11	96.50	64.00	43.50	38.19	15.98	15.98	39.64	32.51
ओएमडीसी	34.18	31.39	73.00	72.99	46.00	45.45	70.99	35.19	35.80	23.06
बीएसएलसी										
			शून्य	शून्य		शून्य		शून्य	शून्य	शून्य

*अनंतिम

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसानुसार ‘नागरिक केंद्रित सात चरणीय मॉडल – सेवोत्तम’ को अपनाना

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वें रिपोर्ट “नागरिक केंद्रित प्रशासन–शासन का दिल” के पैरा 4.6.2 में नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी एवं आवश्यक बनाकर संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने की अनुसंशा की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एंड पीजी) ने जनसेवा आपूर्ति (सेवोत्तम) को बेहतर बनाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के विकास तथा उसके आकलन के लिए संगठन को एक फ्रेमवर्क उपलब्ध करता है। सूचना तकनीक के सहयोग से विकासशील व्यवसाय प्रक्रिया को अधिक जानकारी परक बनाने के लिए नवीन पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से यह नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं, इसके उद्देश्यों, सेवा की गुणवत्ता व गुणवत्ता में सुधार आदि की पहचान करता है।

इसपात मंत्रालय ने अपना ‘नागरिक चार्टर’ प्रकाशित किया है और स्टेकहोल्डरों की आवश्यकता एवं उम्मीदों के आधार पर समय–समय पर इसे अद्यतन किया जाता है। इस चार्टर को मंत्रालय के वेबसाइट www.steel.nic.in पर डाला गया है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों ने भी अपना चार्टर बनाया है, और उसे अपनी वेबसाइट्स पर डाला है।

“लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन” योजना के अधीन अनुसंधान और विकास के लिए जारी किए गए अनुदान


क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम	लाख रुपये में		
		2018–19		
		कुल	पूंजी	राजस्व
1	आरडीसीआईएस द्वारा कोक ओवन बैटरियों के कोल हैंडिलिंग संयंत्र में इष्टतम कोल ब्लैंडिंग के लिए ऑटोमेशन सिस्टम का विकास	147.00	138.50	8.50
2	आईआईटी मद्रास और जेएसडब्ल्यू द्वारा किलंकर कम्प्यूटिवल उत्पाद बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए ड्राई स्लैग ग्रेनुलेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी रिकवरी सिस्टम का विकास	29.43	7.43	22.00
3	मेकॉन द्वारा इंफ्रारेड कैमरा आधारित टॉरपेडो लेडल कार कंडीशन मॉनीटरिंग सिस्टम का विकास	19.50	0.00	19.50
4	आईआईटी, बीएचयू द्वारा जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए निकल फ्री नाइट्रोजन ऑस्ट्रेनिटिक स्टेनलैस स्टील का विकास	28.06	0.00	28.06
5	आईआईटी मद्रास और जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा मैग्नेटिक स्पेशिलिटी प्रोपर्टीज के लिए और अधिक से अधिक आयरन प्राप्ति के लिए थर्मल ग्रेड कोयले का उपयोग करके स्लिम्स और लो ग्रेड आयरन और के लिए पलूडाइज्ड बैड रिडक्शन रोस्टिंग प्रक्रिया का विकास	21.06	8.00	13.06
6	एनएमएल जमशेदपुर द्वारा सिलिको मैग्नीज का प्रयोग करके हाई मैग्नीज स्लैग के मैटलोथर्मिक उपचार द्वारा लो कार्बन और लो फास्फोरस फेरो मैग्नीज का उत्पादन	34.00	0.00	34.00
7	आईआईएमटी भुवनेश्वर द्वारा पैलेट फोड कंसेट्रेट के उत्पादन के लिए ऐसे ओरस की जिन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए होता है, रोस्टिंग और माइक्रोवेव हीटिंग में कमी लाना	30.00	10.00	20.00
8	आईएसएमटी भुवनेश्वर और एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा भारतीय लौह अयस्क प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए हाई कंसेट्रेशन आयरन और फाइन्स/कंसेट्रेट स्लरी पाइप लाइनों का मॉडल बनाना और इष्टतम उपयोग करना।	64.50	43.50	21.00
9	एनआईएसएसटी, एनएमएल और एमईसीपीएल द्वारा एसएफ में हाई फेरो क्रोम के उत्पादन और टनल विलन में क्रोमाइट और की प्री-रिडक्शन के लिए किफायती ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास	70.02		70.02
10	आईआईटी, खड़गपुर द्वारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मैकिंग स्लैग से ग्रीन बेलाइट सीमेंट बनाने का एक नया ट्रॉपिकोण	12.96		12.96
11	एनएमएल जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अनुप्रयोग के लिए अमॉर्फस इलेक्ट्रिकल स्टील (एईएस)	135.49	135.49	
12	सीआरआरआई द्वारा सड़क निर्माण के लिए इस्पात स्लैग के उपयोग हेतु डिजाइन दिशानिर्देशों और विनिर्देशों का विकास	286.50	286.50	0.00
13	एमआईडीएचएनआई द्वारा वाणिज्यिक बाजार के लिए सुपर अल्यू ग्रेड 625 और 825 का विकास	200.00	200.00	0.00
14	आईएमएमटी द्वारा उन्नत न्यूफ्लोट फ्लोटेशन सेल का उपयोग करते हुए भारतीय कोकिंग कोल के लिए फ्लोटेशन प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग।	74.74	40.00	34.74
15	आईआईटी कानपुर द्वारा बेहतर कास्टेबिलिटी और सफाई के लिए लैडल श्राउड के माध्यम से टीमिंग के दौरान इस्पात के री-ऑक्सिडेशन को कम करने के लिए फंडामेंटल प्रोसेस इंजीनियरिंग	130.25	87.88	42.37
16	आईएमएमटी द्वारा उत्सर्जित CO ₂ को रसायनिक ईंधन में बदलना	49.45	30.00	19.45
17	सीबीआरआई द्वारा रसायनिक रूप से एक्टीवेटेड एलडी स्लैग का उपयोग करते हुए नए सिमेंटिशियस सामग्री का विकास	120.00	85.00	35.00
18	सीआईएमएफआर द्वारा स्लैग के उपयोग पर जोर देते हुए इस्पात संयंत्रों में द्रव्य रहित निस्सारण प्राप्त करने के लिए एकीकृत कम लागत प्रौद्योगिकी	12.12	5.00	7.12
19	केआईओसीएल द्वारा निर्माण उद्योग में प्रिकर्सर के रूप में फलाई ऐश का उपयोग करते हुए कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान टेलिंग आधारित जियोपोलिमर एग्रिगेट का संश्लेषण।	11.20	11.20	
20	भारतीय इस्पात और इस्पात संबंधी संयंत्रों से उत्पन्न स्लजों का अपशिष्ट प्रबंधन: बीआईटीएस पिलानी द्वारा स्थायी व्यापार मॉडल	23.72	11.50	12.22
	कुल	1,500.00	1,100.00	400.00

सेल ने 12,000 मीट्रिक टन इस्पात (कुल इस्पात का 50% से अधिक) एवं आरआईएनएल ने 3,500 मीट्रिक टन इस्पात की आपूर्ति की



स्टेचू ऑफ यूनिटी

असीमित अवसरों की कुंजी



इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार
www.steel.gov.in